पंचदश माला, खंड 8, अंक 16

गुरुवार, 15 अप्रैल, 2010
25 चैत्र, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 79
Dated 15 June 2011

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2010/1932 (शक)]

अंक 16, गुरुवार, 15 अप्रैल, 2010/25 चैत्र, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	6–285
तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 300	6–47
अतारांकित प्रश्न संख्या 3185 से 3414	47–285
अध्यक्ष द्वारा बधाई	
भारतीय कबड्डी टीम को कबड्डी विश्व कप–2010 जीतने पर बधाई	285
सभा पटल पर रखे गए पत्र	286
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
छठा प्रतिवेदन	286
रेल संबंधी स्थायी समिति	
छठा और सातवां प्रतिवेदन	287
सरकारी विधेयक–पुर:स्थापित	
(एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010	287
(दो) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2010	288
नियम 193 के अधीन चर्चा	288–297, 306–427
छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर हाल में हुआ माओवादी हमला	288–297
श्री यशवंत सिन्हा	288–297, 307–318
डॉ. चरण दास महंत	318–335
श्री मुलायम सिंह यादव	335–342
डॉ. बलीराम	344–346
श्री सुबोध कान्त सहाय	346–350
श्री बसुदेव आचार्य	350–357
श्री शरद यादव	357–363
श्री तथागत सत्पथी	363–369
श्री कीर्ति आजाद	370–378
डॉ. एम. तम्बिदुरई	378–380
श्री नामा नागेश्वर राव	380–383
श्री संजय सिंह चौहान	384–386
श्री लालू प्रसाद	388–392
श्री अधीर चौधरी	392–393
श्री वरुण गांधी	393–395
श्री पी. लिंगम	395–397
श्री मनोहर तिरकी	397–398
श्री असादूद्दीन ओवेसी	398–401
डॉ. तरुण मंडल	401–403

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कॉलम

श्री बाबू लाल मरांडी 403–406
श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली 406–412
श्री दारा सिंह चौहान 412–413
श्री पी. चिदम्बरम 416–427

नियम 377 के अधीन मामले 298–305

(एक) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित विदर्भ क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता
श्री दत्ता मेघे 298–299

(दो) आंध्र प्रदेश के जहीराबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता
श्री सुरेश कुमार शेटकर 299

(तीन) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को शामिल किए जाने की आवश्यकता
श्री हरीश चौधरी 300

(चार) कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनुर में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता
श्री आर. ध्रुवनारायण 300–301

(पांच) देश में घटिया किस्म के बीज, नकली कीटनाशक और उर्वरकों की बिक्री में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता
डॉ. मन्दा जगन्नाथ 301

(छह) आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय योजना के अंतर्गत निःस्राव परिमार्जन संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता
श्री राजय्या सिरिसिल्ला 301–302

(सात) मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा और सतना में तालाबों के विकास और संरक्षण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता
श्री गणेश सिंह 302

(आठ) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आग के कारण जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता
श्री मिथिलेश कुमार 302–303

(नौ) उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क 303

(दस) देश में टीकों की कमी पर काबू पाने की आवश्यकता
श्री पी. करुणाकरन 303–304

(ग्यारह) उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु लाइसेंस फीस कम करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता
श्री भर्तृहरि महताब 304

(बारह) तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में के.के. नगर और क्रॉफोर्ड क्षेत्र के बीच लोगों के आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45-बी पर एक सब-वे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता
श्री पी. कुमार 304–305

अनुबंध-I
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 429
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 430–436

अनुबंध-II
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 437–438
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 437–440

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 15 अप्रैल, 2010/25 चैत्र, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों यह सभा 10 अप्रैल, 2010 को एक विमान दुर्घटना में पोलैंड के राष्ट्रपति श्री लेक कैजिंस्की, मैडम मारिया कैजिंस्की और पोलैंड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के दु:खद निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करती है। यह सभा इस लब्ध प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ के निधन पर शोक व्यक्त करती है जो व्यक्तिगत रूप से पोलैंड और भारत के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित थे।

यह सभा महामहिम, श्री ब्रोनिसलाव कोमोरोस्की, सेम के मार्शल (स्पीकर), जिन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, पोलैंड गणतंत्र की सेम के सदस्यों और पोलैंड के लोगों को गहरी संवेदना संप्रेषित करती है।

मुझे सभा को अपने तीन पूर्व सहयोगियों श्री शिवशरण वर्मा, श्री पी. राजारेथीनम और श्रीमती सुंदरवती नवल प्रभाकर के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री शिवशरण वर्मा वर्ष 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा और 1989 से 1996 तक नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री वर्मा सातवीं लोक सभा के दौरान रेल अभिसमय समिति के सदस्य थे। वह नौवीं लोक सभा के दौरान पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति और दसवीं लोक सभा के दौरान संचार संबंधी समिति के सदस्य थे।

पेशे से कृषक श्री वर्मा ने गरीब किसानों और मजदूरों के हित के लिए कार्य किया और उनके हितों की रक्षा के लिए वह निरन्तर संघर्ष करते रहे। श्री वर्मा ने प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में स्कूलों की स्थापना के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने में अति सक्रिय भूमिका अदा की।

श्री शिवशरण वर्मा का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 जनवरी, 2010 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री पी. राजारेथीनम वर्ष 1998 से 1999 तक बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने तमिलनाडु के पेराम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री राजारेथीनम ने 2001 से 2006 तक तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री राजारेथीनम बारहवीं लोक सभा के दौरान संचार संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री राजारेथीनम ने गरीबों, पददलितों और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया। वे 1993-1996 के दौरान भारतीदासन विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य थे।

श्री पी. राजारेथीनम का निधन 49 वर्ष की आयु में 4 फरवरी, 2010 को त्रिची, तमिलनाडु में हुआ।

श्रीमती सुंदरवती नवल प्रभाकर वर्ष 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा की सदस्य रहीं। उन्होंने दिल्ली के करोल बाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती प्रभाकर वर्ष 1972 से 1980 तक और 1982 से 1984 तक दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउंसिल की सदस्य रहीं।

श्रीमती प्रभाकर आठवीं लोक सभा के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की सदस्य रहीं।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभाकर ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रियता से भाग लिया। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्रीमती प्रभाकर ने दिल्ली अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में और दिल्ली बाल न्यायालय के अवैतनिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। उन्होंने समाज कल्याण बोर्ड, दिल्ली और शिवाजी कॉलेज, दिल्ली प्रबंधन समिति की सदस्य के रूप में कार्य किया। वह युवा एकता मंच, नई दिल्ली की मुख्य संरक्षिका थीं।

श्रीमती प्रभाकर ने समाज के गरीब वर्गों खासतौर से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्हें गरीब वर्गों और महिलाओं के कल्याण के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के सम्मान में वर्ष 1965 में एक शील्ड से पुरस्कृत किया गया। श्रीमती प्रभाकर रक्षा निधि के लिए अंशदान जुटाने में सक्रिय रूप से लगी रहीं।

श्रीमती सुंदरवती नवल प्रभाकर का निधन 88 वर्ष की आयु में 24 मार्च, 2010 को दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यों, 6 अप्रैल, 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के जंगलों के काफी भीतर घात लगाकर अब तक के लिए किए गए सबसे भयंकर माओवादी हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 75 अर्द्धसैनिक कर्मी की और एक राज्य पुलिस अधिकारी मारे गये तथा सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। माओवादियों ने इस अमानवीय कृत्य में बारूदी सुरंगों और आई.ई.डी. का प्रयोग किया तथा मृत्त और घायल अर्द्धसैनिक कर्मियों के हथियार भी लूट लिए।

इससे पहले 4 अप्रैल, 2010 को एक अन्य नक्सली हमले में उड़ीसा के कोरापुट जिले में विशेष कार्यसमूह के 11 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे।

यह सभा देश में शांति भंग करने और अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से किए गए इन घृणित हमलों की पुरजोर भर्त्सना करती है।

इसके अलावा 14 अप्रैल, 2010 को असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में आए भीषण तूफान से भारी तबाही हुई जिसमें लगभग 120 लोगों की मौत हो गयी। उसी दिन एक अन्य दुर्घटना में हरिद्वार में भगदड़ में सात लोगों की मौत हो गयी और दो लोग डूबकर मर गए। मैं अपनी और इस सभा की ओर से नक्सलवादियों द्वारा किए गए हमलों और इन दु:खद घटनाओं से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, प्रश्न काल।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदया, मैंने प्रश्न काल के निलंबन के लिए नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने हमारे जवानों को मारा है, यह बहुत ही गंभीर मसला है। *...(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि इस पर हमारी बात पहले सुनी जाए। *...(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): स्पीकर महोदया, दंतेवाड़ा की घटना एक गंभीर घटना है *...(व्यवधान)* इस पर तुरंत चर्चा कराई जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैं समझती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप बैठ जाएंगे?

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये। संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, आप सभी बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया करके बैठ जाइये। संसदीय कार्य मंत्री जी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, दांतेवाड़ा में कुछ सीआरपीएफ कर्मियों के संहार से संबंधित मामलों पर प्रश्न काल निलंबित करने के लिए कई नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बयान देगी। माननीय गृह मंत्री अपराह्न एक बजे बयान देंगे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि प्रश्न काल चल सकता है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): नहीं महोदया, अभी डिस्कशन होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसलः मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद सभी सदस्य अपनी बात कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदया, अगर आप चाहें,

[अनुवाद]

तो सभी नियमों से परे होकर माननीय गृह मंत्री के बयान के तुरंत बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः अभी डिस्कशन होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसलः महोदया, यह प्रश्नकाल का समय है। माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछने की तैयारी की होती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री जी एक बजे स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद चर्चा शुरू होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसलः माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने होते हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी आए हैं। पैसा खर्च होता है, प्रश्नकाल के बाद इस विषय पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमारः महोदया, उत्तर प्रदेश के 42 लोग मारे गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादवः महोदया, ऐसा करना, मतलब इस विषय की गंभीरता को कम करना होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अगर एक-एक करके माननीय सदस्य बोलेंगे, तो पता चलेगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आप एक-एक करके अपनी बात बता दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, कृपया प्रश्न काल निलंबित करें तथा गृह मंत्री को तुरन्त बयान देने का निदेश दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः मुलायम सिंह जी, शैलेन्द्र कुमार जी, आप लोग बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमारः महोदया, नक्सलवाद देश में एक गंभीर समस्या है। यह देश के लिए खतरा बना हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री जी एक बजे वक्तव्य दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसलः मेरी दर्खास्त है कि मंत्री जी के वक्तव्य के तुरंत बाद चर्चा शुरू की जा सकती है। ...*(व्यवधान)* केवल दो घंटों की बात है, पहले प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के लिए तैयारी की जाती है। प्रश्नकाल के बाद इसे ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)* अगर हाउस ही नहीं चलने देना चाहते हैं, तो यह अलग बात है। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

***281. डॉ. निर्मल खत्रीः** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय रेल में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उन रेलवे स्टेशनों/स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां रेलवे का कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर स्थापित करने का विचार है; और

(ग) रेलवे द्वारा देश में कंप्यूटरीकृत आरक्षण नेटवर्क का विस्तार करने हेतु किस रूपरेखा (रोडमैप) की परिकल्पना की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) भारतीय रेल ने 31.3.2010 को 7481 काउंटरों के साथ 1993 स्थलों पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण टिकट जारी करने के लिए सुविधा चालू की है। औसतन 1.1 मिलियन यात्रियों को प्रतिदिन आरक्षित टिकट जारी किए जाते हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली को 137 स्थलों के लिए बढ़ाया गया था। चालू वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, 10.4.2010 तक, अन्य 17 स्थलों को स्वीकृत किया गया है।

बजट भाषण 2009-10 में संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को पीआरएस के लिए स्थलों की नई सूची में शामिल करने हेतु अपनी पसंद का एक पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) स्थल की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसे 193 अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें से 116 की स्वीकृति दे दी गई है। शेष स्वीकृति की प्रक्रिया में है और इन्हें अगले तीन महीनों में चालू कर दिया जाएगा।

(ग) निम्नलिखित द्वारा यात्रियों को अधिकतम सुविधा मुहैया कराने की रणनीति के माध्यम से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण टिकटों के जारी करने की सुविधा को बढ़ाने के लिए रेलवे का प्रस्ताव है:-

(1) मौजूदा वेब-सर्वरों की क्षमता बढ़ाकर ई-टिकटों को जारी करने की सुविधा मुहैया कराना।

(2) बड़े शहरों तथा कस्बों में अधिक संख्या में सेटेलाइट स्थल खोलना ताकि जनता को इस सुविधा तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़े।

(3) ऐसे सभी स्थानों पर टिकटों की बिक्री की संभाव्यता के आकलन पर आधारित छोटे कस्बों तक सुविधा का विस्तार करना।

(4) आरक्षण केन्द्रों से दूर स्थित क्षेत्रों में जाकर टिकट जारी करने के लिए "मुश्किल आसान" नामक मोबाइल वैन प्रारंभ करना। यह एक पायलट परियोजना है। इसकी सफलता के आधार पर अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा।

(5) जनता को उसके रहने के स्थल से ही मोबाइल फोन के माध्यम से टिकट बुक कराने की सुविधा देने के लिए टिकट जारी करने की परियोजना प्रारंभ करना।

[अनुवाद]

उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता

***282. श्री वरुण गांधी:**
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग के लिए पोषकतत्व आधारित राजसहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यविधि तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार घरेलू क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) सरकार ने 1.5.2010 से नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति लागू की है। पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(1) एनबीएस के अंतर्गत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी, 18-46-0), म्युरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी-11-52-0), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी-0-46-0) मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेड और अमोनियम सल्फेट (एएस-(जीएसएफसी और एफएसीटी द्वारा केप्रोलेक्टम ग्रेड), जो पहले ही फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक (पीएण्डके) के लिए 31 मार्च, 2010 तक दी जा रही रियायत योजना के अंतर्गत शामिल थे तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) पर लागू है। उपर्युक्त उर्वरकों में निहित प्राथमिक पोषक-तत्व नामतः नाइट्रोजन 'एन' फॉस्फेट 'पी' और पोटाश 'के' और पोषक-तत्व सल्फर 'एस', एनबीएस के पात्र होंगे।

(2) ऊपर उल्लिखित उर्वरकों की प्रत्येक किस्म भी, जो गौण और जो सूक्ष्म पोषक-तत्वों (सल्फर 'एस' के अलावा) के साथ एफसीओ के अंतर्गत आती है, राजसहायता के लिए पात्र होंगी। ऐसे उर्वरकों में गौण और सूक्ष्म पोषक-तत्वों (एस के अलावा) पर अलग से प्रति टन राजसहायता दी जाएगी ताकि प्राथमिक पोषक-तत्वों के साथ इनके अनुप्रयोग को बढ़ावा मिल सके।

(3) प्रत्येक पोषक-तत्व, नामतः 'एन' 'पी' 'के' और 'एस' पर दी जाने वाली एनबीएस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित की जा रही है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्रत्येक राजसहायता प्राप्त उर्वरक के लिए प्रति किलोग्राम पोषक-तत्व आधारित राजसहायता और प्रति टन राजसहायता की घोषणा की गई है।

(4) सचिव, उर्वरक की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालय समिति (आईएमसी) गठित की गई जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग, व्यय विभाग, योजना आयोग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले सरकार (उर्वरक विभाग) के निर्णय के लिए 'एन' 'के' और 'एस' के लिए प्रति पोषक-तत्वों वाले पुष्ट राजसहायता प्राप्त उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त राजसहायता की भी सिफारिश करती है। समिति उत्पादकों/आयातकों के अनुप्रयोग पर आधारित राजसहायता प्रणाली के अंतर्गत नए उर्वरकों को शामिल करने की भी सिफारिश करती है और सरकार के निर्णय के लिए इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा इसकी आवश्यकता के मूल्यांकन पर विचार करती है।

(5) तैयार उर्वरक के आयात के साथ-साथ उर्वरक के वितरण और संचलन, उर्वरक आदान और स्वदेशी इकाइयों द्वारा किए गए उत्पादन पर ऑन लाइन वेब आधारित "उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस)" के माध्यम से निगरानी रखी जाती रहेगी, जैसा कि पीएण्डके उर्वरकों के लिए दी जाती रही रियायत योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

(6) भारत में उत्पादित/आयातित नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के मूल्य का 20% अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ईसीए) के अंतर्गत संचलन नियंत्रण में है। उर्वरक विभाग कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में आपूर्तियों को पूरा करने के लिए इन उर्वरकों के संचलन पर नियंत्रण रखेगा।

(7) नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर भाड़ा राजसहायता रेल/सड़क भाड़े तक सीमित होगी, बशर्ते कि एनबीएस के अलावा अधिकतम समान रेल भाड़ा दिया जा रहा हो ताकि देश में उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता प्रदान की जा सके।

(8) मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेडों सहित सभी राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत किया जाता है। पहले, आयातित मिश्रित उर्वरकों के लिए कोई रियायत मौजूदा नहीं थी। अब आयातित मिश्रित उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता उपलब्ध होगी। तथापि, प्रथम चरण के दौरान आयातित अमोनियम सल्फेट (एएस) पर राजसहायता लागू नहीं होगी। यूरिया का आयात प्रथम चरण के दौरान सरणीबद्ध ही रहेगा।

(9) यद्यपि, यूरिया के अलावा, राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग-आपूर्ति के संतुलन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर उर्वरकों पर अनुमेय राजसहायता और उर्वरकों का खुदरा मूल्य स्पष्ट रूप से मुद्रित करना होगा। मुद्रित निवल खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई कोई भी बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होगी।

(10) विशिष्ट उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादकों को उत्पादकों/आयातकों से तभी राजसहायता प्राप्त उर्वरक प्राप्त होंगे जब ये उर्वरक कृषि के प्रयोजन के लिए विशिष्ट उर्वरक और उर्वरक मिश्रण का उत्पादन करने हेतु आदानों के रूप में जिलों तक पहुंच जाएंगे। विशिष्ट उर्वरकों और/उर्वरक मिश्रणों की बिक्री पर अलग से कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी।

(11) 'एन' के उत्पादन की अधिक लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए नेफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया का इस्तेमाल करके मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी उत्पादकों को अलग से अतिरिक्त राजसहायता प्रदान की जाती है। तथापि, यह अधिकतम दो वर्षों के लिए होगी जिसके दौरान इकाइयों को गैस में परिवर्तित करना होगा या आयातित अमोनिया का प्रयोग करना होगा। अतिरिक्त राजसहायता की मात्रा का निर्णय विभाग द्वारा, टैरिफ कमीशन के अध्ययन एवं सिफारिशों के आधार पर व्यय विभाग के साथ परामर्श के बाद किया जाएगा।

(12) प्रथम चरण के दौरान एनबीएस उद्योग के माध्यम से जारी की जाएगी। डीएपी/एमओपी/मिश्रित उर्वरकों/एमएपी/टीएसपी और एएस के उत्पादकों/आयातकों को एनबीएस का भुगतान विभाग की दिनांक 12.03.2009 की अधिसूचना सं. 19011/59/2003/एमपीआर (भाग) के तहत अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एसएसपी के उत्पादकों/विपणनकर्ताओं को एनबीएस का भुगतान दिनांक 13.08.2009 की विभाग की अधिसूचना संख्या 22011/4/2007-एमपीआर में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।

2. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2010-11 के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अंतर्गत 'एन', 'पी', 'के' और 'एस' पोषक-तत्वों के लिए राजसहायता इस तरीके से निर्धारित की जाएगी कि जहां तक संभव हो सके गैर-यूरिया उर्वरकों के फार्मगेट मूल्य मौजूदा मूल्यों के लगभग समान हों ताकि किसानों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3. उर्वरक विभाग ने पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के अंतर्गत 'एन', 'पी', 'के' और 'एस' पोषक-तत्वों के प्रति कि.ग्रा. मूल्य और उर्वरकों की प्रति मी. टन राजसहायता की घोषणा की है और इसके साथ-साथ वर्ष 2010-11 के लिए 1.4.2010 से द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक-तत्वों वाले फोर्टिफाइड राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों पर प्रति मी. टन अतिरिक्त राजसहायता देने की घोषणा भी की है। अब तक जारी की गई अधिसूचनाओं में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

(1) पोषक-तत्वों के प्रति कि.ग्रा. पर पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (रुपए में)

क्र.सं.	पोषक-तत्व	पोषक-तत्व के प्रति कि.ग्रा. पर एनबीएस
1.	'एन'	23.227
2.	'पी'	26.276
3.	'के'	24.487
4.	'एस'	1.784

(2) प्रति मी. टन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता

उर्वरक	प्रति मी. टन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (रुपए में)
डीएपी	16268
एमएपी	16219
टीएसपी	12087
एमओपी	14692
16-20-0-13	9203
20-20-0-13	10133
23-23-0-0	11386
10-26-26-0	15521
12-32-16-0	15114
14-28-14-0	14037
14-35-14-0	15877
15-15-15-0	11099
अमोनियम सल्फेट	5195

(3) एफसीओ के अनुसार द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक-तत्वों वाले संपुष्ट राजसहायता-प्राप्त उर्वरकों पर प्रति मी. टन अतिरिक्त राजसहायता

क्र.सं.	एफसीओ के अनुसार संपुष्टिकण के लिए पोषक-तत्व	संपुष्ट उर्वरकों के प्रति मी. टन पर अतिरिक्त राजसहायता (रुपए)
1.	बोरोन 'बीएन'	300
2.	जिंक 'जेडएन'	500

(घ) और (ङ) सरकार ने यूरिया क्षेत्र के लिए 4 सितंबर, 2008 को एक नई निवेश नीति अधिसूचित की है। इस नीति के अनुसार यूरिया क्षेत्र को आयात सममूल्य दिया जाता है बशर्ते कि इसमें पुनरुद्धार, विस्तार, कठिनाइयां दूर करने और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के जरिए यूरिया के उत्पादन का कुछ प्रतिशत शामिल हो। इसके पुनरुद्धार, विस्तार, कठिनाइयां दूर करने और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

2. उर्वरक उद्योग ने मौजूदा क्षमताओं के पुनरुद्धार के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेकर 4 सितंबर 2008 को अधिसूचित नई निवेश नीति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकांश मौजूदा इकाइयों ने या तो अपना पुनरुद्धार कार्य पूरा कर लिया है या वर्तमान में अपनी इकाइयों में पुनरुद्धार परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं जिससे उनकी मौजूदा यूरिया क्षमता बढ़कर लगभग 1.5 मिलियन टन हो जाएगी। इसके अलावा, छः उर्वरक कंपनियां नामतः इफ्को-कलोल, कृभको-हजीरा, आरसीएफ-थाल, आईजीएफएल-जगदीशपुर, सीएफसीएल-गडेपान और टीसीएल-बबराला ने भी अपने मौजूदा परिसरों में 1.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष अमोनिया यूरिया संयंत्रों की स्थापना करके अपनी वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त करती है। सरकार द्वारा एचएफसीएल और एफसीआईएल के बंद पड़े संयंत्रों में अतिरिक्त क्षमताओं का सृजन करके पुनरुद्धार करने पर भी विचार किया जा रहा है। मैसर्स मैट्रिक्स ग्रुप कंपनी, मुम्बई ने सूचित किया है कि कोल बेड मिथेन (सीबीएम) गैस, जिसकी उन्हें एस्सार ऑयल लिमिटेड रानीगंज सीबीएम ब्लॉक द्वारा आपूर्ति की जाएगी, के आधार पर प्रतिवर्ष एक मिलियन मिट्रिक (1 मिलियन एटीपीए) एन के बर्द्धवान जिला, पश्चिम बंगाल में ग्रीनफील्ड गैस आधारित अमोनिया-यूरिया परियोजना की स्थापना की है। कंपनियां सरकार से नियमित रूप से अनुरोध कर रही हैं कि या तो घरेलू गैस स्रोतों

से पूर्व-निर्धारित नियत मूल्यों पर गैस का सुनिश्चित आबंटन करें अथवा नियत मूल्यों पर प्राकृतिक गैस के आबंटन की किसी प्रतिबद्धता के अभाव में तदनुसार न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि होने से गैस के सुपुर्दगी मूल्यों में बढ़ोतरी होने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी अतिरिक्त देनदारी से उद्योग को बचाए। ऊपर उल्लिखित कठिनाइयों की जांच की जा रही है और 4 सितंबर, 2008 को अधिसूचित नहीं निवेश नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव पर उर्वरक विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है ताकि यूरिया क्षेत्र में निवेश के लिए सुविधा मुहैया कराई जा सके।

3. पीएंडके उर्वरकों में, पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति से कंपनियों को साधन संपन्न देशों से उर्वरक आदान प्राप्त करने के लिए निवेश करने में प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इससे स्वदेशी इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिलेगा जो मुख्यतः आयातित मध्यवर्तियों पर आधारित हैं।

जूट बैग का अनिवार्य प्रयोग

***283. श्री एस. सेम्मलई:**
श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जूट बैग के प्रयोग को अनिवार्य बनाने संबंधी आरक्षण मानदंडों (रिजर्वेशन नार्म्स) से देश में जूट उत्पादों की अधिक खपत को बढ़ावा मिला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आरक्षण मानदंडों में छूट देने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जूट उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उपर्युक्त अधिनियम के दायरे में कुछ और उत्पादों को लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों से देश में पटसन उत्पादों की खपत न्यूनाधिक स्थिर रही है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 के अंतर्गत आरक्षण पटसन सैकिंग के कुल उत्पादन के सार्थक समानुपात के संबंध में पटसन उद्योग के लिए आश्वासित बाजार प्रदान करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पटसन सामानों की घरेलू खपत नीचे दी गई है:-

(मात्राः हजार मी.ट. में)

अप्रैल-मार्च	हैसियन	सैकिंग	अन्य उत्पाद	कुल
2006-07	209.10	854.40	152.70	1216.20
2007-08	271.40	1101.90	169.00	1543.30
2008-09	249.80	1013.00	174.30	1436.20

(ग) और (घ) जेपीएम अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, स्थायी सलाहकार समिति ने कच्चे पटसन एवं पटसन उत्पादों आदि की मांग तथा उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करती है और अगले पटसन वर्ष के लिए आरक्षण के स्तर की सिफारिश करती है। तत्पश्चात् आरक्षण स्तर की सिफारिश करती है। तत्पश्चात् आरक्षण स्तर निर्धारित करने की सिफारिश पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है। इस समय, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 (जेपीएम एक्ट) के अंतर्गत आरक्षण मानदंडों में छूट देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) इस समय, जेपीएम एक्ट के क्षेत्राधिकार में और अधिक उत्पादों को लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस का आवंटन

***284. श्री नरहरि महतो:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन से उत्पादित गैस को बेचने के लिए कुछ औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चयनित क्षेत्रों के नाम क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों की प्राथमिकता का निर्धारण देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का प्राथमिकता-क्रम क्या है; और

(ङ) केजी बेसिन से किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों को गैस का आवंटन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ गैस के वाणिज्यिक इस्तेमाल से संबंधित

मामलों का निर्णय करने के लिए गठित शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह (ईजीओएम) ने देश की जरूरतों और मौजूदा गैस आधारित आस्तियों द्वारा झेली जा रही कमी को ध्यान में रखते हुए के.जी. डी६ से उत्पादित गैस की आपूर्ति के संबंध में निर्णय लिए हैं। ईजीओएम ने निर्णय लिया है कि केजी गैस की आपूर्ति पुष्ट आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों को की जाए:-

(1) राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का उत्पादन करने वाले मौजूदा गैस आधारित उर्वरक संयंत्र।

(2) मौजूदा गैस आधारित एलपीजी संयंत्र।

(3) मौजूदा गैस आधारित विद्युत संयंत्र और 2009-10 में चालू किए जाने वाले गैस आधारित संयंत्र जिनमें ऐसे तरल ईंधन भी शामिल हैं जो अब तरल ईंधन पर प्रचालित है और जो प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो सकते हैं (आंध्र प्रदेश में 75% संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर और भारत के अन्य भागों में 70% पर प्रचालित करने के लिए)।

(4) घरेलू और परिवहन क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियां।

(5) मौजूदा गैस आधारित इस्पात संयंत्र (केवल फीडस्टाक के लिए न कि घरेलू विद्युत जरूरत के लिए)।

(6) मौजूदा गैस आधारित पेट्रोरसायन संयंत्र (केवल फीडस्टाक के लिए न कि घरेलू विद्युत जरूरत के लिए)।

(7) मौजूदा रिफाइनरियां।

उपर्युक्त पुष्ट आबंटनों में से उच्चतम प्राथमिकता उल्लिखित अनुक्रम में निम्नलिखित को प्रदान की गई है: (1) मौजूदा गैस आधारित यूरिया संयंत्र, (2) मौजूदा गैस आधारित एलपीजी संयंत्र, (3) मौजूदा गैस आधारित विद्युत संयंत्र और ऐसे वे संयंत्र जो 2009-10 में चालू किए जाने हैं। (4) घरेलू और परिवहन क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए सीजीडी कंपनियां।

2. इसके अलावा ईजीओएम ने निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों को फालबैक आधार पर केजी डी6 गैस की आपूर्ति के संबंध में भी निर्णय लिए हैं-

(1) मौजूदा और 2009-10 में चालू किए जाने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्र जिनमें ऐसे तरल ईंधन भी शामिल हैं जो अब तरल ईंधन पर प्रचालित हैं और जिन्हें प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जा सकता है (आंध्र प्रदेश में 75% से ऊपर पीएलएफ पर और शेष भारत में 70% पीएलएफ पर प्रचालन करने के लिए।

(2) वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहकों को 50,000 एससीएमडी (मानक घन मीटर प्रतिदिन) तक की आपूर्ति के लिए सीजीडी कंपनियां।

(3) मौजूदा रिफाइनरियां।

(4) घरेलू विद्युत संयंत्र।

ईजीओएम ने निर्यात लिया है कि फालबैक ग्राहकों में विद्युत क्षेत्र की जरूरत (घरेलू विद्युत के अलावा) प्रथमतः पूरी की जाएगी और उसके बाद सभी बकाया ग्राहकों को गैस की आपूर्ति की जानी चाहिए।

(ङ) विभिन्न क्षेत्रों को आबंटित केजी डी-6 गैस की मात्रा निम्नानुसार है:

(एमएमएससीएमडी अर्थात् मिलियन एमएमएससीएमडी में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पुष्प आबंटन	फालबैक आबंटन	कुल योग
1.	उर्वरक	15.508		15.508
2.	एलपीजी	3		3
3.	विद्युत	31.165	12	43.165
4.	सीजीडी	0.83	2	2.83
5.	इस्पात	4.19		4.19
6.	पेट्रोरसायन	1.918		1.918
7.	रिफाइनरियां	5	6	11
8.	घरेलू विद्युत		10	10
	योग	61.611	30	91.611

[हिन्दी]

कच्चे तेल का आयात

***285. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों से कच्चे तेल की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल के आयात हेतु खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों से कच्चे तेल के आयात की निर्भरता को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों से कच्चे तेल के आयातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	देश	2006-07	2007-08	2008-09 (पी)#	2009-10 (अप्रैल-जनवरी) (पी)
1	2	3	4	5	6
1.	इरान	14.701	19.486	21.318	18.451
2.	इराक	13.449	14.293	14.391	13.001
3.	कुवैत	11.382	10.305	11.890	10.382
4.	तटस्थ अंचल	1.632	2.598	2.766	2.433
5.	ओमान		0.488	0.277	3.950
6.	कतर	1.727	2.514	2.396	4.684
7.	सउदी अरब	24.626	26.989	25.503	22.347
8.	सीरिया			0.082	0.232
9.	यूएई	8.755	10.862	13.114	9.350
10.	यमन	4.543	2.194	0.681	2.309
11.	अलजीरिया	0.646	0.296	0.263	1.568
12.	अंगोला	2.609	4.336	4.872	7.905
13.	कैमरून		0.110	0.113	0.275
14.	चाड				0.146
15.	कांगो			0.247	1.455
16.	मिश्र	1.930	1.887	1.557	2.673
17.	भूमध्यरेखीय गुएना	0.409	1.769	0.281	0.561
18.	भूमध्यरेखीय केनिया	0.292			
19.	गोबान	0.141		0.418	0.136
20.	आइवरी कोस्ट	0.145	0.146	0.138	0.145
21.	लीबिया	0.130	2.072	0.890	0.812
22.	नाइजीरिया	13.067	9.917	10.542	10.711
23.	सूडान	0.156	0.943	0.772	0.941
24.	ब्रूनेई	0.634	0.350	0.846	0.682

1	2	3	4	5	6
25.	चीन				0.141
26.	मलेशिया	4.731	4.278	3.909	2.180
27.	सिंगापुर			0.140	
28.	दक्षिण कोरिया				0.255
29.	ब्राजील	0.422			2.279
30.	कोलम्बिया				0.710
31.	इक्वाडोर		0.257		1.142
32.	पनामा			0.072	
33.	वेनेजूएला	2.317	1.169	6.955	5.038
34.	अजरबैजान	0.709	2.109	1.577	1.995
35.	कजाकिस्तान				0.133
36.	रूस	0.400	0.358	0.227	1.500
37.	कनाडा				0.080
38.	मैक्सिको	1.949	1.374	1.826	1.475
39.	टर्की		0.409		0.133
40.	यूके				0.094
41.	आस्ट्रेलिया		0.165	0.088	0.234
	योग	111.502	121.672	128.155	132.529

#आरआईएल (एसईजेड), जामगर रिफाइनरी के आंकड़े 2008-09 में शामिल नहीं हैं।
(पी) अनन्तिम

(ख) पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कच्चे तेल के आयात पर व्यय की गई कुल विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
2006-07	48,389
2007-08	67,988
2008-09	76,957
2009-10 (जनवरी, 2010 तक)	63,319

(ग) विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जो संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं-

1. नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी)/कोल बेड मीथेन नीति (सीबीएम) के विभिन्न दौरों के तहत अन्वेषण के लिए प्रस्तुति हेतु अधिक से अधिक क्षेत्र को तैयार करना।

2. मौजूदा क्षेत्रों से वर्धमान निकासी कारक हेतु वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का अनुप्रयोग और मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का उपयोग।

3. इक्विटी तेल हेतु विदेश में उत्पादन परिसंपत्तियों तथा अन्वेषण रकबों का अर्जन।

4. वैकल्पिक ईंधनों जैसे कि एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल के प्रयोग द्वारा परिवहन क्षेत्र में तेल का प्रतिस्थापन।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्माण और निर्यात

***286. श्री पी. कुमार:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वस्त्र निर्माता कपास के अधिक मूल्य के कारण वस्त्रों के मूल्य में वृद्धि होने से निर्यात क्रयादेशों को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वस्त्र निर्माताओं को उत्पादन हानि और रोजगार में अभूतपूर्व कटौती का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा वस्त्र निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय को गारमेंट विनिर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कपास, कपास यार्न और विशिष्ट कॉटन फैब्रिक्स के उच्च मूल्यों के कारण गारमेट विनिर्माताओं को समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तथा उन्होंने पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते कपास और कपास यार्न के मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है ताकि निर्यात आदेशों को समुचित रूप से पूरा किया जा सके।

(ग) जी, नहीं। गारमेंट उद्योग में अभूतपूर्व रोजगार हानि/उत्पादन हानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) कपास एवं यार्न बाजारों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने तत्परता से कार्य किया है और निम्नलिखित उपाय किए हैं (क) यार्न निर्यात का कांट्रेक्ट पंजीकरण (ख) वस्त्र मिलों पर हैंक यार्न दायित्वों का सख्त बाध्यकरण (ग) कपास पर 2500 रुपए प्रति टन का निर्यात शुल्क तथा कपास अपशिष्ट पर 3% का यथामूल्य शुल्क लागू करना (घ) यूएस और ईयू को निटिड एवं वूवन गारमेंट्स के निर्यात के लिए सितंबर 2010 तक विदेश व्यापार नीति 2009-14 की बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद योजना के अंतर्गत 2% प्रोत्साहन प्रदान करना। इसके अलावा वस्त्र मंत्रालय ने कपास यार्न निर्यातों पर डीईपीबी प्रोत्साहन को समाप्त करने तथा कपास यार्न पर निषेधात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

यात्री सेवा समिति की रिपोर्ट

***287. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:**
डॉ. के.एस. राव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु नियुक्त की गई यात्री सेवा समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट में दूरभाष सं. 139 के माध्यम से पूछताछ करने के संबंध में खामियों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी नहीं। यात्री सेवा समिति ने रेलवे बोर्ड को अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल परियोजनाओं की लागत में भागीदारी

***288. श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2008 से राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में लागत और उसके लाभों में भागीदारी हेतु क्या मानदण्ड नियत किए गए हैं; और

(घ) उन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो 5, 10 और 20 अथवा उससे अधिक वर्षों से पूरी होने के लिए लंबित पड़ी हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से उनके राज्य में पड़ने वाली परियोजनाओं की कम से कम 50% लागत की हिस्सेदारी करने का अनुरोध किया गया है। कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य में कुछ चयनित चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं की लागत में भागीदारी करने के लिए सहमत हो गई है। 2008-09 से राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर हुई सहमति वाली रेल परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भागीदारी राज्य	परियोजनाओं के नाम	लम्बाई किमी. में	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	राज्यों की भागीदारी %
1.	आंध्र प्रदेश	कुड्डापाह-बंगलोर (बंगारपेट) नई लाइन	255.40	1000.23	50.00
2.		कोटापल्ली-नरसापुर नई लाइन	57.21	695	25.00
3.	हिमाचल प्रदेश	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन	63.00	1046.88	25.00
4.	कर्नाटक	हसन-बंगलोर नई लाइन	166.00	416.91	50.00
5.		कादुर-चिकमगलूर-सकलेशपुर नई लाइन	93.00	167.32	50.00
6.		अरसीकेरे-बिरूर दोहरीकरण	44.28	136.01	50.00
7.		कोलार-चिकबल्लापुर आमान परिवर्तन	96.50	200	50.00
8.	महाराष्ट्र	वर्धा नांदेड़ नई लाइन	270.00	732	40.00
9.		अहमदनगर-बीड-पर्ली-बैजनाथ नई लाइन	261.25	512.62	50.00

परियोजना लागत में भागीदारी की जा रही हैं और परिचालनिक हानियां/अधिशेष रेलवे का होगा।

(घ) 5 वर्षों से अधिक लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	लागत में भागीदारी के आधार पर चालू परियोजनाओं की सं.	
		5-10 वर्ष पुरानी	10-20 वर्ष पुरानी
1.	आंध्र प्रदेश	1	-
2.	कर्नाटक		2
3.	महाराष्ट्र		1

इस प्रकार की कोई परियोजना 20 वर्षों से अधिक लंबित नहीं है।

मध्य समुद्र स्थित तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

***289. श्री गजानन ध. बाबर:**
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व तट में फैले मध्य समुद्र स्थित तेल और गैस प्रतिष्ठानों पर आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने का खतरा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य समुद्र स्थित तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु कोई निगरानी तंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मध्य समुद्र स्थित तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) सरकार ने भारतीय नौ सेना को भारत की तटीय सुरक्षा सहित समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नामनिर्दिष्ट किया है। भारतीय नौ सेना, तटरक्षक, राज्य समुद्री पुलिस और अन्य केन्द्रीय और राज्य एजेंसियां तटीय सुरक्षा और भेद्य लक्ष्यों को खतरों से निपटने के लिए समन्वित रूप से कार्य करती हैं।

इस संबंध में स्थापित उपायों में भारतीय नौसेना के पोतों और वायुयानों द्वारा तट के साथ-साथ और भारत के पूर्वी तट पर अपतटीय विकास क्षेत्रों सहित तटीय कवायदों के साथ-साथ वर्धित भूतल और वायु निगरानी शामिल है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के ड्रिलिंग कार्य

***290. श्री एंटो एंटोनी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने केरल-कोंकण बेसिन में ड्रिलिंग कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कोचीन हाई में कुल कितने तेल कुंओं की ड्रिलिंग की गयी है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कोचीन हाई में तेल भंडारों के बारे में कराए गए वैज्ञानिक अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र की किन्हीं कंपनियों ने सरकार को कोचीन हाई में तेल अन्वेषण कार्य हेतु प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) ओएनजीसी 1977 से कोचीन हाई के क्षेत्रों सहित केरल-कोंकण अपतट बेसिन के क्षेत्र में अन्वेषण कार्यकलापों में लगी हुई है। अभी, ओएनजीसी ने चौदह (14) अन्वेषण कूपों का वेधन किया है जिनमें नौ (9) उथले जल में और पांच (5) गहरे समुद्री क्षेत्रों में वेधित कूप शामिल हैं।

(ग) ओएनजीसी ने पूर्वानुमानित भंडारों की स्थापना के लिए पूरे केरल-कोंकण अपतट बेसिन (कोचीन हाई सहित) के लिए एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार, पूरे केरल-कोंकण अपतट बेसिन (कोचीन हाई सहित) के लिए परिकल्पित भूवैज्ञानिक संसाधन 660 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हैं। इन संसाधनों को भंडारों में परिवर्तित करने के लिए किए गए अन्वेषणात्मक प्रयासों में से अभी तक हाईड्रोकार्बन्स की वाणिज्यिक मात्राओं की पुष्टि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत अभी तक केरल-कोंकण अपतट को उन्नीस (19) तेल और गैस अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं जिनमें से ग्यारह (1) ब्लाक ओएनजीसी को, सात (7) ब्लाक रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., (आरआईएल) और एक (1) ब्लाक बीएचपी बिलियन पेट्रोलियम इंटरनेशनल प्रा.लि. को प्रदान किया गया था। आज तक पीएससी व्यवस्था के तहत प्रदान किए गए इन ब्लाकों में से पांच (5) अन्वेषण कूपों को वेधन किया गया है जिनमें से चार (4) कूपों का वेधन ओएनजीसी द्वारा और एक कूप का वेधन रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) द्वारा किया गया है।

एनईएलपी 7 दौर के तहत केरल-कोंकण अपतट और गहरे समुद्री क्षेत्र में बोली के लिए 13 ब्लाकों की पेशकश की गई थी। दो (2) ब्लाकों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं।

[हिन्दी]

एलपीजी के वितरण में अनियमितताएं

***291. श्री भूपेन्द्र सिंह:**
श्री यशवीर सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने एलपीजी वितरक हैं;

(ख) क्या अक्तूबर, 2009 से एलपीजी वितरकों द्वारा गैस के वितरण में अनियमितताएं बरतने/धोखाधड़ी करने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी वितरकों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी वितरक एजेंसी को रद्द किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) दिनांक 1.3.2010 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश में 9607 एलपीजी वितरकों का प्रचालन कर रही हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (च) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि विभिन्न अनियमितताओं के लिए सिद्ध शिकायतों के आधार पर देश में अक्तूबर, 2009 और फरवरी, 2010 के बीच विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के तहत 5 वितरकों को समाप्त किए जाने सहित 655 मामलों में कार्रवाई की गई है। इसी अवधि के दौरान एमडीजी के प्रावधानों के तहत दोषी एलपीजी वितरकों पर 754.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

01.03.2010 की स्थिति के अनुसार देश में एलपीजी वितरकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एलपीजी वितरकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	942
2.	अरुणाचल प्रदेश	30
3.	असम	253
4.	बिहार	333
5.	छत्तीसगढ़	153
6.	दिल्ली	313
7.	गोवा	53
8.	गुजरात	552
9.	हरियाणा	289
10.	हिमाचल प्रदेश	124
11.	जम्मू और कश्मीर	156
12.	झारखण्ड	146
13.	कर्नाटक	491
14.	केरल	381
15.	मध्य प्रदेश	567
16.	महाराष्ट्र	1015
17.	मणिपुर	34
18.	मेघालय	32
19.	मिजोरम	26
20.	नागालैंड	27
21.	उड़ीसा	196
22.	पंजाब	435
23.	राजस्थान	451
24.	सिक्किम	8
25.	तमिलनाडु	690
26.	त्रिपुरा	30
27.	उत्तर प्रदेश	1177
28.	उत्तराखण्ड	170
29.	पश्चिम बंगाल	479
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
31.	चण्डीगढ़	28
32.	दादरा और नगर हवेली	2
33.	दमन और दीव	2
34.	लक्षद्वीप	1
35.	पुडुचेरी	17
	योग	9607

विवरण II

अक्तूबर, 2009 और फरवरी, 2010 के बीच समाप्त किए गए और वसूली गई शास्ति सहित एलपीजी वितरकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	समाप्त किए जाने सहित सिद्ध मामले (क)	(क) में से समाप्त किए गए	लगाई गई शास्ति
1	2	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	72	0	51.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0.10
3.	असम	3	0	0.30
4.	बिहार	19	0	17.90
5.	छत्तीसगढ़	5	0	2.58
6.	दिल्ली	9	0	12.48
7.	गोवा	2	0	0.05
8.	गुजरात	16	0	61.93
9.	हरियाणा	4	0	10.42
10.	हिमाचल प्रदेश	4	0	16.13
11.	जम्मू और कश्मीर	12	0	7.95
12.	झारखण्ड	37	0	6.95
13.	कर्नाटक	41	0	233.60
14.	केरल	35	0	35.88
15.	मध्य प्रदेश	74	0	13.11
16.	महाराष्ट्र	67	1	35.16
17.	मणिपुर	0	0	0.00
18.	मेघालय	0	0	0.00
19.	मिजोरम	0	0	0.00
20.	नागालैंड	0	0	0.00
21.	उड़ीसा	16	0	46.29
22.	पंजाब	20	0	35.89
23.	राजस्थान	40	0	37.94
24.	सिक्किम	0	0	0.00
25.	तमिलनाडु	37	0	60.35
26.	त्रिपुरा	0	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	110	1	41.14
28.	उत्तराखण्ड	4	0	2.15
29.	पश्चिम बंगाल	23	2	20.77
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.00
31.	चण्डीगढ़	2	0	1.85
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00
33.	दमन और दीव	0	0	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.00
35.	पुडुचेरी	2	1	2.12
	योग	655	5	754.80

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

***292. श्री एम.बी. राजेश:**
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विमानपत्तनों पर सुरक्षा चूक की कुछ घटनाओं का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या विमानपत्तनों की सुरक्षा प्रणाली की आवधिक समीक्षा हेतु कोई तन्त्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विमानपत्तनों के सुरक्षा प्रबंधों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(च) विमानपत्तनों पर और उड़ानों में सुरक्षा को मजबूत करने हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और सभी संबंधित एजेंसियों से कहा गया है कि वे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, जो इस मंत्रालय का विनियामक निकाय है, द्वारा नागर विमानन सुरक्षा के संबंध में जारी मानक अनुदेशों को क्रियान्वित करें। आईजीआई एयरपोर्ट के चारदीवारी (पैरीमीटर) का निरीक्षण नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) तथा वायु सेना के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया गया है। पैरीमीटर की सुरक्षा में सुधार लाने संबंधी अभिमत संबंधित एजेंसियों के नोटिस में लाये गये हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पैरीमीटर पेट्रोलिंग तेज करने को कहा गया है। विमानन सुरक्षा और बैगेज स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती से संबंधित अनुदेशों को पुनः दोहराया गया है।

(ग) और (घ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के कर्मचारी हवाईअड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों और तैयारियों की मॉनीटरिंग करने के लिए समय-समय पर ऑडिट, निरीक्षण, सुरक्षा परीक्षण और औचक जांचें करते हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में हवाईअड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों पर खर्च की गई कुल धनराशि निम्नानुसार है:-

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	:	रु. 37,948.50 लाख
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	:	रु. 20.207.00 लाख
बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	:	रु. 19,237.65 लाख
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	:	रु. 3,794.75 लाख
हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	:	रु. 19,157.37 लाख
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाईअड्डे	:	रु. 66,114.00 लाख

(च) विमान अपहरण, विध्वंस (सबोटाज) तथा आतंकवादी हमलों से निपटने के प्रबंध पहले से विद्यमान हैं। सरकार ने हवाईअड्डे पर पैरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाए जाने संबंधी अनुदेश भी जारी किए हैं। 57 हवाईअड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पहले ही तैनात किया जा चुका है और कुछ अन्य हवाईअड्डों पर भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए जाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सरकार पहले ही घरेलू उड़ानों और अन्य देशों के लिए प्रचालन करने वाले भारतीय विमानवाहकों की उड़ानों पर स्काई मार्शलों की तैनाती आरंभ कर चुकी है।

[हिन्दी]

नैसिल को वित्तीय पैकेज

***293. श्री ओम प्रकाश यादवः** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार उसे कोई वित्तीय पैकेज देने का है; और

(ख) यदि हां, तो एनएसीआईएल को कुल कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है और उसका प्रयोग किन क्षेत्रों/सेक्टरों में किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार अभी तक नैसिल में इक्विटी के रूप में फरवरी तथा मार्च, 2010 के महीनों में 400 करोड़ रुपए की दो किस्तों में 800 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर चुकी है। नैसिल में इक्विटी निवेश के संबंध में वर्ष 2010-11 के बजट में भी 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार क्षमता

***294. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः**
श्री प्रबोध पांडाः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार क्षमता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में और अधिक रोजगार सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र रोजगारपरक है। अनुमान है कि निवेश किए गए प्रत्येक 1.00 करोड़ रुपए से संपूर्ण आपूर्ति

शृंखला में संगठित क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से 18 रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 64 रोजगार और असंगठित क्षेत्र में 20 रोजगार पैदा होते हैं। इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगभग 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। सरकार प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20% और मूल्यवृद्धि 20% से बढ़ाकर 30% करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विस्तार से रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ेगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिससे प्रसंस्करण एवं रोजगार के वर्धित स्तर में प्रभावी भूमिका निभाने की प्रत्याशा है के विकास के लिए सरकार ने अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस प्रकार से मंत्रालय ने विजन, 2015 अपनाया है जिसका उद्देश्य जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण के स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवृद्धि स्तर को 20% से बढ़ाकर 35% और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में भारत के हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% करके अगले 10 वर्षों में खाद्य क्षेत्र के आकार को तिगुना करना है। इसके लिए प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को घरेलू स्तर पर वाजिब दामों पर उपलब्ध कराना तथा वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी बनाना अपेक्षित होगा। मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और विनियमन मुद्दों के अलावा, कराधान, संगठित फुटकर बिक्री, प्रोत्साहन देने वाली अवसंरचना, फसलों की विभिन्न किस्मों की उपलब्धता का पता लगाने, विपणन हस्तक्षेप और विनियमन, अनुसंधान और विकास एवं मानव संसाधन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के मामलों के निराकरण के उद्देश्य से विजन 2015 को पूरा करने के लिए एक रणनीति विकसित की है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमें आयोजित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय सहायता और अन्य संवर्धनात्मक उपायों के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के जरिए प्रसंस्करण ढांचा समेत बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित सुविधाओं के सृजन में सहायता देता है जिसका उद्देश्य बरबादी में कमी लाना, मूल्यवर्धन में बढ़ोत्तरी करना और शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमताओं का सृजन, विद्यमान प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन तथा दूध, फल और सब्जियां, मांस, पोल्ट्री, मात्स्यिकी, अनाज, उपभोक्ता वस्तुएं, तिलहन, चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दाल आदि को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये है अथवा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर वित्तीय सहायता देता है जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्रों और हिमालयी राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत फल और सब्जी प्रसंस्करण की स्थापना के लिए 50% की दर से उच्चतर सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये और उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रुपये की उच्चतर सहायता उपलब्ध है। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया है।

11वीं योजना में, मंत्रालय ने सुदृढ़ बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के साथ पूर्व में पहचाने गए समूह आधार पर देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अधुनातम बुनियादी ढांचा विकास उपलब्ध कराने और मांग प्रेरित ढंग में पॉल्ट्री, मांस, डेरी, मात्स्यिकी, आदि समेत कृषि वस्तुओं का मूल्यवर्धन उपलब्ध कराने पर विचार करते हुए 30 मेगा खाद्य पार्क स्थापित करने की एक नई स्कीम अनुमोदित की है। भूमि घटक को छोड़कर मेगा खाद्य पार्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता को परियोजना लागत के 50% तक बढ़ाया गया है जो सामान्य क्षेत्रों में 50% तथा दुर्गम क्षेत्रों में 75% है जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 करोड़ रुपये है।

देश में शीत शृंखला सुविधाओं और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास शीत शृंखला बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकारी/निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देने के लिए 11वीं योजना के दौरान शीत शृंखला, मूल्यवर्धन और परिरक्षण बुनियादी ढांचा विकास संबंधी एक स्कीम है। इस स्कीम में सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% की दर पर पूर्वोत्तर के राज्यों और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर पर सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने का उल्लेख है जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपए है।

सरकार ने राहत उपलब्ध कराने और तेज विकास को सुनिश्चित करने के लिए कर दरों को सरल बनाने के संबंध में पहले ही आवश्यक उपाय किए हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख (11क) के अंतर्गत फलों अथवा सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकेजिंग से होने वाले लाभ का कारोबार करने वाले उपक्रमों और मांस अथवा मांस उत्पाद अथवा पॉल्ट्री अथवा समुद्री अथवा डेयरी उत्पाद के कारोबार में लगी नई इकाइयों को आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा 80झख की उपधारा 11(क) के अंतर्गत शुरुआती आकलन वर्ष से शुरू होकर प्रथम पांच आकलन वर्षों के लिए शतप्रतिशत कर छूट उपलब्ध है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख की उपधारा 11(क) के अंतर्गत उस उपक्रम के मामले में जो फलों अथवा सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकेजिंग का कारोबार करता है अथवा जो खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भण्डारण और परिवहन के समेकित कारोबार में लगे हैं उन्हें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट राशि तक लाभ से कटौती की अनुमति दी गई है यदि ऐसे उपक्रम ने 1 अप्रैल, 2001 और उसके बाद ऐसा कारोबार करना शुरू किया है। दूध, पॉल्ट्री और मांस जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य के परिरक्षण पर विचार करते हुए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2009 में 01.04.2010 से धारा 80झख की उपधारा 11(क) में संशोधन किया है ताकि मांस और मांस उत्पादों और पॉल्ट्री, समुद्री और डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारोबार के संबंध में उन इकाइयों को करावकाश भी उपलब्ध कराता है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात कारोबार करना शुरू किया है। उस उपक्रम के मामले में जो फलों अथवा सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकेजिंग का कारोबार करता है अथवा जो खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भण्डारण और परिवहन के समेकित कारोबार में लगे हैं उन्हें शुरुआती आकलन वर्ष से शुरू होकर पांच आकलन वर्षों के लिए ऐसे उपक्रम से व्युत्पन्न लाभ और प्राप्ति का शतप्रतिशत दिया जाए और तत्पश्चात् ऐसे कारोबार के परिचालन से व्युत्पन्न लाभ और प्राप्त का 25% (30% जहां पर करदाता कोई कंपनी है) इस ढंग में कि कटौती की कुल अवधि 10 निरंतर आकलन वर्षों से अधिक न हो और इस शर्त को पूरा करने के तहत कि उसने ऐसा कारोबार 1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद शुरू किया है। वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 35कघ को अन्त:स्थापित करके विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए शीत शृंखला सुविधाएं संस्थापित करने तथा प्रचालित करने वाले कारोबार एवं कृषि उपज के भंडारण के लिए भांडागार सुविधाएं संस्थापित करने तथा प्रचालित करने वाले कारोबार को निवेश से जुड़ा कर प्रोत्साहन भी देने का प्रस्ताव किया गया है।

पेट्रोल और डीजल की खपत

***295. श्री पकौड़ी लाल:**
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की वार्षिक खपत कितनी थी;

(ख) क्या स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त पेट्रोल और डीजल की उपलब्ध मात्रा मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2009-10 के दौरान किस-किस देश से कितनी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का आयात किया गया;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विदेशी सहायता भी प्राप्त हो रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) वर्ष 2009-10 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की खपत निम्नानुसार है:-

(हजार मीट्रिक टन)

उत्पादों के नाम	(अप्रैल, 2009-फरवरी, 2010) (अनन्तिम)
पेट्रोल	11661
डीजल	51158

(ख) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी करने में देश आत्मनिर्भर है। किसी विशिष्ट पेट्रोल उत्पादों की उपलब्धता की कमी को आयातों के जरिए पूरा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अप्रैल, 2009-फरवरी, 2010 के दौरान आयातित पेट्रोल और डीजल की मात्रा का देशवार ब्यौरा निम्नानुसार हैं-

(हजार मीट्रिक टन)

देश का नाम	(अप्रैल, 2009-फरवरी, 2010) (अनन्तिम)	
	पेट्रोल	डीजल
1	2	3
सिंगापुर	255	1173
ताईवान	27	304
बहरीन	0	209

1	2	3
कोरिया	0	33
जापान	0	70
थाइलैंड	0	144
चीन	30	30
ओमान	0	38
यूनाईटेड अरब अमीरात	0	208
नीदरलैंड	25	0
योग	337	2209

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों की परिशोधन क्षमता वर्ष के दौरान 13.233 एमएमटीपीए के क्षमता विस्तार से 182.086 एमएमटीपीए की मौजूदा क्षमता से वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010-11 के अंत में 195.319 एमएमटीपीए होने का अनुमान है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश की परिशोधन क्षमता 255.8 एमएमटीपीए होने का अनुमान है। देश की परिशोधन क्षमता में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत ने वर्ष 2008-09 के दौरान 26.4 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के 39 एमएमटी परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया। भारत क्षेत्रीय परिशोधनकर्ता और निर्यातक केन्द्र के रूप में उभरने के लिए तैयार हो रहा है।

(च) और (छ) देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात् आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को किसी विदेशी स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

***296. डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्री दत्ता मेघे:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन और उसकी वार्षिक वृद्धि कितनी रही;

(ख) क्या यह वृद्धि देश में इस्पात की वर्तमान मांग और इसके निर्यात को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कच्चे इस्पात की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इस्पात उत्पाद बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	अपरिष्कृत	
	उत्पादन (मिलियन टन में)	वार्षिक वृद्धि (%)
2007-08	53.86	6.0
2008-09	58.44	8.5
2009-10*	64.69	10.7

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; *=अनंतिम

(ख) इस्पात के घरेलू उत्पादन और आयात से देश में इस्पात की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस्पात की खपत में परिसज्जित इस्पात का उपयोग शामिल है न कि अपरिष्कृत इस्पात का उपयोग। वर्ष 2009-10 के लिए परिसज्जित इस्पात के उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

(मिलियन टन में)

	परिसज्जित इस्पात
उत्पादन	59.58
आयात	7.18
निर्यात	3.16
खपत	56.32

(ग) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और उद्यमी अपने वाणिज्यिक सूझ-बूझ के आधार पर अपनी इस्पात परियोजनाओं में क्षमता विस्तार और मूल्यवर्धन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में से कुछ ने अपनी इस्पात उत्पादन क्षमताओं के विस्तार के लिए निवेश करने की योजनाएं बनाई हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निवेश का अनुमानित मूल्य 59905 करोड़

रुपए और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के निवेश का अनुमानित मूल्य 12228 करोड़ रुपए है। एनएमडीसी लिमिटेड ने भी एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए 15525 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है।

(घ) गत तीन वर्षों के लिए परिसज्जित इस्पात (मूल्यवर्धन के पश्चात) और अर्ध-परिसज्जित इस्पात (अपरिष्कृत इस्पात) का कुल निर्यात समग्र और प्रतिशत रूप में नीचे दिया गया है:-

वर्ष	इस्पात का निर्यात (मिलियन टन में)			
	परिसज्जित इस्पात	अर्ध-परिसज्जित इस्पात	कुल इस्पात	कुल परिसज्जित इस्पात में अर्ध-परिसज्जित इस्पात का प्रतिशत
2007-08	5.08	0.373	5.453	06.84
2008-09	4.44	0.746	5.186	14.38
2009-10*	3.16	0.380	3.540	10.73

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति; *=अनंतिम

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि देश से बाहर निर्यात किए गए अर्ध-परिसज्जित (अपरिष्कृत) इस्पात का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है।

(ङ) चूंकि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है इसलिए, सरकार इस्पात क्षमता के विस्तार के लिए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सेल अपरिष्कृत इस्पात की अपनी 12.85 मिलियन टन की क्षमता को बढ़ाकर 21.4 मिलियन टन करने की योजना बना रहा है। इसी प्रकार आरआईएनएल अपरिष्कृत इस्पात की अपनी वर्तमान 3 मिलियन टन की क्षमता को बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन कर रहा है। निजी क्षेत्र में भी क्षमता विस्तार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें

***297. श्री पी. करुणाकरन:**
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों और अन्यों से राज्यों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय न्यायपीठें स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

संविधान का अनुच्छेद 130 यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली मे अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सूचित किया है कि इस विषय पर विस्तार करने के पश्चात्, पूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए कोई औचित्य नहीं पाया था।

किसी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने पर सरकार द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के निबंधनानुसार, उस राज्य सरकार से, जिसे संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के राज्यपाल की सहमति प्राप्त है, संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जाता है। सरकार ने जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना का वर्ष 2006 में अनुमोदन कर दिया था। तथापि, राष्ट्रपतीय आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है क्योंकि न्यायपीठ के प्रचालन के लिए जलपाईगुड़ी में अवसंरचनात्मक सुविधाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समाधानप्रद नहीं पाई गई हैं। जबकि प्रधान स्थान से दूर उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें सृजित करने के लिए कुछ अन्य राज्य सरकारों और प्राइवेट संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, किसी भी राज्य सरकार से किसी न्यायपीठ की स्थापना के लिए कोई संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों के लिए प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम आदि	वह स्थान जहां न्यायपीठ का प्रस्ताव किया गया है
1.	कर्नाटक	बंगलौर
2.	तमिलनाडु	चेन्नई
3.	विधि आयोग	दिल्ली, चेन्नई/हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई

उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों के लिए प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	वह स्थान जहां न्यायपीठ का प्रस्ताव किया गया है
1.	केरल	तिरुवंतपुरम
2.	उत्तर प्रदेश	आगरा, मेरठ, गोरखपुर
3.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी
4.	कर्नाटक	गुलबर्ग और धारवाड़
5.	उड़ीसा	पश्चिमी उड़ीसा/सम्बलपुर/ बेरहपुर
6.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
7.	पंजाब और हरियाणा	गुड़गांव
8.	राजस्थान	उदयपुर/बीकानेर

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के शोधनशाला (रिफाइनरी गेट) मूल्य

***298. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों विशेषकर डीजल और पेट्रोल के शोधनशाला मूल्यों और इन उत्पादों के उपभोक्ता बिक्री मूल्यों में भारी अंतर विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के शोधनशाला मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड अपनाया जाता है; और

(घ) दिसंबर, 2009 के दौरान देश में पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन (एटीएफ) और प्राकृतिक गैस के शोधनशाला मूल्य निर्धारित करते समय इन पर होने वाले खर्च की गणना करने के लिए मदवार कितनी राशि हिसाब में ली गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) जब पेट्रोल और डीजल खरीदती हैं तो वे घरेलू रिफाइनरियों को व्यापार समता मूल्य देती हैं और मिट्टी तेल और एलपीजी के लिए आयात समता मूल्य देती हैं। व्यापार समता मूल्य, आयात समता और निर्यात समता मूल्यों के 80:20 के अनुपात में भारित औसत होता है। चूंकि पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अनुसार नहीं रखे जा रहे हैं, रिफाइनरीज को दिए जाने वाले रिफाइनरी द्वार मूल्य, जो पखवाड़े के आधार पर नियत किये जाते हैं, और इन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य के जरिए ओएमसीज द्वारा वसूल किए जाने वाले भंडारण बिन्दु पर मूल्य के बीच अन्तर होता है। पेट्रोल और डीजल के मूल भंडारण बिक्री मूल्य पूरे देश में सभी रिफाइनरी स्थलों पर एक समान होते हैं। उत्पादों के रिफाइनरी द्वार मूल्य (आरजीपी), तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के रूख को दर्शाते हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल के आरजीपी व्यापार समता आधार पर नियत किए जाते हैं, मिट्टी तेल और एलपीजी के आरजीपी आयात समता आधार पर नियत किए जाते हैं।

पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य, संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए जा रहे अन्तर्देशीय भाड़े, बिक्री कर/वैट और अन्य स्थानीय करों में विभिन्नता होने के कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं। विभिन्न राज्यों में बिक्री कर/वैट की दरों में विभिन्नता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) दिसंबर, 2009 के प्रथम पखवाड़े से लागू भारत चरण-2 पेट्रोल और डीजल के रिफाइनरी द्वार मूल्य की भारित औसत का गठन नीचे दिया गया है:

		पेट्रोल	डीजल
एफओबी मूल्य	डालर/प्रति बैरल	77.82	83.86
समुद्री भाड़ा	डालर/प्रति बैरल	1.20	1.45
सी एंड एफ मूल्य	डालर/प्रति बैरल	79.02	85.31
रुपये-डालर विनिमय दर		46.39	46.39
सी एंड एफ मूल्य	रुपये/किलो लीटर	23056.76	24892.07
सीमा शुल्क	रुपये/किलो लीटर	600.24	648.01
बीमा, बंदरगाह प्रभार आदि	रुपये/किलो लीटर	232.55	249.83
आयात समता मूल्य- 15 डिग्री सी	रुपये/किलो लीटर	23889.55	25789.91
आयात समता मूल्य- 29.5 डिग्री सी	रुपये/किलो लीटर	23488.20	25477.85
निर्यात समता मूल्य- 29.5 डिग्री सी	रुपये/किलो लीटर	22325.55	24172.67
व्यापार समता मूल्य (रिफाइनरी द्वार मूल्य)	रुपये/किलो लीटर	23255.67	25216.81

विवरण

(प्रतिशत में)

उत्पाद	पेट्रोल	डीजल
असम	27.50	16.50
आंध्र प्रदेश	33.00	22.25
बिहार	24.50	18.36
छत्तीसगढ़	25.00	25.00
चंडीगढ़	20.03	12.54
दिल्ली	20.00	20.00
गुजरात	25.46	24.63
गोवा	22.00	20.00
हिमाचल प्रदेश	25.00	14.00
हरियाणा	20.00	8.80
झारखंड	20.00	18.00
जम्मू और कश्मीर	27.47	15.09
केरल	29.30	24.94
कर्नाटक	25.00	18.00
महाराष्ट्र-मुंबई, थाणे और नवी मुंबई	28.52	26.00
महाराष्ट्र-मुंबई, थाणे और नवी मुंबई को छोड़कर	27.50	23.00
मध्य प्रदेश	28.75	23.00
उड़ीसा	18.00	18.00
पंजाब	33.62	9.68
राजस्थान	29.31	19.63
तमिलनाडु	30.00	21.43
पश्चिम बंगाल	27.52	19.27
उत्तर प्रदेश	26.55	17.23
उत्तराखंड	25.00	21.00

टिप्पणी- इनमें उपकर, अतिरिक्त कर और वैट रियायत शामिल हैं। इनमें प्रवेश कर, अशोध्य कर, डीलरों के कमीशन पर वैट और प्रवेश कर, यदि कोई है, पर वैट शामिल हैं।

दिसंबर, 2009 के प्रथम पखवाड़े के लिए एटीएफ (कांडला बन्दरगाह पर आधारित) हेतु रिफाइनरी द्वार मूल्य का गठन नीचे दिया गया है:

		एटीएफ
एफओबी मूल्य	डालर/प्रति बैरल	83.83
समुद्री भाड़ा	डालर/प्रति बैरल	0.88
सी एंड एफ मूल्य	डालर/प्रति बैरल	84.71
रुपये-डालर विनिमय दर		46.39
सी एंड एफ मूल्य	रुपये/किलो लीटर	24717.01
सीमा शुल्क	रुपये/किलो लीटर	शून्य
बीमा, बंदरगाह प्रभार आदि	रुपये/किलो लीटर	227.28
आयात समता मूल्य-15 डिग्री सी	रुपये/किलो लीटर	24944.29
आयात समता मूल्य-29.5 डिग्री सी	रुपये/किलो लीटर	24605.05

जहां तक प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण का संबंध है, इस समय देश में मुख्यतया मूल्य निर्धारण की दो व्यवस्थाएं हैं- प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के तहत निर्धारित गैस का मूल्य और एपीएम भिन्न या मुक्त बाजार गैस। एपीएम गैस का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां तक एपीएम भिन्न/मुक्त बाजार गैस का संबंध है, इसे मुख्यतया दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्थात् (1) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) से घरेलू तौर पर उत्पादित गैस और एनईएलपी पूर्व और (2) आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी)। एनईएलपी और एनईएलपी पूर्व गैस, सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अनुसार शासित की जाती है। जबकि संविदाओं की शर्त के तहत आयातित एलएनजी का मूल्य, एलएनजी विक्रेता और क्रेता के बीच होने वाले बिक्री खरीद करार (एसपीए) द्वारा शासित होता है, तत्स्थान पोत भार परस्पर सम्मत वाणिज्यिक शर्तों पर खरीदे जाते हैं।

भारतीय रेल गाड़ियों के समय पर चलने संबंधी स्थिति

***299. प्रो. रामशंकर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय रेल में गाड़ियों के समय पर चलने के संबंध में स्थिति क्या है;

(ख) क्या विलम्ब की स्थिति में यात्रियों को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति में सुधार लाने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ङ) भारतीय रेलों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की वर्ष 2008-09 और 2009-2010 के समयपालन की स्थिति की कड़ाई से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि जनवरी, 2009 से अनुरक्षित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समयपालन के डाटा आईसीएमएस (समेकित कोचिंग प्रबंधन प्रणाली) पर आधारित है। भारतीय रेलों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समयपालन की स्थिति वर्ष 2008-09 में 85 प्रतिशत थी और हाथ से अनुरक्षित थी। आईसीएमएस सवारी गाड़ियों के परिचालन के लिए और यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों को प्रभावित करने वाले और मार्ग में रूकौनी के कारकों के रिकार्ड करने के लिए कंप्यूटरीकृत आन-लाइन प्रणाली है जिसे अपेक्षाकृत त्रुटिहीन बनाने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा, रेलवे सुभेद्य होने के कारण अनेक संगठनों द्वारा रेलवे के परिचालन को अधिक बाधा पहुंचाई जाती है जिसका गाड़ी के समय पर चलने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शीतकाल के दौरान उत्तर भारत में कुहरा वाले मौसम का भी गाड़ियों के समयपालन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी कारकों के बावजूद, वर्ष 2009-10 में भारतीय रेलों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समयपालन की स्थिति 74% है।

भारतीय रेलों पर उन यात्रियों को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है जो पहले ही गाड़ी में सवार होते हैं। विलम्ब से चल रही गाड़ियों के मामले में उन यात्रियों को किराए की पूर्ण अदायगी अनुमेय है जो तीन घंटे से अधिक विलम्ब से चलने वाली गाड़ियों में यात्रा करने के इच्छुक नहीं होते हैं।

यात्री गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन और समयपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. तीनों स्तरों अर्थात् मंडल, जोनल मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तर पर गाड़ियों की गहन, चौबीस घंटे निगरानी।
2. समय-समय पर समयपालन अभियान चलाना।
3. संरक्षा की दृष्टि से कुहरा जैसे खराब मौसम को छोड़कर अधिकतम अनुमेय गति पर गाड़ियों को चलाना।
4. निर्विघ्न मार्ग मुहैया कराने के लिए समय-सारणी में सुधार।
5. उपकरणों की खराबी को कम करने के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के मानक में सुधार।
6. समय पर गाड़ियों का चालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को मंत्रणा और प्रेरणा देना।
7. कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं को सुलझाने तथा शरारती तत्वों की गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क।
8. रेलपथ, चल स्टॉक और सिगनल प्रणाली की प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

अतिरिक्त भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

***300. योगी आदित्यनाथ:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अपनी अतिरिक्त भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने की किसी योजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे भूमि बैंक के गठन के संबंध में हुई प्रगति की नवीनतम स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) भारतीय रेल के पास लगभग 10.65 लाख एकड़ भूमि है। उसमें से लगभग 90 प्रतिशत भूमि रेलवे के परिचालनिक और संबद्ध उपयोगों के अधीन है। कुल रिक्त भूमि जो लगभग 1.13 लाख एकड़ है, भूमि बैंक में शामिल है।

इस भूमि बैंक के उपयोग पर पहला हक रेलवे के अपने विकासात्मक कार्यों के लिए है; जैसे दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और यातायात सुविधा कार्य, माल गलियारे तथा रेलपथ एवं अन्य अवसंरचनाओं की सर्विसिंग करना। इसके अलावा, रेलवे की, जहां-कहीं व्यावहारिक हो, रेल सवारीडिब्बा एवं पुर्जा कारखानों, इंजन कलपुर्जा कारखानों, मल्टी-मोडल लॉजीस्टिक्स पार्कों, ऑटो हब, कोल्ड स्टोरेज एवं नश्य कारगो केंद्रों, प्रशीतित कंटेनर कारखानों, ईको-पार्कों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल हेतु बोटलिंग संयंत्रों आदि के लिए अपने भूमि बैंक को इस्तेमाल करने की योजना है।

रेलवे द्वारा रिक्त रेल भूमि और एयर-स्पेस को जिसकी उसे अपनी तात्कालिक परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए जरूरत नहीं है, वाणिज्यिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। इस संबंध में, वाणिज्यिक विकास करने के लिए रेलवे द्वारा रेल (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की स्थापना की गई है। अभी तक विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर वाणिज्यिक विकास के लिए रिक्त भूमि के 135 स्थल जिनका माप 3761 एकड़ है, आरएलडीए को सौंपे गए हैं।

अपंजीकृत औषध उत्पादक कंपनियां

3185. श्री अर्जुन राय:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी औषधि उत्पादक कंपनियां हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या कई अपंजीकृत औषधि कंपनियां औषधियों का उत्पादन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 10,500 से अधिक औषध निर्माता हैं। इन सभी कंपनियों के उत्पादन ब्यौरे न तो औषध निर्माण विभाग में और न ही केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के कार्यालय में केंद्रीय आधार पर रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने सूचित किया है कि अपंजीकृत औषधि कंपनियां नहीं है क्योंकि औषधियों के निर्माण हेतु लाइसेंस की आवश्यकता है और सभी निर्माताओं को औषधियों के निर्माण हेतु लाइसेंस लेना होता है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों हेतु रक्षित लौह अयस्कों का आबंटन

3186. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कई इस्पात संयंत्रों को उनके द्वारा उपयोग हेतु रक्षित लौह अयस्क खानों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक इस्पात संयंत्र को आबंटित खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ इस्पात संयंत्र अतिरिक्त लौह अयस्क का निर्यात करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे निर्यात पर कोई नियंत्रण है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम की अधिशेष निधियां

3187. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:
श्री नरहरि महतो:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास अधिशेष निधियां रखने के निदेश पर आपत्ति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी बैंकों द्वारा थोक जमा पर ब्याज दर उसी अवधि की परिपक्वता अवधि वाले खुदरा जमा पर मिलने वाले ब्याज दर से कम होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम इसके चलते प्रतिवर्ष 200-300 करोड़ रुपए ब्याज राजस्व की हानि उठा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने अपनी अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में

सरकार के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाई व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यत: यह बताया है कि प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित किए बगैर बैंकों में राशियां जमा करवाने से उन्हें ब्याज राजस्व की हानि हो रही है।

(ग) से (ङ) बैंकों द्वारा प्रस्तावित कार्ड दरें 15 लाख रुपए तक की खुदरा जमाओं के लिए वैध हैं किंतु थोक जमाओं के लिए आम तौर पर बाजार तरलता और संबंधित बैंकों की निधियन आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए समय-समय पर विशेष दरें प्रस्तावित की जाती हैं।

सरकार ने बैंकों में अवांछित प्रतिस्पर्धा और उससे जमा दरों में होने वाली मनमानी बढ़ोतरी तथा इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिणामों से बचने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसईज) को अपनी अधिशेष निधियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनकी प्रकाशित कार्ड दरों पर जमा करवाने की सलाह दी थी।

पेट्रोल/डीजल की बिक्री मूल्यों का निर्धारण

3188. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल तथा डीजल की उपभोक्ता बिक्री मूल्य दर का निर्धारण व्यापार समता मूल्यन प्रणाली के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रणाली में जिस उत्पाद को शामिल किया जा रहा है उससे संबंधित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ता बिक्री मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत के सामान्य आधार की बजाय उपर्युक्त प्रणाली को अपनाने के क्या कारण है; और

(घ) दोनों प्रणालियों में अंतर तथा उनकी विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जून, 2006 में, रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने रिफाइनरी गेट स्तर (व्यापार समता के 80:20 के अनुपात में आयात समता तथा निर्यात समता मूल्यों का औसत भारित होते हुए) पर पेट्रोल और डीजल के लिए मूल्य निर्धारण व्यवस्था को आयात समता से व्यापार समता में परिवर्तित कर दिया। तदनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने जून 2006 से पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए रिफाइनरियों को व्यापार समता मूल्यों का भुगतान करना प्रारम्भ कर दिया। रिफाइनरियों को प्रदत्त व्यापार समता मूल्य के आधार पर पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए परिकलित किया जाता है:

क. व्यापार समता आधार पर रिफाइनरी को प्रदत्त मूल्य।

ख. बाजार तक जमीनी भाड़ा।

ग. विपणन लागत और लाभ।

घ. डीलर कमीशन।

ङ. उत्पाद शुल्क।

च. मूल्य वर्धित कर तथा स्थानीय उद्ग्रहण।

चूंकि व्यापार समता मूल्य निर्धारण व्यवस्था के आधार पर पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों को रिफाइनरी गेट मूल्यों (आरजीपी) के अनुसार बनाए नहीं रखा जा रहा है, इसलिए इन उत्पादों की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज को अल्प वसूलियां झेलनी पड़ रही हैं।

दिल्ली में अप्रैल 2010 के प्रथम पखवाड़े में लागू पेट्रोल और डीजल की मूल्य रचना निम्नवत् है:-

(रुपए/लीटर)

	पेट्रोल	डीजल
रिफाइनरी को प्रदत्त मूल्य	27.08	27.93
जमीनी भाड़ा	0.69	0.76
विपणन लागत और लाभ	1.36	1.24
डीलर कमीशन	1.13	0.67
उत्पाद शुल्क	14.78	4.74
प्रदूषण उप कर	0	0.25
मूल्य वर्धित कर (वैट)	7.99	6.35
योग	53.03	41.94
खुदरा बिक्री मूल्य	47.93	38.10
ओएमसीज को अल्प वसूलियां	5.10	3.84

(ग) और (घ) कच्चे तेल का परिशोधन एक संसाधन उद्योग है, जहां कुल लागत में कच्चे तेल की लागत का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा होता है। कच्चा तेल कई प्रकार की प्रसंस्करण इकाईयों जैसे क्रूड आसवन इकाई (सीडीयू), निर्वात आसवन इकाई (वीडीयू), फ्ल्यूड कैटेलिटिक क्रैकिंग इकाई (एफसीसी), हाइड्रो-

क्रैकर, कोकर इकाई, ल्यूब इकाई आदि द्वारा प्रसंस्करित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक इकाई मध्यवर्ती उत्पाद स्ट्रीमों का उत्पादन करती है, जिसके लिए गहन पुनःप्रसंस्करण और सम्मिश्रण की आवश्यकता होती है। पेट्रोलियम उत्पाद बहुत सी मध्यवर्ती स्ट्रीम्स के सम्मिश्रण से उत्पादित होते हैं। निर्मित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों से मध्यवर्ती उत्पाद स्ट्रीमों के सम्मिश्रण से यथोचित परिशुद्धता के साथ अलग-अलग परिशोधित उत्पादों के लिए कुल संयुक्त लागत आबंटन में कठिनाई होती है। इसलिए अलग-अलग उत्पाद-वार लागतों की पृथक रूप से पहचान नहीं की जा सकती।

प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम), जो लागत जमा अवधारणा पर आधारित थी, 1998 और 2002 के बीच एक चरणबद्ध ढंग से समाप्त की गई ताकि भारतीय परिशोधन क्षेत्र को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में परिवर्तित किया जा सके। लागत जमा अवधारणा एक उच्च लागत प्रणाली की ओर ले गई, जिसमें रिफाइनरियों के पास लागतों को घटाने या क्षमताएं बढ़ाने, आधुनिकीकरण आदि के लिए किसी किस्म के प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा, लागत जमा अवधारणा ने अंतर्राष्ट्रीय लाभों की तुलना में बहुत कम सकल परिशोधन लाभ उपलब्ध कराए।

[हिन्दी]

विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति

3189. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों तथा अन्य लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति महाराष्ट्र में लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुंबई उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो केंद्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) लंबित मामलों के निपटान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आक्सीजन बारों का लगाया जाना

3190. **श्री गणेश सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मुख्य हवाई अड्डों पर आक्सीजन बार अधिष्ठापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों में साक्षरता दर

3191. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के लिए अल्पसंख्यक समुदायों का प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक साक्षरता दर के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) अल्पसंख्यक समुदायों विशेषरूप से मुसलमानों के बीच साक्षरता दर का देश की कुल साक्षरता दर की तुलना में ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के अल्पसंख्यकों में साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रम संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शैक्षिक स्तरों से संबंधित सूचना नीचे तालिका में दी गई है:-

समुदाय	प्राइमरी स्तर तक*	मिडिल	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	डिप्लोमा	स्नातक	अवर्गीकृत
मुस्लिम	65.31	15.14	10.96	4.53	0.41	3.6	0.05
इसाई	45.79	17.13	17.48	8.7	2.19	8.71	0.01
सिक्ख	46.70	16.93	20.94	7.57	0.90	6.94	0.02
बौद्ध	54.69	17.52	14.09	7.65	0.35	5.7	0.01
अन्य	62.12	17.48	11.24	4.55	0.26	4.35	0.01

*इसमें प्राइमरी स्तर और प्राइमरी स्तर से नीचे की शैक्षिक स्तर रहित साक्षरता शामिल है।

(ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में समुदाय-वार साक्षरता दर नीचे तालिका में दी गई है:-

अल्पसंख्यक समुदाय	साक्षरता दर प्रतिशत में
मुस्लिम	59.1
इसाई	80.3
सिक्ख	69.4
बौद्ध	72.7
अन्य	47.0
राष्ट्रीय औसत	64.84

(स्रोत: 2001 की जनगणना)

(ग) "साक्षर भारत" योजना के तहत लक्ष्यों का निर्धारण अल्पसंख्यकों की कुल आबादी मात्र को ही ध्यान में रख कर नहीं किया गया है, बल्कि साक्षरता स्तर बढ़ाने हेतु उनकी गैर-साक्षर आबादी को ध्यान में रखकर किया गया है।

भेषज उत्पादों हेतु जापान की सहमति

3192. श्री रमेश राठौड़: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भेषज उत्पादों हेतु जापान की समयबद्ध सहमति लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य के लिए जापान द्वारा कितना वित्तपोषण किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध निर्यात संवर्द्धन परिषद ने यह बताया है कि वाणिज्य विभाग व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के संबंध में जापान की सरकार के साथ बैठकें करता रहा है।

सूचना का अधिकार क्षेत्र

3193. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में न्यायालयों से सूचना के अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक गैस के मूल्यों का निर्धारण

3194. डॉ. चरण दास महन्त:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जे.एम. आरुन रशीद:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम बनाम गुजरात के प्राकृतिक गैस उपभोक्ता उद्योग संघ मामले

में अपने 4 मई, 1990 के एक निर्णय में टिप्पणी की है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा लिया जा रहा गैस मूल्य "उचित तथा तत्संबंधी मानदंड" पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम को ईंधन तेल समता आधार पर गैस का मूल्यन जारी रखने की अनुमति नहीं देने के क्या कारण हैं;

(घ) आयातित ईंधन तेल के लिए चालू औसत मूल्य पर उपर्युक्त मूल्यन तंत्र के आधार पर एमएमबीटीयू के संदर्भ में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम की गैस का मूल्य क्या है; और

(ङ) चालू एपीएम गैस मूल्य तथा ईंधन तेल समता आधारित गैस मूल्य के बीच क्या अंतर है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) 30 जनवरी 1987 से पहले गैस के मूल्य सरकार द्वारा प्रशासित नहीं होते थे और ओएनजीसी उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक ईंधनों के समतुल्य थर्मल समकक्ष के आधार पर गैस के मूल्य निर्धारित करती थी। ओएनजीसी द्वारा 1 अप्रैल, 1979 से 29 जनवरी, 1987 के बीच वसूले गए मूल्यों पर गुजरात में 19 उपभोक्ताओं का विवाद हो गया था और उन्होंने गुजरात प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता उद्योग एसोसिएशन का गठन किया था। उक्त एसोसिएशन ने 1979 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 30 जुलाई, 1983 को स्वीकार कर लिया गया और ओएनजीसी द्वारा निर्धारित मूल्यों को रद्द कर दिया गया। ओएनजीसी ने सितंबर, 1983 में माननीय उच्चतम न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सिविल अपील दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4 मई, 1990 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और 30 जनवरी, 1987 से पहले की अवधि के लिए ओएनजीसी द्वारा अपनाए गए मूल्य निर्धारण आधार को बरकरार रखा।

(ग) ओएनजीसी के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से गैस की बढ़ी हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गैस श्रृंखला में विभिन्न उद्यमियों द्वारा निवेश के संरक्षण के लिए सरकार ने 30.01.1987 से गैस मूल्य प्रशासित करने का निर्णय लिया। 1987 के मूल्य निर्धारण आदेश में ओएनजीसी गैस का मूल्य लागत जमा आधार पर 1400 रुपए एमएससीएम (हजार मानक घन मीटर) निर्धारित किया गया था।

(घ) 2008-09 में मुंबई में ईंधन तेल के औसत रिफाइनरी अंतरण मूल्य और ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस के थर्मल समतुल्य के आधार पर ओएनजीसी की प्राकृतिक गैस का मूल्य उपर्युक्त मूल्य निर्धारण व्यवस्था के आधार पर 12.94 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू होता। इसमें ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस में क्रमशः 10,000 के कैल/क.ग्रा. और 10,000 कैल/एससीएम ऊर्जातत्व और विनिमय दर 45 रुपए/अमरीकी डालर मानी गई है।

(ङ) उपर्युक्त के प्रति एपीएम गैस का मूल्य विद्युत और उर्वरक ग्राहकों के लिए 3200 रुपए/हजार मानक घन मीटर (एमएससीएम) (1.79 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू) और लघु ग्राहकों तथा नगर गैस कंपनियों के लिए 3840 रुपए/एमएससीएम (2.15 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू) है।

[हिन्दी]

किसानों को उर्वरकों का विशेष पैकेज

3195. श्रीमती राजकुमारी चौहान: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को रासायनिक उर्वरकों का विशेष पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भेल के कर्मचारी

3196. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इकाई-वार कुल कार्मिकों की संख्या कितनी है तथा इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/महिला कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भेल अपनी सभी भर्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण कोटा संबंधी मानदंडों का पालन करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कुल कार्मिकों की संख्या तथा इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/महिला कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

(आंकड़े संख्या में)

कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	महिला
45,028	8,866	2,289	7,528	2,430

डिवीजन-वार/यूनिट-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, बीएचईएल की सभी भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा का इस विषय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कड़ाई से पालन किया जाता है। कंपनी जुलाई, 1997 से राष्ट्रपति के निदेशों तथा समय-समय पर प्राप्त संशोधनों के अनुसार आरक्षण में पद-आधारित रोस्टर प्रणाली का पालन कर रही है। प्रणाली में निम्नलिखि परिकल्पना की गई है:

(1) समूह "क" और "ख" पदों की भर्ती में आरक्षण: अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के जरिए = अनु. जाति: 15%, अनु. जनजाति: 7.5%; अ.पि.व.: 27% तथा अखिल भारतीय आधार पर, खुली प्रतियोगिता के अलावा = अनु. जाति: 16.66%, अनु. जनजाति: 7.5%, अ.पि.व.: 27%

(2) समूह "ग" और "घ" पदों की भर्ती में आरक्षण: राज्य-वार कोटा के आधार पर, जहां बीएचईएल की यूनिट अवस्थित है, उस राज्य के अनुसार तथा रोस्टर रखा जा रहा है।

इसके अलावा, दिशानिदेशों में किए गए प्रावधानों के अनुरूप, योग्य अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.व. के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी से भी लिए जाते हैं। वर्तमान में भर्ती में अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व. का कोई बैकलॉग नहीं है।

विवरण

(संख्या, 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार)

	यूनिट/डिवीजन, स्थान	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	महिला
	1	2	3	4	5	6
1.	इलेक्ट्रोनिक्स डिवीजन, बंगलोर	1956	302	126	240	283
2.	इलेक्ट्रो-पोर्सलेन डिवीजन, बंगलोर	650	110	27	100	39
3.	इंडस्ट्रीयल सिस्टम प्लांट ग्रूप, बंगलोर	362	54	22	68	49
4.	हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट, भोपाल	7197	1299	1089	778	314
5.	इंडस्ट्रीयल वाल्व्स प्लांस, गोइंदवाल	156	42	1	30	7
6.	सेन्ट्रल फाउण्डरी फोर्ज प्लांट, हरिद्वार	1147	285	12	58	11
7.	हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांड एण्ड पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरिद्वार	5642	1162	120	614	180
8.	कार्पोरेट रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट डिवीजन, हैदराबाद	649	106	19	143	64

	1	2	3	4	5	6
9.	हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, आर.सी. पुरम, हैदराबाद	5571	967	305	650	298
10.	सेंट्रलाइज्ड स्टेंपिंग यूनिट, जगदीशपुर	107	26	2	40	2
11.	इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर	493	85	5	20	11
12.	ट्रांसफार्मर प्लांट, झांसी	1813	452	31	254	72
13.	इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट, मुम्बई	108	25	11	10	17
14.	बॉयलर आग्जिलरीज प्लांट, रानीपेट	2362	500	33	1374	132
15.	कंपोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट, रूद्रपुर	111	24	4	22	0
16.	त्रिची कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग हाइ प्रेशर बॉयलर प्लांट एण्ड सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट	10675	2481	165	2068	397
17.	वाराणसी हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट सहित **दिल्ली, एनसीआर डिवीजन/मुख्य कार्यालय**	159	27	4	39	3
18.	कार्पोरेट कार्यालय, दिल्ली	575	96	7	40	124
19.	पावर सेक्टर (क्षेत्र तथा परियोजना साइटों सहित)	4445	683	270	871	316
20.	उद्योग सेक्टर, दिल्ली	169	32	2	18	25
21.	ट्रांसमिशन बिजनिस ग्रुप (परियोजना साइटों सहित)	305	51	15	51	16
22.	क्षेत्रीय प्रचालन डिवीजन	238	38	18	32	48
23.	अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन डिवीजन, दिल्ली	83	11	0	6	9
24.	माव संसाधन विकास संस्थान, नोएडा	32	6	1	0	13
25.	एमोर्फस सिलिकन सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी), गुड़गांव	23	2	0	2	0
	योग	45,028	8,866	2,289	7,528	2,430

[हिन्दी]

नैनो योजना के अंतर्गत पेट्रोल पंप

3197. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नैनो (नो एक्शन, नो आपरेशन) योजना के अंतर्गत चेक तथा फिल पेट्रोल पंप अधिष्ठापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) ग्राहकों के अधिकारों पर संकेन्द्रण करने के लिए ग्राहकों का विश्वास जीतने और ग्राहक अनुकूल छवि प्रदर्शित करने के उद्देश्य से खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज)

पर गुणवत्ता और मात्रा की जांच करने के लिए ग्राहकों को आमंत्रित करके जनवरी, 2010 में तेल उद्योग में "जांचों और भरो" नाम से एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है।

अभियान को प्रभावकारी बनाने के लिए परिचालित डिजाइन के अनुसार आवश्यक होर्डिंग/बैनर प्रमुखत: प्रदर्शित किए गए जिसमें देश भर के लगभग सभी खुदरा बिक्री केन्द्र शामिल किए गए। आरओज पर क्योस्कस की स्थापना करके जांच करने के उपकरण ग्राहकों के लिए सुप्रकट किए गए। कई स्थानों पर चुने गए प्रतिनिधियों/वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और प्रमुख नागरिकों सहित स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा इस अभियान को औपचारिक रूप से आरंभ किया गया जिन्होंने तेल उद्योग के प्रयासों को बहुत सराहा।

अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए व्यापक प्रचार किया गया। जांचों और भरो के मुद्रित विज्ञापन लगभग एक पखवाड़े तक ओएमसीज द्वारा जारी किए गए। इस संदेश का प्रचार-प्रसार करने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा विभिन्न अन्य पहलें भी की गईं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) बैनर डिजाइन से बसों/ट्रैक्टरों/आटो रिक्शाओं की पेंटिंग करना।

(ख) ऐड-व्हील (यांत्रिक वाहन) चलता-फिरता प्रदर्शन।

(ग) 1.5 लाख से अधिक ग्राहकों को एसएमएस।

(घ) रेड एफएम पर 15 सैकिंड के जिंगल्स।

यह अभियान सफल रहा है और तीन महीने की अवधि के भीतर क्षेत्र रिपोर्टों के अनुसार 15.25 लाख से अधिक ग्राहकों ने देश भर में जांच प्रयोग किए हैं और ओएमसीज की पहल पर उन्होंने बहुत उत्साहवर्धक फीडबैक दिया है। इस पहल को भी संचार माध्यमों में बहुत सकारात्मक कवरेज मिली है।

[अनुवाद]

गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित मामले

3198. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले 15 वर्षों से ज्यादा समय से, 15 वर्ष से कम परंतु 10 वर्षों से ज्यादा तथा 10 वर्ष से कम परंतु 5 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं तथा सबसे पुराना मामला कब से लंबित है; और

(ग) दस वर्षों से ज्यादा समय से लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) गुजरात उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31.12.2009 को गुजरात उच्च न्यायालय में 99,930 मामले लंबित थे।

(ख) और (ग) जानकारी, गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में विलय

3199. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री जी.एस. बासवराज:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड के पुनरुद्धार हेतु इसका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए गठित पी. गणेशन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) श्री पी. गणेशन की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) समिति ने विभिन्न विकल्पों की जांच करने के पश्चात सुझाया है कि अपने पैलेट प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस की व्यवहार्यता को सुधारने हेतु एक कैपेक्स योजना के साथ स्टैंड एलोन आधार पर बने रहना केआईओसीएल के लिए बेहतर विकल्प है जिसके साथ कंपनी में कुछेक नीतिगत उपायों को अपनाया जाना है।

(ङ) उपरोक्त सिफारिशों के अनुरूप एक व्यवहार्य स्टैंड एलोन कंपनी के रूप में केआईओसीएल को बनाए रखने के विभिन्न उपायों पर कार्रवाई की जा रही है और सरकार द्वारा इनकी सघनता से मॉनीटरिंग की जा रही है।

तिरूमला तथा तिरूपति के बीच रेलवे लाइन

3200. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास तिरूमला पहाड़ी से तिरूपति के बीच रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई रेल लाइन कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विमानन क्षेत्र में निवेश

3201. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक तुर्की कंपनी की योजना देश के विमानन क्षेत्र में सौ मिलियन डालर निवेश करने की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों द्वारा पता लगाए गए क्षेत्र कौन-से हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भेषज उद्योग को प्राथमिकता का दर्जा

3202. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज उद्योग प्राथमिकता का दर्जा पाने का हकदार है; और

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी, हां। औषध क्षेत्र के अनन्य स्वरूप को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र पर बेहतर ध्यान देने और उसके संवर्द्धन हेतु 1 जुलाई 2008 की मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के द्वारा औषध क्षेत्र के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया।

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय में अनियमितताएं

3203. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संवर्धित पूंजी लागत प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय में अनियमितताओं संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नैमित्तिक श्रमिक का नियोजन

3204. श्री जी.एस. बासवराज: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1990 में इंडियन एयरलाइंस दिल्ली क्षेत्र में हेल्पर, चालक तथा चपरासियों वाले श्रेणी 'घ' के अंतर्गत 400 से ज्यादा नैमित्तिक श्रमिकों को नियोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश श्रमिकों को छुट्टी के लाभ, भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधाओं के बिना नैमित्तिक कर्मचारियों के रूप में दैनिक मजदूरी के आधार पर मजदूरी दी जाती है तथा मजदूरी फार्म-पांच पर दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) आज की तारीख तक दिल्ली में नैमित्तिक दैनिक रेटेड आधार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या 376 है। इस संख्या में 339 व्यक्तियों को हेल्पर/लोडर/ड्राइवर/चपरासी की श्रेणी में लगाया गया है तथा शेष 37 को लिपिकों/तकनीशियनों आदि की श्रेणी में लगाया गया है।

(ग) से (ङ) नैमित्तिक श्रमिकों को दैनिक रेटेड आधार पर तदर्थ आवश्यकता के लिए लगाया जाता है। उन्हें इस समय गैर कुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। चूंकि ये न तो स्थाई कर्मचारी हैं और न ही अस्थायी कर्मचारी, इसलिए ये स्थाई कर्मचारियों को उपलब्ध विशेषाधिकार/लाभ जैसे अवकाश आदि के लिए पात्र नहीं हैं। बहरहाल, उनकी कार्यावधि के दौरान उन्हें कैंटीन, प्रथम उपचार आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

जहाजों को तोड़ने संबंधी वैश्विक मानदंडों का उल्लंघन

3205. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में गुजरात के अलंग में तोड़े गए जहाजों का ब्यौरा क्या है तथा ये 'डेड' जहाज किन देशों में पंजीकृत थे;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस यार्ड में जहाज तोड़ने संबंधी वैश्विक मानदंडों तथा कई संयुक्त राष्ट्र कानूनों के उल्लंघन की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

एकीकृत वस्त्र पार्कों हेतु योजना

3206. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एकीकृत वस्त्र पार्कों हेतु योजना जैसी और अवसंरचनागत योजनाएं लाना चाहती है जो अनुसूचित क्षेत्रों में विशेषरूप से बेहद सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा पंचवर्षीय योजना हेतु तैयार की गयी स्कीमों का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों का क्या विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इस समय वस्त्र क्षेत्र के लिए कोई नई अवसंरचना योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत परियोजनाओं की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में कहीं भी की जा सकती हैं।

उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता

3207. श्री पी. बलराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरकों के लिए निर्धारित की गयी पोषक तत्व आधारित राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस राजसहायता को लागू करने की स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसी राजसहायता का लाभ किसानों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए दिनांक 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति शुरू की है। वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 1.4.2010 से नाइट्रोजन 'एन', फॉस्फेट 'पी', पोटाश 'के' और सल्फर 'एस' पोषक तत्वों के लिए प्रति किलोग्राम पोषक तत्व आधारित राजसहायता इस प्रकार होगी:

क्र.सं.	पोषक-तत्व	प्रति कि.ग्रा. पोषक-तत्व पर एनबीएस
1.	'एन'	23.227
2.	'पी'	26.276
3.	'के'	24.487
4.	'एस'	1.784

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ) के अनुसार द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले संपुष्ट उर्वरकों के लिए प्रति मी. टन अतिरिक्त राजसहायता इस प्रकार होगी:

क्र.सं.	एफसीओ के अनुसार संपुष्ट करने के लिए पोषक-तत्व	प्रति मी. टन संपुष्ट उर्वरकों पर अतिरिक्त राजसहायता (रुपए)
1.	बोरोन 'बीएन'	300
2.	जिंक 'जेडएन'	500

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को राज्यों के जिलों में उर्वरकों की प्राप्ति के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने अपेक्षित हैं। सरकार ने यह भी चाहती है कि उर्वरक कंपनियां अपने उर्वरकों की बिक्री प्रचलित एमआरपी पर करें और यह उर्वरक के 30-40 रुपये प्रति बैग से अधिक न हो।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन का विकास

3208. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे की उत्तर प्रदेश में उरई, पुखरन्या, कालपी और मोठ रेलवे स्टेशनों का विकास करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित रेलवे स्टेशनों सहित रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यातायात में वृद्धि और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार हर वर्ष शुरू किया जाता है।

(ग) और (घ) काल्पी, पोखरायन और उरई स्टेशनों पर निम्नांकित विकासात्मक कार्यों को पूरा किया गया है:

काल्पी स्टेशन: ऊपरी पैदल पुल का बदलाव।

पोखरायन स्टेशन: प्लेटफार्म सतह, परिचलन क्षेत्र में सुधार, स्टेशन भवन का सौन्दर्यीकरण, प्लेटफार्म नं. 1 पर 2 बेस द्वारा प्लेटफार्म सायबान का विस्तार और रैंप लैडिंग सहित ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करना।

उरई स्टेशन: प्लेटफार्म की सतह का कोटा स्टोन द्वारा सुधार, खंभों के आसपास बैठने की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति में सुधार, एयर सर्कुलेटर और अन्य लाइटिंग कार्य, डीजी सेट की व्यवस्था और लैड आधारित कोच संसूचक बोर्ड की व्यवस्था करना।

इन स्टेशनों पर निम्नांकित विकासात्मक कार्य शुरू किए गए हैं:

1. उरई और पोखरायन स्टेशनों पर प्लेटफार्म के स्तर को बढ़ाना।
2. उरई, पोखरायन और काल्पी स्टेशनों पर प्लेटफार्म सायबान का विस्तार सहित सुविधा संबंधी अन्य कार्यों को शुरू करना।

माथ एक 'ई' श्रेणी का स्टेशन है और मानदंडों के अनुसार इस स्टेशन पर सभी यात्री सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

[अनुवाद]

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण

3209. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्थित हवाई यातायात नियंत्रण टावर अरक्षित और असुरक्षित है क्योंकि यह हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कमांडो के कवर के अंतर्गत है के बाहर अवस्थित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एटीसी टावर को सीआईएसएफ कवर देने या टावर को हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र के भीतर लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) जी, नहीं। बेंगलुरु हवाईअड्डे पर एटीसी टावर की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा 24 घंटे की जाती है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दी गई टिप्पणियों के आधार पर, इस हवाईअड्डे के एटीसी टावर-सह-एटीसी ब्लॉक के पिछले छोर तथा पूर्वी छोर के आसपास के क्षेत्र में चेनयुक्त फेंसिंग लगाई गई है। सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के दो सशस्त्र गार्डों को 24 घंटे तैनात किया गया है।

ओएनजीसी के स्वामित्व वाली ड्वेलिंग रिग्स

3210. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के नागापट्टिनम और तिरूवरूर जिलों में तेल कुओं में ड्वेलिंग कार्य के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के स्वामित्व वाली ड्वेलिंग रिग्स की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या तमिलनाडु के वेदरायनम और माइलाडुथरई क्षेत्रों में ड्वेलिंग कार्य स्वयं करने के बजाय ओएनजीसी इन ड्वेलिंग रिग्स को निजी कंपनियों को दे रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या है;

(घ) ओएनजीसी के ऐसे ड्वेलिंग रिग्स की सहायता से निजी कंपनियों द्वारा कितनी ड्वेलिंग इकाइयां बनायी गई हैं; और

(ङ) इसके लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्तमान में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) तमिलनाडु राज्य में आधारित कावेरी परिसंपत्ति में 6 अपने स्वामित्व वाली और एक भाड़े पर ली गई जमीनी रिगों का प्रचालन कर रही है।

जहां तक तमिलनाडु में नागपंजनम और थिरूवरूर जिलों में रिग की तैनाती के क्षेत्रों का संबंध है, ओएनजीसी के स्वामित्व वाली कुल 3 रिगों की तैनाती की गई है।

(ख) तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में ओएनजीसी के स्वामित्व वाली कोई रिग निजी उद्यमियों को नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नासिक में कार्गो हब का विकास

3211. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नासिक में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और कार्गो हब के विकास हेतु महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) को विदेशी बैंक से ऋण लेने के अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस उद्देश्य हेतु एमएडीसी द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी देने पर सहमत है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी से नागर विमानन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में आमान परिवर्तन

3212. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में किए जा रहे/लंबित आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त आमान परिवर्तन कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली आमान परिवर्तन परियोजनाओं की, उनकी स्थिति और समापन तिथि जहां-कहीं निर्धारित है, के साथ ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति और कार्य को पूरा करने की तिथि जहां-कहीं निर्धारित है
1	2	3
1.	मोडसा-शामलाजी के बीच नई लाइन सहित अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर	प्रारंभिक गतिविधियां जैसे नक्शा तैयार करना, अंतिम स्थान सर्वेक्षण निर्धारण आदि शुरू हो गए हैं। मोडसा-शामलजी के बीच नई लाइन के लिए आंशिक अनुमान स्वीकृत हो गए हैं।
2.	भरूच-सामनी-दाहेज (62.36 किमी.)	मिट्टी संबंधी कार्य, ब्लैंकेटिंग, पुल संबंधी कार्य और रेलपथ संपर्क के कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं। कार्य को 31.03.2011 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3
3.	भिलड़ी-वीरमगांव (156.63 किमी.)	वीरमगांव-महेसाणा-पाटन खण्ड (104.60 किमी.) का आमान परिवर्तन पूरा हो चुका है। पाटन-भिलड़ी खण्ड पर भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। भूमि संबंधी, पुल संबंधी कार्य आदि जहां-कहीं भूमि उपलब्ध हैं, शुरू हो गए हैं।
4.	व्योर (24.65 किमी.) तक विस्तार सहित भुज-नलिया (101.35 किमी.)	प्रारंभिक कार्य जैसे नक्शे, अनुमान को तैयार करना, आदि शुरू हो गए हैं।
5.	प्रताप नगर-छोटा उदयपुर (99.27 किमी.)	प्रतापनगर-बोडेली खण्ड (69.27 किमी.) को यात्री यातायात के लिए पहले ही खोल दिया गया है। बोडेली-छोटा उदयपुर (30 किमी.) के शेष खण्ड को भी 31.03.2010 को रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के पश्चात् अगले 2/3 महीनों में यात्री यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
6.	राजकोट-वेरावल, वेरावल से सोमनाथ तक नई लाइन सहित वंसजलियां से जेतलसर तक	राजकोट-वेरावल-सोमनाथ खण्ड को यात्री यातायात के लिए पहले ही खोल दिया गया है। वंसजलिया-जेतलसर का शेष खण्ड (90.61 किमी.) पूरा हो गया है और माल यातायात के लिए खोल दिया गया। अवशिष्ट कार्यों और रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के पश्चात् यात्री यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
7.	अंकलेश्वर-राजपीपला	09.05.2009 से मेगा ब्लाक का कार्य शुरू किया गया है। भूमि संबंधी, छोटे और बड़े पुल संबंधी कार्य शुरू हो गये हैं। परियोजना को वर्ष 2011-12 में पूरा किए जाने की आशा है।
8.	पिपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-भाव नगर-महुवा और सुरेन्द्रनगर-ध्रांगधरा	सुरेन्द्रनगर-भावनगर-महुवा-पिपावाव खण्ड पहले ही यातायात के लिए खोल दिया गया है। सुरेन्द्रनगर-ध्रांगधरा के शेष खंड का कार्य (34.48 किमी.) पूरा हो चुका है। अवशिष्ट कार्यों और रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के पश्चात् खण्ड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, परियोजनाओं की प्रगति होगी और उन्हें पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक से संबंधित लम्बित प्रस्ताव

3213. श्रीमती जे. शांता:
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने संबंधी कर्नाटक सरकार के कितने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक प्रस्तावों की स्थिति का ब्यौरा क्या है और इनकी स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना तथा आधुनिकीकरण संबंधी अपनी योजना स्कीम के तहत स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु पात्र एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमें परियोजना विशिष्ट हैं न कि राज्य विशिष्ट। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को गत तीन वर्षों के दौरान अपने स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने हेतु

वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक के प्रस्तावों समेत राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

देश में खाद्य प्रसंस्करण के संवर्धन के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिसकी सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% अर्थात् 75.00 लाख रुपये है। वित्तीय सहायता का तत्काल संवितरण सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने 1.4.2007 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण स्कीम के तहत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के जरिए संवितरण प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया है।

विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के तहत, आवेदन पत्र सीधे बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, अत: वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-2010 के आवेदन पत्रों की प्राप्ति के आंकड़े मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे गए हैं। इकाइयों को वित्तीय सहायता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निधियों की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

सुपरफास्ट रेलगाड़ियां शुरू करना

3214. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने आंध्र प्रदेश में चलने वाली कुछेक रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि की है या सुपरफास्ट रेलगाड़ियां शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन राज्यों के लिए उक्त रेलगाड़ियां शुरू की गयी हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भारतीय रेल पर गाड़ियां न तो राज्य-वार चलाई जाती हैं और न ही राज्य-वार उनकी शुरुआत की जाती है, अत: गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने अथवा सुपरफास्ट गाड़ियां चलाने संबंधी आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

दिल्ली की लोकल ट्रेनों में आपराधिक गतिविधियां

3215. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलायी जा रही लोकल ट्रेनों में शराब पीने और आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ताजनगर रेलवे स्टेशन

3216. श्री अब्दुल रहमान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे गुड़गांव के निकट ताजनगर में अस्थायी रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु ग्रामीणों द्वारा दिए गए 21 लाख रुपये का पुनर्भुगतान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने ताजनगर में पक्का प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय बनाने हेतु धनराशि मंजूर करने का भी प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) ताजनगर रेलवे स्टेशन को श्रमदान और रेलवे द्वारा बिना किसी पूंजी व्यय के हाल्ट स्टेशन खोले जाने के लिए स्वीकृत किया गया था। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, इस स्टेशन पर पटरी स्तर के प्लेटफार्मों और बुकिंग एवं प्रतीक्षा हॉल उपलब्ध कराए गए हैं। फिलहाल, इस स्टेशन पर किसी कंक्रीट प्लेटफार्म और अतिरिक्त प्रतीक्षा कक्ष निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम्पनी लॉ बोर्ड के समक्ष लंबित मामले

3217. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्पनी लॉ बोर्ड के पास विशेषकर महाराष्ट्र के कितने मामले निपटान हेतु आज तक लंबित हैं; और

(ख) इन लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) दिनांक 31.3.2010 तक कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष लंबित कुल 4476 मामलों में से, 2806 मामले कम्पनी विधि बोर्ड की मुम्बई पीठ के समक्ष लंबित हैं जिनमें महाराष्ट्र के मामले भी सम्मिलित हैं। महाराष्ट्र से प्राप्त मामलों के लिए अलग कोई रजिस्टर नहीं है।

(ख) कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सतत पुनरीक्षा की जा रही है।

खाड़ी क्षेत्र के लिए उड़ानें

3218. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी क्षेत्र में अप्रवासी केरलवासियों की सतत् प्रमुख शिकायत त्यौहारों के मौसम में इस क्षेत्र से केरल तक पर्याप्त संख्या में उड़ानों की कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) केरल से खाड़ी क्षेत्र तक आने-जाने वाली और उड़ानें विशेषकर त्यौहारों/छुट्टियों के दौरान कब तक प्रारंभ की जाएंगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) खाड़ी क्षेत्र से केरल के लिए यात्री उड़ानों में वृद्धि करने हेतु नॉन-रेजीडेंट भारतीय निकायों, राज्य सरकारों तथा यात्रियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(ग) और (घ) विदेशों की नामित एयरलाइनें तथा भारतीय वाहक केरल के हवाईअड्डों से खाड़ी क्षेत्र के लिए इस समय क्रमशः प्रति सप्ताह 170 और 176 उड़ानें प्रचालित कर रहे हैं। त्यौहार के मौसम के दौरान संवर्धित मांग को पूरा करने के लिए गल्फ-केरल सेक्टर में अतिरिक्त उड़ानें प्रचलित की जाती हैं।

केएचडीसी को प्रतिपूर्ति

3219. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हथकरघा विकास निगम (केएचडीसी) और प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा दी गई छूट की प्रतिपूर्ति की मद में 87.453 लाख रुपये छूट की मंजूरी और इसे जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। 10% छूट योजना (गैर-योजना) 2006-07 से 2008-09 तक की 3 वर्षीय अवधि के लिए आरंभ की गई थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2009 से बंद हो गई है। योजना की पिछली देयताएं वर्ष 2009-10 के दौरान स्वीकृत की गई थीं, जिसमें कर्नाटक सरकार को जारी 60.55 लाख रुपये की धनराशि शामिल है। फरवरी, 2010 में 87.453 लाख रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। वित्त मंत्रालय द्वारा, अपेक्षित धनराशि का नियतन किए जाने पर 10% छूट योजना के अंतर्गत कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों की पिछली देयताओं का निपटान किया जाएगा।

सरदार पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान

3220. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित सरदार पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान का उन्नयन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संस्थान का उन्नयन कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) कोयम्बटूर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान (एसवीपीआईटीएम) को 'इंडियन स्कूल ऑफ टेक्सटाइल एंड बिजनेश (आईएसटीबी)' के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है और मंत्रालय द्वारा इसकी गवेषणा की जा रही है। किसी ठोस प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

3221. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास राजस्थान से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने संबंधी कितने प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित हैं;

(ख) एक वर्ष से ज्यादा समय से मंजूरी हेतु मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों का त्वरित अनुमोदन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी योजना स्कीम के अंतर्गत, राजस्थान से प्राप्त हुए वर्तमान इकाइयों के विस्तार के प्रस्तावों समेत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के कुल 150 प्रस्ताव लंबित हैं।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के लिए कुल 600 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए। वैसे, 600 करोड़ रुपए के इस प्रावधान की तुलना में मंत्रालय को गत वर्षों के दौरान 299.74 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इस अपर्याप्त बजटीय आबंटन के कारण, 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य समेत जिसके लिए मंत्रालय को स्कीम हेतु लगभग 330 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन की आवश्यकता होगी, 2206 प्रस्ताव लंबित हैं।

जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है, अपर्याप्त बजटीय आबंटन के कारण कुल 150 प्रस्ताव लंबित हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्थान में कुल 25 इकाइयों को सहायता दी गई जिसके लिए 308.06 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(ग) वित्तीय सहायता का तत्काल संवितरण सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने 01.04.2007 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण स्कीम के तहत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के जरिए संवितरण प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने योजना आयोग से कई बार बजट आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है। वार्षिक योजना 2010-2011 तैयार करने के दौरान स्कीम के अंतर्गत बड़ी संख्या में लंबित पड़े प्रस्तावों और सहायता के लिए नए आवेदन पत्रों की बढ़ती संख्या तथा योजना 2010-11 के दर्शाए गए अनन्तिम आकार को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 300 करोड़ रुपए के औसत दर्जे के बजटीय अनुमान का प्रस्ताव किया गया था ताकि राजस्थान के लंबित आवेदन पत्रों समेत लगभग 1200 लंबित आवेदनों के मामले में सहायता दी जा सके।

सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन

3222. डॉ. संजय सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे इस प्लेटफार्म का विस्तार करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विस्तार कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) जी, नहीं। फिलहाल इस स्टेशन पर आने वाली और जाने वाली गाड़ियों की लम्बाई को ध्यान में रखते हुए सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों की लंबाई पर्याप्त समझी जाती है।

[अनुवाद]

उर्वरक कारखाने हेतु निविदाएं

3223. श्री पी.के. बीजू: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसायन और उर्वरक कारखानों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने अभी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में उर्वरक कारखानों को चलाने के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) रसायनों का उत्पादन, कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर, नियंत्रणमुक्त है। मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं, जो रसायनों का उत्पादन करते हैं। रसायनों का उत्पादन करने वाली अन्य इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं और इनका ब्यौरा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है। देश में कुल 56 प्रमुख उर्वरक कारखाने हैं जो यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों आदि का उत्पादन करते हैं। इस

समय इन कारखानों में से 45 कारखाने चालू हैं और 11 कारखाने बंद पड़े हैं। इन प्रमुख उर्वरक कारखानों के अलावा, एसएसपी का उत्पादन करने वाले 80 कारखाने हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इफको को धनराशि

3224. श्री राजू शेट्टी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लि. (इफको) को सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मदवार कितना खर्च किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ख) इफको एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है जो उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आती हैं और इसलिए कोई योजना निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। सरकार विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत राजसहायता के भुगतान के लिए निधियां उपलब्ध कराती है। उर्वरक विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इफको को राजसहायता का निम्नलिखित भुगतान किया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	स्वदेशी पी और के उर्वरक	आयातित पी और के उर्वरक	स्वदेशी यूरिया
2007-08	2785.79	366.070	16450.37
2008-09	10007.45	10863.068	20968.74
2009-10	5142.21	2875.030	17580.25

[अनुवाद]

नयी इस्पात नीति

3225. श्री रामसिंह राठवा: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नयी इस्पात नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार देश में इस्पात क्षेत्र में दस प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस्पात क्षेत्र में उक्त वृद्धि दर हेतु निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2006 के अलावा इस्पात मंत्रालय में नई इस्पात नीति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 (एनएसपी 2005) के लक्ष्य तथा उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रवृत्तियों के आधार पर समय-समय पर इस्पात के उत्पादन एवं खपत से संबंधित प्रक्षेपणों को अद्यतन किया जाता है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 2009-10 के दौरान संयुक्त समिति (जेपीसी) द्वारा प्रकाशित अनन्तिम आंकड़े देश में इस्पात की खपत में 7.6% की वृद्धि को दर्शाते हैं। अगर वर्ष 2010-11 के दौरान यह प्रवृत्ति बनी रहती है तो चालू वर्ष में देश में इस्पात की खपत 8-10% हो सकती है।

(ङ) इस्पात क्षेत्र में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि इस्पात क्षेत्र के समग्र विकास के साथ-साथ देश में इस्पात की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए सरकार अनेक राजकोषीय उपाय शुरू करती है। वर्तमान में प्रचलित उपाय निम्न हैं:

(1) सभी इस्पात उत्पादों पर 5% आयात शुल्क है।

(2) इस्पात उत्पादों के निर्यात पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है।

(3) इस्पात क्षेत्र पर ड्यूटी इनटाइटलमेंट पास बुक (डीईपीबी) लागू है।

(4) इस्पात मदों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 10% है।

(5) लौह अयस्क ढलों के निर्यात पर 10% तथा लौह अयस्क चूरे के निर्यात पर 5% निर्यात शुल्क है।

रेशम कीट पालन हेतु वित्तीय सहायता

3226. श्री जयराम पांगी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कीट पालक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेशम कीट पालक किसानों की सामाजिक और वित्तीय दशा के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से देश में रेशम उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों (2007-08, 2008-09 और 2009-10) के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष के दौरान जारी की गई/खर्च की गई निधियां		
		2007-08	2008-09	2009-10*
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	1,015.22	1,876.63	2,306.76
2.	तमिलनाडु	745.20	954.48	911.88
3.	जम्मू और कश्मीर	181.85	316.07	1,089.25
4.	आंध्र प्रदेश	979.88	1,554.84	1,073.16
5.	आंध्र प्रदेश	102.04	273.32	869.55
6.	महाराष्ट्र	95.21	200.11	295.82
7.	मध्य प्रदेश	173.85	518.96	430.25
8.	उड़ीसा	63.70	75.18	566.64
9.	बिहार	-	43.90	171.35
10.	उत्तर प्रदेश	321.01	413.98	611.70
11.	केरल	87.33	147.30	87.40
12.	पंजाब	-	26.63	9.00
13.	हिमाचल प्रदेश	53.93	165.63	158.94
14.	गुजरात	-	32.57	-
15.	छत्तीसगढ़	344.07	378.22	467.40
16.	झारखंड	43.60	255.70	1,066.22

1	2	3	4	5
17.	उत्तराखंड	143.02	208.72	423.39
18.	सिक्किम	50.04	32.29	69.09
19.	असम	1,891.52	590.46	1,617.13
20.	अरुणाचल प्रदेश	220.40	113.83	287.13
21.	मणिपुर	594.59	89.97	324.78
22.	मेघालय	74.81	267.14	302.37
23.	मिजोरम	249.10	230.29	349.46
24.	नागालैंड	217.11	163.32	540.54
25.	त्रिपुरा	434.13	144.62	377.04
	कुल	8,081.61	9,074.16	14,406.25

*अनंतिम

(ग) और (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीडीपी के तहत कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं/संघटकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स. टैरी को (ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान) एक अध्ययन कार्य सौंपा गया था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार सीएसबी द्वारा कार्यान्वित की गई सीडीपी योजनाओं में शहतूती और गैर-शहतूती, दोनों क्षेत्रों में न केवल कोया की मात्रा में वृद्धि के रूप में सकारात्मक प्रभाव डाला है बल्कि कोया की गुणवत्ता में भी सुधार दर्शाया है। रिपोर्ट में रेशम उत्पादक किसानों, रीलरों आदि की वित्तीय एवं सामाजिक परिस्थितियों में भी सुधार दर्शाया गया है। इसके सकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर, सीडीपी को 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा गया है।

आईडीपीएल को पैकेज

3227. डॉ. के.एस. राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी आर्थिक विशेषज्ञ समिति द्वारा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मासियुटिकल्स लि. (आईडीपीएल) के लिए कोई पैकेज प्रस्तुत किया गया है तथा उसे आईडीबीआई की प्रचालन एजेंसी, बोर्ड ऑफ रिकन्सट्रेक्शन ऑफ पीएसई (बीआरपीएसई) द्वारा अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पैकेज के सरकार के पास लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इस पैकेज की लागत क्या है तथा इसका वित्त-पोषण कैसे किया जाना है; और

(ङ) इस पैकेज को सरकार द्वारा कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां।

(ख) इस समय इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आईडीपीएल) की पुनरुद्धार योजना सरकार के विचाराधीन है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण को बट्टे खाते डालने, भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज को माफ करने, बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ एकमुश्त निपटारा करने और औषध उद्योग की प्रगति के निर्माण सुविधाओं का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण करने तथा आईडीपीएल की भूपरिसंपत्तियों का संयुक्त विकास करने का प्रस्ताव शामिल है।

(ग) आम चुनाव होने के परिणामत: विलम्ब हुआ था। तथापि निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद आईडीपीएल की पुनरुद्धार योजना को निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(घ) पैकेज की लागत और इसके वित्त पोषण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) इस स्तर पर इस बारे में अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

अमृतसर से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

3228. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृतसर से विभिन्न स्थानों को प्रचालित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अमृतसर से अन्य देशों जैसे आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यू.एस.ए. और यू.के. इत्यादि को उड़ानें प्रचालित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय 5 विदेशी एयरलाइनें तथा एयर स्लोवाकिया, महन एयर, कतर एयरवेज, तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस तथा उजबेकिस्तान एयरवेज अमृतसर के लिए प्रति सप्ताह 25 उड़ान सेवायें प्रचालित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय वाहक यू.के., यू.ए.ई. (शारजाह, दुबई तथा आबूधाबी) और ओमान के लिए प्रति सप्ताह 19 उड़ान सेवायें प्रचालित कर रही हैं।

(ख) से (घ) अमृतसर यू.एस.ए., यू.के. तथा सिंगापुर सहित 24 विदेशी गंतव्यों से नामित एयरलाइनों के कॉल ऑफ प्वाइंट के रूप में उपलब्ध है। भारतीय वाहक अन्य देशों के साथ संबंधित द्विपक्षीय सेवा करारों के अनुसार विदेशी गंतव्यों के लिए अमृतसर सहित भारत में किसी भी स्थान से सेवाओं में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल, किसी एयरलाइन द्वारा वास्तविक प्रचालन हमेशा अपने वाणिज्यिक विवेक पर निर्भर करता है।

उर्वरक क्षेत्र में निवेश

3229. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक दशक से अधिक समय से उर्वरक क्षेत्र में कोई नया निवेश नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मौजूदा निवेश नीति में विद्यमान विभिन्न विसंगतियों के कारण उर्वरक क्षेत्र में नया निवेश होने में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इन विसंगतियों को दूर करने तथा निवेश नीति को पूरी तरह मान्यता प्राप्त परिवहन लागत के अनुरूप बनाना और अनुमानित पूंजी लागत आंकड़े पर आधारित कृत्रिम रूप से उच्चतम मूल्य निर्धारित करने की बजाय पूरे गैस मूल्य की क्षतिपूर्ति का विधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यूरिया की घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु नई यूरिया परियोजनाएं लगाने और मौजूदा यूरिया परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए 29.1.2004 को एक मूल्य निर्धारण नीति की घोषणा की गई थी। यह नीति दीर्घावधि औसत लागत के सिद्धांत पर आधारित थी। यह नीति इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में सफल नहीं रही थी। प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता, जो यूरिया के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण फीडस्टॉक है, भी यूरिया के उत्पादन के लिए स्वदेशी क्षमता में वृद्धि करने में एक प्रमुख कठिनाई रही है। सरकार ने 4 सितम्बर, 2008 को नई निवेश नीति अधिसूचित की है। उर्वरक उद्योग ने मौजूदा क्षमताओं के पुनरुद्धार के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेकर 4 सितंबर 2008 को अधिसूचित नई निवेश नीति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकांश मौजूदा इकाइयों ने या तो अपना पुनरुद्धार कार्य पूरा कर लिया है या वर्तमान में अपनी इकाइयों में पुनरुद्धार परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जिससे उनकी मौजूदा यूरिया क्षमता बढ़कर लगभग 1.5 मिलियन टन हो जाएगी। इसके अलावा, छः उर्वरक कंपनियां नामत: इफको-कलोल, कृभको-हजीरा, आरसीएफ-थाल, आईजीएफएल-जगदीशपुर, सीएफसीएल-गडेपान और टीसीएल-बबराला ने भी अपने मौजूदा परिसरों में 1.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष अमोनिया/यूरिया संयंत्रों की स्थापना करके अपनी वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की है। सरकार द्वारा एचएफसीएल और एफसीआईएल के बंद पड़े संयंत्रों में अतिरिक्त क्षमताओं का सृजन करके पुनरुद्धार करने पर भी विचार किया जा रहा है। मैसर्स मैटिक्स ग्रुप कंपनी, मुम्बई ने बर्द्धवान जिला, पश्चिम बंगाल में ग्रीनफील्ड गैस आधारित अमोनिया-यूरिया परियोजना की स्थापना करने के बारे में सूचित किया है, जो कोल बेड मिथेन (सीबीएम) गैस, जिसकी उन्हें एस्सार आयल लिमिटेड रानीगंज सीबीएम ब्लॉक द्वारा आपूर्ति की जाएगी, पर आधारित होगी और जिसकी प्रतिवर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन (1 मिलियन एमटीपीए) की क्षमता होगी। कंपनियां सरकार से नियमित रूप से अनुरोध कर रही हैं कि घरेलू गैस स्रोतों से पूर्व-निर्धारित नियत मूल्यों पर गैस का आबंटन सुनिश्चित करें अथवा नियत मूल्यों पर प्राकृतिक गैस के आबंटन की किसी प्रतिबद्धता

के अभाव में तदनुसार न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि होने से गैस के सुपुर्दगी मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी अतिरिक्त देनदारी से उद्योग को बचाए। उल्लिखित कठिनाइयों की जांच की जा रही है और 4 सितंबर, 2008 को अधिसूचित नई निवेश नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव पर उर्वरक विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है ताकि यूरिया क्षेत्र में निवेश के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

टी.डब्ल्यू.ओ.एल. में इक्विटी का निवेश

3230. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाइड वाटर ऑयल कम्पनी लिमिटेड (टी.डब्ल्यू.ओ.एल.) में इक्विटी के विनिवेश हेतु निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति की छठी बैठक में एसबीआई कैपिटल मार्किट लि. को टीडब्ल्यूओएल में एवाईसीएल की विनिवेश प्रक्रिया में सहयोग देने हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एस.बी.आई कैपिटल मार्केट लि. ने विनिवेश के लिए परामर्श/आंकड़े दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने स्टेक लेने में रुचि दर्शायी है;

(ङ) इस सौदे से कितना राजस्व सृजित होने का अनुमान है;

(च) इस विनिवेश प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) टाइड वाटर ऑयल कम्पनी लिमिटेड (टी.डब्ल्यू.ओ.एल.) में एवाईसीएल के हिस्से के विनिवेश हेतु निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति ने टीडब्ल्यूओएल में एवाईसीएल के हिस्से की विनिवेश की प्रक्रिया में सहयोग देने हेतु एसबीआई कैपिटल मार्किट लि. का चयन किया है। कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए अभी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। इस प्रकार, किसी कंपनी ने इस हिस्से का अधिग्रहण करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है।

(ङ) टीडब्ल्यूओएल में एवाईसीएल के हिस्से के विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है।

काबुल के लिए एअर इंडिया की उड़ानें

3231. श्री पी. विश्वनाथन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पायलटों ने उड़ानों का प्रचालन काबुल में न करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हड़ताली पायलटों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिए उनके साथ कोई वार्ता शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

युवा विधि स्नातकों को प्रोत्साहन

3232. श्री एन. पीताम्बर कुरूप: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक वर्ष वार काउंसिल ऑफ इंडिया में अनेक विधि स्नातक अपना नामांकन कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार युवा वकीलों को विधि व्यवसाय में बने रहने में सक्षम बनाने हेतु उनके लिए कोई अनुदान शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शोध छात्रों को रियायत

3233. श्री के. सुधाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार शोध छात्रों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के संबंध में देश के विभिन्न भागों में यात्रा करने हेतु उन्हें रियायत देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के छात्रों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेने हेतु किसी रियायत का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) शोध छात्रों के लिए रियायत पहले से स्वीकार्य है।

(ख) विश्वविद्यालय के रजिस्टर/सार्वजनिक संस्थानों के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर शोध कार्य के संबंध में यात्रा करने वाले 35 वर्ष तक के शोध छात्रों के लिए द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 50% की रियायत पहले से स्वीकार्य है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऊर्जा सुरक्षा

3234. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के तेल भण्डार में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। विगत दो वर्षों के दौरान तेल भंडारों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) देशी स्रोतों से हमारी अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यों को तेज करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

1. नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) तथा कोल बेड मीथेन नीति (सीबीएम) के अंतर्गत अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों को तैयार करना।
2. वर्तमान क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का प्रयोग करना।
3. वर्तमान क्षेत्रों से निकासी घटक को बढ़ाने के लिए वर्धित तेल निकासी/उन्नत तेल निकासी तकनीकों को लागू करना।
4. वर्तमान क्षेत्रों से निकासी घटक को बढ़ाने के लिए अन्वेषण निकासी तकनीकों का अर्जन।
5. देश में इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों और उत्पादनशील संपत्तियों का अर्जन करना।
6. पुराने क्षेत्रों में आ रही उत्पादन की गिरावट को रोकना।
7. बायो डीजल, एथेनोल आदि जैसे ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत के प्रयोग द्वारा तेल को प्रतिस्थापित करना। उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित करते हुए राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) के तहत गैस हाइड्रेटों से गैस निकालना।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रम शक्ति

3235. श्री प्रदीप माझी:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार अपनी चालू एवं लंबित योजनाओं हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से श्रम शक्ति का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे रेलवे को अपनी परियोजनाओं को किस सीमा तक पूरा करने में मदद मिलेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकारों द्वारा परिचालित की जाती है। इस समय रेल परियोजनाओं को एनआरईजीएस के माध्यम से निष्पादित करने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

विमान कंपनियों द्वारा यात्रियों की हैंडलिंग

3236. श्री सज्जन वर्मा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विमान कंपनियों के रुखे एवं असंवेदनशील व्यवहार के संबंध में यात्रियों द्वारा सरकार को की गई शिकायतों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2 जनवरी, 2010 को 'गो एअरलाइन्स' ने संसद सदस्यों, रोगियों एवं महिलाओं के प्रति इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट पर अत्यंत रुखा व्यवहार किया जब काफी देर रात में दिल्ली-इंदौर की उड़ान के रद्दीकरण के बारे में यात्रियों को सूचित किया गया और यात्रियों के ठहरने या उन्हें अपने घर वापस छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जब यात्रियों ने टिकट के रद्दीकरण का विकल्प दिया तो उन्हें धनराशि वापिस करने से इन्कार कर दिया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों को दिये गये ठेकों को भविष्य में निरस्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कदम कब तक उठाये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) लापता/खोये सामान, विलम्बों/उड़ान रद्द होने के मामलों में टिकटों की धन वापसी, एयरलाइन के स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं से इंकार करना, उड़ानों के विलंब के मामले में भोजन/जलपान न देना आदि के संबंध में यात्रियों से अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों यथा 2008, 2009 तथा 2010 (16.02.2010 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

एयरलाइनें	प्राप्त शिकायतों की सं.		
	2008	2009	2010 (16.02.2010 तक)
नैसिल (आई)	01	05	00
एलायंस एयर	00	00	00
जेट एयरवेज	09	29	05
जेटलाइट	13	13	01
एयर डेक्कन	20	09	00
किंगफिशर एयरलाइंस	05	24	04
स्पाइस जेट	12	21	07
गो एयर	07	12	03
पैरामाउंट	00	05	02
इंडिगो	09	19	08
एमडीएलआर	00	12	01

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा मामले की जांच की गई है। दिनांक 2 जनवरी, 2010 को दिल्ली से इंदौर की उड़ान खराब मौसम के कारण रद्द की गई थी। गो एयर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह पता लगने के बाद की इंदौर के लिए उड़ान भरना असंभव है, उन्होंने तत्काल सभी यात्रियों को इसकी सूचना दी और उन्हें किराए की पूरी धन वापसी या इंदौर के लिए अगले दिन की उड़ान उपलब्ध कराने का विकल्प दिया। आरंभ में 4 यात्रियों ने अगले दिन के लिए यात्रा करने का विकल्प दिया तथा शेष यात्रियों ने अगले दिन की यात्रा का विकल्प आरक्षित रखा। अगले दिन सभी यात्रियों ने धन वापसी का विकल्प चुना। सभी यात्रियों को किराए का पूरा धन वापसी की गई।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

3237. श्री इज्यराज सिंह:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेशकों की शिकायतों का निवारण न करने के आधार पर किसी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) जिन कम्पनियों के विरुद्ध मंत्रालय ने कम्पनी रजिस्ट्रार के माध्यम से विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान निवेशकों की शिकायतों का निवारण न करने के आधार पर कार्रवाई आरंभ की है, उनकी संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	कम्पनियों की संख्या
2006-07	22
2007-08	60
2008-09	81

[अनुवाद]

भेषज कंपनियों द्वारा दवाओं का उत्पादन

3238. श्री पूर्णमासी राम:
श्री के. सुगुमार:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ भेषज कंपनियों ने कथित तौर पर उन दवाओं का उत्पादन बंद कर दिया है जिनके मूल्य नियंत्रित हैं तथा नियंत्रण तंत्र से बचनें के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत उत्पादित खाद्य एवं पोषक घटकों का उत्पादन दवा के रूप में करने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार में संलिप्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को यह पता चला है कि कुछ कंपनियों ने अपने उत्पादों का निर्माण खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन औषधियों के स्थान पर खाद्य तथा पूरक आहार के रूप में करना शुरू कर दिया है और इससे वे मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हो गए हैं। इस संबंध में मैसर्स मर्क के एवियान 400 एमजी, मैसर्स रेनबेक्सी के रिवाइटल, मेसर्स ट्रिकियो के रिचार्ज पल्स, मेसर्स इन्डोचैम के साफ्ट जैड गोल्ड आदि की जानकारी मिली है। एनपीपीए ने उचित कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया है क्योंकि औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन औषधियों की संरचना एवं औषधि अपमिश्रण से संबद्ध मामला स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत के औषध महानियंत्रक के क्षेत्राधिकार में आता है।

नई रेल परियोजनायें

3239. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी आधारशिला गत एक वर्ष के दौरान रखी गयी है; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) संपूर्ण भारतीय रेलवे से विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विमानन क्षेत्र में रिक्त पद

3240. श्री राधा मोहन सिंह:
श्रीमती मीना सिंह:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में विमानन क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर श्रेणीवार कुल कितने पद रिक्त हैं तथा ये पद कब से खाली पड़े हैं;

(ख) क्या खाली पदों को समय से न भरे जाने के कारण मौजूदा स्टाफ पर कार्य भार बहुत अधिक है;

(ग) ये पद किन कारणों से रिक्त हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जूट प्रौद्योगिकी मिशन

3241. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जूट प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत राजसहायता की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वृद्धि का जूट प्रौद्योगिकी पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार ने पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मशीनरी एवं संयंत्र के अधिग्रहण संबंधी योजना (पूंजी सब्सिडी) के तहत सब्सिडी की सीमा को 3.5 करोड़ रु. प्रति मिल (सामान्य राज्यों के लिए वर्तमान मिलों के संबंध में) तक और 4 करोड़ रु. प्रति मिल (नई मिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की मिलों के संबंध में) तक बढ़ा दिया है क्योंकि योजना के तहत लाभ लेने के लिए पहले की सब्सिडी सीमा अपर्याप्त थी। सब्सिडी की सीमा को बढ़ाने से पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सब्सिडी की पर्याप्त राशि उपलब्ध होगी और इसमें आधुनिकीकरण में निवेश करने के लिए पटसन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

विमानपत्तन पर सुरक्षा में चूक

3242. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आईजीआई एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय आगमन टर्मिनल पर तीन लावारिस बैग पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये बैग हाल ही में पुणे विस्फोटक के बाद भारी सुरक्षा चौकसी के बीच पाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारी सुरक्षा चेतावनी के बावजूद सुरक्षा में कमी के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने हेतु अन्य प्रमुख कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 14 फवरी, 2010 को लगभग 1530 बजे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के बीडीसीएल दल को टर्मिनल-2 (अंतर्राष्ट्रीय) के टर्मिनल प्रबंधक से फोन प्राप्त हुआ कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कैंटीन के समीप आगमन कक्ष में 3 लावारिस बैग मिले हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का बीडीसीएस दल वहां पहुंचा और आईजीआई हवाईअड्डे के बम खतरे की आपातकालीन योजना के अनुसार आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया (आरएसपी) की कार्रवाई की। लावारिस बैगेज को क्लियर किया गया व उसे "सुरक्षित" घोषित किया गया था और लगभग 1700 बजे आईजीआई हवाईअड्डे के टर्मिनल प्रबंधक को सौंप दिया गया।

(ङ) कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। सतर्कता तथा नियमित रूप से की जाने वाली एंटी-सेबोटाज जांचों के कारण इन लावारिस बैंगों का पता लग पाया था।

(च) हाई अलर्ट की अवधि के दौरान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का बीडीडीएस दल अतिरिक्त अचानक जांचें करता है तथा हवाईअड्डे की सभी संवेदनशील क्षेत्रों की व्यापक एंटी-सेबोटाज जांचें भी करता है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारी भी आईजीआई हवाईअड्डे की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए हाई अलर्ट के दौरान और सामान्य स्थिति के दौरान भी जांच करते हैं।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की सूची में संशोधन

3243. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक बहुल जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की सूची में संशोधन/उन्नयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और आधारभूत सुविधा मानदंडों के संदर्भ में अल्पसंख्यक आबादी और परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर की गई है। अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित 90 जिलों की सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) इस स्तर पर पहले से अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची की समीक्षा/उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

श्रेणी 'क'

उन जिलों की सूची जो सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत सुविधा दोनों मानदंडों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं

क्र.सं.	उप-समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3	4
1.	1	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट कामेंग
2.	2	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुबंसिरी
3.	3	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग
4.	4	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
5.	5	असम	कोकराझार
6.	6	असम	धुबरी
7.	7	असम	गोलपारा
8.	8	असम	बोंगाईगांव
9.	9	असम	बारपेटा
10.	10	असम	दारंग
11.	11	असम	मारीगांव
12.	12	असम	नागांव
13.	13	असम	कछार
14.	14	असम	करीमगंज
15.	15	असम	हैलाकांडी
16.	16	असम	कामरूप
17.	17	बिहार	अररिया
18.	18	बिहार	किशनगंज
19.	19	बिहार	पुर्णिया
20.	20	बिहार	कटिहार
21.	21	बिहार	सीतामढ़ी
22.	22	बिहार	पश्चिम चम्पारन
23.	23	बिहार	दरभंगा
24.	24	झारखंड	साहिबगंज
25.	25	झारखंड	पकौर
26.	26	महाराष्ट्र	परभनी
27.	27	मणिपुर	थौबल
28	28	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स
29.	29	उड़ीसा	गजपती
30.	30	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर
31.	31	उत्तर प्रदेश	बदायूं
32.	32	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
33.	33	उत्तर प्रदेश	खीरी
34.	34	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
35.	35	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
36.	36	उत्तर प्रदेश	रामपुर
37.	37	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फूले नगर
38.	38	उत्तर प्रदेश	बरेली
39.	39	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
40.	40	उत्तर प्रदेश	बहराइच
41.	41	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
42.	42	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर

1	2	3	4
43.	43	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
44.	44	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
45.	45	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
46.	46	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
47.	47	पश्चिम बंगाल	मालदा
48.	48	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
49.	49	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
50.	50	पश्चिम बंगाल	नादिया
51.	51	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24-परगना
52.	52	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
53.	53	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार

श्रेणी 'ख'

उन जिलों की सूची जो सामाजिक-आर्थिक मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं

क्र.सं.	उप-समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3	4
54.	1	अरुणाचल प्रदेश	तावांग
55.	2	अरुणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग
56.	3	अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे
57.	4	दिल्ली	नॉर्थ ईस्टन
58.	5	हरियाणा	मेवात
59.	6	हरियाणा	सिरसा
60.	7	कर्नाटक	गुलबर्गा
61.	8	कर्नाटक	बीदर
62.	9	मध्य प्रदेश	भोपाल
63.	10	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
64.	11	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
65.	12	उत्तर प्रदेश	मेरठ
66.	13	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
67.	14	उत्तर प्रदेश	बागपत
68.	15	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
69.	16	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
70.	17	उत्तराखंड	हरिद्वार
71.	18	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
72.	19	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
73.	20	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

उप-श्रेणी 'ख 2'

उन जिलों की सूची जो आधारभूत सुविधा मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं

क्र.सं.	उप-समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3	4
74	1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार
75	2	असम	नॉर्थ कछार हिल्स
76.	3	जम्मू और कश्मीर	लेह (लद्दाख)
77.	4	झारखंड	रांची
78.	5	झारखंड	गुमला
79.	6	केरल	वेयानाद
80.	7	महाराष्ट्र	बुलढाना
81.	8	महाराष्ट्र	वाशिम
82.	9	महाराष्ट्र	हिंगोली
83.	10	मणिपुर	सेनापति

1	2	3	4
84.	11	मणिपुर	तमेंगलांग
85.	12	मणिपुर	चूड़चांदपुर
86.	13	मणिपुर	उखरूल
87.	14	मणिपुर	चंदेल
88.	15	मिजोरम	लांगटलाई
89.	16	मिजोरम	ममित
90.	17	सिक्किम	नॉर्थ

चीन को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल लाइन

3244. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को चीन के कुनमिंग शहर को नई दिल्ली से जोड़ने के लिए एक हाई स्पीड रेल लाइन विकसित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसे कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजसहायता का दुरुपयोग

3245. श्री मदन लाल शर्मा:
श्री संजय धोत्रे:
श्री हुक्मदेव नारायण यादव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक पर राजसहायता देने का क्या तर्क है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार कितने उर्वरकों पर राजसहायता उर्वरक इकाइयों को दी गई है;

(ग) क्या कुछ उर्वरक कंपनियों द्वारा वास्तविक उत्पादन आंकड़ों में कृत्रिम स्फीति दर्शा कर राजसहायता का दावा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ कंपनियों को मिलावटी उर्वरकों पर भी राजसहायता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) उर्वरकों पर राजसहायता के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने का तर्क किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति करना और उर्वरक क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश पर उचित प्रतिलाभ दर सुनिश्चित करना है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II के अनुसार है।

(ग) से (छ) उर्वरक विभाग द्वारा उत्पादकों/आयातकों को उर्वरकों पर राजसहायता, कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षक और राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में उर्वरकों की प्राप्ति/बिक्री के प्रमाणन के आधार पर प्रदान की जाती है। ये प्राधिकारी आपूर्ति किए गए उर्वरकों की मात्रा और गुणवत्ता का प्रमाणन करते हैं। पीडीआईएल भी एसएसपी की बिक्री का यथार्थता की जांच करने के लिए सभी एलएएपी उत्पादक इकाइयों का छमाही निरीक्षण करता है। हाल के वर्षों में, उर्वरक विभाग को कोई ऐसा मामला नहीं मिला है जिसमें किसी उर्वरक कंपनी द्वारा वास्तविक उत्पादन आंकड़ों को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ा कर उत्पादकों द्वारा राजसहायता प्राप्त करने का दावा किया गया हो। उर्वरक विभाग राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किए गए अवमानक उर्वरकों पर राजसहायता नहीं देता है। उर्वरक विभाग इस संबंध में राजसहायता की वसूली करता है। उर्वरक विभाग ने दिनांक 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति लागू की है, जो छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों पर लागू होती है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों, जिन पर उर्वरक इकाइयों को राजसहायता प्रदान की गई है (स्वदेशी पीएण्डके उर्वरक), की मात्रा

(मी. टन में)

कंपनी	2007-08			2008-09			2009-10		
	मिश्रित	डीएपी	योग	मिश्रित	डीएपी	योग	मिश्रित	डीएपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड-एन्नोर संयंत्र	208173.431		208173.431	162143.512		162143.512	182214.050		182214.050
कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड-काकीनाडा	33538.350	15837.450	49375.800	579464.500	439618.800	1019083.300	674372.015	560362.240	1234734.255
कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड-विशाखापत्तनम	753812.790		753812.790	718470.500		718470.500	886526.850		886526.850
दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि.	32138.000		32138.000	56795.000		56795.000	89313.000		89313.000
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रानवकोर लि.	465702.572		465702.572	511223.445		511223.445	518290.690		518290.690
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रानवकोर लि.-उद्योगमण्डल			0.000	213129.468		213129.468	207840.080		207840.080
गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	501547.000	505228.400	1006775.400			0.000			0.000
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि.	194157.050		194157.050	133008.400		133008.400	166467.700		166467.700
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.-फर्टिलाइजर नगर	142597.492	61617.308	204214.800	432711.701	62361.118	495072.819	269445.695		269445.695
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.-सिक्का	61542.990	834301.540	895844.530	42088.120	616529.317	658617.437		884950.267	884950.267
हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि.	21938.610	126300.800	148239.410		175268.950	175268.950		151303.200	151303.200
इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेवि लि.	1862263.719	728021.076	2590284.795	1631974.851	223622.609	1855597.460	1401857.985	728368.305	2130226.290
इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेवि लि.-पारादीप	404682.063	694782.090	1099464.153	849200.722	464819.098	1314019.820	1026806.415	316870.785	1343677.200
मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	39213.250	211009.231	250222.481	75037.300	160623.804	235661.104	79830.150	170919.050	250749.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	35183.500		35183.500			0.000			0.000
पारादीप फास्फेट्स लि.	387765.000	890696.930	1278461.930	545744.500	470074.800	1015819.300	420543.250	665903.950	1086447.200
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	489882.127		489882.127	502280.420		502280.420	405430.700		405430.700
साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि.	4696.500	72701.550	77398.050	6225.000		6225.000	165960.450		165960.450
टाटा केमिकल्स लि.	449808.650	225544.950	675353.600	395952.200	182073.700	578025.900	420976.450	180386.350	601362.800
जुआरी इण्डस्ट्रीज लि.	512627.750	222682.650	735310.400	370306.750	198070.250	568377.000	321425.150	318666.200	640091.350
एसएसपी इकाइयां			2299373.142			2582945.560			1791560.255
सकल योग	6601270.844	4588723.975	13489367.961	7225756.389	2993062.446	12801764.395	7237300.630	3977730.347	13006591.232

पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों, जिन पर उर्वरक इकाइयों को राजसहायता प्रदान की गई है (आयातित पीएण्डके उर्वरक) की मात्रा

(मी. टन में)

कंपनी	2007-08			2008-09			2009-10		
	एमओपी	डीएपी	योग	एमओपी	डीएपी	योग	एमओपी	डीएपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	33234.750	0.000	33234.750	45339.350	220855.400	266194.750	86490.050	141641.250	228131.300
कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड-इन्नोर संयंत्र	48420.755	0.000	48420.955	16686.000	64743.900	81429.900	44120.100	0.000	44120.100
कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड-काकीनाडा संयंत्र		0.000	0.000	29529.800	54736.400	84266.200	122524.550	0.000	122524.550
कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड-विशाखापत्तनम संयंत्र	25764.900		25764.900	11977.400		11977.400	83323.100		83323.100
दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	49723.050		49723.050	87713.750		87713.750	31218.200		31218.200
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	2942.306		2942.306	21417.110		21417.110	63126.120		63126.120
गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	4100.000		4100.000			0.000			0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कार्पो. लि.	100902.663	48656.840	149559.503	21674.400	0.000	21674.400		0.000	0.000
इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेटिव लि.	16299.140	236122.150	252421.290		2150362.115	2150362.115		1458966.210	1458966.210
इण्डियन पोटाश लि.	1694653.595	2285265.492	3979919.087	2854752.395	3448458.846	6303211.241	2575137.620	2845876.725	5421014.345
कृषक भारती को-ऑपरेटिव लि.		0.000	0.000		0.000	0.000	89731.565	114349.215	204080.780
मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	103272.360	0.000	103272.360	58821.882	64129.450	122951.332	57384.084	169721.113	227105.197
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	5241.000		5241.000			0.000	5472.000		5472.000
मोजेक इंडिया (प्रा.) लि.		251467.800	251467.800		333538.150	333538.150		356326.200	356326.200
नागार्जुन, फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.			0.000			0.000	66561.368		66561.368
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड			0.000			0.000	61081.280		61081.280
पारादीप फॉस्फेट्स लि.	80530.000	0.000	80530.000	129733.050	46766.250	176499.300	110882.700	112775.250	223657.950
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	279431.410	138543.090	417974.500	484465.990	119249.980	603715.970	429819.500	231311.000	661130.500
श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स	745.100	45.000	790.100		0.000	0.000		0.000	0.000
टाटा केमिकल्स लि.	152154.450	545.800	1252700.250	233094.750	160280.450	393375.400	146891.350	29375.450	176266.800
तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	2352.000	15287.500	17639.500		47871.050	47871.050		9289.770	9289.770
जुआरी इण्डस्ट्रीज लि.	228227.900	1124.500	229352.400	334137.900	246949.920	581087.820	376497.050	196553.850	573050.900
सकल योग	2827995.579	2977058.172	5805053.751	4329343.977	6957941.911	11287285.888	4350260.637	5666186.033	10016446.670

विवरण II

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

कंपनीवार मात्रा, जिस पर स्वदेशी यूरिया के लिए राजसहायता दी गई, को दर्शाने वाला विवरण–2007-08 से 2009-10

(मात्रा मी. टन में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	2007-08	2008-09	2009-10*
1	2	3	4	5
1.	बीवीएफसीएल-II	77947.600	58383.900	81614.900
2.	बीवीएफसीएल-III	252588.600	129872.391	130785.500

1	2	3	4	5
3.	सीएफसीएल-I	995033.822	920151.281	851378.310
4.	सीएफसीएल-II	994179.484	1009782.486	832148.755
5.	जीएनवीएफसी	670000.000	594496.300	582208.200
6.	जीएसएफसी	209567.890	236180.071	246009.785
7.	इफको आंवला-I	876009.100	986583.260	829829.750
8.	इफको आंवला-II	989675.300	1018439.654	830746.500
9.	इफको कलोल	544500.000	559787.350	511596.730
10.	इफको फूलपुर-I	629766.750	661249.550	599215.350
11.	इफको फूलपुर-II	924110.800	839839.875	822951.705
12.	इण्डो गल्फ	882215.600	1069830.850	905113.000
13.	कृभको	1749533.800	1744917.820	1487635.008
14.	केएसएफएल	906576.450	865539.600	798727.750
15.	एमसीएफएल	172839.200	379455.089	341717.150
16.	एमएफएल	426720.400	404618.040	419109.900
17.	एनएफसीएल-I	751379.700	771504.950	618941.100
18.	एनएफसीएल-II	596133.700	610983.700	580340.450
19.	एनएफएल-बठिण्डा	629266.900	537400.000	464405.700
20.	एनएफएल-नांगल	446947.125	514389.450	403288.200
21.	एनएफएल-पानीपत	462414.200	488456.800	426083.050
22.	एनएफएल विजयपुर-I	867413.600	921973.100	737268.700
23.	एनएफएल विजयपुर-II	870003.800	936505.600	786767.804
24.	आरसीएफ-थाल	1820722.150	1914748.498	1475248.750
25.	आरसीएफ-ट्राम्बे	0.000	0.000	236210.200
26.	एसएफसी	379000.000	394512.850	314506.600
27.	टाटा केमिकल्स	1071321.900	1011059.950	1056994.650
28.	जैडआईएल	389763.000	399201.350	359617.000
	योग	19585630.871	19979863.765	17730460.497

*मात्रा जिस पर मार्च 2010 तक राजसहायता प्रदान की गई।

उर्वरक जिस पर पिछले तीन वर्षों के दौरान राजसहायता उपलब्ध कराई गई है (सरकारी खाते से आयातित यूरिया), की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	मात्रा लाख मी. टन में
2007-08	69.27
2008-09	56.60
2009-2010	52.08

उत्तर प्रदेश में रेलवे परियोजनाएं

3246. श्री हर्ष वर्धन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश संबंधी जारी और लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के लिए उक्त परियोजनाओं हेतु आबंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली 8 नई लाइन, 6 आमान परिवर्तन, 18 दोहरीकरण और 7 विद्युतीकरण की चालू परियोजनाएं हैं।

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में पूर्णतः /आंशिक रूप से आने वाली परियोजनाओं पर लगभग 4402.40 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और वर्ष 2010-11 के लिए परियोजनाओं हेतु 1029.79 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं।

बाल शोषण पर रोक

3247. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाल दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने हेतु कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

3248. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1950-51 से 2007-08 तक रेलवे नेटवर्क के उन्नयन तथा विस्तार की वृद्धि दर क्या है तथा इसी अवधि के दौरान माल ढुलाई दरों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष औसतन कितने किलोमीटर नई रेल पट्टी बिछाई गई तथा चीन की तुलना में यह कितना है; और

(ग) स्वीकृत किलोमीटर लंबाई को शामिल करते हुए निर्माणाधीन पट्टी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रेल नेटवर्क का अपग्रेडेशन और विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है। 1950-51 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान, जहां भारतीय रेल का मार्ग किलोमीटर लगभग 0.29% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 53,596 किमी. से बढ़कर 63,273 किमी., रनिंग रेलपथ किलोमीटर 0.64% की सीएजीआर पर 59,315 किमी. से बढ़कर 85,158 किमी. और विद्युतीकृत मार्ग 6.99% की सीएजीआर पर 388 किमी. से बढ़कर 18,274 किमी. हो गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान मालभाड़ा दर (औसत दर प्रतिटन किमी.) 6.03% की सीएजीआर पर 3.16 पैसे से बढ़कर 89.04 पैसे हो गई है।

(ख) और (ग) 1950-51 से 2007-08 तक औसतन 169.77 किमी. का नई लाइन रेलपथ बढ़ाया गया था। रेल मंत्रालय द्वारा चाइना रेलवे के विस्तार से संबंधित कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। वर्तमान में 11 नई लाइन परियोजनाएं प्रगति पर हैं और पूरा होने पर ये मौजूदा नेटवर्क में लगभग 12,000 किमी. की बढ़ोत्तरी करेंगी। रेलवे ने नई लाइनों को बिछाने की दर को बढ़ा दिया है। रेलवे के विजन 2020 दस्तावेज में वर्ष 2020 तक 25,000 किमी. नई लाइन बिछाने का आकलन किया गया है। तदनुसार, बजट 2010-11 में नई लाइन बिछाने के 1,000 किमी. के संवर्द्धित लक्ष्य को दर्शाया गया है।

रसोई गैस वितरकों के विरुद्ध शिकायत

3249. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च से दिसंबर, 2009 की अवधि के दौरान दिल्ली में रसोई गैस उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के साथ गैस स्टोव खरीदने के लिए बाध्य करने हेतु गैस एजेंसियों/वितरकों के विरुद्ध उपभोक्ताओं तथा विभिन्न नागरिक मंचों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार की अवैध प्रथा चलाने के लिए डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को मार्च, 2009 और दिसंबर, 2009 के बीच दिल्ली में उपभोक्ताओं या नागरिक मंचों से अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध ऐसी कोई सिद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें उन्होंने नए कनेक्शन के साथ गैस स्टोवों की खरीद के लिए एलपीजी उपभोक्ताओं को मजबूर किया हो।

जब कभी ओएमसीज को नए नामांकित या प्रतीक्षा सूचीबद्ध ग्राहकों से मजबूरन स्टोव/हाट प्लेट खरीदने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनकी जांच की जाती हैं। यदि शिकायतें सिद्ध होती हैं, तो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

हथकरघा क्षेत्र को राजसहायता

3250. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र को कोई राजसहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो हथकरघा क्षेत्र को राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार 11वीं योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र में ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है, जो राजसहायता प्रदान करती हो। भारत सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा इसके बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:-

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(2) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(4) मिल गेट कीमत योजना

(5) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

इन योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा उत्पादों के विपणन, यार्न के परिवहन भाड़े की प्रतिपूर्ति तथा करघों व अनुषंगी वस्तुओं की खरीद, साझा सुविधा केन्द्र व डाई हाऊस, कार्य-शेड इत्यादि के निर्माण के लिए सहायता तथा वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराती है। गत 2 वर्षों के दौरान जारी वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2008-09	2009-10
1.	एकीकृत हथकरघा विकास योजना	108.98	115.57
2.	विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना	45.00	49.60
3.	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	124.87	119.80
4.	मिल गेट कीमत योजना	29.59	30.60
5.	विविधीकृत हथकरघा विकास योजना	16.00	13.72

एस.एफ.आई.ओ. की जांच रिपोर्ट

3251. डॉ. बलीराम: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच-कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) ने केतन पारेख घोटाले में शामिल सभी कम्पनियों की जांच रिपोर्ट भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) केतन पारेख घोटाले की 16 कम्पनियों की जांच का कार्य गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) को सौंपा गया था। उन्होंने सभी 16 जांचों का कार्य पूरा कर लिया है तथा उनकी रिपोर्टें मंत्रालय में प्राप्त हो गई हैं। जांच-रिपोर्टों के परीक्षण के पश्चात् 276 व्यक्तियों/एनटिटियों के विरुद्ध अभियोजन लगाए गए हैं तथा न्यायालयों में मामले भी दायर किए गए हैं।

नौपाडा-गुनुपुर ब्रॉड गेज रेल लाइन

3252. श्री वैजयंत पांडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य में नौपाडा-गुनुपुर ब्रॉड गेज रेल लिंक का विस्तार थेरूवली तक किए जाने की क्या स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना किस समयावधि में पूरी तथा चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) गुनुपुर-थेरुवली के लिए अद्यतन सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। कार्य अभी तक होना है।

[हिन्दी]

महिला कार्यकारी अधिकारी

3253. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

वर्तमान में देश में महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) की संख्या का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): फिलहाल, मंत्रालय द्वारा यह सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र में विदेशी निवेश

3254. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश की कई कंपनियों ने भारत में वस्त्र यूनिटों की स्थापना में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई 'सेल फ्राम इंडिया' नीति से इस क्षेत्र में कई विदेशी कंपनियां आकृष्ट हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जुटाने के लिए वर्ष 2008-09 में शुरू की गई योजना से स्विटजरलैंड, टर्की, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान से निवेश जुटाने का प्रयास किया गया है। योजना के तहत लक्षित देशों में रोड शो किए गए, इच्छुक क्रेताओं द्वारा भारत में प्रतिवर्ती दौरे किए गए, वस्त्र/उद्योग अग्रणियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की गई और प्रतिष्ठित कंपनियों ने वस्त्र विनिर्माण, वस्त्र मशीनरी, गारमेंटिंग और रिटेलिंग/ब्रांडिंग सहित भारतीय वस्त्र एवं क्लोदिंग क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दर्शाई है।

ट्रेड अप्रेन्टिसशिप की नियुक्तियां

3255. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) द्वारा विगत में ट्रेड अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से की गई नियुक्तियों का तथा नियुक्तियों की अवधि का संयंत्र-वार तथा ट्रेड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में सेल द्वारा विभिन्न ट्रेड में स्थायी नियुक्ति करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) कितने अप्रेन्टिसशिप की नियुक्तियां अभी तक लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) भिलाई (भिलाई इस्पात संयंत्र), दुर्गापुर (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एवं अलॉय इस्पात संयंत्र), बोकारो (बोकारो इस्पात संयंत्र) तथा सेलम (सेलम इस्पात संयंत्र) स्थित स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) के संयंत्र दि अप्रेन्टिसेज एक्ट, 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के लिए ट्रेड प्रशिक्षुओं को कार्य में लगा रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सेल के संयंत्रों में दिए गए प्रशिक्षण का संयंत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संयंत्र	ट्रेड प्रशिक्षुओं की संख्या
भिलाई इस्पात संयंत्र	87
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	47
राउरकेला इस्पात संयंत्र	48 (वर्तमान में प्रशिक्षणरत)
बोकारो इस्पात संयंत्र	392 (वर्तमान में 253 प्रशिक्षणरत)
अलॉय इस्पात संयंत्र	125
सेलम इस्पात संयंत्र	152 (वर्तमान में 22 प्रशिक्षणरत)

विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जैसेकि इलैक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, रिगर, टर्नर, वेल्डर आदि। ट्रेडों पर निर्भर करते हुए प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्षों के लिए बदलती रहती है।

(ख) वर्तमान में स्थायी नियुक्ति के लिए सेल आवश्यक क्षमता, कौशल, योग्यता, अभिरुचि श्रेष्ठता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए सक्षम कार्मिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी भर्ती नीति का अनुसरण करता है। वार्षिक मानव संसाधन योजना के जरिए अपेक्षाएं निश्चित की जाती हैं।

स्थानीय रोजगार कार्यालयों में संबंधित श्रेणियों के लिए रिक्तियों को अधिसूचित करके संयंत्र/इकाई स्तर पर एस1 तथा एस3 ग्रेडों में समेकित वृत्ति के आधार पर ट्रेनी रूट के जरिए गैर-कार्यपालक ग्रेड में भर्ती की जाती है। रोजगार समाचार पत्र एवं क्षेत्र के अग्रणी समाचार पत्रों में भी रिक्तियां प्रकाशित की जाती है। व्यापक सूचना के लिए रिक्तियां सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित एवं सेल की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है। रिक्तियों की अधिसूचना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांगों के लिए आरक्षण हेतु शासकीय दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित अभ्यार्थियों/विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले पात्र अभ्यार्थियों जैसा भी मामला हो कंपनी में नियुक्ति के लिए परीक्षा, साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच आदि से गुजरना पड़ता है।

(ग) और (घ) द अप्रेन्टिसेज एक्ट, 1961 के भाग 22 के अनुसार सेल के मामले में इसके अनेक संयंत्रों पर प्रशिक्षित ट्रेड प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान करना अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में न्यायालय के विभिन्न निर्णय एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश भी हैं।

कुद्रेमुख लौह अयस्क खानों को बंद किया जाना

3256. श्री मनोहर तिरकी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुद्रेमुख लौह अयस्क खान कब बंद की गई;

(ख) इसके बंद होने के बाद से कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न कार्यकलापों तथा प्रशासनिक तंत्र पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ग) कुद्रेमुख के खनन कार्यकलापों को पुन: शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह अयस्क खानों का खनन कार्य 31 दिसंबर, 2005 को बंद कर दिया गया था।

(ख) केआईओसीएल द्वारा किया जा रहा खर्च निम्नवत् है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	धनराशि
2005-06 (जनवरी, 2006 से मार्च, 2006)	1766.51
2006-07	5772.87
2007-08	5557.72
2008-09	9382.09
2009-10	7773.00

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय से विशेष अनुमति लिए बिना कुद्रेमुख में खनन कार्य पुन: आरंभ नहीं किए जा सकते, इसलिए खान को पुन: खोलने के लिए कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

3257. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे हजरत निजामुद्दीन-मानिकपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) 2447/2448 हजरत निजामुद्दीन-मानिकपुर उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के फेरों में सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन करने की घोषणा रेल बजट 2010-11 में कर दी गई है। रेल बजट में घोषित गाड़ियां वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वित कर दी जाती हैं।

[अनुवाद]

छट पटरियों वाली रेल लाइन

3258. श्री संजय निरुपमः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम रेलवे में विद्यमान चार पटरियों वाली रेल लाइन को छह पटरियों वाली रेल लाइन में बदलने की प्रक्रिया चल रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) चरण-II के अंतर्गत मुम्बई सेंट्रल से बोरिवली तक मौजूदा 5वीं लाइन (माहिम-सांताक्रुज को छोड़कर) में 6ठी लाइन जोड़ने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा एक परियोजना शुरू की गई है।

(ख) इस कार्य की समग्र लागत 522 करोड़ रुपये आंकी गई है।

(ग) एमयूटीपी चरण-II को मार्च 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

ठेकेदारों की बकाया राशि

3259. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने देश में पेट्रोल पंपों के निर्माण के लिए कई ठेकेदारों को बकाए का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कितने ठेकेदारों को बकाए का भुगतान किया गया है और आज की तिथि के अनुसार बकाया राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी) ने रिपोर्ट दी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके विभिन्न राज्य कार्यालयों के जरिए नए पेट्रोल पंपों के निर्माण का कार्य 2334 संविदाओं के माध्यम से पूरा किया गया है। इनमें से केवल 4 संविदाओं के अंतिम बिलों के भुगतान लंबित हैं जिनके लिए अंतिम प्रमापन की प्रक्रिया, दोष निवारण/प्रमाणन/प्रक्रिया चल रही है। इन 4 संविदाओं से संबंधित भुगतान इन भुगतानों के लिए प्रभावी संविदागत समय-सीमा के भीतर हैं। संविदा की जिन सामान्य शर्तों की अनुपालन की जा रही है उसके अनुसार संविदाकार से अंतिम बिल प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर कार्पोरेशन बिल की जांच करेगा, इसे सही करेगा और प्रमाणित करेगा। प्रमाणित अंतिम बिल के अनुसार भुगतान प्रमाणन की तारीख से 90 दिन के भीतर किया जाएगा।

[अनुवाद]

पेट्रोल पंपों का आधुनिकीकरण

3260. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम के किन-किन शहरों तथा कस्बों में पेट्रोल पंपों के आधुनिकीकरण सहित सीएनजी शुरू करने तथा परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण जैसे व्यापक प्रदूषण नियंत्रण उपाय सुनिश्चित किए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में गुवाहाटी तथा राज्य के कुछ अन्य कस्बों के लिए किसी विशिष्ट कार्य योजना पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में कंपनी-वार कितने पेट्रोल पंपों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है; और

(ङ) असम में शेष पेट्रोल पंपों के आधुनिकीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) असम में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पाइपलाइन ग्रिड की अनुपलब्धता के कारण, खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) पर सीएनजी की सुविधा शुरू नहीं की जा सकी। तीन शहरों नामतः गुवाहाटी, जोरहाट तथा तिनसुकिया में

4 आरओज पर आटो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुछ आरओज पर सामान्य पेट्रोल और डीजल के अलावा प्रीमियम ईंधन नामत: ब्रांडेड पेट्रोल तथा डीजल की भी बिक्री की जा रही है।

(घ) और (ङ) असम राज्य में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के 62 आरओज, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के 7 आरओज तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के 23 आरओ को आधुनिकीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 में आईओसीएल के 54 आरओज, बीपीसीएल के 5 आरओज तथा एचपीसीएल के 4 आरओज का आधुनिकीकरण किए जाने की योजना है। बाजार दशाओं, बिक्री संभाव्यता, स्थान की उपलब्धता के आधार पर तथा सांविधिक अनुमोदनों की प्राप्ति की शर्त पर चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल पंपों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

अमृतसर तथा चंडीगढ़ के बीच रेल सम्पर्क

3261. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अमृतसर तथा चंडीगढ़ के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइन को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पंजाब राज्य सरकार से अमृतसर और चंडीगढ़ के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अम्बाला, लुधियाना के रास्ते चंडीगढ़ और अमृतसर के बीच पहले ही रेल संपर्क उपलब्ध है। चंडीगढ़-लुधियाना रेल लाइन का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् इन दो शहरों के बीच रेल मार्ग छोटा हो जाएगा, जिसके संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी 2-3 वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

दत्तकग्रहण के लिए विधान

3262. श्री नीरज शेखर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाल दत्तकग्रहण के संबंध में एक व्यापक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विधि आयोग ने अपनी 53वीं रिपोर्ट में दूसरे देशों के साथ बाल दत्तकग्रहण के विनियमन की आवश्यकता को रेखांकित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

यात्रियों पर विकास शुल्क लगाया जाना

3263. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डी.आई.ए.एल.) दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विकास के लिए यात्रियों पर विकास शुल्क लगा रही है और जी.एम.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी इसका लाभ ले रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली का निजीकरण इस दृष्टि से किया गया था कि इसका समग्र विकास निजी कंपनी जी.एम.आर. समूह करेगी;

(घ) यदि हां, तो यात्रियों पर इस प्रकार का विकास शुल्क किस आधार पर लगाया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 31 जनवरी, 2010 तक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जी.एम.आर. डी.आई.ए.एल. द्वारा विकास शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि एकत्रित की गई;

(च) क्या डी.आई.ए.एल. की लेखा परीक्षा भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा की जा रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो डी.आई.ए.एल. की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त कंपनी का नाम और ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली की संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से पुनर्संरचना की गई है और ये हवाईअड्डा

मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दिया गया है। डायल ने हवाईअड्डे का विश्वस्तरीय मानकों के अनुसार आधुनिकीकरण करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। 1827 करोड़ रुपए के फंडिंग गैप को पूरा करने के उद्देश्य से परियोजना को समय पर पूरा करने की सर्वोच्च महत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्ष 1994 के अधिनियम की धारा 22क के अनुसार, विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर, 36 महीने की अवधि के लिए दिनांक 01.03.2009 से प्रत्येक प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री से 1300/- रुपये और प्रत्येक प्रस्थान करने वाले घरेलू यात्री से 200/- रुपए की दर से विकास शुल्क वसूल किए जाने पर मंजूरी दी है। इस प्रकार एकत्र निधियों का इस्तेमाल केवल ऐसी वैमानिकी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है जिन्हें लीज अवधि के समाप्त होने पर डायल द्वारा एएआई को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(ङ) मैसर्स डायल ने जनवरी माह 2010 तक विकास शुल्क के रूप में 503.52 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित की है।

(च) और (छ) डायल का ऑडिट एसआर बाटलीबोई एंड एसोसिएट्स तथा ब्रह्मैया एंड कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिनकी नियुक्ति संयुक्त रूप से एएआई तथा डायल द्वारा की गई है। तथापि, विकास शुल्क की प्राप्ति और उसकी उपयोगिता का ऑडिट एएआई द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र ऑडिटर मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रसायनों पर प्रतिबंध

3264. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपने मूल देश में प्रतिबंधित कई रसायनों का अपने देश में अभी भी उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) देश में रसायनों का आयात एवं निर्यात विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों/संधियों जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, द्वारा लगाए गए परिसीमन की शर्तों पर निर्भर है। तदनुसार, देश में किसी रसायन के उपयोग की तब तक अनुमति होती है जब तक यह किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अधीन भारत की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन नहीं करता है या इसका उपयोग विद्यमान किसी घरेलू कानून के अधीन प्रतिबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

नियंत्रित मूल्य तंत्र में सुपर फास्फेट को शामिल किया जाना

3265. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगल सुपर-फास्फेट के खुदरा मूल्यों को नियंत्रण मुक्त किए जाने के कारण सुपर-फास्फेट के मूल्यों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप खपत काफी प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुपर-फास्फेट को राजसहायता मूल्य तंत्र पर आधारित नियंत्रित मूल्य तंत्र में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उर्वरक विभाग ने 01.10.2009 में सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) के लिए तदर्थ रियायत देने हेतु संशोधित नीति लागू की थी, जिसमें एसएसपी के अधिकतम खुदरा मूल्य को उत्पादकों द्वारा स्वयं निर्धारित करने के लिए खुला रखा गया था। यह देखा गया था कि 01.10.2009 के बाद एसएसपी का अधिकतम खुदरा मूल्य 01.10.2009 से पहले के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक था। अब सरकार ने 01.04.2010 से फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के संदर्भ में पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति शुरू की है। इसमें एसएसपी भी शामिल होगी। एसएसपी के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति से देश में संस्थापित क्षमता उपयोग में वृद्धि होने की संभावना है। तदनुसार, यह संभावना भी है कि एसएसपी का अधिकतम खुदरा मूल्य 01.04.2010 से पहले प्रचलित अधिकतम खुदरा मूल्य से कम होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में ग्रीनफील्ड यूरिया परियोजना

3266. डा. अनूप कुमार साहा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी कंपनियों को प्रस्ताव एस्सार के रानीगंज सी.बी.एम. ब्लाक से फीड स्टॉक के रूप में ग्रीनफील्ड यूरिया परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या समीपवर्ती क्षेत्र में इस परियोजनार्थ अपेक्षित भूमि की पहचान कर ली गई है तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसे आबंटित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना से संबंधित नीतिगत मुद्दों के बारे में उर्वरक विभाग के शीर्ष अधिकारियों तथा उक्त समूह के बीच बैठक हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) मैसर्स मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (एमसीएफएल) जो मैसर्स मैट्रिक्स ग्रुप की एक कंपनी है ने कोल बेड मिथेन (सीबीएम) गैस, जिसकी उन्हें एस्सार ऑयल लिमिटेड रानीगंज सीबीएम ब्लॉक द्वारा आपूर्ति की जाएगी, के आधार पर प्रतिवर्ष एक मिलियन मिट्रिक (1 मिलियन एमटीपीए) टन की ग्रीनफील्ड गैस आधारित अमोनिया-यूरिया परियोजना की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि की निशानदेही कर ली है।

(घ) और (ङ) कंपनी के प्रतिनिधियों ने उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उर्वरक विभाग द्वारा यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए 4 सितंबर, 2008 को अधिसूचित की गई नई निवेश नीति में सुधार के लिए सुझाव दिए, जिन पर विचार किया जा रहा है।

चेन्नई में लिंकेज प्रोजेक्ट

3267. श्री टी.आर. बालू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चेन्नई सेन्ट्रल तथा चेन्नई इग्मोर के बीच लिंकेज परियोजना की क्या स्थिति है; और

(ख) इस प्रस्तावित परियोजना का कार्य कब तक शुरू तथा पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस संरेखण के लिए राज्य सरकार की भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। संरेखण पर सहमति के लिए तमिलनाडु सरकार की क्लीयरेंस मांगी गयी है। इसी बीच, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) चेन्नई पोर्ट और मंडुरावोयल के कार्गो को जोड़ने के लिए उत्थापित एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सामने आया है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पून्नामाले हाई रोड के साथ कूअम नदी संरेखण का पालन करेगा। चूंकि चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एग्मोर बड़ी लाइन (बला) संपर्क दो मुख्य परियोजनाओं के अंतर्गत संरेखण के साथ आपस में टकराएगा, इसलिए राज्य सरकार ने उल्लेख किया है कि वह चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एग्मोर के बीच बड़ी लाइन के संपर्क के लिए अपनी स्वीकृति देने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

उदयावांगा रेलवे क्रासिंग पर दुर्घटना

3268. श्री अशोक कुमार रावत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के शिवराजपुर ब्लॉक में उदयावांगा रेलवे क्रासिंग पर मार्च, 2010 में हुई रेल दुर्घटना में हताहतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या शोक संतप्त परिवारों के निकटतम संबंधी को किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर तथा कानपुर जिलों में स्थित बिना फाटक वाले समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 09.03.2010 को 16.00 बजे, जब मालगाड़ी संख्या अप बीसीएन एम्पटी स्पेशल मुरादाबाद मंडल के शाहजहांपुर-सीतापुर छावनी खंड पर मोहाली और हेमपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी, तो उदयावांगा

में बिना चौकीदार वाले समपार संख्या 40 सी में एक ट्रैक्टर ट्राली घुस गई और सामने से आ रही रेलगाड़ी के इंजन से टकरा गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्राली के चालक की मृत्यु हो गई।

(ख) और (ग) उपर्युक्त दुर्घटना में विभागीय जांच की गई है और इस दुर्घटना के लिए सड़क उपयोगकर्ता (ट्रैक्टर ट्राली चालक) की लापरवाही मानी गई है।

(घ) और (ङ) बिना चौकीदार वाले समपार पर उपर्युक्त दुर्घटना में हताहत सड़क उपयोगकर्त्ता के परिवार को कोई क्षतिपूर्ति अनुमेय नहीं है।

(च) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। चौकीदार तैनात करने के काम में तेजी लाने के लिए एक नीतिगत निर्णय भी लिया गया है।

डालमिया नगर में रेल कोच फैक्टरी

3269. श्री महाबली सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008 में उत्तर-मध्य रेलवे के अंतर्गत डालमिया नगर/डेहरी ऑन सोन में रेल कोच विनिर्माण फैक्टरी की आधारशिला रखी गई थी और इसके लिए धनराशि भी जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त फैक्टरी के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कोच फैक्टरी से संबंधित निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) डालमियानगर में रेल कोच विनिर्माण कारखाना स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, वर्ष 2007-08 में 97 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत डालमियानगर में उच्च क्षमता, उच्च धुरा भार वाले माल डिब्बों के लिए फ्रेट बोगी और कपलर विनिर्माण के लिए संयंत्र स्वीकृत किया गया था।

इस संयंत्र का शिलान्यास 22.11.2008 को माननीय रेल मंत्री द्वारा किया गया था। वर्ष 2007-08 में 1 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

(ख) और (ग) कारखाने को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर स्थापित किया जाना है। इस संयंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली प्रौद्योगिकी भारतीय रेल द्वारा अभी प्राप्त की जानी है। नई प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण होने पर प्रगति आरंभ होगी।

[अनुवाद]

सिल्वर विमानपत्तन पर 'नाइट लैंडिंग' प्रणाली

3270. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अरसा पहले सिल्वर विमानपत्तन पर 'नाइट लैंडिंग' प्रणाली की संस्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने काम करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे दीर्घकाल तक लंबित रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक प्रचालन में आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) विस्तारित रनवे सहित रनवे ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं को दिनांक 28.10.2009 से आरम्भ किया गया है। उपकरण अवतरण प्रणाली को दिनांक 12.4.2010 से आरम्भ किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वाद नीति

3271. श्री अर्जुनराम मेघवाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वाद नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किस तरह त्वरित न्याय प्रदान किए जाने की आशा है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) न्यायिक सुधारों के लिए ''राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन'' नामक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मिशन, राष्ट्रीय मुकदमा नीति के आरंभ करने का प्रस्ताव करता है जो पृथक रूप से आरंभ की जाएगी और जो उन मामलों का निपटान करेगी जहां केन्द्रीय सरकार एक पक्षकार है। न्यायिक सुधारों के लिए ब्लूप्रिंट न्याय विभाग की वेबसाइट (www.lawmin.nic.in) पर उपलब्ध है।

खंडवा विमानपत्तन

3272. श्री देवराज सिंह पटेल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में खंडवा विमानपत्तन को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किये अद्यतन अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है कि खंडवा हवाईअड्डे को, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए 30 साल के लिए पट्टे पर मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाए।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड को सशक्त बनाना

3273. श्री मनीष तिवारी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड (पीएनजीआरबी) प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने तथा चलाने के लिए कंपनियों को अधिकृत करने हेतु शक्ति संपन्न नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 16 को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण न्यायालय उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा 1 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचित के माध्यम से इस अधिनियम के सभी उपबंधों को अधिसूचित किए जाने के बावजूद भी इस अधिनियम की धारा 16 को अधिसूचित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम की धारा 16 को निरस्त करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस अधिनियम में यथा परिकल्पित पीएनजीआरबी बोर्ड के सभी सदस्यों को नियुक्त नहीं करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सी) संख्या 8415/2009 तथा 9022/2009 में दिनांक 21.10.2010 के अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के खंड 16 की गैर-अधिसूचना की दृष्टि से, बोर्ड को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने अथवा विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है।

(घ) उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं किया गया क्योंकि यह मानना था कि इससे ऐसी कंपनियों को अनभिप्रेत लाभ प्राप्त होंगे जिन्होंने केन्द्र सरकार के उचित प्राधिकार के बिना नगर गैस वितरण परियोजनाओं को शुरू किया होता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार ने पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 3(3) की अपेक्षा के अनुसार सदस्य (विधि) सहित, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त किया है।

[हिन्दी]

विमानन सुविधाओं का विस्तार

3274. श्री हरीश चौधरी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन के उन्नयन/विस्तार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है ताकि छोटे और मध्यम शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जा सके;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य योजना से इन क्षेत्र में नागर विमानन क्षेत्र के समग्र विकास में किस सीमा तक मदद मिली है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पूरे देश में स्थित छोटे और मध्यम श्रेणी के कई हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन/विस्तार किये जाने का कार्य लिया गया है। हवाईअड्डों की सूची तथा लिये गए कार्यों की स्थिति संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) हवाईअड्डों के विकास तथा स्तरोन्नयन होने से एयरलाइनों को गैर मेट्रो हवाईअड्डों को मेट्रो हवाईअड्डों से जोड़ने में सहायता मिलेगी तथा देश के छोटे एवं मध्यम हवाईअड्डों को भी, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जोड़ने में सहायता मिलेगी। जिससे क्षत्र के विकास में मदद मिलेगी।

विवरण

35 गैर मेट्रो हवाईअडडों के विकास की स्थिति

(मार्च, 2010 को)

क्र.सं.	हवाईअड्डा	सिटी साईड/टर्मिनल भवन का कार्य	विमान क्षेत्र कार्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आगरा	टर्मिनल भवन का नवीकरण-कार्य पूर्ण	-एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	
2.	अगरतला	-तकनीकी खंड का निर्माण-कार्य पूर्ण	-एप्रन का विस्तार -मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण-कार्य पूर्ण	
3.	अहमदाबाद	-घरेलू (आगमन/प्रस्थान)-कार्य पूर्ण 1600 यात्रियों को संभालने वाले टर्मिनल भवन - कार्य प्रगति पर, पीडीसी अप्रैल, 2010 पैदल पारपथ अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल एवं घरेलू टर्मिनल को जोड़ने वाला वाक वे-पीडीसी अप्रैल 2010 -नए कंट्रोल टॉवर एवं तकनीकी खंड-योजना स्तर पर	नया अंतर्राष्ट्रीय एप्रन-कार्य पूर्ण घरेलू एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण -आंशिक समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	राज्य सरकार से 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण
4.	अमृतसर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण -टर्मिनल भवन फेस 2 का माड्यूलर विस्तार-कार्य पूर्ण	रनवे का विस्तार-कार्य पूर्ण अतिरिक्त 4 बे के लिए एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	प्रचालन के लिए तैयार प्रचालन के लिए तैयार
5.	औरंगाबाद	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण -दो यात्री बोर्डिंग ब्रिजो का संस्थापन-कार्य प्रगति पर पीडीसी अप्रैल 2010	-नया एप्रन-कार्य पूर्ण -रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार-कार्य पूर्ण	अप्रैल 09 में प्रचालन के लिए तैयार
6.	भोपाल	-नए विस्तार योग्य माड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-पीडीसी जुलाई, 2010	-रनवे का विस्तार-कार्य पूर्ण -लिंक टैक्सी वे एवं आइसोलेशन बे के विस्तार सहित नए एप्रन का निर्माण-पीडीसी जून, 2010	

1	2	3	4	5
7.	भुवनेश्वर	-घरेलू टर्मिनल भवन का निर्माण-निविदा स्तर पर	-एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	
8.	कालीकट	-अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आशोधन-कार्य पूर्ण	-मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार-कार्य पूर्ण ईएमएएस (इंजीनियर्ड मैटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम) के अलावा	
9.	चंडीगढ़	-नए टर्मिनल भवन का निर्माण-पीडीसी अगस्त, 2010		
10.	कोयम्बतूर	-मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आशोधन-पीडीसी जून, 2010	-आंशिक समानांतर टैक्सी वे का निर्माण, एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	
		-नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-योजना स्तर पर	-पुराने एप्रन का सुदृढ़ीकरण एवं इससे जुड़े कार्य-कार्य पूर्ण -रनवे का विस्तार-योजना स्तर पर	बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि सौंप दी जाए।
11.	देहरादून	-नए टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण	-रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार-कार्य पूर्ण -एप्रन का निर्माण-कार्य पूर्ण	
12.	डिब्रुगढ़	-टर्मिनल भवन-कार्य पूर्ण	-नए एप्रन का कार्य पूर्ण -रनवे का सुदृढ़ीकरण-पीडीसी मई, 2010 -रनवे का विस्तार-सेना से भूमि ली जानी है इसलिए इसे स्थगित रखा गया।	
13.	गोवा	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	-दो लिंक टैक्सी सहित समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण -दो रैपिड एक्जिट टैक्सी वे का निर्माण	
14.	गुवाहाटी	-मौजूदा टर्मिनल भवन में आशोधन-कार्य पूर्ण -अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण-योजना स्तर पर	-रनवे, एप्रन, आइसोलेशन बे का विस्तार-कार्य पूर्ण -समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण-योजना स्तर पर	भारतीय वायु सेना से एनोसी की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
15.	इंदौर	-एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण -पीडीसी मई, 2010	-रनवे का विस्तार, नए एप्रन तथा लिंक टैक्सी वे का निर्माण -कार्य पूर्ण	
16.	इम्फाल	-एकीकृत भवन का आशोधन-पीडीसी जून, 2010	-एप्रन तथा लिंक टैक्सी वे का विस्तार -पीडीसी जून, 2010	
17.	जयपुर	-नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण	-नए एप्रन, लिंक टैक्सी ट्रैक तथा आंशिक समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण-कार्य पूर्ण	पहली जुलाई, 2009 को आरंभ
		-नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार-योजना स्तर पर	-नरवे का विस्तार-योजना स्तर पर	
18.	खजुराहो	-टर्मिनल भवन का निर्माण-पीडीसी दिसम्बर, 2010	-नए एप्रन, लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण-कार्य पूर्ण	एजेंसी के कार्य निष्पादन न किए जाने की वजह से ठेके को रद्द कर दिया गया। नई निविदा आमंत्रित की जा रही है।
19.	लखनऊ	-नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन, कार पार्क का निर्माण-पीडीसी जून, 2010	-नए एप्रेन का निर्माण/मौजूदा एप्रन, रैपिड टैक्सी ट्रैक, समानांतर टैक्सी ट्रैक का विस्तार-कार्य पूर्ण	
20.	मदुरै	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण-पीडीसी मार्च, 2010 -कंट्रोल टावर एवं तकनीकी खंड-योजना स्तर पर	-रनवे, नए एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण -समानांतर टैक्सी ट्रैक-योजना स्तर पर	बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जाए।
21.	मंगलुरू	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण	-रनवे का विस्तार-कार्य पूर्ण	
22.	मैसूर	-टर्मिनल भवन, तनकीकी खंड एवं कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन आदि का निर्माण-कार्य पूर्ण	-रनवे के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। -रनवे का विस्तार-योजना स्तर पर	बशर्ते कि राज्य सरकार से शेष भूमि उपलब्ध हो जाए।
23.	नागपुर	-नए अंतर्राष्ट्रीय आगमन हॉल का निर्माण+मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार-कार्य पूर्ण	-नए तकनीकी खंड एवं कंट्रोल टावर का प्रावधान-योजना स्तर पर	

1	2	3	4	5
24.	पोर्टब्लेयर	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-योजना स्तर पर	-एप्रन का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार-कार्य पूर्ण	
25.	पुणे	-800 यात्रियों को संभालने के लिए टर्मिनल भवन का लैटरल विस्तार	-समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण तथा एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	एयरसाइड कॉरीडोर के अलावा भवन का प्रमुख क्षेत्र प्रचालन के लिए तैयार हो गया है (94% कार्य पूर्ण)
26.	रायपुर	-दो एयरोब्रिज सहित एक ही समय पर 700 यात्रियों (300 अंतर्राष्ट्रीय +400 घरेलू) को संभालने के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-पीडीसी सितम्बर, 2010 -बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए हवाईअड्डे का विकास-योजना स्तर पर	-रनवे तथा नए एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा यातायत की मांग के लिए 2440 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी जाए।
27.	रांची	-दो एयरोब्रिज सहित एक ही समय पर 700 यात्रियों (250 आगमन+ 250 प्रस्थान) घरेलू एवं (100 आगमन+100 प्रस्थान) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संबालने के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-पीडीसी सितम्बर, 2010	-एप्रन का विस्तार/ सुदृढ़ीकरण-कार्य पूर्ण	
28.	श्रीनगर	-टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आशोधन-कार्य पूर्ण	-एप्रन का विस्तार-जून, 2010 -कार्गो परिसर का निर्माण-योजना स्तर पर -कार पार्क का विस्तार	
29.	सूरत	-नया टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण	-रनवे तथा एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	
30.	त्रिवेन्द्रम	-नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण	-आंशिक समानांतर टैक्सी ट्रैक-कार्य पूर्ण	राज्य सरकार से संबंधित कार्य लंबित है।
31.	त्रिची	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण	-रनवे का विस्तार-कार्य पूर्ण	बशर्ते कि अर्जित की जाने वाली भूमि का प्रावधान हो।
32.	उदयपुर	-नए टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण -तकनीकी खंड तथा कंट्रोल टावर का निर्माण-पीडीसी जून, 2010	-नए एप्रन, लिंक टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन बे (चरण-1) का निर्माण-कार्य पूर्ण -रनवे का विस्तार-कार्य पूर्ण	

1	2	3	4	5
33.	विशाखापटनम	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण	-एप्रन-कार्य पूर्ण	
34.	वाराणसी	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण-पीडीसी अप्रैल, 2010	-रनवे का विस्तार-कार्य पूर्ण -एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	
35.	वड़ोदरा	-नए एकीकृत टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण-निविदा स्तर पर	-रात्रि पार्किंग के लिए एप्रन-कार्य पूर्ण -समानांतर टैक्सी वे का निर्माण-कार्य पूर्ण	

अन्य 13 हवाईअड्डों के विकास की स्थिति

(मार्च, 2010 को)

क्र.सं.	हवाईअड्डा	सिटी साईड/टर्मिनल भवन का कार्य	एयर साईड कार्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अगाती/लक्षद्वीप	नए टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण तकनीकी भवन एवं कंट्रोल टावर तथा फायर स्टेशन का निर्माण-कार्य पूर्ण रनवे का विस्तार, नए एप्रन का निर्माण, टर्मिनल भवन का रिलोकेशन, कंट्रोल टावर/तकनीकी खंड-योजना स्तर पर	रनवे का विस्तार, नए अप्रेन का निर्माण-कार्य पूर्ण	प्रस्थान खंड पूर्ण। रनवे में विस्तार किए जाने के कारण आगमन खंड का कार्य स्थगित। बशर्ते कि लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा अतिरिक्त भूमि का प्रावधान कर दिया जाए।
2.	अकोला	मौजूदा टर्मिनल भवन एवं अन्य संबद्ध भवनों का आशोधन-कार्य पूर्ण कंट्रोल टावर एवं तकनीकी खंड का निर्माण-योजना स्तर पर	रनवे का विस्तार-योजना स्तर पर एप्रन का विस्तार-कार्य पूर्ण	बशर्ते कि राज्य सरकार से भूमि अर्जित की जाए।
3.	बेलगाम	मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आशोधन-कार्य पूर्ण नए टर्मिनल भवन का निर्माण-योजना स्तर पर	रनवे का विस्तार-योजना स्तर पर	बशर्ते कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जाए।
4.	कूच बिहार	नए टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण	रनवे का सुदृढ़ीकरण-कार्य पूर्ण	नदी के पार 600 मीटर × 200 मीटर की हवाईपट्टी सहित 28.86 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई है। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
5.	दीमापुर	टर्मिनल भवन की फेस लिफ्टिंग के लिए कार्य के स्कोप तथा सिटी साइड के विकास कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	एप्रन का विस्तार तथा लिंक टैक्सी वे का निर्माण- पीडीसी जून, 2010	
6.	गोंदिया	नए टर्मिनल भवन का निर्माण- कार्य पूर्ण यात्री लाउंज (25 यात्रियों के लिए), फायर स्टेशन, आवासीय क्वार्टर का निर्माण-कार्य पूर्ण	एक हैंगर का निर्माण- कार्य पूर्ण। फायर स्टेशन, चारदीवारी, कंट्रोल टावर का निर्माण-कार्य पूर्ण रनवे, आंशिक समानांतर टैक्सी ट्रैक का विस्तार- कार्य पूर्ण	
7.	हुबली	मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार एवं आशोधन-कार्य पूर्ण नए टर्मिनल भवन का निर्माण- योजना स्तर पर	रनवे का विस्तार। बशर्ते कि भूमि उबलब्ध हो जाए- योजना स्तर पर	बशर्ते कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो तथा राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध हो जाए।
8.	जम्मू	टर्मिनल भवन का आशोधन- दिसम्बर, 2010 (योजना स्तर पर) नए सिविल एयर टर्मिनल परिसर का निर्माण-योजना स्तर पर। अर्जित कर ली जाए।	रनवे तथा एप्रन का विस्तार-योजना स्तर पर।	सेना से भूमि लिए जाने के कारण लंबित।
9.	कुल्लू	नए टर्मिनल भवन का निर्माण- कार्य पूर्ण	रनवे का पुनर्सतहीकरण। नए एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण	
10.	पटना	नए टर्मिनल भवन आइसोलेशन बे तथा नए फायर स्टेशन का निर्माण- योजना स्तर पर		बशर्ते कि राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो।
11.	राजामुंदरी	नए टर्मिनल भवन का निर्माण- पीडीसी जून, 2010	रनवे का विस्तार- योजना स्तर पर	बशर्ते कि राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध हो।
12.	राजकोट	नए टर्मिनल का निर्माण-योजना स्तर पर	रनवे का विस्तार- योजना स्तर पर	(बशर्ते कि रेलवे बोर्ड द्वारा 21 हेक्टेयर की अपेक्षित भूमि उपलब्ध करा दी जाए तथा राज्य सरकार द्वारा राजकोट- जामनगर राजमार्ग का डायवर्जन कर दिया जाए)
13.	विजयवाड़ा	नए टर्मिनल भवन का निर्माण- योजना स्तर पर	रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण- कार्य पूर्ण	

अतिरिक्त 10 हवाईअड्डे

(मार्च, 2010 को)

तिरूपति	
रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा एप्रन का विस्तार	कार्य पूर्ण
आईएलएस की स्थापना	कार्य पूर्ण
नया एकीकृत टर्मिनल भवन	योजना स्तर पर
तूतीकोरिन	
एबी-320 श्रेणी के विमानों के प्रचालन हेतु रनवे एवं इससे संबद्ध सुविधाओं का विस्तार	योजना स्तर पर। 650 एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए तमिलनाडु सरकार को मास्टर प्लान भेजा गया है।
पुडुचेरी	
एटीआर-72 किस्म के विमानों तथा इसके पश्चात एप्रन समेत एबी-320 किस्म के विमानों के प्रचालन के लिए 150 मी. × 45 मी. के रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, जिसमें एप्रन बेसिक स्ट्रिप को 300 मीटर चौड़ा किया जाना शामिल है।	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए पुडुचेरी सरकार ने एटीआर 72 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए रनवे के विस्तार हेतु हवाईअड्डे की पूर्वी ओर 50 एकड़ भूमि सौंप दी गई है। पुडुचेरी सरकार से शेष भूमि सौंपने का अनुरोध किया जा रहा है। एटीआर 72 प्रचालनों के लिए 19.80 करोड़ रुपए की लागत से रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य आदेश जारी किये गए। कार्य पूर्ण।
बागडोगरा	
चरण 1 4 (ए-321), 1 (आईएल-76) तथा 2 हेलीकॉप्टरों की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार	कार्य पूर्ण
जैसलमेर	
3 पार्किंग स्टेंडो-सी टाईप के लिए नए एप्रन का निर्माण	कार्य प्रगति पर, प्रगति 15%
नए टर्मिनल भवन का निर्माण	योजना स्तर पर
सिल्चर	
रनवे का दोनों ओर 7500 फूट तक विस्तार	एक ओर का विस्तार पूर्ण (150 मीटर) भारतीय वायु सेना की ओरसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा में दोनों ओर का कार्य रोका गया।
कडप्पा	
रनवे, एप्रन, टैक्सी-वे, कम्पाउंड वाल का निर्माण तथा संबद्ध कार्य	एटीआर 72 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए रनवे तथा एप्रन से संबंधित कार्य पूर्ण। प्री-फब्रिकेटेड टर्मिनल भवन, तकनीकी ब्लॉक व कंट्रोल टॉवर तथा फायर स्टेशन का कार्य अंतिम अवस्था में। निविदा प्रक्रिया प्रगति पर।

वारंगल	
एटीआर श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का विकास	आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 2007 में समझौता ज्ञापन किया गया। 2008 में आंध्र प्रदेश सरकार को 438 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता प्रत्यासित की गई। भूमि के हस्तांतरण की प्रतीक्षा है।
पंतनगर	
एटीआर 72 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए रनवे का विस्तार, टर्मिनल भवन का नवीकरण और ग्राउंड लाईटिंग का प्रावधान पूर्ण	कार्य पूर्ण
लेह	
सिविल एप्रन, कार पार्किंग का निर्माण	कार्य पूर्ण
नए टर्मिनल भवन का निर्माण	ड्राईंग का अंतिम रूप दिया गया। भारतीय वायु सेना की ओर से भूमि के हस्तांतरण की प्रतीक्षा।

[अनुवाद]

समेकित सुरक्षा योजना

3275. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्रीमती मीना सिंह:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित सुरक्षा योजना लागू करने के लिए चुने गए रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं; और

(ख) उक्त परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है तथा उक्त योजना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस प्रयोजनार्थ 202 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जोन	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
1	2	3	4
1.	मध्य रेलवे	11	भुसावल, नासिक रोड, मनमाड, चालीसगांव, जलगांव, अकोला, मुर्तजापुर, बडनेरा, नागपुर, पुणे, मिरज
	मुम्बई क्षेत्र	07	छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (मुख्य लाइन और उपनगरीय) दादर, कुर्ला, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, थाणे और कल्याण
2.	पूर्व रेलवे	04	मालदा, वर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर
	कोलकाता क्षेत्र	07	सियालदह, कोलकाता (टी), बिधाननगर, माजेरहाट, बालीगंज, दमदम, हावड़ा
3.	कोलकाता मेट्रो	23	दमदम जं., बेलगछिया, श्याम बाजार, सोवा बाजार, गिरीश पार्क, महात्मा गांधी रोड, सेंट्रल, चांदनी चौक, एस्प्लानिड, पार्क स्ट्रीट मैदान, रवीन्द्र सदन, नेताजी भवन, जतिन दास पार्क, कालीघाट, रवीन्द्र सरोवर, टालीगंज, कुडघाट, बांसुन्द्रम, नाकताला, गरिया बाजार, बिरजी (पहले का प्रणव नगर) न्यू गरिया

1	2	3	4
5.	पूर्व मध्य रेलवे	07	धनबाद, मुगलसराय, पटना जं. राजेन्द्र नगर, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, रक्सौल
6.	उत्तर रेलवे	28	लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, श्रीनगर, बडगांव, अनंतनाग, जम्मू तवी, उधमपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, सहारनपुर, कालका, भटिण्डा, चंडीगढ़, पटियाला, बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार, चक्कीबैंक, ब्रिजबेहरा, पंजगाम, अबंतीपुरा, काकापोर, पामपोर, राजवंशर
	दिल्ली क्षेत्र	10	नई दिल्ली, दिल्ली मेन, ह. निजामुद्दीन, शहादरा, तिलक ब्रिज, सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, शिवाजी ब्रिज, आनन्द विहार, गाजियाबाद
7.	उत्तर मध्य रेलवे	05	आगरा, मथुरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद
8.	पूर्वोत्तर रेलवे	03	लखनऊ, गोरखपुर, छपरा
9.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	16	गुवाहाटी, दीमापुर, न्यू जलपाईगुड़ी, डिफु, लमडिंग, मैंबोंग, कटिहार, किशनगंज, सिलीगुड़ी, कोकराझार, न्यू तिनसुकिया, सिमलगुड़ी, जोरहट टाउन, मरीयानी, फरकटिंग, डिब्रूगढ़
10.	उत्तर पश्चिम रेलवे	04	जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर
11.	दक्षिण रेलवे	14	त्रिवेन्द्रम, एर्णाकुलम, कोयम्बतूर
12.	दक्षिण मध्य रेलवे	03	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, तिरुपति
13.	दक्षिण पूर्व रेलवे	11	खड़गपुर, रांची, टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसूगुडा, बोकारो, पुरुलिया, आद्रा, मुरी, मिदनापुर
14.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	03	बिलासपुर, रायपुर, गोंदिया
15.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	03	बेंगलूरु, यशवंतपुर, मैसूर
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	02	भोपाल, इटारसी
17.	पश्चिम रेलवे मुम्बई क्षेत्र	32	चर्चगेट, मैरिन ड्राइव, चर्नी रोड, ग्रांट रोड, मुम्बई सेंट्रल, महालक्ष्मी, लोअर परेल, एलफिस्टन रोड, दादर, माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा लोकल, बांद्रा टर्मिनस, खार रोड, सांताक्रुज, विले पार्ले, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांडीवली, बोरीवली, दहीसर, मीरा रोड, भयंदर, नयागांव, बसई रोड, नालासोपारा, विरार, पालघर, बोईसर, दहानुरोड

(ख) अनुमानित व्यय 353 करोड़ रु. है। इसे 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा।

वस्त्र निर्यात

3276. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री आर.के. सिंह पटेल:
श्री रमेश बैस:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बड़े देशों के क्या नाम हैं जहां पर भारतीय वस्त्रों तथा कपड़ों से बनी चीजों का निर्यात किया जात है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान वस्त्र निर्यात के लिए खण्डवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय वस्त्र एवं क्लोदिंग उत्पादों के लिए प्रमुख देश अमरीका, यू.के., यूरोपीय संघ देश और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्रों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा क्षेत्र-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। सरकार ने यूनियन बजट 2009-10 के एक भाग के रूप में और विदेश व्यापार नीति 2009-14 की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वस्त्र निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कर रियायत, मौजूदा शुल्कों पर रियायत, निर्यात संबंधी कतिपय करों से छूट, ऋण सीमा में वृद्धि, शुल्क हकदारी योजना का विस्तार सहित अनेक प्रोत्साहन शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व

3277. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर रेलवे के विभिन्न जोनों के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उत्तर रेलवे स्वयं एक जोन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2007-08	6955.10
2008-09	7481.39
2009-10 (लगभग)	8681.96

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दरभंगा-सीतामढ़ी रेल लाइन पर सड़क उपरि पुल

3278. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दरभंगा-साकरी और दरभंगा-सीतामढ़ी रेल लाइन पर रेल समपारों पर उपरि पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो काम शुरू किए जाने संबंधी समय-सीमा दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। दरभंगा-सकरी खंड पर काकर घाटी और तरसराय के बीच समपार सं. 34 पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव है। दरभंगा यार्ड में समपार सं. 26 और 27 पर 2 ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव है तथा दरभंगा-सीतामढ़ी रेल लाइन पर दरभंगा-मोहम्मदपुर के बीच समपार सं. 3ए-स्पेशल पर एनएचएआई ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कर रही है।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. काकर घाटी और तरसराय तथा दरभंगा-मोहम्मदपुर के बीच ऊपरी सड़क पुल संबंधी कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सीधे निष्पादित किया जा रहा है। एनएचएआई स्तर पर कार्य योजना स्तर पर है।
2. दरभंगा यार्ड में सपार सं. 26 पर ऊपरी सड़क पुल संबंधी कार्य राज्य सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है।
3. दरभंगा यार्ड में सपार सं. 27 पर ऊपरी सड़क पुल संबंधी कार्य मैसर्स इरकॉन द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है तथ 31.12.2010 तक पूरा होने की संभावना है।

नई माल भाड़ा नीति

3279. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास कोई नई मालभाड़ा नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नीति में आटोमोबाइल्स, राख तथा अन्य मदों को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई नीति कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) क्या नई नीति में निजी एजेंसियों को भी शामिल किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (च) जी, हां। निजी परिचालकों को आटोमोबाइल्स, वनस्पति तेल, शीरा, रसायन और पेट्रो रसायन जैसे पण्यों के लिए तथा राख और सीमेंट इत्यादि जैसे थोक यातायात के लिए विशेष माल गाड़ी चलाने हेतु अनुमति देने संबंधी नीति तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जायेगा।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नैसिल वाहक के रूप में

3280. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड सरकारी कैरियर होगी; और

(ख) यदि हां, तो कंपनी द्वारा स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में नेशनल एविशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदमों/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) नैसिल द्वारा अपनी अनुसूचित विमानों तथा आवश्यकता होने पर चार्टर विमानों से ऐथलीट्स, डैलीगेट्स और कर्मियों को वाहित किया जाएगा।

(2) नैसिल द्वारा हवाईअड्डों तथा बुकिंग कार्यालयों में उनके लिए विशेष सुविधाकरण काउन्टर खोले जाएंगे।

(3) नैसिल द्वारा बुकिंग/उड़ान संबंधी सूचना उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजन से खेल गांव एवं होस्ट होटल में विशेष बुकिंग भी खोले जाएंगे।

(4) अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू यात्रियों हेतु राष्ट्रमंडल जेलों के लिए नैसिल द्वारा विशेष हालीडे पैकेज को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

फुलेरा रेलवे स्टेशन

3281. श्री महेश जोशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फुलेरा रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव प्रदान करने के बावजूद भी इस स्टेशन पर टिकट जारी करने की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में स्थानीय लोगों के लाभ के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या लगभग 13 महत्वपूर्ण ट्रेनें फुलेरा स्टेशन पर नहीं ठहरती हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जिन गाड़ियों का फुलेरा स्टेशन पर वाणिज्यिक ठहराव है, उनके लिए फुलेरा स्टेशन से टिकटें जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) 15.4.2010 से प्रयोग के आधार पर 2981/2982 उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय रोहिल्ला चेतक एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) के वाणिज्यिक ठहराव की व्यवस्था की गई है। शेष गाड़ियों का ठहराव फिलहाल वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

जनाहार कैफेटेरिया

3282. श्री उमाशंकर सिंह:
श्री प्रेमचन्द गुड्डू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे स्टेशनों पर जनाहार कैफेटेरिया शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। आम जनता की खानपान संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, रेलों ने केवल किफायती भोजन तथा उचित दरों पर जनता भोजन बेचने के लिए जनआहार कैफेटेरिया खोले हैं।

(ख) उन स्टेशनों तथा राज्यों के नाम जहां जनआहार कैफेटेरिया स्थापित किए जा रहे हैं, उनकी स्थिति दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	स्टेशन	राज्य
1.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
3.	टाटानगर	झारखंड
4.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
5.	मुगलसराय	उत्तर प्रदेश
6.	गुवाहाटी	असम
7.	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश
8.	चेन्नई	तमिलनाडु
9.	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
10.	बंगलोर	कर्नाटक
11.	सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
13.	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
14.	सियालदह	पश्चिम बंगाल
15.	न्यू जलपाइगुड़ी	असम
16.	पटना	बिहार
17.	एर्णाकुलम	केरल
18.	चक्की बैंक	पंजाब
19.	जम्मूतवी	जम्मू और कश्मीर
20.	बड़ोदरा	गुजरात
21.	भोपाल	मध्य प्रदेश
22.	जयपुर	राजस्थान
23.	नागपुर	महाराष्ट्र
24.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
25.	राजमुंद्री	आंध्र प्रदेश

उर्वरकों का शुल्क मुक्त आयात

3283. श्री जगदानंद सिंह:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के आयात को शुल्क मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यहां के उर्वरक उत्पादक देश की उर्वरक मांग को पूरा नहीं कर सकते और सरकार विनियंत्रित फास्फोरस तथा पोटास उर्वरकों के आयात पर निर्भर रहती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उर्वरकों के आयात को कम करने तथा देश में उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए यहां के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) देश में यूरिया का आयात सीमित है तथा प्रत्यक्ष कृषि उपयोग के लिए इसका आयात राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) के जरिए सरकारी खाते से किया जाता है। अन्य सभी उर्वरकों का आयात स्वतंत्र रूप से किया जाता है और आयातक खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत अपनी आवश्यकता के अनुसार इन उर्वरकों का आयात कर रहे हैं। वर्तमान में, यूरिया से संबंधित नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, मिश्रित उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों, सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) आदि जैसे उर्वरकों, का उत्पादन देश में किया जा रहा है। तथापि, मूल्यांकित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा है। केवल म्यूरिएट आफ पोटाश (एमओपी) ऐसा उर्वरक है, जिसकी मांग पूर्णतया आयात द्वारा पूरी की जाती है क्योंकि देश में एमओपी का कोई व्यवहार्य स्रोत नहीं है।

(घ) सरकार देश में आत्म-निर्भरता हासिल करने के लिए हमेशा से यूरिया के उत्पादन को प्रोत्साहन देती रही है। सरकार ने नए निवेश आकर्षित करने के लिए 4 सितम्बर, 2008 को एक नई नीति की घोषणा की है। यह नीति उचित न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के साथ आयात सम-मूल्य (आईपीपी) मानक पर आधारित है जिसका उद्देश्य मौजूदा यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और विस्तार करना तथा ग्रीनफील्ड परियोजनाएं लगाना है। इस नीति का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में यूरिया की खपत और

घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर को काफी हद तक कम करना है बशर्ते कि उचित मूल्यों पर गैस की पर्याप्त उपलब्धता हो। सरकार ने डीएपी के स्वदेशी उत्पादकों को आयात सम-मूल्य की अनुमति देकर पी एंड के क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल भी की है। सरकार ने फास्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क को भी 5% से कम करके 2% कर दिया है ताकि पी एंड के उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादक उचित मूल्यों पर इस महत्वपूर्ण आदान की खरीद कर सकें। सरकार पी एंड के क्षेत्र को उर्वरक आदानों की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेश में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दे रही है।

नक्सल प्रभावित अल्पसंख्यक बहुल जिले

3284. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक बहुल जिलों के अंतर्गत नक्सल प्रभावित अल्पसंख्यक बहुल जिलों को भी शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और आधारभूत सुविधा संकेतकों के संदर्भ में अल्पसंख्यक आबादी और परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर पहले ही कर ली गई है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों के अभिनिर्धारण के लिए किसी अन्य मानदंड पर विचार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री निवासों का निर्माण

3285. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे उत्तर प्रदेश में सलेमपुर लार और बेलथाटा रोड रेलवे स्टेशनों पर यात्री निवासों का निर्माण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लेखे प्रस्तुत न करना

3286. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री मधुगौड यास्खी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने पिछले कई वर्षों से रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के समक्ष अपने लेखे पेश नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्र और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इनके पास लेखे कब से लंबित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं। लेखों के साथ-साथ सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए राज्य विधान सभा के समक्ष तथा केन्द्र संचालित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। हाल ही में सीएजी ने फरवरी, 2010 में मंत्रालय को पत्र भेजकर राज्य संचालित 867 उपक्रमों में से उन 658 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामलों में कम्पनी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है जिनके लेखे बकाया हैं। तदनुसार, इस मंत्रालय ने सभी राज्य मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ पत्र भेजा है कि वे चूककर्ता राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्षों तथा प्रबंध निदेशकों से लेखों को एक निश्चित समय-सीमा में पूरा करने के लिए राजी करें। लेखों की नियमित फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने एक एडवायजरी जारीकी है और फाइलिंग न करने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रारों के माध्यम से समय-समय पर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

[हिन्दी]

लोहारू से जयपुर के बीच आमान परिवर्तन

3287. श्री शीशराम ओला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के रेल बजट में की गई घोषणा के बावजूद भी राजस्थान में जयपुर से लोहारू वाया सीकर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का काम अभी तक नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जयपुर-सीकर-लोहारू का आमान परिवर्तन जयपुर-सीकर-चुरू तथा सीकर-लोहारू आमान परिवर्तन परियोजना (320.04 किमी.) का एक भाग है जिसे रेल बजट 2008-09 में शामिल किया गया था। विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है और अनुमान स्वीकृति की प्रक्रिया के अधीन है।

परियोजना को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 3-4 वर्षों में पूरा किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

फास्ट ट्रेक-न्यायालय

3288. डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फास्ट ट्रेक-न्यायालय योजना वर्ष 2010 तक बढ़ा दी गई है जबकि केंद्रीय सहायता के रूप में दी जा रही धनराशि में भारी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप गुजरात राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 856.80 लाख रुपए का अतिरिक्त तथा योजना को 2010 तक बढ़ाने पर कुल 4284 लाख रुपए का भार वहन करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार गुजरात सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) की स्कीम ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2000 में आरंभ की गई थी। राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनावर्ती व्यय के लिए पांच लाख रुपए प्रति न्यायालय की दर पर उपलब्ध कराई गई थी जिसमें संनिर्माण के लिए 3.4 लाख रुपए और कंप्यूटर तथा पुस्तकालय के लिए 1.6 लाख रुपए सम्मिलित हैं। आवर्ती व्यय के लिए प्रतिवर्ष, प्रति न्यायालय 4.8 लाख रुपए की रकम उपलब्ध कराई गई थी।

यह स्कीम 31.03.2005 से आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.03.2010 तक विस्तारित की गई थी। विस्तारित अवधि के लिए, त्वरित निपटान न्यायालयों हेतु राज्यों को सहायता के लिए अनुमोदित सन्नियम में, न्यायालय कक्ष में अतिरिक्त स्थान के लिए संनिर्माण की लागत के मद्दे पहले दो वर्षों में राज्यों को दी जाने वाली 8.6 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम और आवर्ती व्यय के मद्दे प्रतिवर्ष, प्रति न्यायालय 4.8 लाख रुपए की रकम का उपबंध है। केन्द्रीय सहायता की इस रकम को विस्तारित अवधि के दौरान कम नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ) 35.71 करोड़ रुपए का अनुदान विस्तारित अवधि (2005-10) के दौरान गुजरात राज्य सरकार को जारी किया गया है। अनुदान, सरकार द्वारा अनुमोदित सन्नियम के अनुसार जारी किया गया है और इसलिए राज्य सरकार द्वारा उपगत किसी अत्यधिक व्यय की प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

महाराजा एक्सप्रेस

3289. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री विश्वमोहन कुमार:
श्रीमती जयाप्रदा:
शेख सैदुल हक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराजा एक्सप्रेस के शुभारंभ के अवसर पर जारी किए गए विज्ञापन में देश के अनेक महत्वपूर्ण स्टेशनों के बारे में गलत जानकारी दर्शाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए रेलवे के किसी अधिकारी को दंडित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) महाराजा एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करने की पूर्व संध्या पर प्रमुख समाचार पत्रों में पूर्व रेलवे द्वारा 20.03.2010 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। यह देखा गया था कि महाराजा एक्सप्रेस का दर्शाया गया मार्ग और नक्शे की आउटलाइन असंगत थी।

(ख) से (घ) तत्काल जांच करने पर यह पाया गया था कि मै. आधुनिक, 76, विज्ञापन एजेंसी, जिसे यह कार्य सौंपा गया था इस मामले में दोषी थी। तात्कालिक उपाय के रूप में, मीडिया के जरिए स्पष्टीकरण दे दिया गया था। हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, कोलकाता में इस विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई कर दी गई थी। इस एजेंसी पर पूर्व रेलवे के साथ किसी भावी बिजनेस करने पर रोक लगा दी गई है और इस एजेंसी को काली सूची में डालने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। क्षेत्रीय रेलवे के संबंधित अधिकारियों को इस प्रकार के मामलों में सजग रहने का परामर्श दिया गया है।

[अनुवाद]

गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का उन्नयन

3290. श्री रूद्रमाधव राय:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री उदय सिंह:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में गैर-महानगरीय विमानपत्तनों की उन्नयन योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन्नयन योजनाओं में विलंब से बचने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने हेतु विमानपत्तन विनियामक को निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो लागत में बिना किसी और अधिक वृद्धि के गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का उन्नयन कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने तथा इन विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) देश में 35 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण की योजनाएं संतोषजनक स्तर पर प्रगतिरत है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने नियमित मानीटरिंग तथा गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने, बाधाओं को दूर करने, यदि कोई हो, तथा लागत में और वृद्धि किए बिना प्रगति में तीव्रता लाने के लिए परियोजना मानीटरिंग तथा गुणवत्ता आश्वासन (पीएमक्यूए) विभाग नामक एक समर्पित इन-हाउस विभाग की स्थापना की है।

[हिन्दी]

डोंगरगढ़ में यात्री रेलगाड़ियां

3291. श्री मधुसूदन यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में यात्री रेलगाड़ियों के अनुरक्षण हेतु सुविधा के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत डोंगरगढ़ के सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस चलाने की मांग पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) वर्तमान में परिचालनिक कठिनाइयों के कारण 5159/5160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस और 8241/8242 दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस एवं पैसेंजर को डोंगरगढ़ से चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का महारत्न दर्जा

3292. **श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय नवरत्न कम्पनियों को और अधिक वित्तीय एवं प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से महारत्न कहलाने वाली कम्पनियों की नई श्रेणी के सृजन का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुमोदित महारत्न योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के महारत्न मण्डलों को भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना हेतु इक्विटी निवेश करने का अधिकार होगा बशर्ते कि यह संबंधित सीपीएसई की निबल सम्पत्ति की 15% अधिकतम सीमा से अधिक न हो तथा एक परियोजना की सीमा 5000 करोड़ रुपए से अधिक न हो; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना किस सीमा तक क्रियान्वित की गई है तथा यह कितनी उपयोगी सिद्ध हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) जी, हां।

(ख) महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सभी शक्तियों के उपयोग के साथ-साथ इनके पास (1) भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना हेतु इक्विटी निवेश करने और (2) एक परियोजना में संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल सम्पत्ति का 15% तक या परम सीमा 5000 करोड़ रुपए तक भारत अथवा विदेश में विलय और अधिग्रहण करने की शक्तियां भी होंगी। कुल सभी परियोजनाओं में ऐसे इक्विटी निवेशों और विलय एवं अधिग्रहणों की समग्र सीमा संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल सम्पत्ति के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास निदेशक मण्डल से नीचे के स्तर के ई-9 स्तर के पदों के सृजन की शक्तियां भी होंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) महारत्न स्कीम संबंधी दिशानिर्देशों को प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रचालित कर दिया गया है।

रेल लाइन का विद्युतीकरण

3293. **श्री के.सी. वेणुगोपाल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युतीकरण हेतु रेलमार्गों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं; और

(ख) ऐसे मार्गों का जोनवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलपथ विद्युतीकरण के संबंध में निर्णय यातायात घनत्व, परिचालनिक आवश्यकता तथा वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

(ख) 1.4.2010 को, 64015 मार्ग किलोमीटर में से 20059 मार्ग किलोमीटर विद्युतीकृत है। विद्युतीकृत तथा जोनवार कुल मार्ग किमी. का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। शेष खंड गैर-विद्युतीकृत हैं।

विवरण

(ख) 1.4.2010 को विद्युतीकृत मार्ग किमी. की जोनवार स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	कुल मार्ग किमी.				विद्युतीकृत मार्ग किमी.			विद्युतीकृत का प्रतिशत		
		बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन	कुल	ब.ला.	मी.ला.	कुल	ब.ला. से ब.ला.	मी.ला. से मी.ला.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मध्य	3470	0	436	3906	1833	0	1833	52.82	0.00	46.93
2.	पूर्व	2281	0	133	2414	1313	0	1313	57.56	0.00	54.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	पूर्व मध्य	3067	490	0	3557	1652	0	1652	53.86	0,00	46.44
4.	पूर्व तट	2568	0	0	2568	1432	0	1432	55.76	0.00	55.76
5.	उत्तर	6662	11	261	6934	1696	0	1696	25.46	0.00	24.46
6.	उत्तर मध्य	2816	46	289	3151	1401	0	1401	49.75	0.00	44.46
7.	पूर्वोत्तर	2206	1428	0	3634	139	0	139	6.30	0.00	3.82
8.	पूर्वोत्तर सीमा	2280	1390	87	3757	0	0	0	0.00	0.00	0.00
9.	उत्तर पश्चिम	3686	1849	0	5535	0	0	0	0.00	0,00	0.00
10.	दक्षिण	3876	1270	0	5146	1957	0	1957	50.49	0.00	38.03
11.	दक्षिण मध्य	5388	361	0	5749	1961	0	1961	36.40	0.00	34.11
12.	दक्षिण पूर्व	2635	0	0	2635	2157	0	2157	81.86	0.00	81.86
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	1691	0	757	2448	1245	0	1245	73.63	0.00	50.86
14.	दक्षिण पश्चिम	3010	97	0	3107	204	0	204	6.78	0.00	6.57
15.	पश्चिम	4207	1531	771	6509	1519	0	1519	36.11	0.00	23.34
16.	पश्चिम मध्य	2965	0	0	2965	1550	0	1550	52.28	0.00	52.28
	कुल	52808	8473	2734	64015	20059	0	20059	37.98	0.00	31.33

[हिन्दी]

दिव्य भूमि एक्सप्रेस का ठहराव

3294. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन पर दिव्य भूमि एक्सप्रेस का ठहरवा रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सचखंड एक्सप्रेस का जालना रेलवे स्टेशन पर केवल दो मिनट का ठहराव है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे को जालना रेलवे स्टेशन पर उक्त रेलगाड़ियों के ठहराव बहाल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दिव्यभूमि एक्सप्रेस नाम की कोई गाड़ी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एलपीजी एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों का आवंटन

3295. डॉ. प्रभा किशोर ताविआड:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री हुक्मदेव नारायण यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल पम्पों तथा गैस एजेंसियों का आरक्षित कोटे के अंतर्गत भी आवंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कोटे के अंतर्गत कितने पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां आवंटित की गई तथा राज्य-वार किस श्रेणी के लोगों हेतु उक्त आवंटन किया गया;

(ग) क्या आबंटिती द्वारा उक्त पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां अन्य लोगों को बेच/पट्टे पर दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे आबंटितियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में विभिन्न श्रेणियों को आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है:-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)	25%
रक्षा श्रेणी (डीसी)	8%
अर्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी (पीएमपी)	8%
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति (पीएच)	5%
स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ)	2%
उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी)	2%
सामान्य (ओपी)	50%

ऊपर उल्लिखित सभी श्रेणियों में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का 33% उस श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

गत तीन वर्षों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 7721 खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) और 660 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आबंटित किया है। राज्यवार ब्यौरे ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इस अवधि के दौरान ओएमसीज ने बेनामी आरओज के 113 सिद्ध मामलों और बेनामी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के 4 सिद्ध मामलों की रिपोर्ट दी है और ओएमसीज द्वारा इन सभी को रद्द कर दिया गया है।

[हिन्दी]

व्यापारियों द्वारा वैगनों का प्रयोग

3296. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा छोटे तथा मध्यम व्यापारियों को वस्तुओं की ढुलाई हेतु वैगनों की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा वापास ले ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे छोटे व्यापारियों के लिए वैगनों की सुविधा बहाल करने पर विचार कर रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके कब तक बहाल कर दिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या वस्तुओं की ढुलाई के लिए वैगनों के स्थान पर रैक का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) रेलवे द्वारा छोटे और मझोले व्यापारियों को आपूर्ति कि गए माल डिब्बों के लिए कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। 2009-10 के दौरान फरवरी, 10 तक छोटे एवं मझोले व्यापारियों सहित भारतीय रेलों द्वारा रेक स्वरूप सहित कुल 13220844 मालडिब्बों (आठ पहिया यूनिटों में) का लदान किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) भारतीय रेल पर संचलन रेकों में किया जाता है जिसमें मालडिब्बे शामिल होते हैं।

दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर अवैध गतिविधियां

3297. श्रीमती मीना सिंह:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, नई दिल्ली तथा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कुछ गिरोह अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं तथा वे वेंडरों और स्टॉल मालिकों से जबरन उगाही कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के आधार पर इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या निवारणात्मक उपाय आरंभ किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं। दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी सलाहकार समिति

3298. श्री महाबल मिश्रा: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा पिछले वर्ष संबंधित जिला अथवा निचली अदालतों में हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग को क्रियान्वित करने संबंधी निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके समुचित क्रियान्वयन हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) हिन्दी सलाहकार समिति की 28 दिसंबर, 2007 को हुई अंतिम बैठक में राज्य सरकारों के संबंधित जिला न्यायालयों या निचले न्यायालयों में हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग को क्रियान्वित करने के लिए समिति के सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया था। तथापि राज्य सरकारों से संबंधित विषय पर सदस्य सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कुछ राज्यों में निचले न्यायालयों में कार्यवाहियां हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में की जा रही हैं। इस स्पष्टीकरण पर माननीय सदस्य ने अपना संतोष अभिव्यक्त किया था।

(ख) जिला न्यायालयों और निचले न्यायालयों में संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग को क्रियान्वित करने के कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

तेल उत्पादन में ओएनजीसी द्वारा निवेश

3299. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक नई योजना आरंभ की गई है, जिसके परिणामस्वरूप तेल का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन क्षेत्रों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा उत्पादन में वृद्धि की औसत वार्षिक दर कितनी है; और

(घ) उत्पादन में वृद्धि से औसत वार्षिक वित्तीय लाभ कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) मुंबई हाई क्षेत्रों के लिए दो नई पुनर्विकास योजनाएं नामतः मुंबई हाई दक्षिण पुनर्विकास चरण-II और मुंबई हाई उत्तर पुनर्विकास चरण-II अनुमोदित की गई हैं। ब्यौरा निम्नवत् है:-

नाम	अनुमोदित लागत	तेल और गैस का वृद्धिशील लाभ (2029-30)
एमएचएस पुनर्विकास चरण-II	8813.41 करोड़ रुपये	तेल-18.31 एमएमटी गैस-2.70 बीसीएम
एमएचएन पुनर्विकास चरण-II	7133.39 करोड़ रुपये	तेल-17.35 एमएमटी गैस-2.98 बीसीएम

वार्षिक वित्तीय लाभ समय विद्यमान डालर विनिमय दर और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमत पर निर्भर होगा।

एच.एम.टी. का विलय

3300. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एचएमटी लि. का भेल तथा एचएएल आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के लाभ में चल रहे उपक्रमों के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या तौर-तरीके तय किये गए हैं; और

(ग) यह विलय कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औषधियों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना

3301. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई भारतीय औषधि कंपनियां विदेशी विशेषकर चीन और मैक्सिको की कंपनियों से मूल्य संबंधी कड़ी स्पर्धा के कारण बंद हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषधियों विशेषकर एंटी-बायोटिक दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाली पेनसिलिन के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या औषधि विनिर्माता संघ ने पाटन-रोधी शुल्क लगाने पर अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बाजार में उचित मूल्य पर एंटी-बायोटिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सरकार को यह पता चला है कि चीन से सस्ते आयातों के कारण पेनिसिलिन का निर्माण करने वाले कुछ संयंत्र बंद हो गए हैं।

(ख) और (ग) मैसर्स एलेम्बिक तथा मेसर्स स्पिक ने एंटि-डम्पिंग तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को आवेदन करके कहा था कि वह चीन एवं मैक्सिको मूल के पेनिसिलिन जी तथा 6 एपीए के आयातों पर एंटि-डम्पिंग शुल्क लगाए।

(घ) और (ङ) औषध निर्माण से संबंधित कुछ एसोसिएशनों ने पेनिसिलिन जी तथा 6 एपीए के आयातों पर एंटि-डम्पिंग शुल्क लगाने के खिलाफ अभ्यावेदन दिया है क्योंकि इसका प्रभाव एपीआई पर पड़ेगा।

(च) औषध निर्माण विभाग चीन से सस्ते आयातों के संबंध में स्वदेशी औषध कंपनियों के साथ इस मामले की सक्रिय मॉनीटरिंग कर रहा है। चीन तथा मैक्सिकों से आयातों के संबंध में पेनिसिलिन जी तथा 6 एपीए पर इंटि-डम्पिंग शुल्क लगाने के संबंध में औषध निर्माण विभाग इस समय सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श कर रहा है ताकि इसे वाणिज्य विभाग के पास भेजने से पूर्व ऐसा कोई निर्णय लिया जा सका जिसमें स्वदेशी बल्क औषध निर्माताओं और इन औषधों के आयातकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखा गया हो और उचित मूल्य पर बाजार में एंटि-बायोटिक्स दवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित न हो।

इस्पात विनिर्माण प्रौद्योगिकी

3302. श्री निशिकांत दुबे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) से विदेशी इस्पात विनिर्माताओं से नई इस्पात विनिर्माण प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बातचीत की क्या स्थिति है तथा इस प्रयोजनार्थ किन-किन कंपनियों की पहचान की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) संयुक्त उद्यम के जरिए कोब स्टील से आईटीएम के 3 तथा पोस्को से फिनेक्स जैसी नई लौह विनिर्माण प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने की संभावना तलाश रहा है। प्रौद्योगिकी का चयन करने का अंतिम निर्णय तथा संयुक्त उद्यम के ब्यौरे प्रौद्योगिकी-आर्थिकी व्यवहार्यता और आवश्यक अनुमोदनों पर निर्भर करता है।

किराए पर लिए गए ट्रांसपोन्डर

3303. श्री एल. राजगोपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अथवा अन्य संगठनों से कितने ट्रांसपोन्डर किराए पर लिए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन ट्रांसपोन्डरों को किराए पर लेने के लिए कितने किराए का भुगतान किया गया;

(ग) क्या रेलवे विदेशी उपग्रहों से भी ट्रांसपोन्डर किराए पर ले रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से एक क्वार्टर ट्रान्सपोन्डर्स (9 मेगा हट्र्ज) किराए पर लिया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सेवा कर सहित भुगतान किया गया किराया निम्नानुसार है:

वर्ष	किराया
2007-08	1,45,61,856 रु.
2008-09	1,42,94,880 रु.
2009-10	1,41,12,020 रु.

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पोटाश, तेल एवं गैस में इफ्को का प्रवेश

3304. श्री तूफानी सरोज:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री पी. बलराम:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) ने विदेश तथा देश में पोटाश, तेल एवं गैस क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इफ्को ने विदेश में लागत प्रभावी उत्पादन सुविधाओं के सृजन हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं;

(ङ) यह देश के लिए किस प्रकार से लाभकारी रहेगा; और

(च) बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु इफ्को की भावी योजना क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) इफ्को ने विदेश में पोटाश क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाई है। इफ्को ने ग्रो मैक्स एग्री कार्पोरेशन, कनाडा के 0.5 मिलियन शेयर खरीदे हैं। ग्रो मैक्स पेरू में म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) की उत्पादन सुविधा स्थापित करेगा।

(ख) और (ग) जी, हां। पेरू में उत्पादन सुविधाएं और वाष्पीकरण के प्रयोग से लागत प्रभावी होंगी। वर्ष 2013 से इसका उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

(घ) इफ्को ने ग्रो मैक्स एग्री कार्पोरेशन, कनाडा के साथ शेयर सब्स्क्रिप्शन करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) भारत में पोटाश के ज्ञात भंडारों की अनुपलब्धता और पोटाश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश की 100% आयात निर्भरता के कारण विदेशों में पोटाश (एमओपी) उत्पादन परियोजनाओं में भागीदारी करना देश के लिए लाभप्रद होगा और इससे सुरक्षित आपूर्ति स्रोत उपलब्ध होगा।

(च) वर्तमान में, इफ्को ग्रो मैक्स एग्री कार्पोरेशन, कनाडा के साथ एमओपी उठान करार और अन्य संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

[अनुवाद]

दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना

3305. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा रेल बजट 2009-10 तथा 2010-11 में दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना (आरएआरएसवाई) की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ग) आरएआरएसवाई के अंतर्गत नई रेल लाइनों को शामिल करने हेतु अपनाई गई नीति तथा मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर धुले जैसे जनजातीय क्षेत्रों में आरएआरएसवाई के अंतर्गत कुछ नई रेल लाइनों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है वे राज्य तथा रेल लाइनें कौन-कौन सी हैं जिन्हें शामिल करने पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना की रेल बजट 2004-05 (अंतरिम) में घोषणा की गई थी। बहरहाल, यह योजना शुरू नहीं हो पाई है।

जन औषधि बिक्री केन्द्रों को आपूर्ति की जा रही कम शक्ति वाली दवाएं

3306. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर पंजाब में जन औषधि बिक्री केन्द्रों को कम शक्ति वाली दवाओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां केवल उन्हीं दवाओं की आपूर्ति की जाती है जिनकी मांग नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात की आवश्यकता

3307. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री लाल चन्द कटारिया:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में इस्पात के मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में इस्पात की मीट्रिक टन मांग कितनी है;

(ख) इस समय इस्पता विनिर्माण कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश में नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा वर्ष 2009-10 हेतु संकलित किए गए कुल परिसज्जित इस्पात के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार परिसज्जित इस्पात का उत्पादन 59.58 मिलियन टन है जबकि इसकी घरेलू आवश्यकता जैसाकि घरेलू खपत में दर्शाई गई है 56.32 मिलियन टन है।

(ख) बड़े और प्रमुक इस्पात उत्पादकों के संयंत्रों का राज्य-वार वितरण विवरण-I में दिया गया है। इन संयंत्रों के अतिरिक्त, कई यूनिटें (प्रोसेसर, री-रोलर) छोटी से लेकर मंझोले स्वरूप में हैं। इस प्रकार के संयंत्रों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त बनाया गया है और कुछेक स्थानीयगत प्रतिबंधों की शर्त पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से इस्पात उद्योग को हटाया गया है। इसलिए, इंडस्ट्रियल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1951 अंतर्गत, इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए किसी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और उद्यमी अपने वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर देश में किसी भी जगह इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अत: नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना में भारत सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

विवरण I

देश में बड़े और प्रमुख इस्पात उत्पादकों के संयंत्रों का राज्य-वार वितरण

संयंत्र	राज्य
1. सेल संयंत्र	
बोकारो इस्पात संयंत्र	झारखंड
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	पश्चिम बंगाल
अलॉय इस्पात संयंत्र	पश्चिम बंगाल
इस्को इस्पात संयंत्र	पश्चिम बंगाल
राउरकेला इस्पात संयंत्र	उड़ीसा
भिलाई इस्पात संयंत्र	छत्तीसगढ़
विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	कर्नाटक
सेलम इस्पात संयंत्र	तमिलनाडु
2. आरआईएनए/विजाग इस्पात संयंत्र	आंध्र प्रदेश
3. टाटा स्टील	झारखंड
प्रमुख उत्पादक	
1. इस्पात इंडस्ट्रीज	महाराष्ट्र
2. जेएसडब्ल्यू स्टील	कर्नाटक
3. एस्सार स्टील	गुजरात
4. जिंदल स्टील एंड पॉवर	छत्तीसगढ़

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति

विवरण II

लघु/मझोले पैमाने के इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार वितरण

राज्य	इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस	इंडक्शन फर्नेस
1	2	3
छत्तीसगढ़	2	65
दादरा और नगर हवेली		26
दमन		14
गोवा	1	22
गुजरात	4	54
महाराष्ट्र	9	74
मध्य प्रदेश	1	16
चंडीगढ़	1	3
दिल्ली		4
हरियाणा	3	34
हिमाचल प्रदेश		15
जम्मू और कश्मीर		8
पंजाब	4	124
राजस्थान		31
उत्तर प्रदेश	2	131
उत्तराखंड		28
तमिलनाडु		78
पुडुचेरी		27
कर्नाटक		26
केरल	1	42
आंध्र प्रदेश		52
असम		11
बिहार		16
झारखंड	3	28
उड़ीसा	3	74
पश्चिम बंगाल	4	61
मेघालय		10
योग	38	1074

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

टिकट वेंडिंग मशीनों का लगाया जाना

3308. **श्रीमती भावना पाटील गवली:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय यात्रियों को टिकट वेंडिंग मशीनों के माध्यम से टिकट उपलब्ध कराने की रेलवे की कोई योजना थी तथा क्या उक्त योजना अपने मूल समय-सारणी से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं तथा इन मशीनों के कब तक कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है; और

(ग) देश में वे स्टेशन कौन-कौन से हैं जहां इन मशीनों को लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। स्वचल टिकट बिक्री मशीनों से टिकट जारी करने की योजना है।

(ख) और (ग) 375 मशीनों के प्रथम बैच को संस्थापित कर दिया गया है और निम्नलिखित रेलों पर कार्य कर रही हैं:

मध्य रेलवे	-	175 (57 स्टेशन)
पश्चिम रेलवे	-	125 (28 स्टेशन)
दक्षिण रेलवे	-	75 (40 स्टेशन)

स्वचल टिकट बिक्री मशीनों का निम्नलिखित रेलों पर विस्तार करने की योजना है:

उत्तर रेलवे	-	150 अदद
दक्षिण पूर्व रेलवे	-	200 अदद
पूर्व रेलवे	-	200 अदद
दक्षिण मध्य रेलवे	-	150 अदद
पूर्व तट रेलवे	-	46 अदद
मध्य रेलवे	-	75 अदद
पश्चिम रेलवे	-	75 अदद
कुल		896

[अनुवाद]

विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3309. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने सुझाव दिया है कि विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वचालित स्वीकृति मार्ग माध्यम के स्थान पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा चिंताओं के कारण इन कदमों का सुझाव दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे विमानन क्षेत्र में एफडीआई के कितना प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार के इस नए कदम से विमानन क्षेत्र में अवसंरचना का विकास प्रभावित नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा और कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) सरकार ने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) से निवेशों सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार तथा पारदर्शी नीति तैयार की है, जिसमें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अधिकतर सेक्टर एफडीआई के लिए खुले हुए है। एफडीआई पर नीति की समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से अभी तक कुछ सेक्टरों को, जो स्वचालित मार्ग पर है, को स्वीकृत मार्ग पर लाने का निर्णय नहीं किया है।

अहमदाबाद विमानपत्तन

3310. श्री हरिन पाठक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल विमानपत्तन को घरेलू विमानपत्तन टर्मिनल तथा वर्तमान घरेलू विमानपत्तन टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल करने हेतु सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद पर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों के क्रियाकलापों की स्वैपिंग की योजना बनाई है, क्योंकि घरेलू यातायात की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय यातायात की तुलना में बहुत अधिक है। यह कार्य पूर्ण मनोयोग एवं निष्ठा से किया जा रहा है।

वस्त्र पार्कों में एफडीआई

3311. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) स्वचालित मार्ग के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत अभी तक स्वीकृत किये गए 40 वस्त्र पार्कों में से तीन परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

संवैधानिक न्यायालय

3312. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने सुझाव दिया है कि संविधान, अंतर्राज्यीय जल विवादों और विवाद तथा संघीय प्रवृत्ति के अपराध से संबंधित मामलों से विशिष्ट रूप से निपटने के लिए देश में नए संवैधानिक न्यायालय की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह सुझाव भी दिया है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दिखाया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) ऐसा कोई सुझाव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई सुझाव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भेल द्वारा विद्युत उपकरणों की आपूर्ति में विलंब

3313. श्री चौधरी लाल सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेल द्वारा विद्युत कंपनियों/परियोजनाओं को विद्युत उपकरणों की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) 11वीं योजनावधि के दौरान योजनाबद्ध 78,577 मेगावाट विद्युत क्षमता संवर्धन में से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को 43,173 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

इस क्षमता के प्रमुख भाग की आपूर्ति के लिए बीएचईएल का कार्यक्षेत्र बायलर, टरबाइन जनरेटर (बीटीजी) और अनुषंगी पैकेजों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण आपूर्ति, इरेक्शन और कमीशिनिंग तक सीमित है। सभी सिविल कार्य और बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) के विभिन्न उपसिस्टम जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, डीएम प्लांट, स्विचयार्ड आदि सहित शेष कार्य डेवलेपर के कार्यक्षेत्र के तहत है।

विद्युत संयंत्र को स्थापित करना एक जटिल प्रक्रिया है और यह विभिन्न विनिर्माताओं के निष्पादन पर निर्भर करता है। डेवलेपर को ऋणमुक्त भूमि उपलब्ध करवाने, आधारशिला, कच्चा पानी, निर्माण शक्ति आदि सहित सिविल कार्य जैसे विभिन्न इनपुट मुहैया कराने होते हैं, जिनका उपयोग करते हुए बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए उपस्कर को स्थापित और चालू किया जाता है। कोल और ऐश हैंडलिंग सिस्टम, वाटर सिस्टम, कूलिंग टावर्स आदि जैसे उपकरण की आपूर्ति बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) के विक्रेताओं द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के निष्पादन में विभिन्न अवसरों पर स्पेशिफिकेशन में परिवर्तन होता है, जिससे विलंब होता है। बीएचईएल द्वारा लिए जाने वाले क्रियाकलापों को उपभोक्ता से पूर्व अनुमोदित करवाया जाता है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं के शामिल होने के कारण अधिक समय लगता है। यहां तक कि बीएचईएल के विक्रेताओं की आवश्यक अर्हताओं को भी ऐसे परामर्शदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मुख्यतः एलाय स्टील, पाइप और फिटिंग्स के क्रिटिकल कास्टिंग और फोर्जिंग उपलब्ध नहीं होने तथा सीआरजीओ स्टील के विदेशी विक्रेताओं की सीमित संख्या के कारण बीएचईएल से आपूर्ति में कुछ विलंब हुआ है। सड़क, बंदरगाह, रेल सम्पर्क से संबंधित बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) उपस्कर हेतु सीमित देशी क्षमता, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु वृहद विद्युत संयंत्रों के विनिर्माण करने के लिए देश में योग्य विनिर्माण ठेकेदारों और इरेक्शन एजेंसियों की सीमित संख्या और क्षमता, हाई प्रेशर वेल्डरों, फिटर आदि जैसे विशिष्ट कार्य के लिए कुशल जनशक्ति की कमी, भी विलंब के कारण हैं।

(ग) भारी उद्योग विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए बीएचईएल की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है कि विभिन्न कारणों से विलंब के बावजूद बीएचईएल परियोजनाओं की कमिशिनिंग में देरी को कम से कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास करे।

जलमार्गों से कार्गो संचलन

3314. श्री ए. सम्पतः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) के हानिकारक कार्गो की सड़क के माध्यम से ढुलाई से कोच्चि जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दुर्घटनाएं हो रही हैं और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्गो की जलमार्गों से ढुलाई करने के लिए फैक्ट ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में अंबाला-मुगल और कोच्चि के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा कार्गो की ढुलाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कार्गो की ढुलाई में कोई कमी आई; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड औद्योगिक रसायन मध्यवर्तियों अर्थात् अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और बेनजीन की खरीद करता है जिन्हें बंद टैंकरों में सड़क मार्ग से लाया जाता है। इस परिवहन का रूट कोच्चि शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बहुत दूर है। जहां तक फैक्ट के इन कार्गो की सड़क मार्ग से वर्ष 2004 से ढुलाई का संबंध है, 11.12.2009 को फैक्ट कोचीन डिविजन के निकट अम्बालामुगल में अमोनिया से भरे ट्रक की यांत्रिक विफलता के कारण केवल एक सड़क दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में न तो कोई हताहत हुआ और न ही किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हुई। इसके अलावा अमोनिया/बेनजीन के रिसाव इत्यादि की बहुत कम घटनाएं हुई हैं।

फैक्ट फॉस्फोरिक एसिड की अपनी सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी ढुलाई अम्बालामेडु तक जल मार्ग से करता है। फैक्ट उद्योग मण्डल परिसर तक फॉस्फोरिक एसिड की नौकाओं/जलमार्ग से भी ढुलाई की संभावनाएं तलाश रहा है।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान फैक्ट द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों से आवश्यकता अनुसार आयात किए गए (कार्गो) कच्चे माल की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा हैः

कच्चा माल	2007-08 (मी. टन में)	2008-09 (मी. टन में)	2009-10 (मी. टन में)
सल्फर	43890.59	80675.092	68129.52
रॉक फॉस्फेट	152579.835	125264.234	30117.021
फॉस्फोरिक एसिड	1951.359	20689.258	28833.343

वर्ष 2009-10 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में संयंत्र में कम खपत होने के कारण सल्फर और रॉक फॉस्फेट के संचलन में कमी आई थी।

हैदराबाद विमानपत्तन के लिए हेलीकॉप्टर गलियारा

3315. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और मुंबई विमानपत्तन की तर्ज पर हैदराबाद विमानपत्तन के लिए एक पृथक गलियारा डिजाइन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इस समय हैदराबाद एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर का संचालन नगण्य है और इसलिए वर्तमान में हैदराबाद में हेलीकॉप्टरों के लिए अलग से कोरिडोर डिजाइन किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल उपरि पुलों के लिए लागत भागीदारी आधार

3316. श्री एम.के. राघवन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार विशेष रूप से केरल में कितने रेल उपरि पुलों (आरओबी) के अंतिम रूप से तैयार होने में विलंब हुआ है और इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेलवे और राज्य सरकारों के बीच लागत भागीदारी अनुपात में संशोधन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान अनुपात का ब्यौरा क्या है और क्या केरल सरकार ने अपनी भागीदारी का अपेक्षित हिस्सा उपलब्ध कराया है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे का विचार इन परियोजनाओं को किस माध्यम से पूरा करने का है और इसकी समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राज्यवार और विशेषकर केरल में अंतिम समापन के लिए लंबित रेल ऊपरी पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	अंतिम समापन के लिए लंबित सड़क उपरि पुल
1	2
आंध्र प्रदेश	100
असम	1
बिहार	43
चंडीगढ़ (यूटी)	0
छत्तीसगढ़	17
दिल्ली	19
गुजरात	25
हरियाणा	35
झारखंड	9
कर्नाटक	65
केरल	53
महाराष्ट्र	28
मध्य प्रदेश	22
उड़ीसा	18
पुडुचेरी	3
पंजाब	32
राजस्थान	34
तमिलनाडु	132
उत्तर प्रदेश	121
उत्तराखंड	1
पश्चिम बंगाल	41
जम्मू और कश्मीर	1

केरल में आरओबी परियोजनाओं के निष्पादन के विलंब के कारण निम्नानुसार है:

* राज्य प्राधिकारियों द्वारा संरेखण को अंतिम रूप देने, सामान्य प्रबंधन आरेखण तथा उत्तरवर्ती परिवर्धनों की तैयारी में विलंब केरल में ऐसे 15 मामले हैं।
* पहुंच मार्गों में भूमि के अधिग्रहण में विलंब। केरल में भूमि अधिग्रहण के 31 मामले लंबित हैं।
* केरल में आरओबी/आरयूबी परियोजनाओं के लिए, श्रमिक समस्या है।
* मैसर्स आरबीडीसी के सौंपे गए कार्यों की दनकी वित्तीय समस्याओं के कारण प्रगति धीमी चल रही है, जो राज्य सरकार का विषय है।
* सड़क यातायात के डायवर्जन, समपारों को बंद करना, अस्थायी समपारों की व्यवस्था में विलंब आदि।
* विभिन्न एजेंसियों द्वारा पानी की लाइनें, जल निकासी लाइनों, इलेक्ट्रिकल लाइनों, टेलीफोन लाइनों जैसी उपयोगिताओं के डायवर्जन में विलंब।

(ख) जी, नहीं। लागत वहन रेलवे और राज्य सरकार के बीच 50:50 के रूप में जारी रहेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे ने आरओबी संबंधी कार्यों के लिए बजट में अपेक्षित निधि आबंटित की है। जहां, भूमि अधिग्रहण अथवा जीएडी संबंधी मामले लंबित नहीं हैं, कार्य प्रगति पर हैं तथा रेलवे के हिस्से के कार्य को निर्धारित अनुसूची के अनुसार पूरा करने की योजना बनाई गई है। जहां तक रेलवे के हिस्से तथा रेलपथ के हिस्से का संबंध है, इन उपरी सड़क पुलों के समापन में कोई वित्तीय तंगी नहीं होगी। बहरहाल, पहुंच मार्गों की प्रगति (राज्य सरकार द्वारा) तथा समग्र आरओबी/आरयूबी की प्रगति, यदि पूरी तरह आरबीडीसीके द्वारा निष्पादित की जाती है, राज्य सरकार/ आरबीडीसीके पर निर्भर करती है, जिसके लिए केरल सरकार राज्य सरकार के शेयर के अनुसार निधि की व्यवस्था करेगी।

चोरी और डकैती के मामले

3317. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ट्रेनों/रेलवे स्टेशनों में जोनवार कितनी चोरी और डकैतियों के मामले में जानकारी में आए हैं; और

(ख) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नैसिल द्वारा कार्यशील पूंजी निधियां प्राप्त करना

3318. श्री के. सुगुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड ने सरकार से अपनी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करने और कम लागत पर कार्यशील पूंजी निधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में लेटर ऑफ कंफर्ट (एनओसी) उपलब्ध कराने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ इस मामले की जांच की जा रही है।

अरुणाचल प्रदेश में विमानपत्तनों का विकास

3319. श्री निनोंग ईरींग: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तेजू और रोयिंग जैसे स्थानों में कुछ विमानपत्तनों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। सरकार का अरुणाचल प्रदेश में तेजू तथा पासीघाट हवाईअड्डों के विकास का प्रस्ताव है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययन के बाद, यह सिफारिश की गई थी कि अन्य गैर प्रचालनिक हवाईअड्डों को कुछ शर्तों के आधार पर केवल 20 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए, प्रचालनात्मक बनाया जा सकता है।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तेजू हवाईअड्डे के विकास की योजना है जिसके लिए सरकार द्वारा 79 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस हवाईअड्डे का विकास, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा हवाईअड्डे तथा अतिरिक्त भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क तथा सभी विवादों से मुक्त रूप से सौंपे जाने के आधार पर है पासीघाट हवाई अड्डे का विकास रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार तथा रक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

एयर इंडिया में जनशक्ति का संकट

3320. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड जनशक्ति के गंभीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान कितने कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजधानी ट्रेनें

3321. श्री महेश्वर हजारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत रेल बजट और वर्तमान रेल बजट में घोषित 2236/2235 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस अभी तक शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त राजधानी एक्सप्रेस को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का विचार उक्त ट्रेनों को सप्ताह में एक दिन की बजाय सप्ताह में तीन दिन चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 2009-10 के रेल बजट में की गई घोषणा के अनुसार, 2236/2235 गुवाहाटी-नई दिल्ली साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस को 24 मार्च, 2010 से आरंभ कर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार में इस्पात कारखानों की स्थापना

3322. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के वैशाली, पश्चिम चम्पारन और गया जिलों में इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए आधारशिला 2008 के दौरान रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों की स्थापना में विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त कारखानों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) इस्पात कारखानों की स्थापना हेतु आधारशिला बेतिया (पश्चिम चंपारन) में वर्ष 2007 में और मनहार (वैशाली) तथा गया में वर्ष 2008 में रखी गई थी।

(ख) से (घ) उक्त तीनों स्थानों में कारखानों की स्थापना में होने वाले विलंब के कारण, उनकी वर्तमान स्थिति और उन्हें आरंभ करने की संभावित तिथि नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	स्थानों के नाम	विलंब के कारण	वर्तमान स्थिति	कारखानों की आरंभ होने की संभावित तिथि
1.	बेतिया पश्चिम चंपारन	-खराब मौसम के कारण निर्माण कार्य शुरू होने में विलंब होना। -बिहार राज्य बिजली बोर्ड से विद्युत की उपलब्धता में विलंब होना।	-निर्माण एवं ढांचागत कार्य पूरे होने वाले हैं। -उपस्करों का उत्थान कार्य प्रगति पर है।	सितंबर, 2010 तक प्रत्याशित होने वाले हैं।
2.	मनहार वैशाली	-भूमि गहरी होने और बाढ़ संभावित होने की वजह से जमीन की भराई में अधिक परियोजना समीक्षाधीन है। -कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित किया जाना प्रतीक्षित है।	-मृदा जांच कार्य पूरे हो गए हैं।	परियोजना की चरण-2 स्वीकृति से 18 माह।
3.	गया	-कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित किया जाना प्रतीक्षित है।	-मृदा जांच कार्य पूरे हो गए है।	परियोजना की चरण-2 स्वीकृति से 18 माह।

[हिन्दी]

एलपीजी सिलेंडरों की तस्करी

3323. श्री अर्जुन राय: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल में एलपीजी सिलेंडरों की तस्करी की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों के एलपीजी वितरकों द्वारा भारत से नेपाल को एलपीजी सिलिंडरों की तस्करी का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

औषधियों के अनुसंधान के लिए निवेश

3324. श्री रमेश राठौड़: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औषधियों के अनुसंधान के लिए योजनाबद्ध निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान किस पद्धति और रीति से प्रस्तावित निवेश की योजना बनाई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औषध डिजाइन खोज तथा विकास के संबंध में भारतीय औषध नवाचार उद्यम निधि की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है।

इस्पात के आयात पर प्रतिबंध

3325. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक प्रमुख घरेलू इस्पात कंपनियों ने चीन और पूर्व-यूरोपीय देशों द्वारा व्यापक स्तर पर पाटन किए जाने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात के आयात पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) घरेलू इस्पात उद्योग ने देश में स्टील के आयात के संबंध में एंटी डंपिंग की जांच करने हेतु हाल ही में निम्नलिखित दो याचिकाएं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड सर्विसेज (डीजीएडी एंड एएस) के पास दायर की हैं:-

(1) डीजीएडी एंड एएस द्वारा प्रथम जांच तीन, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, थाइलैंड और यूएसए से भेजे गए कोल्ड-रोल्ड उत्पादों के आयात के विरुद्ध 25.11.2008 को आरंभ की गई थी। यह जांच मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर विलंब की गई थी। नामित अथॉरिटी ने 24.11.2009 को अधिसूचित अपने अंतिम निष्कर्षों में अंतिम निष्कर्षों की पुष्टि कर दी है और स्टील के प्रकार, निर्माता देश, आयात का उद्गम स्थान और उत्पादक के आधार पर 12.74 से 2254.64 अमरीकी डालर प्रति टन तक की भिन्न-भिन्न दरों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

(2) दूसरी जांच चीन, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, फिलिपीन्स, रोमानिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, तुर्की, उक्रेन से भेजे गए हॉट-रोल्ड उत्पादों के आयात के विरुद्ध 28.11.2008 को आरंभ की गई थी। इस जांच हेतु आवेदन मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड, इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। घरेलू उद्योग के अनुरोध पर यह जांच कार्य दिनांक 11.8.2009 को नामित अथॉरिटी द्वारा जारी अधिसूचना के तहत समाप्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) विद्यमान विदेशी व्यापार नीति के अनुसार देश में इस्पात की प्रमुख श्रेणियों का आयात स्वतंत्र है और इस्पात मंत्रालय, इस्पात के आयात को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखता है।

उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना

3326. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त उद्यम ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, ओमान (ओएमआईएफसीओ) ओमान के अलावा किसी अन्य देश में किसी उत्पादन इकाई की स्थापना की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक गैस का स्वामित्व अधिकार

3327. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) और रिलायंस नैचुरल रिसोर्सिज लि. (आरएनआरएल) के बीच उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले में प्राकृतिक गैस के स्वामित्व अधिकार की तुलना में इसके मूल्य निर्धारण के बारे में अधिक चिंतित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्वयं को गैस क्षेत्रों को मालिक बताने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 297(झ) में कहा गया है कि 'क्षेत्रीय समुद्र अथवा महाद्वीपीय समुद्री सतह अथवा अनन्य आर्थिक अंचल के भीतर महासागर में समस्द भूमि, खनिजों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर भारत का अधिकार होगा और उन्हें संघ के उद्देश्यों के लिए संघ में धारित रखा जाएगा। सातवीं अनुसूची के तहत सूची-1 में प्रविष्टि 53 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ भारत के संघ को तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विनियमन और विकास हेतु भारत के संघ को अधिकार प्रदान किया गया है। तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में अन्य बातों के साथ-साथ भारत में पेट्रोलियम प्रचालनों के विनियमन और पेट्रोलियम के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के लिए लाइसेंस और पट्टे मंजूर करने के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय समुद्र, महाद्वीपीयी समुद्री सतह, अनन्य आर्थिक अंचल और अन्य सामुद्रिक अंचल अधिनियम, 1976 में प्रावधान है कि अन्वेषण संदोहन संरक्षण और प्रबंधन और साथ ही ज्वार-भाटे पवन और विद्युत धाराओं से ऊर्जा का उत्पादन करने के उद्देश्य के लिए सभी सजीव और निर्जीव, दोनों प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर, संघ का संप्रभु अधिकार होगा।

इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन भारत सरकार की संपत्ति हैं और उन्हें अन्वेषण के लिए कोई ब्लाक प्रदान कराते समय भारत सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) में शामिल कर लिया गया है।

(ख) सरकार और व्यापक रूप में जनता के हित की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा आरएनआरएल और आरआईएल के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा आरक्षित है।

नैसिल का लागत कटौती लक्ष्य

3328. श्री पी. कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय नागर विमानन कंपनी लिमिटेड वित्तीय वर्ष के दौरान 2000 करोड़ का लागत कटौती लक्ष्य हासिल करने में विफल रही है और वह केवल 700 करोड़ रुपये की लागत कटौती कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) नैसिल को टर्नअराउंड योजना से वित्त वर्ष 2010 के दौरान 1,911 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। बहरहाल, नैसिल द्वारा वित्त वर्ष 2010 में 753 करोड़ रुपए की बचत की गई है। नैसिल के टर्न अराउंड/वित्तीय पुन:संरचना को सरकार द्वारा निरंतर मॉनीटर किया जा रहा है और अतिरिक्त वित्तीय सहायता निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है।

महिला उद्यमी 2010

3329. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय विरासत बुनकरों और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में "महिला उद्यमी 2010" नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयोजन का मुख्य निष्कर्ष क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारतीय विरासत बुनकरों और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में ''महिला उद्यमी 2010'' नामक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी वेबसाइट की रिडिजाइनिंग

3330. श्री पी. बलराम:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में सरकार वेबसाइट का पुनर्डिजाइन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक निर्धारित की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक जोन विशेषकर दक्षिण मध्य रेलवे के लिए इस पहल के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) जनता की सुविधा के लिए, मौजूदा विभिन्न मल्टीपल स्वतंत्र वेबसाइटों से एक प्लेटफार्म पर सभी वेबसाइटों को हॉस्ट करने के लिए एक पोर्टल का निर्णय किया गया है।

(ग) यह एक केन्द्रीयकृत गतिविधि है और दक्षिण मध्य रेलवे अथवा अन्य क्षेत्रीय रेलों के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।

तमिलनाडु में आमान परिवर्तन

3331. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में नागापट्टीनम-वेलकन्नी (14 कि.मी.) का आमान परिवर्तन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) नागापट्टिनम-वेलनकन्नी नई लाइन का कार्य नागापट्टिनम-वेलकन्नी-तिरुतुरपुंडि आमान परिवर्तन परियोजना के विस्तार सहित तिरुचिरापल्ली-नागौर करैईकल का एक हिस्सा है। इस नई लाइन के कार्य में से, रेलपथ को जोड़ने और इंजन रोलिंग का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। इस नई लाइन को बकाया कार्यों के पूरा हो जाने और रेल संरक्षा आयुक्त का अनुमोदन मिलने के पश्चात् अगले 2-3 महीनों में चालू कर दिया जाएगा।

2010-11 के दौरान इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

न्यायालयों मे लंबित मामले

3332. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालयों विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के न्यायालयों में बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं से संबंधित मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु और अधिक न्यायालयों की स्थापना करने तथा विद्यमान न्यायालयों में और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित मामलों को समयबद्ध रूप से निपटाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) वित्तीय सेवा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में 96,789 मामलों सहित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में 31.3.2009 को जनरल इंश्योरेंस (पब्लिक सेक्टर) एसोसिएशन ऑफ इंडिया की समस्त सदस्य कंपनीयों के संबंध में 9,90,188 मोटर दुर्घटना दावा मामले लंबित थे।

(ग) से (ङ) वर्तमान में ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अधिक न्यायालयों की स्थापना करने और विद्यमान न्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए कोई योजना नहीं है।

केरल में यात्री रेलगाड़ियां

3333. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को केरल सरकार से केरल से निम्नलिखित नई यात्री रेलगाड़ियां चलाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं: (1) तिरुवनंतपुरम से मंगलापुरम और कोयम्बतूर होते हुए बंगलौर तक, (2) तिरुवनंतपुरम से कोंकण होते हुए मुम्बई तक, (3) तिरुवनंतपुरम से कोंकण होते हु नई दिल्ली तक, (4) कोझीकोड से गोवा तक, (5) कन्याकुमारी से गोवा तक, और (6) कालीकट-नागपुर होते हुए निजामुद्दीन;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, हां। केरल सरकार से एक अभ्यावेदन दिनांक 6.2.2008 को प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लिखित प्रस्ताव शामिल हैं। केरल सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित गाड़ियां चलाई गई हैं:

1. कोयम्बटूर के रास्ते 2257/2258 को कोच्चुवेली-त्रिनेलवेली एक्सप्रेस को 22.2.2009 से चलाया गया है।
2. पनवेल (मुम्बई) के रास्ते 2997/2998 हापा-त्रिनेलवेली एक्सप्रेस को 30.3.2010 से चलाया गया है।
3. कोंकण के रास्ते 2431/2432 तिरुवनंतपुरम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करके इसे 3.12.2009 से सप्ताह में दो दिन के बजाय तीन दिन चलाया जा रहा है।
4. कोझीकोड को गोवा से जोड़ने के लिए 2483/2484 अमृतसर-कोच्चुवेली एक्सप्रेस (25.1.2009 से) और 2487/2488 देहरादून-कोच्चुवेली एक्सप्रेस (22.2.2009 से) को चलाया गया है।
5. कन्याकुमारी को गोवा से जोड़ने के लिए पनवेल (मुम्बई) के रास्ते 2997/2998 हापा-त्रिनेलवेली एक्सप्रेस को 30.3.2010 से चलाया गया है।
6. इसके अलावा, उल्लेखनीय है कि निजामुद्दीन-नागपुर के रास्ते चलने वाली 6687/6688 मंगलोर-जम्मूतवी एक्सप्रेस इस समय नागपुर के रास्ते कालीकट-निजामुद्दीन के बीच संपर्क मुहैया करा रही है।

[हिन्दी]

सूरतगढ़ और सादुलपुर के बीच रेल संपर्क

3334. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सरदारशहर तारानगर तथा सरदारशहर से हनुमानगढ़ होते हुए सूरतगढ़ और सादुलपुर के बीच एक नया रेल संपर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरदारशहर से सूरतगढ़ के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त कार्य के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सूरतगढ़-सरदारशहर-सादुलपुर (220 कि.मी.) के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। सरदारशहर-हनुमानगढ़ (145 किमी.) के लिए अद्यतन सर्वेक्षण प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) नई लाइनों के कार्य स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

रेलवे की भूमि पर स्टेडियम और बारातघर

3335. डॉ. संजय सिंहः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे का विचार सुलतानपुर में रेलवे की भूमि पर स्टेडियम और बारातघर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सुल्तानपुर में रेलवे स्टाफ के लिए एक बारातघर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के विकास, खंड में रेल विद्युतीकरण और दोहरीकरण के कार्यों को देखते हुए भूमि की तंगी के कारण सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास स्टेडियम का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

रेल उपरि पुल

3336. श्री पी.के. बिजू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में राज्यवार कितनी रेल उपरि पुल परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों से केवल रेलवे द्वारा राज्यवार चल रही कितनी परियोजनाओं पर कार्य किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार के सहयोग से राज्यवार चल रही कितनी परियोजनाओं पर कार्य किया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपरि पुलों के निर्माण पर रेलवे द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ङ) केरल में मुलकुन्नाथुकावू, अथानी तथा बडाक्ककेन-चेटी में उपरि पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ताप्ती गैस क्षेत्र से तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

3337. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताप्ती गैस क्षेत्र से तेल और प्राकृतिक गैस का व्यवसायिक उत्पादन कब तक प्रारंभ होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार इन क्षेत्रों से 'प्रोफिट पेट्रोलियम' प्राप्त करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात सरकार को भी इसके लाभ का हिस्सा दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्र एनरॉन (30%), रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) (30%) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) (40%) के परिसंघ को प्रदान किया गया था। संविदा पर 22.12.1994 को हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रचालन संयुक्त रूप से ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि. (बीजीईपीआईएल) (30%), आरआईएल (30%) और ओएनजीसी (40%) के परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। ताप्ती क्षेत्र से गैस और कंडेन्सेट का वाणिज्यिक उत्पादन जून, 1997 से शुरू हुआ। इस क्षेत्र से मौजूदा उत्पादन लगभग 4100 बैरल प्रतिदिन कंडेन्सेट और 9 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) गैस है।

ओएनजीसी 755.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उत्तरी ताप्ती क्षेत्र का विकास करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में 10 वर्षों में 4.116 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) प्राकृतिक गैस के संचयी उत्पादन की परिकल्पना की गई है जिसके मार्च, 2011 तक शुरू होने की संभावना है।

(ख) और (ग) इनकी स्थापना से दिसंबर, 2009 तक मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से भारत सरकार को देय लाभ पेट्रोलियम 493.84 मिलियन अमरीकी डालर (2284.07 करोड़ रुपए) है।

(घ) और (ङ) पीएससी के प्रावधानों के अनुसार लाभ पेट्रोलियम को संविदाकार और भारत सरकार के बीच बांटा जाता है।

विमानपत्तनों पर आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था

3338. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपातस्थिति के मामलों से निपटने के लिए विमानपत्तनों की मौजूदा व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बहुस्तरीय प्रणाली के कारण प्राधिकारियों को विशेषकर विमानपत्तनों पर आपातस्थिति के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर आपातस्थिति से निपटने के लिए कोई नए उपाय तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) हवाईअड्डों पर विमान का प्रचालन शुरू करने के लिए सभी हवाईअड्डों पर उपयुक्त स्तर पर अग्निशमन एवं संरक्षा सेवाओं तथा

सुरक्षा का अनुरक्षण नागर विमानन संगठन (इकाओ)/नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)/नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) के अनुरूप किया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों यथा विमान अपहरण, बम की धमकी, विमान दुर्घटना, खराब विमान को हटाने, भवन में आग लगने तथा विमान में आग, गैर अनुसूचित संदिग्ध विमान आदि शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इकाओ/डीजीसीए/बीसीएएस द्वारा निर्धारित प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार विमान संबंधी आपातकालीन स्थितियों से निपटा जाता है।

उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश

3339. श्री रामसिंह राठवा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रति एक लाख की जनसंख्या पर उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 1.4.2010 को यथाविद्यमान न्यायाधीशों की अनुमोदित पद संख्या और कार्यरत पद संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण, संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है। अतः पदस्थ न्यायाधीशों की और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या के संबंध में जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की अपेक्षित पद संख्या गत पांच वर्षों के दौरान मुख्य मामलों के राष्ट्रीय औसत संस्थान या उस उच्च न्यायालय में प्रतिवर्ष प्रति न्यायाधीश मुख्य मामलों के निपटान की औसत दर, इनमें जो भी अधिक हो, से विभाजित करके निकाली जाती है। किसी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की अपेक्षित पद संख्या दो वर्ष से अधिक लंबित मुख्य मामलों की संख्या को राष्ट्रीय औसत से या उस उच्च न्यायालय में प्रतिवर्ष न्यायाधीश मुख्य मामलों के निपटान की औसत दर से, इनमें से जो भी अधिक हो, विभाजित करके निकाली जाती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद संख्या का प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्विलोकन किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	तारीख 1.4.2010 को अनुमोदित पद संख्या	तारीख 1.4.2010 को पदस्थ न्यायाधीशों की संख्या
1	2	3	4
अ.	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	**31**	**27**
आ.	**उच्च न्यायालय**		
1.	इलाहाबाद	160	76
2.	आंध्र प्रदेश	49	33
3.	बम्बई	75	64
4.	कलकत्ता	58	36
5.	छत्तीसगढ़	18	12
6.	दिल्ली	48	41
7.	गुवाहाटी	24	20
8.	गुजरात	42	24
9.	हिमाचल प्रदेश	11	11
10.	जम्मू और कश्मीर	14	9
11.	झारखंड	20	14
12.	कर्नाटक	50	40
13.	केरल	38	31
14.	मध्य प्रदेश	43	33
15.	मद्रास	60	54
16.	उड़ीसा	22	16

1	2	3	4
17.	पटना	43	29
18.	पंजाब और हरियाणा	68	47
19.	राजस्थान	40	27
20.	सिक्किम	3	2
21.	उत्तराखंड	9	9
	कुल	895	628

गुजरात में विमानपत्तन

3340. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में एक नए विमानपत्तन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात के विद्यमान विमानपत्तनों का उन्नयन और उनका आधुनिकीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारत सरकार को हाल ही में गुजरात राज्य सरकार की ओर से गुजरात में अहमदाबाद हवाईअड्डे से 100 किमी. की दूरी पर विशेष निवेश क्षेत्र में धोलेरा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 35 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों की आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट तथा सूरत हवाईअड्डों पर सिटी साईड के साथ-साथ एयर साईड के स्तरोन्नयन/विकास से संबंधित कार्य हाथ में लिये हैं।

[हिन्दी]

उत्तराखंड में रेल परियोजनाएं

3341. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड में नई और लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजनावार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं का कार्य नियत समय के अनुसार चल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड सरकार से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) उत्तराखंड में चल रही परियोजनाओं की लक्ष्य तिथि जहां-कहीं निर्धारित है, सहित ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति और कार्य को पूरा करने की तिथि, जहां-कहीं निर्धारित है
1	2	3
नई लाइन		
1.	देवबंद (मुजफ्फरनगर), रूड़की (27.45 कि.मी.)	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। बड़े पुलों के लिए निविदाएं सौंप दी गई है।
2.	किच्छा-खटीमा (57.7 किमी.)	आंशिक अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। कार्य प्रगति नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य सरकार ने भूमि, जो वचनबद्धता के अनुसार नि:शुल्क मुहैया कराई जानी है, अभी तक रेलवे को नहीं सौंपी है।

1	2	3
3.	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग (125.09 किमी.)	कार्य को बजट 2010-11 में शामिल किया गया है।
आमान परिवर्तन		
4.	भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर (101.8 किमी.)	मिट्टी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू हो गए हैं।
5.	कानपुर-कासगंज-मथुरा-बरेली-लालकुआं (545 किमी.)	यह परियोजना अंशत: उत्तराखंड राज्य में पड़ती है, तथा यहां कार्य की प्रगति संतोषजनक है और खंड को 2010-11 में यातायात के लिए चालू करने की योजना है।

यह परियोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है।

(ङ) देवबंद-रूड़की, किच्छा-खटीमा नई लाइन और बरेली-टनकपुर आमान परिवर्तन की चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है। टनकपुर-बागेश्वर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग एवं देहरादून-कलसी नई लाइन शुरू करने और लक्सर-देहरादून के विद्युतीकरण के लिए भी अनुरोध किया गया है।

(च) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन सृजित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विधि प्रवर्तन कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक आरोप

3342. श्री वरुण गांधी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि विधि प्रवर्तक कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक आरोपों की नियमित सुनवाई करके तुरंत निपटाया जाए ताकि शक्तिशाली प्रतिवादी कार्यवाही में विलंब करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग न कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एयर इण्डिया की उड़ान के दौरान यात्रियों को असुविधा

3343. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हांगकांग से दिल्ली होते हुए मुम्बई जाने वाली एयर इण्डिया की उड़ान संख्या 311 के यात्रियों को अस्वास्थ्यकर स्थिति में यात्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि इकोनोमी क्लास के 6 शौचालयों में से चार अवरुद्ध हो गए थे और उपयोग के लायक नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। विमान द्वारा उड़ान भरने के पश्चात यह पाया गया था कि इकोनोमी श्रेणी में दो शौचालय प्रयोग योग नहीं थे। विमान में यात्रा कर रहे इंजीनियर ने शौचालय की निकासी संबंधी समस्या को ठीक कर दिया गया था और वे शौचालय प्रयोग योग्य हो गए थे।

(ग) से (ङ) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जांच की गई है और ग्राहक सेवा विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक निर्वारक कार्रवाही की जाएगी।

वस्त्र क्षेत्र का विकास

3344. श्री एम.बी. राजेशः
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत एक वर्ष में वस्त्र उत्पादों के निर्यात में अवगम्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वस्त्र उत्पादों के लिए निर्यात आधार में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान वस्त्र निर्यात 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में 70661.47 करोड़ रु. की तुलना में 72036.31 करोड़ रु. का हुआ इस प्रकार इसमें 1.95 की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान भारत के समग्र निर्यातों में वस्त्र एवं क्लोदिंग (टीएंडसी) का भाग 2008-09 में 10.82% की तुलना में 12% था।

(ग) और (घ) नवीनतम उद्योग वार रोजगार आंकड़ों के अनुसार (दिसंबर 2009 में समाप्त तिमाही के लिए) अपैरल, हथकरघा और विद्युतकरघा सहित वस्त्र क्षेत्र में रोजगार की संख्या दिसंबर 2008 की तुलना में 4.68 लाख तक चली गई है।

(ङ) सरकार ने यूनियन बजट 2009-10 के एक भाग के रूप में और विदेश व्यापार नीति 2009-14 की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वस्त्र निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कर रियायत, मौजूदा शुल्कों पर रियायत, निर्यात संबंधी कतिपय करों से छूट, ऋण सीमा में वृद्धि, शुल्क हकदारी योजना का विस्तार सहित अनेक प्रोत्साहन शुरू किए हैं। सरकार विभिन्न केन्द्रित देशों में भारत के वस्त्र एवं क्लोदिंग उत्पादों की स्वीकार्यता में वृद्धि करने के मद्देनजर वस्त्र एवं क्लोदिंग के सभी क्षेत्रों में भारत की क्षमता एवं मूल्यवर्धित शृंखला की क्षमता को दर्शाने के लिए मेगा वस्त्र शो भी प्रवर्तित कर रही है।

[हिन्दी]

न्यायालयों से बाहर मामलों का निपटारा

3345. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः
श्री अनंतकुमार हेगड़ेः
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंहः**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उन मामलों को न्यायालय से बाहर निपटाने के लिए किसी वैकल्पिक प्रणाली को लागू करने का है जिनमें सरकार भी एक पक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन मामलों की संख्या का आकलन किया है जिनमें वह एक पक्ष है;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में इस प्रकार के कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ङ) लंबित मामलों की कुल संख्या में इस प्रकार के मामलों का प्रतिशत कितना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाएं खरीदने की शर्तें

3346. डॉ. चरण दास महन्तः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लघु भेषज क्षेत्र से कम कीमतों पर दवाओं की खरीद करने के लिए पण्यावर्त्ता खण्ड शर्त लागू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार को दवाओं की खरीद करने वाली विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा पण्यावर्त्त खण्ड की रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस खण्ड को हटाने में सक्षम नहीं हो पा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (च) दवा खरीदने वाले प्रत्येक सरकारी विभाग की अलग शर्तें होती हैं। इन शर्तों को निर्धारित करने का उद्देश्य उपलब्ध सर्वोत्तम मूल्य पर गुणवत्तायुक्त दवाइयां खरीदना है।

भूतपूर्व सैनिक के लिए आयु सीमा में छूट

3347. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समूह क और समूह ख के पदों पर नियुक्त के लिए भूतपूर्व सैनिकों की उच्चतम आयु सीमा में छूट के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 7.9.1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/15/79-स्था (सी) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जहां पर उपरोक्त उपबंधों को लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (घ) समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों की उच्चतम आयु सीमा में छूट के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 7.9.1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/15/79-स्था (सी) को दिनांक 9 दिसम्बर, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6(55)/79-बीपीई (जीएम-1) के तहत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अग्रेषित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में इन अनुदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है।

पीएसयू में रिक्त पद

3348. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद काफी समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उक्त उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) भारी उद्योग विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के रिक्त पदों की स्थिति और इन पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई/इन पदों को नहीं भरने के कारण नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	इन पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई/ इन पदों को नहीं भरने के कारण
1	2	3
1.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेश का पद नहीं भरने का निर्णय लिया गया है क्योंकि कंपनी वेतन/मजदूरी और कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक देयताओं के लिए भी सरकार की बजटीय सहायता पर आश्रित है। भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लि. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री ए.के. जैन फिलहाल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीएसएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
2.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. (टीएसपीएल)	
3.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कं.लि. (एचपीएफ)	चूंकि कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि एचपीएफ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद नियमित आधार पर न भर कर इसे अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से संचालित किया जाए। फिलहाल, एचपीएफ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार कंपनी के निदेशक (एफ) के पास है।

1	2	3
4.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल)	नियत प्रक्रिया के बाद और पीईएसबी की सिफारिशों के अनुसार, टीसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया है। फिलहाल, टीसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार कंपनी के निदेशक (एफ) के पास है।
5.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)/ सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल)	रिक्ति को भरने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए पीईएसबी के साथ मामला उठाया गया है। फिलहाल, आरईआईएल के प्रबंध निदेशक एचएसएल/एसएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
6.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआई)	दो व्यक्तियों के लिए पीईएसबी की सिफारिशें 2.2.2010 को प्राप्त हुई हैं। सीवीसी अनापत्ति भी 19.3.2010 को प्राप्त हो गई है। उम्मीदवार के चयन के लिए विभाग में मामले पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल, सीसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार कंपनी के निदेशक (एफ) के पास है।
7.	एचएमटी (बेयरिंग्स) लि.	इस कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी क्योंकि पीईएसबी द्वारा चयनित उम्मीदवार कम वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों के कारण कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं। एसीसी ने 24.12.2009 को एचएमटी (बेयरिंग्स) लि. के प्रबंध निदेशक की नियमित नियुक्ति के पैनल को स्क्रैप कर दिया है। इस बीच, पीईएसबी के पद को नए सिरे से परिचालित करने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल, एचएमटी (बेयरिंग्स) लि. के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार निदेशक (प्रचालन) एस.जी. श्रीधर संभाल रहे हैं।
8.	एचएमटी (चिनार वाचेज) लि.	बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर जम्मू और कश्मीर सरकार को यूनिट के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिए जाने के कारण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पद को नहीं भरने का निर्णय किया गया है। फिलहाल, एचएमटी चिनार वाचेज के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार एचएमटी लि. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संभाल रहे हैं।

बुनकरों को विद्युत आपूर्ति पर राजसहायता

3349. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बुनकर समुदाय की कार्य दशाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार करने का है अथवा ऐसी कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों को बुनकरों को विद्युत पर राजसहायता देने के निदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना, हथकरगा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, मिल गेट कीमत योजना, विविधीकृत हथकरघा विकास योजना नामक पांच योजनाएं पहले ही तैयार करके कार्यान्वित कर रही हैं। भारत सरकार विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास तथा इसके बुनकरों के कल्याण

के लिए भी निम्नलिखित योजनाएं तैयार करके कार्यान्वित कर रही है:-

1. विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 20% मार्जिन राशि सब्सिडी स्कीम
2. संशोधित समूह कार्यशाला स्कीम
3. समूह बीमा स्कीम
4. एकीकृत विद्युतकरघा क्लस्टर विकास स्कीम जिसमें निम्नलिखित घटक हैं

   (1) विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए विपणन विकास कार्यक्रम (2) हथकरघा क्षेत्र का प्रदर्शन दौरा (3) विद्युतकरघा क्षेत्र का सर्वेक्षण (4) विद्युतकरघा क्लस्टर विकास (5) कौशल विकास और सुधार
5. कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन केन्द्र

(ग) से (ङ) हथकरघा बुनकरों सहित लोगों को विद्युत/बिजली आपूर्ति करना उत्तर प्रदेश सहित संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है अत: हथकरघा बुनकरों के बिजली बिलों पर सब्सिडी मुहैया कराने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, विद्युतकरघा क्षेत्र के बुनकरों को निरंतर बिजली की आपूर्ति उचित दर पर करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए थे।

नकली दवा रोधी कानून

3350. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्या सरकार द्वारा पारित नकली दवा रोधी कानून भारतीय कंपनियों द्वारा निर्यात की जाने वाली जेनरिक दवाओं को अवैध ठहराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के कदम के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई अन्य अफ्रीकी देशों ने भी इसी प्रकार का विधान बनाने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उक्त देशों की सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) वाणिज्य विभाग ने यह सूचित किया है कि नकली दवा रोधी कानून बनाने के संबंध में केन्या की सरकार के प्रस्ताव के बारे में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स एलायन्स द्वारा जनवरी 2009 में वाणिज्य विभाग को जानकारी दी गई थी। केन्या की सरकार द्वारा नकली दवा रोधी अधिनियम अब बना दिया गया है। केन्या के नकली दवा रोधी अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें केन्या में ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में पंजीकृत बौद्धिक संपदा अधिकारों को मान्यता दी गई है। यदि कोई औषध उत्पाद केन्या (गन्तव्य देश) अथवा भारत (स्रोत देश) में पंजीकृत अथवा पैटेंटशुदा नहीं हो लेकिन अन्यत्र पैटेंट के रूप में पंजीकृत हो तो भी उसका भारत से केन्या में निर्यात होने पर उसे केन्या में नकली समझा जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। केन्या के इस अधिनियम के ये प्रावधान 'ट्रिप्स करार का उल्लंघन' करते हैं।

(ग) जाम्बिया, उगांडा तथा घाना से भी इसी तरह की कार्रवाइयों की सूचना मिली है। यह बताया गया है कि केन्या के सिवाय किसी अन्य देश ने अब तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया है।

(घ) और (ङ) वाणिज्य विभाग ने यह सूचित किया है कि भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने इस मुद्दे को केन्या के व्यापार मंत्री के साथ उठाया था और भारत के वाणिज्य सचिव ने इस मामले को नैरोबी में भारत के उच्चायुक्त और जाम्बिया, उगांडा तथा घाना में स्थिति भारतीय मिशनों के साथ उठाया है और उनसे कहा है कि वे संबंधित देशों के संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएं और उनके ध्यान में यह बात लाए कि उनके देशों में औषध उत्पादों के आयात को विनियमित करने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई से भारतीय जेनरिक औषधियों की उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षण

3351. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरक इकाइयों की स्थापना

3352. श्री सज्जन वर्मा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में उर्वरक इकाइयों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार और स्थान-वार कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के देवास जिले सहित उक्त स्थानों पर उर्वरकों के उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इन इकाइयों को कच्चा माल किस स्रोत से उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) देश में उर्वरक इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अस्थमा रोधी समपाकों के उच्च मूल्य

3353. डॉ. बलीराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण अधिनियम (एनपीपीए) को लेवोसालब्यूटामोल, सालब्यूटामोल दमारोधी तथा नारफलोक्सासिन+मेट्रोनिडाजोल समपाकों को बिना मूल्य निर्धारण के या अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेचने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों, उत्पादों के नाम, संरचना के अधिकतम खुदरा मूल्य तथा वसूली गई अधिक राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वसूली गई अधिक धनराशि की रिकवरी के लिए एनपीपीए द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को यह जानकारी मिली है कि लेवोसालब्यूटामोल, एंटी अस्थमेटिक सालब्यूटामोल तथा नारफलोक्सासिन+मेट्रोनिडाजोल फार्मूलेशन बनाने वाली कंपनियां मूल्यों के संबंध में अनुमोदन लिए बिना अथवा अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर अपने उत्पाद बेच रही हैं।

उपलब्ध सूचना के आधार पर एनपीपीए ने कुछ कंपनियों को लेवोसालब्यूटामोल और सालब्यूटामोल युक्त अपने एंटी अस्थमेटिक फार्मूलेशनों की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर करने के परिणामतः कारण बताओ नोटिस/मांग नोटिस जारी किए हैं। ऐसी कंपनियों, फार्मूलेशनों, अधिप्रभारित अनुमानित रकम तथा इसकी वसूली की स्थिति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। सालब्यूटामोल बल्क औषध तथा तत्संबंधी फार्मूलेशन से संबद्ध कई मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं और इसलिए ये मामले न्यायनिर्णयन अधीन हैं। अधिप्रभारित रकम की वसूली अदालती मामलों में निर्णय पर निर्भर होगी।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम (मैसर्स)	फार्मूलेशन का नाम	अधिप्रभारित अनुमानित राशि और ब्याज (लाख रुपये में)	वसूल हुई रकम (लाख रुपये में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स सिप्ला लि.	सालबूटामोल	6655.43		मामला न्याय-निर्णयाधीन है।
2.	एसजीएस फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	सालबूटामोल टेबलेट्स	0.17	0.12	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4	5	6
3.	मनीष फार्मा लेब	सालबूटामोल सल्फेट	0.23	0.23	रकम वसूल हो जाने के परिणामत: मामला समाप्त कर दिया गया।
4.	कोपरेन लेब	सालबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	698.9		मामला न्याय-निर्णयाधीन है।
5.	यू.एस. विटामिन्स लि./ नियो फार्मा	सालबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	32.5	10.37	प्रक्रियाधीन
6.	बिडल सायर लि.	सालबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	27.47		प्रक्रियाधीन
7.	सिप्ला लि.	सालबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	45064.61		मामला न्याय-निर्णयाधीन है।
8.	खंडेलवाल लेब्स	सालबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	2.74	2.74	रकम वसूल हो जाने के परिणामत: मामला समाप्त कर दिया गया।
9.	एसके फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	डेक्सारेस टेबलेट्स और सालबूटामोल सल्फेट टेबलेट्स	14.75		सरकारी परिसमापक के पास भेज दिया गया।
10.	मैसर्स करनानी फार्मा प्रा.लि.	सलबेक्सिन टेबलेट्स	0.08	0.08	रकम वसूल हो जाने के परिणामत: मामला समाप्त कर दिया गया।
11.	इरोस फार्मा	सलबिड़ 4 एमजी और 8 एमजी	1.62	1.62	रकम वसूल हो जाने के परिणामत: मामला समाप्त कर दिया गया।
12.	सिप्ला लि.	लिवो सालबूटामोल आधारित फार्मूलेशन	1731.24		मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

इस्पात मूल्य

3354. **श्री जे.एम. आरुन रशीद:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनेक उत्प्रेरक पैकेजों के बावजूद संबंधित उद्योगों द्वारा इस्पात के मूल्यों को कम न किए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इस्पात के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय ने इस्पात की खुदरा बाजार कीमतों पर विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों के प्रभावों के परीक्षण के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। इस्पात की कीमतें नियंत्रणमुक्त हैं तथा

आदान सामग्रियों की कीमत, आपूर्ति-मांग अन्तराल तथा इस्पता की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे अनेक परस्पर जुड़े हुए कारकों पर निर्भर करती हैं।

(ग) और (घ) इस्पात की कीमतों को निर्धारित करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण गठित किए जाने के लिए इस्पात मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेल में प्रशिक्षु प्रशिक्षण

3355. कुमारी सरोज पाण्डेयः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में प्रशिक्षुओं के व्यावसायिक ट्रेड शिक्षुता तथा प्रशिक्षण हेतु क्या नीति है;

(ख) ऐसे कौन से संयंत्र हैं जहां ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षकों की संख्या क्या है तथा उन प्रशिक्षुओं के चयन का क्या आधार है;

(ग) क्या सेल द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रशिक्षित/कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) दि अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के प्रावधान के अनुसार ट्रेड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान सेल के संयंत्रों में प्रदान किए गए प्रशिक्षणों का स्थान-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संयंत्र	ट्रेड प्रशिक्षुओं की संख्या
भिलाई इस्पात संयंत्र	87
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	47
राउरकेला इस्पात संयंत्र	48 (वर्तमान में प्रशिक्षणरत)
बोकारो इस्पात संयंत्र	392 (वर्तमान में 254 प्रशिक्षणरत)
अलॉय इस्पात संयंत्र	125
सेलम इस्पात संयंत्र	152 (वर्तमान में 22 प्रशिक्षणरत)

दि अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत, प्रशिक्षण के लिए ट्रेड प्रशिक्षुओं के चयन का आधार संयंत्र दर संयंत्र भिन्न-भिन्न होता है जिसमें स्थानीय रोजगार कार्यालय से नामांकन, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, सरकारी आईटीआई से प्रायोजित आदि शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सेल के लिए प्रशिक्षण और विकास गतिविधियां प्रमुख रूप से जोर देने वाले क्षेत्र हैं और ये भारत सरकार के साथ इसके समझौता ज्ञापन का भी हिस्सा है। कर्मचारियों के लिए अभिज्ञात की गई प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की आवश्यंकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण उनकी प्रविष्टि स्तर से प्रारंभ होता है और उनके संगठन छोड़ देने तक उन्हें समय पर प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जैन

3356. श्री राजू शेट्टीः क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित करने का है जैसा कि कुछ राज्यों में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा एम्प्लाइड क्रिकेट खिलाड़ी

3357. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक एयर इंडिया द्वारा किन क्रिकेट खिलाड़ियों को नियोजित किया गया है;

(ख) उनके नियोजन का कारण तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इन खिलाड़ियों के वेतन का वार्षिक बिल कितना है; और

(घ) उनके नियोजन का उद्देश्य किस सीमा तक पूरा हुआ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों की ढुलाई

3358. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया को अनियंत्रित उर्वरकों की श्रेणी में रखने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्य सरकारों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की ढुलाई के लिए पर्याप्त रेक उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) रेल मंत्रालय पूरे देश में उर्वरकों की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में रेक उपलब्ध करा रहा है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2009-10 के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बनाई रखी गई है जो निम्न प्रकार है:-

(मात्रा लाख मी. टन में)

उत्पाद	2009-10		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
यूरिया	281.90	265.97	264.48
डीएपी	106.98	104.09	103.92
एमओपी	43.85	47.60	46.74
मिश्रित उर्वरक	87.73	83.38	82.03

उर्वरकों की आपूर्ति (उपलब्धता) एक बिक्री संबंधी कार्य है। उर्वरक कंपनियां इन उर्वरकों की बिक्री के आधार पर उर्वरकों को किसी राज्य विशेष में भेजती हैं। उर्वरक विभाग राज्य स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखता है, ताकि उर्वरकों की उपलब्धता आकलित आवश्यकता के समान सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में उपनगरीय रेल सेवा

3359. श्री टी.आर. बालू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का तमिलनाडु में पटरियां बिछाकर उपनगरीय रेल सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात

3360. श्री एस. सेम्मलई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने विदेशों में नए बाजारों का पता लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सूचित किया गया है हस्तशिल्प के निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अतिरिक्त सीआईएस, अफ्रीका, लेटिन अमरीकी देशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए योजना तैयार की गई है। इसके अलावा, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अर्जेंटीना, कोलम्बिया, ओमान आदि देशों में ब्रांड इमेज कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अनुवर्ती

कार्यक्रमों के रूप में अर्जेंटीना एवं कोलम्बिया में लोक शिल्प उत्सव आयोजित किए गए।

(ग) हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ाए जाने हेतु किए जाने वाले उपायों में विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले का आयोजन, थिमेटिक प्रदर्शनी का आयोजन करना, पैकेजिंग एवं निर्यात प्रक्रिया के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन और विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प का ब्रांड इमेज संवर्धन आदि शामिल है। 27.9.2009 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति 2009-14 में, फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) के तहत, सभी हस्तशिल्प उत्पादों को विशेष फोकस उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार, फोकस उत्पादों के लिए 2 प्रतिशत की सामान्य दर के स्थान पर ये निर्यात के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लाभ के पात्र हैं।

प्रचालनाधीन विमानपत्तन

3361. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कुल कितने विमानपत्तन प्रचालनाधीन हैं;

(ख) क्या नेशनल एवियेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड उक्त सभी विमानपत्तनों पर हवाई उड़ानों का प्रचालन करती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) देश में 107 प्रचालनरत हवाईअड्डे हैं जिनका प्रबंध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में एएआई के 09 प्रचालनरत हवाईअड्डे हैं जिनके नाम हैं अकोला, औरंगाबाद, गोंदिया, जुहू, कोल्हापुर (राज्य सरकार को लीज पर दिया गया), मुंबई (संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)-मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लीज पर दिया गया), नागपुर (जेवीसी-एमआईपीएल द्वारा प्रबंधित), शोलापुर (राज्य सरकार को लीज पर दिया गया) तथा पुणे (सिविल एन्क्लेव)।

(ख) से (घ) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) केवल औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर तथा पुणे हवाईअड्डों से उड़ानें प्रचालित करती हैं। तथापि, यातायात मांग और वाणिज्यिक साध्यता और सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवायें मुहैया कराना एयरलाइनों पर निर्भर है।

ग्रामीण परिवारों को एलपीजी

3362. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्तर पर राज्य-वार एलपीजी कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में एलपीजी कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों को सुविधाजनक तथा स्वास्थ्यकर खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उन्हें राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाया जा सके;

(घ) क्या ग्रामीण परिवारों विशेषकर बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाजनक तथा स्वास्थ्यकर खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि 1.2.2010 की स्थिति के अनुसार, वे देश में अपने 9557 एलपीजी के जरिए लगभग 1141.5 लाख एलपीजी ग्राहकों को आपूर्ति कर रहे हैं और लगभग 59% परिवारों को कवर कर रहे हैं। राज्यवार ब्यौरे संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) एलपीजी क्षेत्र के लिए अपनाए गए "दृष्टिकोण 2015" में अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में, जहां एलपीजी की कवरेज कम है, वहां पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एलपीजी कवरेज की आबादी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। दृष्टिकोण-2015 का उद्देश्य विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों और कम कवर किए गए क्षेत्रों में 2015 तक 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी करके देश में कम-से-कम 75% आबादी कवर करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एलपीजी के प्रयोग में वृद्धि का विस्तार सामानरूप से हो, तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज)

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना (आरजीजीएलवीवाई) के तहत चरणबद्ध ढंग से स्थलों का आकलन/पहचान कर रही हैं।

आरजीजीएलवीवाई योजना जिसका मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों सहित ग्रामीण परिवारों को एलपीजी उपलब्ध कराना है, 16.10.2009 को आरम्भ की गई है और उसके बाद योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरों हेतु आवेदन-पत्र मांगने के लिए 8 राज्यों, नामतः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विज्ञापन जारी किए गए हैं जहां एलपीजी की पहुंच बहुत कम है जिनमें इस योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में 1266 स्थलों को कवर किया गया है और दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु जैसे राज्यों के 763 स्थलों को कवर किया गया है। नीति के अनुसार इनका चयन प्रगति पर है।

इस योजना के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की स्थापना करना अब तक एक सतत प्रक्रिया रहेगी जब तक एलपीजी की कमी वाले देश के सभी भागों को एलपीजी नेटवर्क में शामिल नहीं कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

निजी विमान कंपनियों का प्रचालन

3363. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नई निजी विमान कंपनियों को उड़ान प्रचालित करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) देश में प्रचालनरत एयरलाइनों के अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) को पूरा करने वाली तीन कंपनियों को अनुसूचित विमान परिवहन (क्षेत्रीय) प्रचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए गए थे तथा एक कंपनी को अनुसूचित विमान परिवहन (कार्गो) सेवाएं प्रचालित करने के लिए आरंभिक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मैसर्स स्टार एविएशन - दक्षिणी क्षेत्र में अनुसूचित विमान परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाएं।

मैसर्स जैव एयरवेज - पूर्वी/उत्तरी पूर्व क्षेत्र में अनुसूचित विमान परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाएं।

मैसर्स किंग एयरवेज - उत्तरी क्षेत्र में अनुसूचित विमान परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाएं।

मैसर्स क्विकजेट कार्गो एयरलाइंस प्रा.लि. - अनुसूचित विमान परिवहन (कार्गो) सेवाएं।

[अनुवाद]

उर्वरक के थैलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य दर्शाना

3364. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री तूफानी सरोज:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री रमेश राठौड़:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री पी. बलराम:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोषण आधारित राजसहायता नीति को आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप यह आशंका बढ़ती जा रही है कि उर्वरक के थैलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य स्पष्ट रूप से दर्शाए नहीं जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए उर्वरकों के स्टॉक तथा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को स्पष्ट रूप से दर्शाना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या नई नीति के अनुसार उर्वरक कंपनियों को क्षेत्र तथा पूर्व-वैज्ञानिक उपयोगिता जांच किए बिना बाजार में नए उत्पाद बेचने की आजादी है; और

(घ) यदि हां, तो उर्वरक कंपनियों द्वारा गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 (एफसीओ) के खंड 21 में उत्पादकों/आयातकों और पूल हैंडलिंग एजेंसियों के अनुपालनार्थ उर्वरक वाले बैगों पर पैकिंग और मार्किंग करने के संबंध में कुछ शर्तें दी गई हैं। पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर लागू राजसहायता के साथ-साथ खुदरा मूल्य भी स्पष्ट रूप से मुद्रित करना चाहिए। मुद्रित खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई बिक्री अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगी।

(ग) और (घ) पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग, व्यय विभाग, योजना आयोग और कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकों/आयातकों के आवेदन के आधार पर राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत नए उर्वरक शामिल करने की सिफारिश करेगी और सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों को गुणात्मक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एफसीओ के विभिन्न प्रावधानों को प्रयोग में लाती हैं।

केरल में कोची में एलएनजी पेट्रोनेट परियोजना

3365. श्री एंटो एंटोनी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कोच्ची में तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पेट्रोनेट परियोजना के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ख) इस परियोजना के कार्यन्वयन की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के अनुमानित समय क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल), कोच्चि, केरल में एलएनजी टर्मिनल स्थापित कर रही है। यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और समय-सारणी के अनुसार प्रगति पर है। आज की स्थिति के अनुसार, लगभग 35% कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 3600 करोड़ रुपए (लगभग) है।

(ग) इस परियोजना की यांत्रिकी पूर्णता दिसम्बर 2011 में निर्धारित है और परियोजना के 2012 की प्रथम तिमाही में चालू हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों पर सुविधा स्टोर का खोला जाना

3366. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर ग्राहक सेवा को बढ़ाने तथा गैर-ईंधन खुदरा व्यापार को विस्तार देने के लिए 'टॉप-अप-ट्वेन्टी फोर सेवन' के नये ब्रांड के नाम से सुविधा स्टोर आरम्भ करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कितने 'सी-स्टोर' को खोले जाने की संभावना है तथा ये किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने रिपोर्ट दी है कि एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में कार्पोरेशन उत्तरी क्षेत्र में अपने मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर लगभग 100 शहरी सुविधा भंडारों की एक श्रृंखला खोलने की योजना बना रही है। लगभग 100 ऐसे 'सुविधा' भंडार मुख्यतया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के जयपुर, चंडीगढ़ आदि जैसे शहरों में खोले जाने की योजना है।

त्वरित न्यायिक प्रक्रिया

3367. श्री पकौड़ी लाल:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिक लागत तथा जटिल विधिक प्रणाली के कारण दलित, पिछड़े वर्गों तथा गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा विधिक प्रक्रिया को त्वरित तथा कम खर्चीला बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उक्त वर्गों को न्याय प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य और वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 9000/- रु. से कम है या ऐसी अधिक रकम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000/- रु. से कम है यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के निबंधनानुसार निःशुल्क विधिक सेवा के हकदार हैं. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विहित निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आय की अधिकतम सीमा विवरण में दी गई है।

न्यायालयों में मामलों के त्वरित निपटान को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि करना।

(2) न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए और न्यायालयों में सिविल तथा आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कुछ विधायी उपाय आरंभ करना। सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है और "सौदा अभिवाक्" की अवधारणा को प्रारंभ किया गया है।

(3) निपटान की अनुकल्पी रीतियों को, जिनके अंतर्गत मध्यक्ता, सुलह और मध्यस्थता भी हैं, प्रोत्साहित किया गया है।

(4) विधि के सामान्य प्रश्नों से अंतर्वलित मामलों का समूहीकरण, विशेषीकृत न्यायापीठों का गठन, विशेष न्यायालयों की स्थापना और नियमित अंतरालों पर लोक अदालतें आयोजित करने जैसे अन्य उपाय भी किए गए हैं।

(5) न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए भी उपाय किए गए हैं।

पृथकतः सरकार ने सिद्धांत रूप से राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन स्थापित करने का विनिश्चय किया है जो (1) नीतिगत परिवर्तनों की रूपरेखा प्रस्तुत करने, (2) प्रक्रियाओं को पुनः निर्मित करने, (3) मानव संसाधन विकास पर ध्यान देने, और (4) बेहतर न्याय परिदान संबंधी जानकारी तथा संसूचना प्रौद्योगिकी एवं युक्तियों का नियंत्रण करने के लिए अनेक सामरिक महत्व की पहल करने का प्रस्ताव करता है।

विवरण

अधिकतम आय सीमा

क्र.सं.	राज्य का नाम	आय सिलिंग सीमा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	50,000/- रुपए
2.	अरुणाचल प्रदेश	50,000/- रुपए
3.	असम	75,000/- रुपए
4.	बिहार	50,000/- रुपए
5.	छत्तीसगढ़	50,000/- रुपए
6.	गोवा	50,000/- रुपए
7.	गुजरात	50,000/- रुपए
8.	हरियाणा	50,000/- रुपए
9.	हिमाचल प्रदेश	50,000/- रुपए
10.	जम्मू-कश्मीर	25,000/- रुपए
11.	झारखंड	1,00,000/- रुपए
12.	कर्नाटक	50,000/- रुपए
13.	केरल	50,000/- रुपए
14.	मध्य प्रदेश	50,000/- रुपए
15.	महाराष्ट्र	50,000/- रुपए
16.	मणिपुर	50,000/- रुपए
17.	मेघालय	50,000/- रुपए
18.	मिजोरम	50,000/- रुपए
19.	नागालैंड	25,000/- रुपए
20.	उड़ीसा	1,00,000/- रुपए
21.	पंजाब	50,000/- रुपए
22.	राजस्थान	50,000/- रुपए
23.	सिक्किम	75,000/- रुपए
24.	तमिलनाडु	1,00,000/- रुपए

1	2	3
25.	त्रिपुरा	50,000/- रुपए
26.	उत्तर प्रदेश	1,00,000/- रुपए
27.	उत्तराखंड	50,000/- रुपए
28.	पश्चिम बंगाल	50,000/- रुपए
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50,000/- रुपए
30.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	50,000/- रुपए
31.	दादरा और नगर हवेली	25,000/- रुपए
	संघ राज्य क्षेत्र	
32.	दमन और दीव	25,000/- रुपए
33.	दिल्ली	50,000/- रुपए
34.	लक्षद्वीप	15,000/- रुपए
35.	पुडुचेरी	50,000/- रुपए

[अनुवाद]

मुंबई में रेल स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं

3368. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय निरुपम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव को रेलवे के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पीने के पानी की कमी और बैठने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में 2009-10 के दौरान 45 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने के लिए नगर निगम प्राधिकारियों के साथ पीने के पानी की कमी के मामले को उठाया गया है। इसके अलावा, पीने के पानी की कमी हो जाने पर, स्टेशन मास्टरों को यात्रियों के लिए पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पर आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गयी है।

उप-सेटेलाइट ग्रह स्टेशन

3369. श्री पी. करुणाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कोच्ची जैसे व्यस्त केन्द्रों के उपनगरों में कुछ रेलवे स्टेशनों को सेटेलाइट स्टेशन में परिवर्तित करने की योजना बना रही है क्योंकि बड़े स्टेशनों में स्थान की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। भारतीय रेल, दक्षिण रेलवे के तांबरम और कोचुवेली स्टेशनों को क्रमश: चेन्नई और त्रिवेंद्रम स्टेशनों के सेटेलाइट टर्मिनलों के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। बहरहाल, कोच्चि के समीप किसी स्टेशन को सेटेलाइट टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तांबरम और कोच्चुवेली स्टेशनों के विकास की जो योजना तैयार की गई है उसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

तांबरम स्टेशन का 26 सवारी डिब्बों की क्षमता सहित 2 पिट लाइनें, 26 सवारी डिब्बों की क्षमता की 1 स्टेबिलिंग लाइन, एक शंटिग नेक और एकीकृत अनुरक्षण सुविधाओं सहित चेन्नई सिटी हेतु एक सेटेलाइन कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकास किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 25.49 करोड़ रु. आंकी गयी है।

कोचुवेली स्टेशन का त्रिवेंद्रम सिटी हेतु एक सेटेलाइट कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकास किया जा रहा है। पहले चरण में एक प्लेटफार्म, 24 सवारी डिब्बों की लंबाई की क्षमता की एक पिट लाइन और स्टेबिलिंग लाइन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। कार्य के दूसरे चरण में 24 सवारी डिब्बों की लंबाई की क्षणता वाले 2 प्लेटफार्म लाइनों, 2 पिट लाइनों जिनकी प्रत्येक की क्षमता 24 सवारी डिब्बों की है और 24 सवारी डिब्बों की क्षमता वाली 2 स्टेबिलिंग लाइनों, एकीकृत मरम्मत लाइन सुविधाएं और यात्री सुविधाओं सहित परिपथन क्षेत्र के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। परियोजना की लागत 23.99 करोड़ रु. आंकी गयी है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निवेश

3370. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान अतिरिक्त निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक कंपनी द्वारा कंपनी-वार कितना अतिरिक्त निवेश किया गया;

(ग) अतिरिक्त निधियों के निवेश के बाद प्रत्येक संदर्भाधीन वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक कंपनी द्वारा कुल कितना पूंजीगत निवेश किया गया; और

(घ) उपरोक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक कंपनी के कारोबार में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-2010 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा योजना व्यय के अनुसार किया गया अतिरिक्त निवेश तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2007, 1 अप्रैल, 2008 तथा 1 अप्रैल, 2009 को उनका कुल निवल मूल्य विवरण में दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश का लक्ष्य अपने कारोबार का विस्तार और समेकन होता है, जिससे देश भर में वितरण नेटवर्क के साथ-साथ उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने तथा श्रेणी उन्नयन करते हुए अधिक ऊर्जा सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

सा.क्षे.उ.	योजना व्यय			कुल निवल मूल्य		
	2007-08	2008-09	अप्रैल, 2009 फरवरी, 2010*	1 अप्रैल, 2007 को	1 अप्रैल, 2008 को	1 अप्रैल, 2009 को
ओएनजीसी	17651.04	21820.12	20670.04	61410.00	69944.00	78084.81
ओवीएल	4529.26	16104.89	4567.69	4373.56	6305.90	11516.00
एचपीसीएल	1724.69	1294.63	2506.76	9598.65	9906.00	10730.63
ओआईएल	1210.33	1631.89	1428.38	6849.07	8006.94	9331.02
बीपीसीएल	819.61	1975.64	2752.89	10273.54	11135.00	12128.11
गेल	1349.17	2786.32	3010.35	11262.00	12842.00	14575.00
आईओसी	4889.44	10352.52	10811.68	34857.29	41086.25	43998.18
बीआरपीएल	252.14	0.00	0.00	974.80	1281.62	आईओसी के साथ विलय
एनआरएल	63.43	136.70	154.71	2044.97	2413.57	2350.65
सीपीसीएल	159.80	422.96	780.41	2637.73	3464.52	3014.52
एमआरपीएल	93.31	281.49	660.59	2756.81	3782.94	4729.40
बामर लॉरी	17.22	19.10	20.28	270.31	355.31	389.65

*मार्च 2010 तक के आंकड़े अप्रैल, 2010 के अंत में ही उपलब्ध होंगे।

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2009-10 के लिए लेखाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी

3371. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आयोजित की गई राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों में कितने हथकरघा उत्पाद बेचे गए;

(ग) क्या ऐसी राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों में पावरलूम तथा मशीनोन्मुखी वस्त्र उत्पादों की बिक्री के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों को उपलब्ध समान लाभ दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आयोजित की गई संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों की संख्या	बिक्री (लाख रुपये में)
2007-08	13	5052.42 रुपये
2008-09	17	4466.75 रुपये
2009-10	25	6196.08 रुपये
2010-11	-*	-

*सामान्यतः राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों के प्रस्ताव राज्य सरकार/हथकरघा एजेंसियों से प्राप्त होते हैं और इनके प्राप्त होने के बाद ही सहायता जारी करने के लिए स्वीकृति दी जाती है। चालू वर्ष के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) हथकरघा क्षेत्र और हथकरघा बुनकरों के व्यापक और समग्र विकास के लिए भारत सरकार निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(2) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(4) मिल गेट कीमत योजना

(5) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की अधिशेष पूंजी

3372. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास अधिशेष पूंजी है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2010 के अंत तक कंपनी-वार अधिशेष पूंजी कितनी थी;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस अधिशेष से प्रत्येक कंपनी द्वारा औसतन कितनी वार्षिक आय अर्जित की गई; और

(घ) वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान उक्त अधिशेष पूंजी में कितनी धनराशि वापिस डाली गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पास आरक्षित और अधिशेष के रूप में अधिशेष पूंजी है।

(ख) दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष द्वारा दर्शाई गई इस प्रकार की अधिशेष पूंजी की राशि 920.93 करोड़ रुपये आंकलित की गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान इस अधिशेष पूंजी से वार्षिक आय निम्नवत् है:-

वर्ष	रुपये करोड़ में
2009-10 (अनुमानित)	163.50
2008-09	144.47
2007-08	109.56
2006-07	65.08

(घ) वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान अधिशेष पूंजी की राशि निम्नवत् है:-

वर्ष	रुपये करोड़ में
2009-10 (अनुमानित)	920.93
2008-09	1319.18
2007-08	1095.89

[अनुवाद]

नेरूल तथा उरान के बीच रेल लाइन

3373. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे ने महाराष्ट्र में नेरूल और उरान के बीच रेल लाइन को संस्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) नेरूल-उरान परियोजना वासी-नेरूल-उरान कार्य का भाग है जिसे लागत में हिस्सेदारी के आधार पर (रेलवे द्वारा 1/3) शहरी और महाराष्ट्र विकास निगम लिमिटेड (सिडको) के साथ भागीदारी के साथ मध्य रेलवे द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जबकि नेरूल तक खंड का कार्य पूरा कर लिया गया है, सीवुड (नजदीक नेरूल) और उरान के बीच खंड के कार्य को निष्पादित किया जा रहा है और इस कार्य को दिसंबर, 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में विमानपत्तन

3374. श्री देवराज सिंह पटेल:
श्री शिवराज भैया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन विमानपत्तनों को विकास कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमीन दी गई है;

(ख) क्या यह कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इस प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश सरकार से और जमीन का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इन्दौर तथा खजुराहो हवाईअड्डे को भूमि सौंप दी है।

(ख) और (ग) इन हवाईअड्डों पर विभिन्न विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। भोपाल हवाईअड्डे पर 2744 मीटर तक रनवे में विस्तार तथा ग्राउंड लाइटिंग सुविधा संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 700 यात्रियों को संभालने वाले नए मॉड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण, आइसोलेशन बे तथा लिंक टैक्सी ट्रैक आदि सहित नए एप्रन संबंधी कार्य किये जा रहे हैं और इसके 2010 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इन्दौर हवाईअड्डे पर, 2750 मीटर तक रनवे में विस्तार संबंधी कार्य, लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण तथा रनवे के दोनों छोरों पर एप्रोच लाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था का कार्य पूरा हो गया है और 700 यात्रियों को संभालने वाले नए माड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य अगस्त 2010 तक पूरा हो जाने की संभावना है। खजुराहो हवाईअड्डे पर, लिंक टैक्सी ट्रैक सहित नए एप्रन के निर्माण संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं और नए टर्मिनल भवन, कार पार्क आदि के निर्माण से संबंधित कार्य जून, 2011 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार से भोपाल में 33.03 एकड़ अतिरिक्त भूमि, इन्दौर में 367.2 (चरण-2 के लिए) एवं 1978 एकड़ भूमि (चरण-2 के लिए) तथा जबलपुर में 214.07 एकड़ भूमि सौंपे जाने का अनुरोध किया गया है।

नए विमानपत्तनों का विकास

3375. श्री हरीश चौधरी:
श्री अर्जुन राय:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में नए विमानपत्तनों के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और किन-किन स्थानों पर विमानपत्तनों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए अभी तक, दिनांक 5.5.2000 को मोपा के लिए गोवा; 6.7.2007 नवी मुम्बई और 29.9.2008 को सिंधुदुर्ग के लिए महाराष्ट्र; 25.6.2008 को बीजापुर गुलबर्गा, हसन तथा सिमोगा के लिए कर्नाटक; 19.2.2008 को कन्नुर के लिए केरल राज्य सरकार को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को कुछ राज्य सरकारों की ओर से ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा (2002), कुशीनगर (2009); महाराष्ट्र सरकार की ओर से पुणे के निकट चाकन (2002), शिरडी तथा शोलापुर (2009) तथा गुजरात सरकार की ओर से धोलेरा (2009)।

[हिन्दी]

आईआरटीएस अधिकारियों के संबंध में नियम

3376. श्री राधे मोहन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में आईआरटीएस के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति क्या है;

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनका स्थानांतरण इस नीति के उल्लंघन में उस जोन से जहां वे पदस्थापित रहे हैं, बाहर नहीं किया गया है;

(ग) क्या स्थानांतरण नीति का अक्षरशः पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) भारतीय रेल स्थापना संहिता वाल्यूम-I के नियम 226 के अनुसार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाया गया वैधानिक नियम है "सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं में --- राष्ट्रपति के लिए रेल सेवक को किसी अन्य विभाग या रेलवे या भारत में या भारत के बाहर परियोजना सहित रेल स्थापना में स्थानांतरण करने के लिए खुला है। ये नियम भारतीय रेल यातायात सेवा सहित सभी संगठित ग्रुप "क" रेलवे सेवाओं पर लागू होते हैं और सभी क्षेत्रीय रेलों पर लागू होते हैं। इस नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है और अतः जब कभी कोई परिवर्तन करना होता है, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन निरपवाद रूप से लिया जाता है।

[अनुवाद]

विपणन सहायता और सेवा योजना

3377. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हस्तशिल्पों के लिए विपणन सहायता और सेवा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित और निर्गत की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में हस्तशिल्प की सम्भाव्य मांग को सक्रिय रूप में लाने के उद्देश्य से विपणन सहायता और सेवा योजना शुरू की गई है। विपणन सहायता और सेवा योजना के मुख्यतः तीन विस्तृत संघटक हैं अर्थात (1) घरेलू विपणन (2) अंतर्राष्ट्रीय विपणन और (3) प्रचार।

(ग) कोई राज्य-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्गत की गई निधियां, राज्य-वार संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2007-08 निर्गत धनराशि	2008-09 निर्गत धनराशि	2009-10 निर्गत धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	210.85	357.16	272.33
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
4.	असम	224.61	568.64	696.82
5.	बिहार	28.67	38.61	84.59
6.	चंडीगढ़	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	36.67	39.17	20.68
8.	दिल्ली	863.91	1290.05	1859.30
9.	गोवा	18.87	8.37	94.63
10.	गुजरात	141.64	238.70	78.10
11.	हरियाणा	35.42	52.58	34.01
12.	हिमाचल प्रदेश	53.24	145.24	76.49
13.	जम्मू और कश्मीर	33.42	64.62	24.75
14.	झारखंड	52.78	27.97	55.65
15.	कर्नाटक	84.89	164.01	79.18
16.	केरल	50.62	32.32	36.81
17.	मध्य प्रदेश	218.77	211.08	147.15
18.	महाराष्ट्र	95.65	97.24	35.75
19.	मणिपुर	71.18	117.31	118.65
20.	मेघालय	3.14	6.75	-
21.	मिजोरम	4.04	47.85	-
22.	नागालैंड	26.37	69.95	17.25
23.	उड़ीसा	131.70	134.40	133.26
24.	पंजाब	6.90	9.03	15.84

1	2	3	4	5
25.	पुडुचेरी	16.56	31.60	26.24
26.	राजस्थान	73.26	268.19	243.91
27.	सिक्किम	6.75	6.38	17.64
28.	तमिलनाडु	49.79	139.39	167.26
29.	त्रिपुरा	24.03	12.81	16.91
30.	उत्तर प्रदेश	972.81	609.50	157.71
31.	उत्तराखण्ड	39.40	45.71	26.12
32.	पश्चिम बंगाल	57.95	110.38	22.87
	कुल	3633.89	4945.01	4508.90

[अनुवाद]

पशुधन का परिवहन

3378. **श्री गोपीनाथ मुंडे:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों से रेलवे द्वारा परिवहन किए गए गोवंशीय व अन्य पशुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गोवंशीय पशुओं की तस्करी बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त मांग पत्र के अनुसार केवल तीन रेकों का लदान किया गया था। चूंकि रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार किसी मवेशी रेक का संचलन नहीं किया है इसलिए रेल द्वारा मवेशी की तस्करी का प्रश्न नहीं उठता।

आरजीटीआईएल द्वारा गैस पाइप लाइनों का बिछाया जाना

3379. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्ट वेस्ट पाइप लाइन (ईडब्ल्यूपीएल) काकीनाडा, आंध्र प्रदेश से मदबट, गुजरात तक का स्वामित्व और परिचालन रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजीटीआईएल) के हाथ में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आरजीटीआईएल को पांच और नई पाइपलाइनों के लिए अधिकृत किया है जिनमें दो काकीनाडा-हल्दिया और काकीनाडा-चेन्नई सेक्टर भी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इन पाइपलाइनों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कुल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन (ईडब्ल्यूपीएल) अप्रैल 2009 में चालू की गई है और यह इस समय देश के विभिन्न भागों के ग्राहकों को केजीडी 6 क्षेत्र से लगभग 60 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस का परिवहन कर रही है।

(ग) से (ङ) सरकार ने आरजीटीआईएल को चार नई पाइपलाइनें नामत: काकीनाडा-बासुदेबपुर-हावड़ा पाइपलाइन, काकीनाडा-नेल्लौर-चेन्नई-पाइपलाइन, चेन्नई-तूतीकोरिन पाइपलाइन और चेन्नई-बंगलोर-मंगलोर पाइपलाइन प्राधिकृत की है। इन पाइपलाइनों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

क्र.सं.	पाइपलाइन का नाम	अनुमानित लम्बाई (कि.मी. में)	राज्य एवं जिले जहां से पाइपलाइन गुजर रही है
1.	काकीनाडा-बासुदेवपुर-हावड़ा गैस पाइपलाइन	1100	**आंध्र प्रदेश:** पूर्वी गोदावरी, विशाखापटनम, विजयनगरम एवं श्रीकाकुलम **उड़ीसा:** भद्रक, बालेश्वर तथा मयूरभंज **पश्चिम बंगाल:** पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, हावड़ा एवं हुगली
2.	काकीनाडा-नेल्लोर-चेन्नई पाइपलाइन	557	**आंध्र प्रदेश:** कृष्णा गुन्टूर, प्रकाशम, नेल्लोर एवं चित्तूर **तमिलनाडु:** थिरुवल्लूर एवं चेन्नई
3.	चेन्नई-तूतीकोरिन	670	**तमिलनाडु** थिरुवल्लूर, वेल्लोर, कांचीपुरम, तिरुवन्नाभलाइ, विलुपुरम, सेलम, नमक्कल, करूर, डिंडीगुल, विरुदुनगर, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेलि, रामनाथपुरम, ईरोड, कोयम्बटूर, धर्मपुर एवं शिवगांना
4.	चेन्नई-बैंगलोर-मंगलौर पाइपलाइन	660	**तमिलनाडु:** थिरुवल्लूर, वेल्लोर, कृष्णागिरी **आंध्र प्रदेश:** चित्तूर **कर्नाटक:** कोलार, बेंगलोर ग्रामीण, बेंगलोर, तुमकुर, मान्ड्या, मैसूर, हासन, चिकमंगलूर एवं दक्षिण कन्नड़।

इस्पात संयंत्रों में हड़ताल

3380. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ इस्पात संयंत्रों में ऐसी कोई हड़ताल हुई है जिससे वहां का काम ठप हो गया हो;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितने उत्पादन और वित्त का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ऐसी किसी भी अवांछनीय स्थिति से निपटने के लिए किसी दीर्घकालिक समझौते को अंतिम रूप देने जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) जी हां, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) के इस्पात संयंत्रों/इकाइयों में 30.10.2009 तथा 31.10.2009 को हड़ताल के कारण होने वाला आकलित उत्पादन घाटा एवं वित्तीय घाटा निम्न प्रकार है:

संयंत्र/इकाई	उत्पादन घाटा	वित्तीय घाटा (लाख रुपए में)
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	एचआर क्वायलों का 8000 टन	1216.00
विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसएल)	तप्त धातु का 68 टन	1.15
कच्ची सामग्री प्रभाग (आरएमडी) बोलानी अयस्क खानें	लौह अयस्क का 20968 टन	51.58
		योग: 1268.73

(ग) और (घ) सेल में मजदूरी का निपटारा राष्ट्रीय संयुक्त समिति, इस्पात उद्योग नामक राष्ट्रीय स्तर के द्विपक्षीय फोरम के साथ बातचीत के द्वारा किया जाता है। इस समिति में चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों यथा आईएनटीयूसी, सीआईटीयू, एआईटीयूसी तथा एचएमएस के प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति में सभी निर्णय सर्वसहमति से लिए जाते हैं। वर्तमान मजदूरी में संशोधन के मामले में, जो 1.1.2007 से लम्बित हैं, प्रबंधन एवं मजदूरी के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है। इस सहमति के आधार पर कर्मचारियों के लिए मासिक मजदूरी में संशोधन कर दिया गया है तथा एनजेसीएस के साथ भत्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

सीमेंट की ढुलाई हेतु नई रेल लाइन

3381. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में फैक्ट्रियों के धन से सीमेंट ढुलाई हेतु रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में ऐसी कितनी रेल लाइनें हैं जो निजी फैक्ट्रियों के निधियों के उपयोग से बिछाई गई हैं;

(ग) क्या रेलवे ने श्रीसमेंट्स लिमिटेड के लिए बनगुराम-रास रेल लाइन बिछाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। नवंबर, 2008 में रेलवे ने आर 3 आई अर्थात् इंडस्ट्री इनिशिएटिव के लिए रेलवे की अवसंरचना नामक एक नीति जारी की थी जिसमें सीमेंट सहित कतिपय वस्तुओं के परिवहन हेतु इंडस्ट्री से आंशिक वित्त पोषण द्वारा रेल लाइन बिछायी जा सकती है। फिलहाल आर 3 आई नीति समीक्षाधीन है।

(ख) से (घ) 2008-09 में राजस्थान में केवल एक नई लाइन परियोजना बंगारूग्राम-रास स्वीकृत की गयी है जो आर 3 आई नीति के जारी किए जाने से पहले स्वीकृत की गयी थी। इस परियोजना में मै. श्री सीमेंट और मै. अंबुजा सीमेंट नामक दो सीमेंट कंपनियों द्वारा आंशिक वित्त पोषण से नई लाइन के निर्माण का विचार है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पेट्रो-रसायन संयंत्रों के लिए गेल और आरआईएल के बीच समझौता

3382. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने 4 दिसम्बर, 2007 को कतर में प्रस्तावित मेट्रो-रसायन उद्योग की गैस आपूर्ति के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतर से आश्वासन के लिए इस विषय पर नई दिल्ली में एशियन सिक्स्थ गैस पार्टिसिपेशन बैठक/शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) कतर सहित विदेशों के गैस बहुल देशों में गैस आधारित पेट्रोरसायन परिसरों की स्थापना हेतु संभाव्य अवसरों को तलाशने के लिए 4 दिसम्बर, 2007 को गेल (इंडिया) लिमिटेड और रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) और (घ) कतर से पेट्रोरसायन क्षेत्र में गेल द्वारा निवेश के मुद्दे पर 22-23 मार्च 2010 को नई दिल्ली में आयोजित छठे एशियाई गैस साझेदारी शिखर सम्मेलन (एजीपीएस) की उपवृत्तियों पर कतर के पक्ष के साथ चर्चा की गई थी। मुद्दा चर्चाधीन है।

विमानपत्तन पर सेल फोन का प्रयोग

3383. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विमानपत्तन पर सेलफोन के प्रयोग के लिए विभिन्न पक्षों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। एयरलाइनों को विमान में (इन फ्लाईट मोड) सेल फोन के प्रयोग के लिए यात्रियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) विमान में दरवाजे बंद होने से दरवाजे खुलने तक फोन का प्रयोग प्रतिबंधित है। बहरहाल, इस प्रतिबंध में रियायत दिए जाने की जांच की जा रही है।

सायंकालीन अदालतें

3384. श्री प्रताप सिंह बाजवाः
डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः
श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राज्यों में सायंकालीन अदालतें खोलने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उन प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष में राज्यों में सायंकालीन न्यायालयों की स्थापना करने के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई थीं, तेरहवें वित्त आयोग ने 2010-15 की अवधि के लिए राज्यों में प्रातः कालीन/सायंकालीन/विशेष न्यायिक-महानगर मजिस्ट्रेट/पाली न्यायालय प्रचालित करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की रकम की सिफारिश की है।

असम में गैस का उत्पादन

3385. श्री बदरुद्दीन अजमलः
श्री नृपेन्द्रनाथ रायः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में वर्षभर में कुल कितनी मात्रा में एसोसिएटिड गैस का उत्पादन हुआ/कितनी गैस उत्सर्जित हुई तथा उत्सर्जित गैस का मूल्य कितना है;

(ख) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) तथा कुकिंग गैस तथा अन्य पेट्रो-रसायन उत्पादों सहित इस प्रकार की एसोसिएटिड गैस का उपयोग पैटर्न क्या है;

(ग) अप्रज्जवलित गैस के उपयोग का घटक-वार मौजूदा प्रतिशत क्या है;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा दिए गए निवेश प्रस्ताव सहित इस राष्ट्रीय संपत्ति के सकारात्मक उपयोग के लिए सरकार की योजना क्या है; और

(ङ) उत्सर्जित गैस द्वारा कितनी मात्रा में कार्बन पर्यावरण में छोड़ा जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के लिए असम में उत्पादित सहबद्ध गैस की वर्ष-वार कुल मात्रा, दहन की गई गैस और दहन की गई गैस का मूल्य निम्नानुसार है:-

	सहबद्ध गैस का उत्पादन	दहन की गई गैस	दहन की गई गैस का मूल्य करोड़ रुपये
2007-08	1669.72	192.22	36.44
2008-09	2093.63	173.29	35.09
2009-10 (अनंतिम)	2287.77	182.64	37.76

(ख) से (घ) सहबद्ध गैस का वितरण मुक्त गैस के साथ किया जाता है और सहबद्ध गैस के उपयोग के लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

उत्पादित प्राकृतिक अमगुड़ी क्षेत्र में ओएनजीसी, ओआईएल और संयुक्त उद्यम की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद

मुख्यत: गेल और असम गैस कार्पोरेशन लि. को जाती है। विद्युत और उर्वरक क्षेत्र द्वारा अधिकतम उपयोग सहित लगभग 90% दहन नहीं की गई गैस का उपयोग किया जा रहा है।

(ङ) परिकल्ट के अनुसार, गैस के लिए डिफाल्ट उत्सर्जन घटक के औसत कैलोरिफक मूल्य के आधार पर और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल के अनुसार असम में दहन की गई गैस अर्थात् 8436 के. कैल/एससीएम में 2009-10 के दौरान दहन की गई गैस द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित कार्बन की कुल अनुमानित मात्रा 0.35 एमएमटी कार्बन डाई आक्साइड है।

[हिन्दी]

रेलवे की सुरक्षा तैयारी

3386. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा तैयारी की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं और संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर व ट्रेनों में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, गत तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा उपकरणों की खरीद और झारखण्ड व अन्य नक्सल/आतंक प्रभावित राज्यों समेत देश में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए किए गए कारगर उपायों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। सुरक्षा तैनाती की जांच और सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलों में नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल की जाती हैं। जनवरी से मार्च, 2010 के दौरान नई दिल्ली में 2 मॉक ड्रिल की गयी थी।

(ग) और (घ) 1. समिति ने रेल सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की पहचन की है और इन उपकरणों का प्रापण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निधि जारी कर दी गयी है।

2. संवेदनशील खंडों पर यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दैनिक आधार पर लगभग 2200 महत्वपूर्ण गाड़ियों में राजकीय रेल पुलिस द्वारा मार्गरक्षण प्रदान किया जा रहा है और लगभग 1275 गाड़ियों में रेल सुरक्षा बल द्वारा मार्ग रक्षण किया जा रहा है।

3. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर एक्सेस कंट्रोल सुनिश्चित किया गया है।

4. रेल सुरक्षा बल को और मजबूती प्रदान करने के लिए हाल ही में 5134 पदों को सृजित किया गया है।

5. निर्माण कार्यक्रम 2010-11 के तहत रेल सुरक्षा विशेष बल की तीन बटालियन स्वीकृत की गयी है।

6. रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को इन-हाउस कमांडो प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कमांडो प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

7. महिला यात्रियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 "महिला कंपनियां" स्वीकृत की गई हैं।

8. 5 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत पर निर्माण कार्यक्रम 2010-11 में एक अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल हेल्प लाईन अनुमोदित की गयी है।

9. यात्रियों को प्रत्युत्तर देने में सुधार और बेहतर अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए 4.41 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर निर्माण कार्यक्रम 2010-11 में मंडलों/क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड में रेल सुरक्षा बल चौकियों और सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की नेटवर्किंग अनुमोदित की गई है।

10. 353 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर देश के 202 संवेदनशील स्टेशनों के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्वीकृत की गयी है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बन्द होना

3387. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बन्द पड़ने के कारण इससे प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय नवीकरण निधि गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा उक्त निधि में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उक्त अवधि में उक्त सहायता राशि का उपयोग पर कौन-कौन से काम किए गए?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के औद्योगिक एककों के पुनर्गठन अथवा उनके बन्द किए जाने से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एनआरएफ) का गठन किया गया था। वर्ष 2001-02 से एनआरएफ का कार्यचालन बन्द कर दिया गया। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों के लिए सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने हेतु एक उपाय के तौर पर लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2001-02 से परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों को अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उनमें कुशलता/विशेषज्ञता उत्पन्न की जा सके और जिनसे वे मुख्य तौर पर स्व रोजगार संबंधी क्रियाकलापों को प्रारम्भ कर सकें। वर्ष 2007 से वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 24.66 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले 26,250 कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

पारादीप में पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल यूनिट की स्थापना

3388. श्री वैजयंत पांडा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पारादीप, उड़ीसा में एक समेकित पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल यूनिट की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार को इस प्रयोजनार्थ पर्यावरण संबंधी आवश्यक मंजूरी मिल गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस बीच केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है और राज्य सरकार को इससे अवगत करा दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार की पीसीपीआईआर नीति के अनुसार पारादीप में स्थापित किए जाने वाले पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोलियम निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) प्रस्तावित पीसीपीआईआर में उड़ीसा के जगतसिंहपुर और केन्द्रपाड़ा जिलों में 284.15 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है। इस पीसीपीआईआर में लगभग 279.375 करोड़ रु. के कुल निवेश की आशा है। उड़ीसा सरकार द्वारा पीसीपीआईआर के लिए एंकर टीनेंट के रूप में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की पहचान की गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने अपने पीसीपीआईआर आवेदन में प्रारम्भिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को शामिल किया है। पीसीपीआईआर नीति के अनुसार व्यापक ईआईए किया जाएगा और भारत सरकार द्वारा पीसीपीआईआर के अनुमोदन के पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय से उड़ीसा सरकार द्वारा आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त किया जाएगा।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

(च) प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पास है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार एवं सिफारिश के पश्चात् इसे अनुमोदनार्थ सीसीईए के समक्ष रखा जाएगा।

फलों और सब्जियों के कचरे को कम करने के लिए सरकारी/निजी भागीदारी

3389. श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में फलों और सब्जियों के कचरे को कम करने के लिए सरकारी/निजी भागीदारी पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, हां। अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत

मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मेगा खाद्य पार्कों के विकास और खाद्य एकीकृत शीत शृंखला सुविधाओं हेतु एक महत्वकांक्षी स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में लघु और मध्यम उद्यमों को विशेष रूप से सामान्य अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में, एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सरकार ने अवसंरचना विकास के अंतर्गत एक नई मेगा खाद्य पार्क स्कीम शुरू की है जिसमें सुदृढ़ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होंगे। नई स्कीम के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% तक तथा दुर्गम क्षेत्रों में 75% तक जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 करोड़ रुपए है, का सहायता अनुदान उपलब्ध होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 30 मेगा खाद्य पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन पार्कों में से 10 पार्कों को स्थापित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। यह स्कीम मांग प्रेरित और क्लस्टर आधारित है, जहां क्लस्टर में कच्ची सामग्री की उपलब्धता मेगा खाद्य पार्कों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

फलों और सब्जियों की बरबादी में कमी लाने के लिए मंत्रालय शीत शृंखला सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है। देश में शीत शृंखला एवं पश्च लिंकेजों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, शीत शृंखला अवसंरचना विकास हेतु सार्वजनिक निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 11वीं योजना के दौरान शीत शृंखला, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण अवसंरचना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक योजना है। इस स्कीम में सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र तथा मशीनरी एवं तकनकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% की दर से और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्रों को 75% जो अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए तक होगी, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

ये दोनों स्कीमें फार्मगेट से लेकर उपभोक्ताओं तक आवश्यक प्रसंस्करण और प्रशीतन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी जिससे फलों आरै सब्जियों की बरबादी में कमी आएगी।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रोत्साहन उपायों के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से प्रसंस्करण सुविधाओं समेत खाद्य संबंधी अवसंरचना के सृजन को सुविधाजनक बनाता है जिनका उद्देश्य बरबादी को कम करना, मूल्यवृद्धि और शेल्फजीवन में वृद्धि करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तकनीकी अपग्रेडेशन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन करना और मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटें शामिल हैं, का आधुनिकीकरण करना है।

[हिन्दी]

डोंगरगढ़ से कोटा के बीच नई रेल लाइन

3390. श्री मधुसूदन यादवः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को डोंगरगढ़ से कोटा के बीच नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण में आंशिक परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, हां। कवर्धा-पंडरिया होकर डोंगरगढ़ से कोटा तक के बदले कवर्धा, मुंगेली, तख्तपुर होकर डोंगरगढ़ से उसलपुर तक प्रस्तावित नई लाइन संरेखण में परिवर्तन हेतु निवेदन प्राप्त हुए हैं। रेलवे सुझाए गए आशोधनों की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

सीरिया में ओएनजीसी द्वारा तेल की खोज

3391. श्री सी. शिवासामीः
श्री पी.सी. गद्दीगौदरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने पूर्वोत्तर सीरिया में तेल की दो महत्वपूर्ण खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सीरिया और वेनेजुएला के साथ बोली लगाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने अपनी साझीदार मैडिटरेनियन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर 2009 में सीरिया के उत्तर पूर्वी भाग में ब्लाक xxiv में स्थित राशिद और अबू खसाब दो महत्वपूर्ण तेल खोजे की है। इन दो

खोजों में लगभग 185 मिलियन बैरल (एमएमबीबीएल) स्थानिक तेल का अनुमान है। ओवीएल और आईपीआर मैडिटेरेनियन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के क्रमश: 60% और 40% भागीदार हित है।

(ख) और (ग) सीरिया में ब्लाकों के लिए ओएनजीसी ने कोई बोली नहीं लगाई है। वेनेजुएला के बोलिवियाई गणराज्य के ऊर्जा और पेट्रोलियम के लिए पोपुलर पावर मंत्रालय (एमईएनपीईटी) ने पीडीवीएस के साथ वेनेजुएला में निगमित की जाने वाली एक मिश्रित कंपनी द्वारा ओरीनोको बेल्ट में काराबोबो क्षेत्र में विकास के लिए 1, 2 और 3 अभितटीय परियोजनाओं में 40%, भागीदारी हित की पेशकश की है। पीडीवीएसए का संयुक्त उद्यम/मिश्रित कंपनी में 100% सहायक कार्पोरेशन वेनेजुएलाडेल पेट्रोल्यों, एसएसीवीपी के जरिए 60% इक्विटी हित है। ओवीएल ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के साथ क्रमश: 11%, 3.5% और 3.5% के भागीदार हित के साथ एक-एक स्पेनिश प्रमुख कंपनी-रेसापोल और मलेशियाई नेशनल आयल कंपनी-पेट्रोनास के साथ प्रत्येक के 11% भागीदारी हित के एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ का गठन किया था और 28 जनवरी, 2010 को परियोजना 1 और परियोजना 2 के लिए बाइडिंग बोलियां भेजी थी। वेनेजुएला सरकार ने परियोजना 1 1.02.2010 को उक्त परिसंघ को अवार्ड कर दी। संविदा पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। उत्पादन 2016-2017 से और आगे 400.000 बैरल तेल प्रतिदिन (बीओपीडी) होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

तेल कंपनियों को वित्तीय सहायता

3392. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा गेल इंडिया लि. ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. को संकट से उबारने के लिए वित्तीय सहायता दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कंपनी-वार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इन कंपनियों का लाभांश घटा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस वित्तीय सहायता के लिए सरकार की स्वीकृति थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (च) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान, अपस्ट्रीम तेल पीएसयूज द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) को मूल्य में दी गई छूट के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये)

अपस्ट्रीम तेल कम्पनियां	2007-08	2008-09*
ओएनजीसी	22000	27374
ओआईएल	2307	2932
गेल	1401	1694
योग	25708	32000
ओएमसीज		
आईओसी	14324	18064
एचपीसी	5409	6618
बीपीसी	5975	7318
योग	25708	32000

*इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी और ओआईएल ने तीन ओएमसीज की आयात हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए 2008-09 के दौरान 943 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान, अपस्ट्रीम तेल कम्पनियों द्वारा दिए गए लाभांश की दर के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

अपस्ट्रीम तेल कम्पनियां	2007-08	2008-09
ओएनजीसी	320 प्रतिशत	320 प्रतिशत
ओआईएल	275 प्रतिशत	306 प्रतिशत
गेल	100 प्रतिशत	70 प्रतिशत

[अनुवाद]

विमान यायात में वृद्धि

3393. श्री के.सी. वेणुगोपाल:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पी. बलराम:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछेक वर्षों में देश में विमान यातायात में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए विमानन क्षेत्र के विनियामक तंत्र और सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की कोई कारगर नीति विकसित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान संचलन, यात्री यातायात तथा मालभाड़े (घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों) में प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:

वर्ष	विमान संचालन	यात्री	मालभाड़ा
2006-07	28.60	31.40	11.00
2007-08	21.30	21.20	10.60
2008-09	-00.10	-06.80	-01.00

(ग) और (घ) भारत में सुरक्षा विनियमन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा जारी मानक एवं संस्तुत पद्धतियों (एसएआरपी) पर आधारित होते हैं तथा जब कभी नई मानक एवं संस्तुत पद्धतियां (एसएआरपी) लागू की जाती हैं तो नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उन्हें नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तथा देश की विमानन आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर इनकी समीक्षा तथा संशोधन करता है। नागर विमानन महानिदेशालय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वयं को सुदृढ़ बना रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल पम्पों और एलपीजी एजेंसियों का आवंटन

3394. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और एलपीजी की एजेंसी लोगों/पार्टियों को स्थायी तौर पर आवंटित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तरह के आवंटन के परिणामस्वरूप पेट्रोल/डीजल को कम करके मापा जा रहा है और कुकिंग गैस की कालाबाजारी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्गवार ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ङ) उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि चयनित उम्मीदवारों को खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप का आबंटन प्रारंभिक तौर पर 15 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है और तत्पश्चात् प्रत्येक 5 वर्षों के लिए इसका नवीनीकरण किया जाता है। चयनित उम्मीदवारों को एलपीजी के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन प्रारंभिक तौर पर 10 वर्षों की अवधि के लिए होता है और तत्पश्चात् प्रत्येक 5 वर्षों के लिए इसका नवीनीकरण किया जाता है। डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन का नवीनीकरण संबंधित डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन होता है।

(ग) और (घ) विगत दो वर्षों अर्थात् 2007-08 और 2008-09 के दौरान मोटर स्प्रिट (एमएस)/हाई स्पीट डीजल (एचएसडी) की कम सुपुर्दगी अनियमितताओं के 362 मामले का पता लगा। श्रेणी-वार ब्यौरे ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ङ) सिद्ध अनियमितताओं के मामले में ओएमसीज डीलरशिप करार और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हैं जिसमें डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त करना शामिल है।

स्टेशनों और रेलगाड़ियों के रंगों में परिवर्तन

3395. श्री दत्ता मेघे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों और मालगाड़ियों के मौजूदा रंगों को बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित बजटीय प्रावधान के साथ-साथ इस संबंध में इसमें कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मंडल और क्षेत्रीय रेलों पर रेलवे स्टेशनों और अन्य भवनों में रंग-रोगन/सफेदी करना एक नियमित आवधिक अनुरक्षण कवायद है, जो स्थानीय वास्तुशिल्प और विरासत स्थलों को ध्यान में रखकर की जाती है। जहां तक माल गाड़ियों का संबंध है, तकनीकी और परिचालनिक कारणों से अंतर स्पष्ट करने के लिए उच्चतर धुरा भार वाले खुले और बंद स्टेनलेस स्टील के माल डिब्बों को अलग-अलग रूप से रंगने के निदेश जनवरी, 2009 में जारी किए गए थे।

(ग) माल गाड़ियों अथवा स्टेशन इमारतों में रंग में परिवर्तन के कारण कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता

3396. श्री नीरज शेखर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सरकार महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आधुनिक ट्राली सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर टिकट बिक्री केन्द्र खोलने की सोच रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। रेलवे का सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आधुनिक ट्रालियां शुरू करने का प्रस्ताव है जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को उनके सामान सहित गाड़ियों से आराम से उतारने और चढ़ाने में सहायता करने के लिए वर्दीधारी परिचरों द्वारा चलाया जायेगा। कार्यान्वयन हेतु तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रत्येक ग्राम पंचायत में टिकटिंग सेवाएं मुहैया कराने के संबंध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यात्रा एजेंटों को कमीशन

3397. श्री प्रदीप माझी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने एयरलाइनों को यात्रा एजेंटों को कमीशन देना पुनः शुरू करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन-सी एयरलाइंस हैं जिन्होंने देश में यात्रा एजेंटों को कमीशन देना बंद कर दिया है; और

(घ) नागर विमानन महानिदेशक के इस निदेश के प्रति एयरलाइनों की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नियमानुसार, एयरलाइनों द्वारा एजेंटों को देय कमीशन की मात्रा का निर्धारण नहीं कर सकता है। यह पूर्णतः एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे बाजार की परिस्थितियों, एजेंट की स्थापना की लागत, आदि तथा टैरिफ की सांविधिक परिभाषा जैसे विभिन्न वाणिज्यिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एजेंटों के परामर्श से इस संबंध में निर्णय ले।

(ग) देश में निम्नलिखित एयरलाइनों में यात्रा एजेंटों को कमीशन देना बंद कर दिया है:-

(i) एयर कनाडा (ii) एयर फ्रांस (iii) आस्ट्रेलियन एयरलाइंस, (iv) ब्रिटिश एयरवेज (v) कांटिनेंटल एयरलाइंस, (vi) डेल्टा एयरलाइंस, (vii) फिनएयर, (viii) जापान एयरलाइंस, (ix) रायल डच, (x) लुफ्थांजा, (xi) नार्थ वेस्ट एयरलाइंस, (xii) कतर एयरलाइंस, (xiii) सिल्क एयर, (xiv) सिंगापुर एयरलाइंस, (xv) स्विस इंटरनेशनल, (xvi) यूनाइटेड एयरलाइंस

(घ) अधिकतर एयरलाइनों ने इस आदेश को लागू करने के लिए समय मांगा है।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

3398. श्री संजय दिना पाटील: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को दिए जा रहे अनुदानों को कम करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान स्वयंसेवी संगठनों के लिए अनुदानों के अंतर्गत निर्धारित बजटीय सहायता कितनी है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत और वास्तव में दिए गए अनुदान क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: अर्थात (1) प्रमुख घटकों अर्थात् मेगा फूड पार्क, शीत श्रृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित केंद्र बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम, (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम, (3) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्कीम, (4) मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम, (5) संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम; और (6) सड़क गली किनारे बिकने वाले खाद्य की गुणता उन्नयन संबंधी स्कीम। सभी खण्डों को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण में लगी सभी कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों में केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/गैर-सरकारी संगठन/सहकारी समितियां और निजी क्षेत्र की इकाइयां तथा व्यक्ति शामिल हैं। निधियां स्कीमवार आबंटित की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों के लिए निधियां अलग से निर्धारित नहीं की जाती हैं।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास संबंधी अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को मंजूर किए गए अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(लाख रुपए)

वर्ष	जारा की गई वित्तीय सहायता
2007-08	128.21
2008-09	266.79
2009-10 (31.03.2010 तक)	383.04

[हिन्दी]

पैंट्री कारों का संचालन

3399. श्री दत्ता मेघे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में लगी पैंट्री कारें अक्सर खराब रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त पैंट्री कारों के रख-रखाव के लिए मौजूदा व्यवस्था क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्धारित अनुरक्षण अनुसूची के जरिए पैंट्री कारों का नियमित अनुरक्षण और रख-रखाव सुनिश्चित किया जाता है।

दिल्ली कैंट स्टेशन के पास सड़क उपरि पुल

3400. श्री महाबल मिश्रा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रेलवे का विचार दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक सड़क उपरि पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन के निकट सब-वे अथवा रेलवे ऊपरि पुल के निर्माण के लिए लागत में भागीदारी/निक्षेप कार्य संबंधी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

3401. श्री प्रबोध पांडा: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न सरकारी संस्थानों हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या इस योजना के माध्यम से कुल लाभार्थियों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने किसी निगरानी तंत्र की स्थापना की है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या परिश्चम मेदिनीपुर, बंगाल में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, हां। सरकार किसानों और भावी उद्यमियों और बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने पर विचार करते हुए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों को मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ताकि उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य छः सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि वाले खाद्य और कृषि प्रसंस्करण में वाणिज्यिक रूप में व्यवहार्य उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को सक्षम बनाया जा सके। बैच में प्रशिक्षणार्थियों की औसत संख्या 25 से 35 होती है। प्रत्येक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय सहायता 2.00 लाख रुपए है जो तीन किश्तों में जारी की जाती है।

(ग) वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान मंजूर किए गए राज्यवार उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में गैर-सरकारी संगठनों के मामले में राज्य नोडल एजेंसियों के जरिए और सरकार समर्थित संगठनों के मामले में सीधे प्राप्त होते हैं। राज्य नोडल एजेंसी गैर-सरकारी संगठनों के आवेदन पत्रों पर स्कीम के दिशानिर्देश के अनुसार अपने स्तर पर कार्रवाई करते हैं और संवीक्षा के बाद आवेदन पत्र मंत्रालय को भेजते हैं। इसी तरह निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुए अन्य आवेदन पत्रों की मंत्रालय के संबंधित प्रभाग द्वारा संवीक्षा की जाती है। अनुदान की दूसरी किश्त ईडीपी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है जिसमें लाभार्थियों की संख्या और ब्यौरे समेत आयोजित कार्यक्रमों के पूरे ब्यौरे होते हैं।

(च) और (छ) फिलहाल, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ईडीपी आयोजित करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान मंजूर किए गए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	2009-10
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
आंध्र प्रदेश	17
असम	10
अरुणाचल प्रदेश	-
बिहार	5
छत्तीसगढ़	5
दादरा और नगर हवेली	-
दमन और दीव	-
दिल्ली	-
गोवा	3
गुजरात	-
हरियाणा	7

1	2
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	–
कर्नाटक	3
केरल	11
लक्षद्वीप	–
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	17
मणिपुर	1
मिजोरम	–
मेघालय	3
नागालैण्ड	5
उड़ीसा	18
पुडुचेरी	2
पंजाब	–
राजस्थान	–
सिक्किम	4
तमिलनाडु	14
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	10
उत्तराखण्ड	14
पश्चिम बंगाल	9
झारखण्ड	4
कुल	175

नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति

3402. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हवाईअड्डों के लिए कोई नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी 80 यात्रियों से कम क्षमता वाले विमानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क को माफ करने तथा छोटे विमानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यह छूट देने का कारण क्या है;

(च) क्या यह सभी हवाई अड्डों पर लागू है; और

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति अक्तूबर, 2007 से लागू हुई थी। तथापि, गैर-पात्र निकायों का एक्जिट 31.12.2009 को नियत किया गया था। नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति में सक्षम प्राधिकारी ने आगे अनुमोदित किया है कि:

(1) विदेशी एयरलाइनों समेत सभी निजी एयरलाइनें "हवाईअड्डा टर्मिनलों पर यात्री तथा बैगेज हैंडलिंग गतिविधियों" तथा "पैसेंजर चेक-इन समेत यातायात सेवा" के संबंध में सेल्फ हैंडलिंग कर सकती हैं; (2) सभी कार्गो एयरलाइनें, जिनके पास अपने खुद के कार्गो विमान हैं, अपने हब हवाईअड्डों पर सेल्फ हैंडलिंग कर सकती हैं; (3) गैर पात्र निकायों के लिए समय-सीमा को 31.12.2009 से आगे 31.12.2010 तक बढ़ाया जाए; तथा (4) विदेशी एयरलाइनों तथा निजी स्वतंत्र ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं को संयुक्त प्रयोक्ता रक्षा एयरफील्डों पर सेल्फ ग्राउंड हैंडलिंग/ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति न दी जाए।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 80 यात्रियों से कम सीटिंग क्षमता वाले और अनुसूचित घरेलू प्रचालकों द्वारा प्रचालित किए जा रहे विमानों के लिए लैंडिंग प्रभारों की छूट को वापस लेने का अनुरोध किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निदेश दिया है कि वह इस प्रस्ताव को स्पष्ट करने के प्रयोजन से इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन आरंभ करे।

(ङ) से (छ) नरेश चन्द्र समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा फरवरी, 2004 से 80 से कम यात्री सीटिंग क्षमता वाले विमानों के संबंध में लैंडिंग प्रभारों की समाप्ति तथा मार्ग दिकचालन सुविधा प्रभारों में अन्य छूटों, घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग प्रभारों में 15 प्रतिशत कमी आदि की अनुमति दे दी गई थी। ये छूटें/प्रोत्साहन सभी हवाईअड्डों पर लागू हैं।

राज्य के स्वामित्व वाले विमानपत्तनों का कार्य निष्पादन

3403. श्री निशिकांत दुबे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों के स्वामित्व वाले विमानपत्तनों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए प्रोत्साहन से संबद्ध कोई योजना शुरू की है जिससे उन्हें निजी प्रचालकों के समतुल्य बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की विशेषताएं तथा इसके क्रियान्वयन के साथ-साथ उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के निमित्त कुल कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) प्रस्तावित योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों/स्टाफ को कार्य-निष्पादन में सुधार लाने तथा विभिन्न विमानपत्तनों और निजी क्षेत्र के प्रचालकों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए किस हद तक प्रोत्साहित किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पी.एस.यू. को बी.आर.पी.एस.ई. को सौंपना

3404. श्री एल. राजगोपाल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौदह सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों (पी.एस.यू.) जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा गया है, को विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उपयुक्त पी.एस.यू. द्वारा वर्ष-वार अर्जित लाभ क्या है;

(घ) सरकार द्वारा निधियों में निवेश तथा अदा न किए गए ऋणों की माफी का पी.एस.यू. का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पुनरुद्धार के लिए बी.आर.पी.एस.ई. के समक्ष अभी तक लम्बित पी.एस.यू. का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों का मामला सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को सौंपा गया था उनमें से 15 उद्यमों ने गत दो वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा अर्जित वर्ष-वार लाभ और सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) बीआरपीएसई ने उन सभी प्रस्तावों के संबंध में अपनी अनुशंसाएं दे दी हैं जो इसे सौंपे गए थे। तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सरकार का अनुमोदन प्राप्त करते हैं।

विवरण

उन 15 रुग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची, जिन्होंने 2007-08 एवं 2008-09 में लाभ अर्जित किया है तथा उनके पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	निवल लाभ (रुपये करोड़ में)		भारत सरकार से सहायता (रुपये करोड़ में)	
		2007-08	2008-09	नकद #	गैर-नकद @
1	2	3	4	5	6
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	0.03	0.64	4.28	73.30
2.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रैसर्स लि.	30.47	18.56	3.37$	153.15
3.	सीमेण्ट कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	40.89	52.55	184.29	1267.95
4.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पो. लि.	7.01	18.37	102.00	1116.30

1	2	3	4	5	6
5.	एण्ड्रयू यूले एंड कंपनी लि.	5.33	29.36	--&	457.14
6.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	0.55	1.50	4.00	280.21
7.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	6.18	21.68	60.00	42.92
8.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.	1.62	2.53	--	54.61
9.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि.	8.97	42.95	--	670.37
10.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	6.52	2.71	--	267.29
11.	मेकॉन लि.	33.32	65.89	93.00**	23.08
12.	भारत रिफ्रेक्टोरीज लि.	4.43	7.37	--	479.16
13.	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	12.29	9.77	21.21	124.42
14.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.	6.11	1.24	--	104.64
15.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	1.02	1.29	--	16.28

#नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता शामिल है।

@गैर-नकद सहायता में ब्याज/पेनल ब्याज/भारत सरकार का ऋण/गारण्टी शुल्क की छूट, ऋण को इक्विटी/ऋण-पत्र में बदलना शामिल है।

&भारत का संयुक्त उद्यम या किसी महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा निधियों के निवेश के संबंध में निर्णय वित्त मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

$इसके अलावा ओएनजीसी और बीएचईएल क्रमशः 150 करोड़ रु. और 20 करोड़ रुपये की नकद सहायता प्रदान करेंगे।

**वीआरएस ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज सहायता अधिकतम 6.50 करोड़ रु. प्रतिवर्ष, जारी रखे जाने को छोड़कर।

सामान खो जाना

3405. श्री शरीफुद्दीन शारिक:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एयरलाइन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यात्रियों का सामान खोने की बार-बार हो रही घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाश में आई इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप एयरलाइंस द्वारा कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या यात्रियों के सामान की सुरक्षित हैंडलिंग के लिए एयरलाइंस को कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) विमान सेवाओं द्वारा माल का वहन यात्री तथा वाहक के बीच का वचनबद्धता है। अतः सामान खोने की शिकायत यात्री द्वारा एयरलाइनों के साथ यात्री अनियमितता रिपोर्ट (पीआईआर) के माध्यम से दर्ज होती है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पंजीकृत सामान के खोने, नुकसान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	पंजीकृत सामान के खोने/नुकसान की संख्या
2007	03
2008	कोई नहीं
2009	10

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा मामले को एयरलाइनों के साथ शिकायत निवारण के लिए उठाया जा रहा है।

ऐसे मामलों में एयरलाइनें यात्री को कंपनी नीतियों के अनुसार प्रतिपूर्ति करती हैं जो कि पंजीकृत सामान के लिए लागू अधिकतम वजन के भीतर प्रति किलोग्राम आधार पर है।

(ग) से (ङ) डीजीसीए ने एयरलाइनों द्वारा पंजीकृत सामान की हैंडलिंग के लिए कोई नियमावली जारी नहीं की है। तथापि, सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों की एक सिटीजन चार्टर है, जो उनके संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जिसमें सामान वहन की शर्तें तथा यात्रियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी गई है ताकि यात्रियों को विमान टिकट बुक करने से पूर्व इसकी जानकारी मिले।

[हिन्दी]

कोलकाता और दिल्ली विमानपत्तन

3406. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोलकाता और दिल्ली विमानपत्तनों पर नए भवन तथा अतिरिक्त रन-वे बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नए निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए कोई निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) कोलकाता हवाईअड्डे पर प्रतिवर्ष 20 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन निर्माणाधीन है। किसी अतिरिक्त रनवे का निर्माण नहीं किया जा रहा है। तथापि, कोलकाता हवाईअड्डे पर लिंक टैक्सी ट्रेक के निर्माण के साथ-साथ सेकेंडरी रनवे का विस्तार किया जा रहा है। आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली पर 34 एमपीपीए के लिए एक नया यात्री टर्मिनल भवन टी-3 निर्मित किया गया है। एक नया रनवे 29/11 चालू किया गया है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने विकास कार्यों की मानीटरिंग के लिए प्रोजेक्ट मानीटरिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस नामक एक प्रतिबद्ध इन-हाउस विभाग की स्थापना की है। एएआई ने आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली के निर्माण कार्य की मानीटरिंग के लिए स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, क्रियान्वित की जा रही प्रगति के समीक्षा के लिए एक ओमडा कार्यान्वयन निगरानी समिति का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली पर कार्य की प्रगति की मानीटरिंग कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई एयरलाइन शुरू करने संबंधी प्रस्ताव

3407. श्री ए. सम्पत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार की ओर से अपनी नई एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने एयर केरल नामक एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने डीजीसीए के पास छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् छत्तीसगढ़ विमानन अकादमी की सहायता से स्वयं ही एयरस्ट्रिप/एयरपोर्टों से विमान सेवाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

(ग) और (घ) हालांकि सरकार के पास "एयर केरला" नाम से गठित होने वाली किसी एयरलाइन का प्रस्ताव क्लीयरेंस के लिए लंबित नहीं है, तथापि, केरल सरकार ने सूचित किया है कि "एयर केरला इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड" के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण बजट एयरलाइन परियोजना के उद्देश्य विशेष के लिए किया गया है। केरल सरकार ने इस मंत्रालय से प्रस्तावित एयरलाइन को विमान बेड़े के आकार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के विचारार्थ किसी एयरलाइन के लिए घरेलू सेक्टर पर आवश्यक प्रचालन अवधि सीमा संबंधी निर्धारित शर्तों में रयायत का अनुरोध किया है। इस आग्रह पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि सरकार की मौजूदा नीति के तहत न्यूनतम 20 विमानों का विमान बेड़ा आकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के प्रचालन के लिए भारतीय अनुसूचित वाहक को घरेलू सेक्टर पर 5 वर्षों के निरंतर प्रचालन का अनुभव होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे अस्पताल

3408. श्री पूर्णमासी राम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र के छोटे रेलवे अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टरों के पदों की संख्या क्या है;

(घ) क्या डॉक्टरों के लिए एक निश्चित अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा प्रदान करन अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे रेलवे अस्पतालों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय रेल पर स्वास्थ्य सुविधाएं 125 अस्पतालों एवं 586 स्वास्थ्य इकाइयों जो एक चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण रेलवे पर फैले हुए हैं, के द्वारा मुहैया करायी जाती हैं। अस्पताल एवं स्वास्थ्य यूनिटें नियमित रेलवे डॉक्टरों द्वारा चलायी जाती हैं। बहरहाल, अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों में लघु अवधि के रिक्त पदों का प्रबंध डॉक्टरों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करके किया जाता है।

(ग) वर्तमान में 125 रेलवे अस्पतालों में केवल 70 पद और 586 स्वास्थ्य इकाइयों में 17 स्वास्थ्य इकाइयों पर डॉक्टरों के पद रिक्त हैं।

(घ) रेलवे पर इस तरह की कोई प्रणाली अथवा प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) चूंकि मंडलीय/उप-मंडलीय रेलवे अस्पतालों पर मौजूद व्यवस्था के अनुसार, इन अस्पतालों से डॉक्टरों को इन स्वास्थ्य इकाइयों में अस्थायी रूप से तैनाती करके प्रबंध किया जाता है, अत: कोई भी स्वास्थ्य यूनिट बिना डॉक्टर के नहीं चल रही हैं। वर्तमान स्वास्थ्य अवसंरचना के अतिरिक्त, रेलवे के तात्कालिक परिचालन के लिए अनापेक्षित अधिशेष रेल भूमि पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से अतिरिक्त अवसंरचना विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

एंटी-बायोटिक्स की कीमतें

3409. श्री हर्ष वर्धन:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एंटी-बायोटिक्स की कीमतों में वृद्धि के संबंध में फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य-निर्धारण अधिकरण ने एंटी-बायोटिक्स की कीमतें नहीं बढ़ाने के लिए सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां लगभग 10 प्रतिशत दवाओं की कीमत मनमाने ढंग से तय करती हैं;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (छ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को एंटी-बायोटिक्स के मूल्य बढ़ाने के संबंध में औषध कंपनियों से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। एनपीपीए "औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995)" के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित दवाइयों के मूल्य निर्धारित करता है।

एनपीपीए मूल्य नियंत्रण के अधीन आने वाले आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरिंग करता है। डीपीसीओ 1995 के अधीन कोई भी व्यक्ति मूल्य नियंत्रण वर्ग के किसी भी फार्मूलेशन (दवाई) की बिक्री किसी भी उपभोक्ता को एनपीपीए द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं कर सकता है। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए द्वारा अनुसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर अनुसूचित दवाई बेच रही है तो उसके खिलाफ डीपीसीओ 1995 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

जो औषधियां "औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995)" के अधीन नहीं आती हैं अर्थात् गैर अनुसूचित औषधियां हैं उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। ऐसे मूल्य सामान्यत: विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधों की लागत, एक्सीपिएंट की लागत, अनुसंधान तथा विकास लागत, उपयोगिता/पैकिंग सामग्री लागत, बिक्री संवर्द्धन लागत, व्यापार लाभ, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों की अवतरण लागत, आदि।

मूल्य मानीटरिंग कार्य के अंग के रूप में एनपीपीए गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-

अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य की मानीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जब कभी 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाये यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह सतत प्रक्रिया है।

गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरी के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अधीन 27 फार्मूलेशनों के मामले में मूल्य निर्धारित किए गए हैं और कंपनियों ने 64 फार्मूलेशन पैको के मामले में स्वेच्छा से मूल्य कम किए हैं। इस प्रकार एनपीपीए के हस्तक्षेप से कुल मिलाकर गैर-अनुसूचित दवाइयों के 91 पैकों के मूल्य कम हुए हैं।

[अनुवाद]

सब्सिडी युक्त मिनरल वाटर

3410. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री ई.जी. सुगवानम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सब्सिडी युक्त मिनरल वाटर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रेलों की वाटर बोटलिंग संयंत्रों, जिन्हें 6 स्थलों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, की स्थापना करके यात्रियों को सस्ते दरों पर स्वच्छ बोतल बंद पानी मुहैया कराने की योजना है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सीएनजी वितरण केन्द्र खोलना

3411. श्रीमती जे. सांता: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में विगत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने सीएनजी वितरण केन्द्र वर्ष-वार शहर-वार खोले गए; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) वर्तमान में, कर्नाटक में कोई सीएनजी वितरण केन्द्र नहीं है, क्योंकि कर्नाटक किसी भी गैस पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है।

उड़ानों की संख्या बढ़ाना

3412. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न विमानपत्तनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विभिन्न विमानपत्तनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए उपलब्ध विमानों की प्रत्येक उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह एयरलाईनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

(ग) एयरलाइन-वार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उड़ानों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

एयरलाइन	सेक्टर	विमान	उड़ान/सप्ताह
1	2	3	4
नैसिल (आई)	कोलकाता-अगरतला-कोलकाता	ए320	7
	कोलकाता-एजवाल-इम्फाल-कोलकाता	ए319	3

1	2	3	4
	कोलकाता-इम्फाल-एजवाल-कोलकाता	ए319	4
	कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	ए320	7
	कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता (आरबीआई चार्टर)	ए320	1
	कोलकाता-डिब्रूगढ़-कोलकाता	ए320	5
	कोलकाता-दीमापुर-कोलकाता	ए320	3
	कोलकाता-सिल्चर-कोलकाता	ए320	4
	कोलकाता-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	ए320	3
	दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल एवं वापसी	ए320	2
	दिल्ली-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	ए320	2
	कोलकाता-इम्फाल-कोलकाता (आरबीआई चार्टर)	ए320	1
		कुल	42
एलाइन्स एयर	गुवाहाटी-अगरतला-गुवाहाटी	एटीआर 42	7
	गुवाहाटी-एजवाल-गुवाहाटी	एटीआर 42	7
	गुवाहाटी-सिल्चर-गुवाहाटी	एटीआर 42	4
	गुवाहाटी-दीमापुर-इम्फाल वापसी	एटीआर 42	4
	गुवाहाटी-लीलाबाड़ी-डिब्रूगढ़-गुवाहाटी	एटीआर 42	2
	गुवाहाटी-सिलचर-अगरतला एवं वापसी	एटीआर 42	3
	कोलकाता-अगरतला-कोलकाता	एटीआर 42	7
	कोलकाता-दीमापुर-कोलकाता	एटीआर 42	4
	कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	एटीआर 42	4
	कोलकाता-सिल्चर-कोलकाता	एटीआर 42	4
	कोलकाता-तेजपुर-सिल्चर-कोलकाता	एटीआर 42	3
	कोलकाता-शिलांग-जोरहाट-कोलकाता	एटीआर 42	3
	कोलकाता-शिलांग-कोलकाता	एटीआर 42	3
	कोलकाता-एजवाल-कोलकाता	एटीआर 42	5
	सिल्चर-इम्फाल-सिल्चर	एटीआर 42	4
		कुल	64

1	2	3	4
जेट एयरवेज	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	बी 737	4
	दिल्ली-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	बी 737	3
	दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली	बी 737	7
	कोलकाता-अगरतला-गुवाहाटी-वापसी	बी 737	4
	कोलकाता-अगरतला-कोलकाता	बी 737	3
	कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	बी 737	13
	कोलकाता-जोरहाट-कोलकाता	बी 737	3
		कुल	37
जेटलाइट	दिल्ली-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़-गुवाहाटी-दिल्ली	बी 737	7
	कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	बी 737	7
	कोलकाता-गुवाहाटी-इम्फाल एवं वापसी	बी 737	5
	कोलकाता-गुवाहाटी-जोरहाट-गुवाहाटी-कोलकाता	बी 737	2
	कोलकाता-डिब्रूगढ़-कोलकाता	बी 737	2
	कोलकाता-अगरतला-कोलकाता	बी 737	5
		कुल	28
किंगफिशर एयरलाइन्स	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	ए320	4
	दिल्ली-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	ए320	3
	दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल वापसी	ए320	7
	मुंबई-गुवाहाटी-मुंबई	ए320	3
	कोलकाता-एजवाल-कोलकाता	एटीआर72	7
	कोलकाता-सिल्चर-इम्फाल-कोलकाता	एटीआर72	4
	कोलकाता-इम्फाल-सिल्चर-कोलकाता	एटीआर72	3
	कोलकाता-अगरतला-कोलकाता	एटीआर72	7
	कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	एटीआर72	7
		कुल	45
स्पाईसजेट	दिल्ली-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	बी737	3
	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	बी737	4
	कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	बी737	7

1	2	3	4
	कोलकाता-अगरतला-कोलकाता(*)	बी737	7
	कोलकाता-अगरतला-गुवाहाटी एवं वापसी (#)	बी737	7
		कुल	21
इंडिगो	दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल-गुवाहाटी-दिल्ली	ए320	7
	कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	ए320	14
	कोलकाता-अगरतला-इम्फाल-कोलकाता	ए320	3
	कोलकाता-इम्फाल-अगरतला-कोलकाता	ए320	4
	कोलकाता-अगरतला-कोलकाता	ए320	7
	कोलकाता-डिब्रूगढ़-कोलकाता	ए320	7
		कुल	42
गो एयर	दिल्ली-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	ए320	4
	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	ए320	
		कुल	7
पैरामाउंट एयरवेज	कोलकाता-गुवाहाटी-अगरतला-कोलकाता($)	ईआरजे	7
		कुल	7
		कुल योग	293

(*) 15 अप्रैल, 2010 से प्रभावी

(#) सीसीयू-आईएक्संए-सीसीयू फ्लाइट को 1 मई, 2010 से रीरूट किया जाएगा आईएक्सबी इस्यूके कारण

($) एयरक्राफ्ट की अनुपलब्धता के कारण स्थगित किया गया है।

नैसिल पुनर्संरचना योजनाएं

3413. श्री संजय भोई:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री उदय सिंह:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री शिवराम गौडा:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड (नैसिल) को हो रहे भारी घाटे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कंपनी की पुनर्संरचना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इसकी पुनर्संरचना योजनाओं में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नैसिल की वित्तीय और संगठनात्मक पुनर्संरचना के संबंध में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह ने कर्मचारियों की वेतन कटौती की सिफारिश की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किस हद तक नैसिल की स्थिति में सुधार होने की संभावना है; और

(ज) नैसिल की सर्वांगीण बेहतरी के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। वित्त वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान नैसिल को क्रमशः 447.43 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती एअर इंडिया) तथा 240.29 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस), 2226.16 करोड़ रुपए (विलय के पश्चात) तथा 5548 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(ग) नैसिल की कुछ पुनर्संरचना योजनाओं के मुख्य अवयव बेड़ा युक्तिकरण, मार्गों और श्रमशक्ति का युक्तिकरण, रणनैतिक बिजनैस यूनिटों का प्रचालनीकरण, राजस्व में सुधार आदि क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। सरकार और मंत्री समूह द्वारा योजना की प्रगति की समीक्षा निरन्तर की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) दिनांक 3.2.2010 को हुई मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में युक्तिकरण तथा वेतन सहित लागत और राजस्व में समन्वय किए जाने संबंधी उपायों पर विचार किया गया।

(ज) इसके अतिरिक्त इक्विटी के रूप में फरवरी तथा मार्च, 2010 के महीनों में 400 करोड़ रुपए की दो किस्तों में 800 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर चुकी है। सरकार ने इक्विटी निवेश के संबंध में वर्ष 2010-11 के बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् जारी करने के संबंध में विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने नैसिल के निदेशक मंडल के लिए चार गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किए हैं जो कि व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय कार्य के लिए बोर्ड को सलाह देंगे।

दवाओं के मूल्य

3414. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के तहत नियंत्रित और विनियंत्रित दोनों श्रेणियों में दवाओं के मूल्य की गणना करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उत्पादों और उनके कारोबार सहित ब्यौरा क्या है जहां ये मानदंड तैयार नहीं किए गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में उपलब्ध दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सरकार द्वारा घोषित मानदंडों के अनुरूप है, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (डीपीसीओ 1995) के पैरा 7 के अधीन निर्धारित/अधिसूचित मानदंड अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की गणना करते समय लागू किये जाते हैं। परिवर्तन लागत (सीसी), पैकिंग प्रभार (पीसी), पैकिंग सामग्री लागत (पीएम) तथा प्रक्रिया हानि (पीएल) से संबंधित मानदंड प्रत्येक वर्ष अधिसूचित किए जाते हैं और ये मानदंड नियंत्रित औषधियों के सभी मामलों में समान रूप से लागू किये जाते हैं।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिसूचित 74 बल्क औषधियों और किसी भी अनुसूचित बल्क औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। कोई भी एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर अनुसूचित बल्क औषधि/फार्मूलेशन को नहीं बेच सकता।

निर्धारित मूल्यों को प्रवर्तित करने के उद्देश्य से एनपीपीए बाजार से नियमित रूप से दवाइयां खरीदता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्माताओं द्वारा एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्यों को कार्यान्वित किया जा रहा है। जब कभी एनपीपीए को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने के मामलों का पता चलता है तो चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ डीपीसीओ 1995 के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

जो औषधियां "औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995)" के अधीन नहीं आती है अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां है उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। ऐसे मूल्य सामान्यतः विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधों की लागत, एक्सीपिएंट की लागत, अनुसंधान तथा विकास लागत, उपयोगिता/पैकिंग सामग्री लागत, बिक्री संवर्द्धन लागत, व्यापार लाभ, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों की अवतरण लागत, आदि। तथापि मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में एनपीपीए गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जब कभी 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो निर्माता से

कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटायें यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (डीपीसीओ, 1995) के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह सतत प्रक्रिया है।

गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरी के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अधीन 27 फार्मूलेशनों के मामले में मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों ने 64 फार्मूलेशन पैको के मामले में स्वेच्छा से मूल्य कम किए हैं। इस प्रकार एनपीपीए के हस्तक्षेप से कुल मिलाकर गैर-अनुसूचित दवाइयों के 91 पैको के मूल्य कम हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा बधाई

भारतीय कबड्डी टीम को कबड्डी विश्व कप-2010 जीतने पर बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों मुझे विश्वास है कि सभा, भारतीय कबड्डी टीम को हमारी हार्दिक बधाई देने में मेरा साथ देगी जिन्होंने हाल में लुधियाना में पाकिस्तानी टीम को पराजित कर कबड्डी विश्व कप, 2010 जीता है।

आइए हम भारतीय कबड्डी टीम को उनके भविष्य की कोशिशों के लिए अपनी शुभकामना भी दें।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदया, मैं श्री श्रीकांत जेना की ओर से हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-11 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-2081/15/10]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-11 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-2082/15/10]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (मोटरयानों में प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 2009 जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 99(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-2083/15/10]

अपराह्न 12.03 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अर्जुन राम मेघावल (बीकानेर): मैं 'वर्ष 2010-11 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुम्बुदूर): मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं-

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2009-10' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-11' के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

(एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं श्री कपिल सिब्बल की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 15.4.2010 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि देश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर हाल में हुआ माओवादी हमला

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव जी ने विचार रखा था मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की स्टेटमेंट के बिना बहस शुरू कराई जाए, हम इसके लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। श्री यशवंत सिन्हा बहस शुरू कर सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदया, मंगलवार 6 अप्रैल, 2010 हमारी आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में काला दिवस

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 15.4.2010 में प्रकाशित।

के रूप में जाना जायेगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मुखराना के जंगलों में माओवादियों द्वारा छियत्तर पुलिसकर्मियों को घात लगाकर हमला कर के मार दिया गया। कुछ घंटों के भीतर सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी विद्रोही समूह द्वारा एक आपरेशन में इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों ने कभी अपनी जान नहीं गंवाई। अतएव, यह केवल काला दिवस ही नहीं था वरन् यह हम सब के लिए लज्जा का भी दिन था। केवल 76 बहुमूल्य जानें नहीं गईं वरन् मुखराना के जंगलों में भारत के राज्य को चुनौती दी गई। यह भारतीय प्रजातंत्र, भारत के संविधान, हमारे सभी विकासात्मक प्रयासों तथा इस सरकार के शासन की शैली की विफलता का परिचायक है।

महोदया, हमारे दिल में शहीदों के लिए संवेदना है जिन्होंने दंतेवाड़ा में अपनी जानें गंवाई। हम उनकी मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हैं, हम उनके परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं तथा मैं बहुत खुश तथा संतुष्ट हूं कि आपने आज के दिन की शुरुआत में इसका उल्लेख किया तथा समूचे सदन ने उनकी मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की। हमारे दिल में शहीदों के प्रति संवेदना है।

महोदया, घटना घटित होने के तुरंत बाद, हमारी पार्टी ने यह बयान दिया जिसमें हमने घोषणा की कि हम माओवादियों के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार के साथ दृढ़तापूर्वक हैं। फिर यह समाचार मिला कि माननीय गृहमंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। हमारी पार्टी ने यह वक्तव्य दिया कि यह समय गृह मंत्री के त्यागपत्र देने का नहीं है, वे लड़ाई से भाग नहीं सकते, उन्हें अपने पद पर बने रहना है और इस लड़ाई में देश का न केवल साथ देना है अपितु इसका नेतृत्व भी करना है। इसलिए हम गृह मंत्री और सरकार के साथ थे।

मेरे दिमाग में यह बात आई है कि जब विपक्ष इस लड़ाई में सरकार के साथ है तो क्या कांग्रेस पार्टी भी सरकार के साथ है? क्या यूपीए सरकार के साथ है? यह प्रश्न इसलिए किया गया है क्योंकि कल मैंने एक प्रतिष्ठित समाचार-पत्र में कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव का लिखा लेख पढ़ा है। यह सम्पादकीय पृष्ठ के लेख सत्र को पुन: आहूत किए जाने से एक दिन पहले ही प्रकाशित हुआ है। उन्होंने इस लेख में कई बातें कही हैं। उन्होंने बीजेपी के बारे में जो कुछ कहा है हमने उसे तुच्छ समझते हुए खारिज कर दिया। किंतु उन्होंने गृह मंत्री के बारे में भी कहा। उन्होंने उन्हें बौद्धिक रूप से घमंडी कहा है। उन्होंने कहा है कि वे अपने बौद्धिक घमंड का शिकार हुए हैं। मैं नहीं जानता कि वे इसके शिकार कैसे हुए। उन्होंने इस माओवादी समस्या पर सरकार की सारी नीति को चुनौती दी है।

उन्होंने इसे चुनौती दी है। उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में कहा है। जब कांग्रेस पार्टी जो इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, का एक पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता सरकार की नीति को चुनौती दे रहा है तो महोदया वह न केवल गृह मंत्री अपितु सारी सरकार को चुनौती दे रहा है। उन्होंने स्वयं सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही है। यदि संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धान्त लागू होता है तो क्या देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और क्या यह मंत्रिमंडल इससे बाहर है?

महोदया, वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब हमें यह लड़ाई की जरूरत है तब सत्तारुढ़ गठबंधन बुरी तरह बंटा हुआ है। वे बंटे हुए हैं। इस गठबंधन के अन्य घटक हैं जिन्होंने सरकार की नीति को चुनौती दी है। अन्य लोग भी हैं और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं। सारा सदन इस बारे में जानता है *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बुदूर): उन्हें उनके नाम लेने चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: वे मुझ पर नाम लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। *...(व्यवधान)* वे जानते हैं कि वे कौन हैं *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: वे कौन हैं? *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: वे उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। वे माननीय सदस्य पर नाम लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: वे लोग कौन हैं *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: ऐसे लोग हैं। बालू जी उन्हें जानते हैं और मैं भी *...(व्यवधान)* इसलिए, अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार का एक संयुक्त उद्देश्य नहीं होगा, जब तक इसके प्रति दृढ़संकल्प नहीं होगा, जब तक उद्देश्य की पूरी पहचान नहीं होगी। तब तक हम यह लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। हम यह लड़ाई नहीं जीत पाएंगे और दंतेवाड़ा की घटमा अंतिम घटना नहीं होगी। ऐसा है भी नहीं। वस्तुत: महोदया, आज सुबह आपने स्वयं यह प्रस्ताव किया कि हमें एक अन्य घटना में ग्यारह अन्य पुलिसकर्मियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना चाहिए। मेरे पास ऐसी सभी घटनाओं की सूची है जिसमें विभिन्न अभियानों में माओवादियों द्वारा समय-समय पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

दंतेवाड़ा में जो घटना हुई, वह कितनी गम्भीर थी, इसकी अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तीन घंटे तक 80+स्ट्रांग फोर्स पर आक्रमण होता रहा और तीन घंटे तक हमारे जवान मुकाबला करते रहे, मारे जाते रहे। उन्होंने सहायता के लिये संदेश भेजे। हमारी तैयारी इतनी अपूर्ण थी कि तीन घंटे तक हम उनको सहायता नहीं भेज पाये।

रायपुर में हैलीकॉप्टर खड़ा था, उन लोगों की सहायता के लिये, उन्हें मैडिकल सहायता देने के लिये क्यों नहीं गया? वे लोग तीन घंटे तक मारे जाते रहे और जब पूरा क्षेत्र लाशों से पट गया और जब माओवादियों ने महसूस किया कि उनके पास लड़ने की क्षमता नहीं बची है, तब आये और उनके जितने हथियार थे, उन्हें कैप्चर कर लिया। उनमें इस तरह के घातक हथियार थे - रॉकेट लांचर्स, स्पेशल बुलेट्स जो रक्षा जैकेट को पार करके लोगों की जान ले सकते हैं, भारी मात्रा में माओवादियों के हाथ में इस तरह का एम्युनिशन लग गया और उसी एम्युनिशन का वे लोग उपयोग हमारे रक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतारने के लिये करेंगे।

इसलिए इतनी गंभीर घटित हुई। आज यह सदन पुनः मिल रहा है, 10 दिनों में सरकार नहीं चेती, 10 दिनों गृह मंत्रालय से एक स्टेटमेंट भी तैयार नहीं हो सका। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): यह राज्य का विषय है ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: नक्सलवाद राज्य का विषय नहीं है। कृपया बैठ जाएं। आपको कुछ नहीं पता। कृपया गृह मंत्री से मिलें। वह आपको इसके बारे में बताएंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: महोदया, जब आज का ऑर्डर पेपर हम लोगों के पास पहुंचा तो हम सब यह उम्मीद करके बैठे थे कि उसमें निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख होगा कि आज गृह मंत्री जी इतने बजे सदन में बयान देंगे। आज के ऑर्डर पेपर में इसका कोई जिक्र नहीं है, इतनी बड़ी घटना घट गयी और इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या सरकार को सूओ मोटो स्टेटमेंट देने की तैयारी पहले से नहीं करके रखनी चाहिए थी? क्या यह विपक्ष के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हम सब यहां उठकर शोर मचाएं और तब सरकार जागेगी, चेतेगी और तब कहे कि एक बजे स्टेटमेंट देंगे। आज हम चर्चा करने के लिए तैयार होकर आये हैं और इसीलिए जब यह सुझाव आदरणीय मुलायम सिंह जी की तरफ से आया कि हम लोग बिना स्टेटमेंट के ही चर्चा शुरू कर दें तो हम उसके लिए सहर्ष तैयार हो गये, सरकार तैयार हो गयी और चर्चा शुरू हो गयी, लेकिन गृह मंत्री अपने स्टेटमेंट के साथ तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: यह कोई बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: बात क्यों नहीं है? बात यह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जो लोग शहीद हो गये हैं, उनका अपमान हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): नागरिकों की रक्षा करना राज्य सरकार का पहला कर्त्तव्य है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर टोक रहे हैं। क्या ऐसे पार्लियामेंट चलेगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदया, इनकी ट्रेनिंग कराइए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप तो बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप तो बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे-बैठे रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, टोका-टाकी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: राज्य सरकार क्या कर रही थी? क्या राज्य सरकार सो रही थी? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: महोदया, मैं इस सदन के साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, मैंने ये आंकड़े गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से लिये हैं। ये आंकड़े यह दिखाते हैं कि,

[अनुवाद]

2004 से 2010 इन छह वर्षों में देश में हुई माओवादी घटनाओं में 4,246 जाने गईं थीं। माओवादी घटनाओं में सुरक्षा बलों सहित 4,246 लोग मारे गए थे। इन में से 2,524 जानें केवल दो राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखंड जो मेरा राज्य है में गई थी। पिछले छह वर्षों के दौरान इन दोनों राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक लोग मारे गए थे।

आप इसकी तुलना भारत-पाकिस्तान युद्धों में मारे गए लोगों से कर सकते हैं। 1947 से 1949 तक हम जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से युद्ध कर रहे इनमें कितने जाने गई थी? इनमें 1500 जाने गई थी। 1965 के युद्ध में कितनी जाने गईं थी? इसमें 3000 लोग मारे गए थे। केवल 1971 के युद्ध में हमारे 53,000 सैनिक मारे गए थे। करगिल के युद्ध में केवल 522 लोग मारे गए थे। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना बल के आपरेशनों में 1700 या इससे अधिक लोग मारे गए थे।

[हिन्दी]

अब इन आंकड़ों से भी अगर हमें गंभीरता का एहसास नहीं होगा, तो फिर क्या किया जाए? देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि माओईज्म इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक बयान है। गृह मंत्री जी का बयान आता है, हम सहमत हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उसमें इसका जिक्र होता है, लेकिन जहां तक कार्यवाही का सवाल है, उसमें स्थिति क्या है? जब यह सरकार पहले अवतार में आयी तो पूरे देश को एक खतरनाक संदेश भेजा। वह संदेश था कि हम टैररिज्म से समझौता करने को तैयार हैं। हर प्रकार के आतंकवाद से हम समझौता करने को तैयार हैं। यह संदेश गया, क्यों? क्योंकि...* राजनैतिक लाभ के लिए आपने हाथ मिलाया, उन सब लोगों से, जिनसे आपको चुनाव में फायदा हो सकता था। आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के साथ आपने समझौता किया। ...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, शायद यशवंत सिन्हा जी नहीं जानते हैं कि इनकी सरकार का वहां क्या वास्ता रहा है? इनकी सरकार का, इनकी अपनी सरकार का माओवादियों के साथ क्या रिश्ता रहा है? उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें। ...*(व्यवधान)* इनका अपना रिश्ता माओवादियों के साथ क्या है? यहां और बात करते हैं और वहां उनके साथ मिलकर और बात करते हैं। यदि उनके प्रति कुछ लिखा गया तो उसके प्रति इनको कनटैम्प्ट है। उनके प्रति उनको कनटैम्प्ट है। ...*(व्यवधान)* अपना विचार था और दूसरा सत्य लिखा गया कि इनकी सरकार का उनसे क्या ताल्लुक है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ये सभी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: आपको बोलने का अवसर मिलेगा। इसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा। इन्हें समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जब आपकी बारी आए तब आप जो कहना चाहते हैं, वह कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। इनके बाद बोलने की बारी आपकी है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: अगली बारी आपकी है, उस समय आप अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, इन्हें अपना वक्तव्य वापस ले लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन्होंने हमारी सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए। इनके बाद आपकी बारी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए, फिर आपकी बारी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्लीज बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्लीज बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: एक तरफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं है। जबकि असलियत यह है कि इनके जो सदस्य हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके जो मैम्बर्स बने हैं जिनको इन्होंने समर्थन दिया है, उन्होंने वहां यह काम किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या भूमिका है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, हम बहुत ही गंभीर और दुखद घटना, जिसने हम सभी को दुखी किया है, पर चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

यह उपयुक्त समय नहीं है तथा यह ऐसी चर्चा नहीं है जिसमें कि आरोप लगाए जाएं। यह ऐसा समय है, जबकि हम सभी को और सभी दलों को एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं।

अब, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि उन्हें अपना भाषण जारी रख अपनी बात समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जी हां, थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं उन्हें बताऊंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये। मैं जानती हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: निरुपम जी, आप भी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

यशवंत सिन्हा जी, मैं आपसे ऐसे आरोप न लगाने का अनुरोध करती हूं, जिसकी कि आप पुष्टि न कर पाएं।

श्री यशवंत सिन्हा: क्यों? यह नियम के तहत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतने क्रुद्ध न हों।

[हिन्दी]

जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलें। आप भी बैठ जाइए। इसके बाद आपकी बारी आएगी। जिस-जिस बात पर आपको एतराज है, जो बातें आपको स्पष्ट करनी हैं, जिन पर आपको एतराज है, वह सब आप उसमें कह सकते हैं। आप कृपया इस बहस को चलने दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदया, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आगे किसी विषय पर चर्चा हो तो आप कृपया हम लोगों की स्पीच लिखकर हमें दे दीजिए, हम उसी को पढ़ देंगे। ...*(व्यवधान)* क्योंकि आप चाहते हैं कि हम वही बोलें जो आप बुलवाना चाहें। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। मैं वही बोलूंगा जिसको मैं सत्य मानता हूं जो कि राष्ट्रहित में है। हम वही बात करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: आप मेरी बात सुनिए, मैं झारखंड से आता हूं और रोज खतरे से खेलता हूं। ,...*(व्यवधान)* आप एयर कंडीशन चेम्बर्स में बैठे हो। ...*(व्यवधान)* मैं मुकाबला कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: महाबल मिश्रा दिल्ली में नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ये मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न एक बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न एक बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: इससे पहले की मैं श्री यशवंत सिन्हा जी को अपना भाषण जारी रखने के लिए कहूं हम नियम 377 के अधीन मद संख्या 10 को लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण बीस मिनट के भीतर पर्चियां सभा पटल पर सौंप सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

(एक) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित विदर्भ क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदया, मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कृषि संकट के कारण किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले साल दिसम्बर,

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

2009 में 7 किसानों ने आत्महत्याएं की। उस समय राज्य में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 668 हो गई थी। राज्य में पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 7000 से अधिक हो गई है। अभी हाल ही में 30 मार्च, 2010 के आसपास 25 किसान विदर्भ में आत्महत्या कर चुके हैं। सिर्फ एक दिन में 9 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस साल 30 मार्च, 2010 तक 194 किसान विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्यायें कर चुके हैं। यह अत्यन्त भयावह स्थिति है। तमाम पैकेजों और आश्वासनों के बावजूद किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस क्षेत्र में 15,000 गांवों को अकाल पीड़ित घोषित किया गया है, लेकिन अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं।

ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से यह निवेदन है कि सरकार विदर्भ क्षेत्र में अकाल पीड़ित किसानों के लिए जो पैकेज और अन्य सहायता दे रही है वे किसानों तक पहुंच रहे हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए और किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(दो) आंध्र प्रदेश के जहीराबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुमार शेटकर (जहीराबाद): मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय विशेषकर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना जैसे पिछड़े क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में लगभग 30 केन्द्रीय विद्यालय छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इस स्कूलों से छात्रों को बहुत लाभ हो रहा है। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र तथा इसके आसपास रहने वाले अधिकांश लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से हैं। अधिकतर लोग निर्धन हैं और अपनी काफी कम आय से अपनी आजीविका चला रहे हैं। निर्धनता के कारण अधिकांश छात्र निजी संस्थाओं में शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। कमजोर वर्गों के अधिकांश छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने की नितांत आवश्यकता है। यदि सरकार न केवल मेरे जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के बल्कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में पूरे देश में पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय विद्यालय खोलती है तो इससे छात्रों को बहुत लाभ पहुंचेगा तथा इससे देशभर में ज्ञान का स्तर समान रूप से बढ़ेगा।

इसलिए मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कम से कम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष आबादी के दौरान हमारे देश के प्रत्येक जिले, विशेषकर आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित की जाए।

(तीन) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर भारत-पाक सीमा पर स्थित है एवं अधिकांश लोग मरूस्थल में रहते हैं। बाड़मेर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अगर एक घर में बिजली लगा दी जाती है तो आस-पास के गांवों में विद्युतीकरण मान लिया जाता है। जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है। इन गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार नहीं हो पा रहा है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पाया है।

सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के सभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के घरों का विद्युतीकरण किया जाए। राजस्थान के गरीब परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ पहुंचा कर देश के साथ प्रगति करने का मौका दिया जाए।

(चार) कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनुर में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): कर्नाटक में मेरा जिला चामराजनगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल है, जो कि अब तक जवाहर नवोदय विद्यालय से वंचित है। वर्ष 2008-09 के आम बजट में केन्द्र ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में बीस जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी थी, परन्तु चामराजनगर के वैधानिक दावे की अनदेखी की गई।

यह पता चला है कि वर्तमान बजट 2010-11 में, नवोदय विद्यालयों हेतु योजना तथा गैर-योजना आवंटन मद में 424.80 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। चामराजनगर जिले के कोल्लेगल तालुक के हनुर में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव लंबे से लंबित है।

अब, चूंकि देश के विभिन्न भागों में लगभग 600 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं, जिनसे समाज के हाशिए पर रह रहे तथा वंचित वर्गों को लाभ हो रहा है। केन्द्र से मेरा अनुरोध है

कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(पांच) देश में घटिया किस्म के बीज, नकली कीटनाशक और उर्वरकों की बिक्री में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नागरकुरनूल): भारत में किसान विभिन्न कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं। घटिया स्तर के बीज, नकली कीटनाशक और उर्वरकों की बिक्री इसका एक कारण है। जैसा कि उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसान अज्ञानतावश घटिया स्तर के बीज, नकली कीटनाशक और उर्वरक खरीद रहे हैं और इस कारण किसानों को उस अनुपात में परिणाम और लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिस अनुपात में वे कृषि के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। घटिया स्तर के बीज, नकली उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर कोई नियंत्रण और निगरानी नहीं है और साथ ही घटिया स्तर के बीज, नकली उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री करने वाले दोषी डीलरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही किसानों को उनके निवेश पर उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उन्हें जबरन ऋण के जाल में फंसाया जाता है और उनमें से कई निराशा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। यह सब इस कारण है क्योंकि घटिया स्तर के बीज, नकली उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री में शामिल दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई कानून नहीं है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे घटिया स्तर के बीज, नकली उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री में शामिल दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके जिससे की किसान समुदाय के हितों की रक्षा की जा सके।

(छह) आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय योजना के अंतर्गत निःस्राव परिमार्जन संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल): मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान संपूर्ण देश के विशेषकर आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों को होने वाली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र में हैदराबाद के बाद वारंगल दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ ही यह क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। यहां पर लगभग 30 चमड़ा उद्योग है जो चर्म शोधन उद्योग के कार्य में लगे हुए हैं। इससे जरूरत मंद और वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और जो लोग रोजगार सृजन में शामिल हैं उनको रोजगार प्रदान करते हैं। यह उद्योग निर्यात योग्य गुणवत्ता वाले चमड़े का उत्पादन करते हैं। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु शहरीकरण के कारण, वारंगल शहर का विस्तार औद्योगिक क्षेत्र के आसपास तक हो चुका है। यहां अपशिष्ट शोधन संयंत्र के नहीं होने के कारण प्रदूषण हो रहा है। लोगों को ऐसे प्रदूषित वातावरण में रहने में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः मैं केन्द्र सरकार और संबंधित माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत एक अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की पहल करें ताकि उद्योग के साथ-साथ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रदूषण के कारण समस्या का सामना न करना पड़े।

(सात) मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा और सतना में तालाबों के विकास और संरक्षण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण, भोपाल के अंतर्गत भोपाल के 10 तालाबों का विकास एवं संरक्षण तथा गोविन्दगढ़ तालाब, रीवा की संरक्षण एवं प्रबंधन योजना की राशि अभी तक भारत सरकार द्वारा लंबित है। इसके साथ ही सतना में भी तीन तालाब हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहां पानी की बहुत किल्लत होती है। ऐसे में ये तीन तालाब लोगों को बहुत राहत प्रदान करते हैं परन्तु इनकी हालत भी बहुत जीर्ण-शीर्ण है। अगर जल्दी ही इनकी मरम्मत और संरक्षण नहीं किया गया तो यह भी सूख जायेंगे।

अतः मैं केन्द्र सरकार से इन तालाबों के रख-रखाव और संरक्षण हेतु राशि स्वीकृत करने की मांग करता हूं।

(आठ) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आग के कारण जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर): सदन के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी हाल में पिछले 15 दिनों में मेरे संसदीय क्षेत्र में कई ज़गह खेतों में आग लग गई, जिससे लगभग 500 से 700 एकड़ की फसल नष्ट हो गई है। इसमें गरीब व मध्यम किसान आहत हुआ है। मैंने जाकर स्वयं देखा है, प्रशासन

से भी बात की, प्रशासन द्वारा बताया गया है कि खलिहान में आग का बीमा कवर होता है, खेतों का नहीं। प्रदेश सरकार ने इतनी बड़ी आपदा में कोई मदद नहीं की। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

अतः मेरी मांग है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी उच्च स्तरीय संसदीय जांच समिति गठित करके जांच करायें और तत्काल किसानों को इस आपदा से हुए नुकसान से राहत दिलायें।

(नौ) उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): आपका ध्यान मैं अपने संसदीय क्षेत्र सम्भल जिला मुरादाबाद में अभी तक केन्द्रीय विद्यालय न खोलने के बारे में दिलाना चाहता हूं। जबकि यहां 3-4 साल पहले केन्द्रीय विद्यालय मंजूर हुआ था। उसके बाद कई बार मंत्रालय से अनुरोध भी किया और सदन में भी इसे कई बार उठाया लेकिन यह मामला ज्यों का त्यों है, जिसका बेहद अफसोस भी है। जहां केन्द्र सरकार पढ़ाई पर इतना जोर दे रही है वहीं मेरे संसदीय क्षेत्र सम्भल में पहले से मंजूर केन्द्रीय विद्यालय न खोलकर नाइंसाफी कर रही है।

आपसे गुजारिश है कि आप मेरे संसदीय क्षेत्र सम्भल में 3-4 साल पहले मंजूर हुए केन्द्रीय विद्यालय को जल्द से जल्द खुलवाने की मेहरबानी करें।

(दस) देश में टीकों की कमी पर काबू पाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं सभा का ध्यान देश में टीकों की कमी के कारण लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। टीकों की कमी से वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी प्रभावित होती है, इसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं जिन्हें पारम्परिक टीके लगाए जाते हैं जैसे डिफ्थीरिया/टिटेनस/काली खांसी (डीटीपी), क्षयरोग (बीसीजी), ओर पोलियो वैक्सीन (ओपीवी), टेटनस टाक्साइड (टीटी), खसरा, पीला बुखार और मेनिन्जाइटिस। टीटी, डीटीपी, ओपीवी, खसरा, बीसीजी की आवश्यकता 7534.77 लाख खुराक की है। वर्ष 2008-09 के लिए आपूर्ति केवल 6412.62 लाख खुराक की थी। 1122.15 लाख खुराकों की कमी है। विभिन्न टीकों की कमी गरीब बच्चों और समाज के अन्य जरूरतमंद लोगों को प्रभावित करती है। 2009 में टीकों की अत्यधिक कमी के कारण आंकड़े काफी अधिक थे। विभिन्न टीकों की कमी इसलिए और भी गंभीर हो गई क्योंकि टीका विनिर्माताओं ने 1998 और 2001 के बीच विकासशील राष्ट्रों में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक कम कीमत वाली दवाइयों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना आरंभ कर दिया था। 14 विनिर्माताओं में से 10 ने पारंपरिक टीकों के निर्माण अंशतः या पूर्णतः बंद कर दिया था। इसका समग्र प्रभाव यह है कि यूनिसेफ के पास टीकों की उपलब्धता कापी कम हो गई। इसके साथ ही टीकों के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए डीटीपी टीके के लिये मूल्य में 15%, बीसीजी में 27%, खसरे में 15% और टीटी में 23% की वृद्धि हुई है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं।

(ग्यारह) उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु लाइसेंस फीस कम करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): बीजू पटनायक विमानपत्तन भुवनेश्वर, उड़ीसा में कार्यरत शासकीय विमानन प्रशिक्षण संस्थान (जीएटीआई) देश के प्राचीनतम उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है, जोकि 2005 से 2008 तक पायलटों के त्यागपत्रों के कारण प्रयोग में नहीं है। उड़ीसा के संभावित पायलटों के सपनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से चयनित पीपीपी भागीदारी के मदद से नवम्बर, 2008 में जीएटीआई का पुनरुद्धार किया है।

इससे पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) राज्य सरकार द्वारा जीएटीआई के प्रचालन हेतु प्रतिवर्ष 1 रुपये का आंशिक लाइसेंस शुल्क लेता था। अब उन्होंने पीपीपी भागीदार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले राजस्व के 50% प्रभार का प्रस्ताव किया है जोकि काफी अधिक और तर्कहीन है। यद्यपि उड़ीसा राज्य सरकार ने लाइसेंस शुल्क के रूप में एएआई को 16,12,500 रुपये प्रति वर्ष देना प्रस्तावित किया है जोकि राज्य सरकार द्वारा एएआई को प्राप्त करने योग्य परियोजना आवंटन शुल्क के वार्षिक औसत का 50% है, परन्तु एएआई ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अनुदेशित करे कि वे उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

(बारह) तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में के.के. नगर और क्रॉफोर्ड क्षेत्र के बीच लोगों के आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45-बी पर एक सब-वे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली): तिरूचिरापल्ली में मन्नारपुरम आरै पंजापूर राष्ट्रीय राजमार्ग 45-बी से जुड़े हुए हैं। सड़क के

दोनों ओर स्थित के.के. नगर और क्राफोर्ड क्षेत्र में पांच लाख से अधिक जनसंख्या है, चूंकि कोई सबवे नहीं है, इसलिए दोनों क्षेत्रों के निवासियों को सड़क की दूसरी ओर पहुंचने के लिए लंबा घुमावदार मार्ग लेना पड़ता है। सड़क के दोनों ओर खाली पड़ा स्थान रक्षा मंत्रालय का है। यहां के स्थानीय निवासियों की काफी लंबी समय से मांग है कि सड़क के दोनो ओर रहने वाले लोगों की सुगम आवाजाही हेतु एक सबवे का निर्माण करवाया जाए। लोगों ने अपना अभ्यावेदन रक्षा मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों को पहले ही सौंप दिया है कि वे अपनी रिक्त पड़ी भूमि के इस छोटे टुकड़े को सबवे के निर्माण हेतु तिरूचिरापल्ली नगर निगम को सौंप दें।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि इस रिक्त भूमि के छोटे टुकड़े को सबवे के निर्माण हेतु तिरूचिरापल्ली नगर निगम को सौंप दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर): महोदया, माननीय सदस्य, को पहले अपने शब्द वापस लेने होंगे। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नागरकुरनूल): महोदया, कृपया उन्हें उनके शब्द वापस लेने के लिए कहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मैं रिकार्ड की जांच करूंगी और यदि मुझे कुछ नियमों के विरुद्ध लगता है, तो मैं उचित कार्यवाही करूंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं माननीय सदस्यों से कुछ संयम बरतने का अनुरोध करूंगी। पूरा देश देख रहा है। कृपया कुछ संयम बरतें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, इन्हें देश के शहीदों से माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, ये देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, पूरा देश इन्हें देख रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: कृपया कुछ संयम बरतें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जो भी उन्होंने कहा, आप उसका उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब सभा अपराह्न 2.00 पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

नियम 193 के अधीन चर्चा–*जारी*

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर हाल में हुआ माओवादी हमला

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मैंने कार्यवाही-वृत्तांत का अध्ययन किया है। मैंने पाया है कि श्री यशवंत सिन्हा द्वारा उनके भाषण के दौरान प्रयोग किए कतिपय शब्द अशिष्ट हैं और तदनुसार मैंने उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

अब, श्री यशवंत सिन्हा अपना भाषण पुन: आरंभ कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदया, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मेहरबानी करिए और उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: बोलेंगे वही। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप लोग शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: महोदया, मेरा अनुरोध है कि बिहार में चक्रवात से एक सौ लोग मरे और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कोई राहत या बचाव का काम नहीं हो रहा है। भारत सरकार टीम भेजकर बंगाल और बिहार के इलाके में, अररिया, झरिया, पूर्णिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब इनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: सैकड़ों लोग मरे हैं और कोई रोने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, यह होना चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): भारत सरकार ने बाढ़ के लिए कुछ राहत नहीं दी, ...*(व्यवधान)* इसलिए भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बैठ जाइए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): जहां आग लगी थी, वहां भी मदद करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यशवंत सिन्हा जी, आप बोलिए।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): मैडम, मैं यह कहा रहा था कि अगर माओवाद से लड़ने की नीति में स्पष्टता नहीं होगी, अगर उसमें दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तो कहीं न कहीं हम इस लड़ाई में मात खाते रहेंगे। अब हाल ही में घटना लीजिए, गृह मंत्री महोदय कभी कहते हैं मैं बातचीत करने को तैयार हूं, कभी कहते हैं बातचीत नहीं होगी, कभी कहते हैं कि यह मेरा टेलीफोन नंबर है, माओवादी नेता कहते हैं यह मेरा टेलीफोन नंबर है, इस पर बात करो। मतलब यह सारा कुछ एक मजाक बनकर रह गया है। टेलीफोन नंबर्स पब्लिकली एक्सचेंज हो रहे हैं और इसी बीच में कभी कड़क से कड़क बयान आता है, जो पहले की बात से मेल नहीं खाता है। आपरेशन ग्रीन हंट शुरू हो गया है और उसकी बहुत चर्चा हुई। ऐसा लगा कि जो लोग आपरेसन ग्रीन हंट के साथ नहीं हैं, वे दोषी हैं और जो बातचीत होनी चाहिए, तो उसकी भर्त्सना की गयी। भारत सरकार अगर वही बात कहे, तो सही है। किसी राज्य सरकार की तरफ से उस प्रकार की बात आए, तो वह गलत है, दो मापदंड, दो स्टैंडर्ड्स।

मैडम, मेरा मानना है कि आपरेशन ग्रीन हंट बिना पूरी तैयारी के शुरू किया गया। इसमें जिस तरह से राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए था, वह काम नहीं किया गया। गृह मंत्री महोदय गए। उन्होंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ, अन्य लोगों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने यह जरूर किया। लेकिन ऑपरेशन्स जो हैं,

[अनुवाद]

आपरेशन की योजना अलग स्तरों पर बनाई जाती हैं; उनकी योजना गृह मंत्री स्तर पर अथवा मुख्य मंत्री स्तर पर नहीं बनाई जाती। वस्तुतः, योजनाएं सदैव प्रभारी पुलिस अधिकारियों द्वारा ही बनाई जाएंगी।

[हिन्दी]

उसके लिए जो पूरी तैयारी करनी चाहिए, वह पूरी तैयारी कहां है। अगर आपरेशन ग्रीन हंट में पूरी तैयारी हुई होती, तो मेरा दावा है कि दंतेवाड़ा जैसी घटना कभी भी नहीं घटी होती। क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की, बैक-अप क्या होगा, उसकी बात नहीं है, संवाद कैसा जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे इस्टैबलिश होगा, मेडिकल असिस्टेंस कैसे मिलेगा, अगर ट्रुप्स अंडर फायर आते हैं, इसकी जितनी डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए, उतनी डिटेल प्लानिंग नहीं हुई। मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं कि मैं भी एक नक्सली प्रभावित राज्य झारखंड से आता हैं। मैडम, आप भी एक नक्सली प्रभावित राज्य से आती हैं। मैं बहुत समय अपनी कौन्सटीटूएंसी में बिताता हूं। आपरेशन ग्रीन हंट कहां हो रहा है, मुझे नजर नहीं आता, चाहे वह भारत सरकार की फोर्सेज हों या राज्य सरकार की फोर्सेज हों। क्या है आपरेशन ग्रीन हंट?

[अनुवाद]

क्या कोई उठेगा और हमें बताएगा कि यह 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' क्या है, इसकी योजना कैसे बनाई जा रही है, राज्यों को विश्वास में कैसे लिया जा रहा है; राज्य सरकारों के बीच क्या समन्वय स्थापित किया गया है?

[हिन्दी]

चले गए। 1962 में चीनियों से बिना मोजे और जूते पहने हमारे सिपाही लड़ने चले गए और वहां पर मारे गए। दंतेवाड़ा की घटना ठीक उसी प्रकार की है। बिना तैयारी के अपने जवानों को झोंक देना, मौत का घाट उतरवा देना, किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यह कोई मामूली घटना हमारे इतिहास में नहीं है। सैंटर-स्टेट कोऑपरेशन- मैं यहां सुन रहा था, कुछ सदस्य कह रहे थे कि यह राज्यों का मुद्दा है। सिर्फ राज्यों का मुद्दा नहीं है। हम गंभीर गलती करेंगे, अगर सदन में बैठा हुआ कोई भी सदस्य यह सोच ले कि यह राज्य सरकारों का मसला है और राज्य सरकार निपट लेगी। झारखंड निपट लेगा झारखंड में, लेकिन हमारे यहां से भागकर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तब क्या होगा। छत्तीसगढ़ निपट लेगा छत्तीसगढ़ से। वे भागकर उड़ीसा में जाएंगे तब क्या होगा। उड़ीसा निपट लेगा और वे भागकर आंध्र प्रदेश में जाएंगे, तब क्या होगा। वे भागकर बिहार में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में जाएंगे, तब क्या होगा। कोआर्डिनेशन किस लैवल पर होगा? यह कौन करेगा? किस प्रकार यह कोआर्डिनेशन हो रहा है? इन सबकी जानकारी इस सदन को होनी चाहिए। बार-बार बयान आता है

[अनुवाद]

जिम्मेदारी यहां की है; जिम्मेदारी मेरी मेज पर यहां, वहां, हर जगह आकर ठहरती है। मैं कहता हूं कि यदि जिम्मेदारी ठहरती है तो यह संसद की है।

[हिन्दी]

जब तक हम सब इसके लिए एकजुट नहीं होंगे, तब तक यह लड़ाई नहीं रुकेगी। उसमें कभी हमारी फतह नहीं होगी। पूरे सदन को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा।

[अनुवाद]

बाहर स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि हम एक हैं, लेकिन सभा यह संदेश भेजे, इससे पूर्व, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उठे और स्पष्ट शब्दों में कहे कि हम सभी एक हैं।

[हिन्दी]

इस लड़ाई के पीछे। हम इस लड़ाई को पूरे मनोयोग से लड़ना चाहते हैं। अगर यह नहीं होगा, तो न राज्यों के साथ कोआर्डिनेशन होगा, पीपल्स के साथ हमें जो कोआर्डिनेशन करना चाहिए, वह भी नहीं हो पाएगा। आपरेशन ग्रीन हंट हो, आपरेशन ब्लैक हंट हो, आपरेसन रैड हंट हो, कुछ भी होगा, उसमें हमें असफलता नहीं मिलेगी।

मैडम, दंतेवाड़ा की घटना के बाद मीडिया में लेख छपे, टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया गया कि हमारे सिक्युरिटी फोर्सेज, इलीट फोर्सेज किस हालत में अपने कैम्प्स में रह रहे हैं। जब हम जानते हैं कि माओवादियों का अटैक उनके ऊपर होगा, कैम्प्स पर अटैक हुआ या नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में सिक्युरिटी फोर्सेज के कैम्प्स के ऊपर अटैक हुआ। हमारे यहां बिहार में जेल पर अटैक हुआ। वे जेल पर अटैक करके लोगों को ले गये। डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर के आफिस पर अटैक होता है, थाने पर अटैक होता है। पुलिस के जितने भी ठिकाने हैं, उनके ऊपर अटैक होता है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि आज हमारे सैंट्रल फोर्सेज के जवान किन हालात में इन कैम्प्स में जीने को विवश हो रहे हैं। वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है और उन्हें वहां डाल दिया है। क्या यह हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य नहीं है कि जिसने हम उम्मीद करते हैं कि वे अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करेंगे, इंटरगल सिक्योरिटी हमें देंगे, उनकी हम थोड़ी बहुत चिन्ता करें? हमारे दूसरे साथी यहां पर बोलेंगे, लेकिन मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जितने लोग दंतेवाड़ा में मारे गये, क्या उनके घरों से सम्पर्क किया गया? क्या भारत सरकार का कोई व्यक्ति उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए वहां गया? क्या उनको मुआवजे की राशि मिल गयी? उनके आश्रितों को जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्या वह मिल गयी? कुछ नहीं है, कोई सूचना नहीं है। मैंने इस बारे में एक शब्द भी किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि भारत सरकार की ओर से कोई यह कहने के लिए गया कि हम बहुत दुखी हैं, हमें तकलीफ है, हमें अफसोस है कि आपके परिवार का सदस्य मारा गया। जिस तरह हमें इन जवानों के परिवारों के साथ आज खड़ा होना चाहिए, हम अपने गिरेवान में झांककर देखें कि क्या हम यह काम कर रहे हैं।

अंत में, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। लेकिन सुझाव देने से पहले मैं एक बात की ओर आपका और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत तरह का सूडोइज्म चलता है। अब कुछ सूडो लिबरल्स हैं, उदारवादी हैं। वे माओवादियों का समर्थन करते हैं। छदम, जो अपने को लिबरल इंटलैक्चुअल मानते हैं। चिदम्बरम साहब यहां नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री को शायद यह नहीं कहना चाहिए था कि इंटलैक्चुअल ऐरोगेन्स के शिकार हैं। लेकिन देश में ऐसे इंटलैक्चुअल्स हैं जो हर बात में मानवाधिकार को जोड़ते हैं। ये जो 76 लोग मारे गये, उनके मानवाधिकार के बारे में क्या एक भी लिबरल बोला-

[अनुवाद]

इस देश के तथाकथित उदारवादी।

[हिन्दी]

एक आदमी ने नहीं बोला। एक आदमी ने जाकर उन परिवारों के साथ सहानुभूति नहीं दिखायी। लोगों की गर्दन काट दी जाती है, अंग काट दिये जाते हैं। रोजमर्रा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मैंने पिछली बार इस सदन में ही बोला था। मेरे अपने क्षेत्र में हमारा एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता रात को अपने घर लौट रहा था। ...*(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू): सिन्हा साहब, यही आतंकवादी नहीं, बल्कि कारगिल युद्ध या काश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गये लोगों की डेड बॉडीज आयी हैं, पार्थिव शरीर के साथ नहीं तो श्मशान में उनके दाह संस्कार में मैं शरीक हुआ हूं। मैंने उनके प्रति सहानूभूति दिखायी है और सहानूभूति नहीं, ...*(व्यवधान)* बल्कि हमसे जो मदद हो सकती थी, वह मदद की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपका धन्यवाद।

श्री यशवंत सिन्हा: मैडम, ऐसे जो छद्म उदारवादी हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि वह अपना मशविरा अपने पास रखें, देश को उनके मशिवरे की जरूरत नहीं है।

मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आजकल चाहे स्टेट पुलिस हो या सेन्ट्रल पुलिस हो, जिस तरह का ड्रिल करने की परंपरा थी, वह समाप्त हो गयी है। वे ड्रिल ही नहीं करते हैं, जो ड्रिल करते हैं, वे चुस्त-दुरूस्त रहते हैं। आप पुलिसमेन को देखिए, उनका बड़ा सा पेट निकला रहता है, ऐसे पुलिसमैन नक्सलियों से क्या लड़ेंगे? आजकल पुलिस में चांदमारी नहीं होती। अभी मैंने अखबार में पढ़ा, झारखण्ड में पुलिस सिपाहियों एवं पदाधिकारियों से चांदमारी के लिए कहा गया। वे निशाना नहीं लगा पाए, अगर टारगेट इधर है तो गोली उधर जा रही थी। अगर पुलिस ट्रेनिंग का यह लेवल है तो क्या होगा? इसकी वजह से धीरे-धीरे राज्य सरकारें पूरी तरह से सेंट्रल फोर्सेज पर निर्भर हो गयी हैं। अगर सेंट्रल फोर्सेज जाएंगी तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई होगी। आज पुलिस अपनी सुरक्षा स्वयं करने में अक्षम है। इसीलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं कि इसकी तैयारी करनी पड़ेगी सिर्फ एक दिन में नहीं, यह कई महीनों, कई वर्षों तक चलने वाला सिलसिला है। जब आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, इनके समय में एक स्पेशल फण्ड शुरू किया गया था उन राज्यों की मदद करने के लिए जहां नक्सलवाद का खतरा था। क्या हम देखते हैं कि कितने राज्यों ने इस लाभ उठाया और किस तरह से लाभ उठाया? अगर आप पुलिस थाने में किसी घटना के बारे में कुछ कहने के लिए, बताने के लिए जाएं, तो वे कहते हैं कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल भराओ, डीजल भराओ, फिर हम वहां जाएंगे। इस पुलिस फोर्स से क्या हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं? इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस को माडर्नाइज करने के लिए, वेल-ट्रेन्ड करने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है, उसकी पूरी-पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए।

दूसरे, उनके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या वेहिकल्स हैं? कहीं प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं हैं, वेहिकल्स नहीं हैं, समय पर पहुंच नहीं सकते हैं। तीन घंटे तक दांतेवाड़ा में सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स पर हमला होता रहा और हम उनकी सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए नक्सलियों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, क्या हम उसका मुकाबला थ्री नॉट थ्री राइफल से कर सकते हैं? कभी-कभी वे रायफलें भी नहीं चल पाती हैं, फंस जाती हैं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): पुलिस माडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप शांत रहिए।

श्री यशवंत सिन्हा: मैडम,

[अनुवाद]

इस देश में माओवादी क्षेत्रों में काफी बड़े क्षेत्र उनके नियंत्रण में हैं।

[हिन्दी]

वहां न पुलिस जाती है, न प्रशासन जाता है। वहां पर उनका शासन चलता है। एरिया डामिनेंस एप्रोच में हम क्या कर रहे हैं? हम कितना अंदर जाने को तैयार हैं? यह काम राज्य सरकार की फोर्सेज से नहीं होगा, इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स को ही लगाना पड़ेगा। उनको वहां जाकर अच्छे कैंप्स स्थापित करने पड़ेंगे। वहां पर जाकर पूरे एरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन इस काम में एक बात का ध्यान रहे कि उसमें लोग एलियनेट न हों, वहां के लोकल लोग अगर एलियनेट होते हैं, तो उसका दूसरे तरह का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बिना लोगों के इस लड़ाई में शामिल हुए, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

लोगों का सहयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

पीपुल्स कोआपरेशन में इंटैलिजेंस की बात है। हमारी इंटैलिजेंस क्या कर रही है?

जब कोई घटना घटती है, तो कहीं न कहीं से यह खबर छपवाई जाती है कि

[अनुवाद]

आसूचना प्रदान की गई थी और आसूचना उपलब्ध थी,

[हिन्दी]

उस पर एक्ट नहीं किया गया, क्यों नहीं किया,

[अनुवाद]

क्या यह आसूचना सही समय पर थी? क्या यह आसूचना कार्यवाही योग्य थी?

[हिन्दी]

ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैं यह कह रहा हूं कि माओवादियों के पास हमसे ज्यादा सुपीरियर इंटैलिजेंस है। उन्हें सारी बातों की खबर है, जो हमारे पास नहीं है उनके बारे में। जब तक यह इंटैलिजेंस की लड़ाई हम नहीं जीतेंगे, तब तक कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। इसीलिए चाय की दुकान पर बैठकर इंटैलिजेंस कलेक्टकर रहे हैं, इंटैलिजेंस वालों के बारे में पूछते हैं कि कहां है तो पता चलता है कि चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मार रहे हैं। हम गए, किसी ने गप्प मार दी, रिपोर्ट भेज दी, यही इंटैलिजेंस है।

[अनुवाद]

यह आसूचना नहीं है।

[हिन्दी]

मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब हम लोग अपने इलाके में जाते हैं, उनका खुफिया तंत्र काम करता रहता है। अचानक एक व्यक्ति उठ जाएगा या अचानक एक लड़की भागकर कहीं चली जाएगी, इस तरह से उन्हें सारी सूचना मिल जाती है। मैं चुनाव के समय एक क्षेत्र में जाने वाला था। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इंटरसैप्ट किया कि मोबाइल पर बात हो रही है, क्या बात हो रही है। यह बात हो रही थी कि यशवंत सिन्हा इस क्षेत्र में आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आज इनका नगाड़ा बजा दें, आईईडी लगा दें। सड़क पर अगर वे एक्सप्लोसिव लगा देंगे, तो गाड़ी उड़ जाएगी। हम लोग तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रैवल नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री का धन्यवाद।

[हिन्दी]

मैं यह बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि

[अनुवाद]

1998 में, मैं दूसरी सभा में, इस संसद में आया

[हिन्दी]

1998 से लेकर अभी हाल तक

[अनुवाद]

मुझे सदैव सुरक्षा मिली। यह पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने मेरी सुरक्षा पूरी तरह हटा ली है। मैं परवाह नहीं करता। मैं मांग भी नहीं रहा हूं और मैं सरकार को स्पष्ट बता रहा हूं कि यदि वे सुरक्षा देंगे तो मैं स्वीकार भी नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। कोई बचाव नहीं करेगा, अगर बचाव होगा तो मैं अपनी किस्मत से बचूंगा, अपनी किस्मत से आज तक अगर बचता आया हूं तो बचूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई दूसरा मेरा बचाव नहीं कर सकता। हम सब कह रहे हैं, वे लिबरल्स कहते हैं कि पोलिटिशियन्स को नक्सल एरिया में भेजो। भेजो क्या, हम लोग तो वहीं रहते हैं, रोज रहते हैं। वे नहीं रहते हैं तो वे जाएं। वे जाते हैं एक दिन के लिए और एक्सपर्ट बनकर माओवादियों के ऊपर, नक्सलवाद के ऊपर बड़े-बड़े लेख लिखते हैं। हम लोग रोज रहते हैं, रोज वहां पर जाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर अपने इलाकों में घूमने का काम करते हैं, जन सम्पर्क का काम करते हैं। यह उन क्षेत्रों का हाल है, जहां हमारे जैसे लोग राजनीति करते हैं। इसलिए मैं यहां पर दिल की बात बोल रहा हूं, कोई किताबी बात या अखबार की बात नहीं है, दिल की बात बोल रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई सुरक्षित नहीं है आज के दिन। दंतेवाड़ा की घटना के बाद सुरक्षा की भावना इस देश में समाप्त हो गई है। उस समय तक नहीं लौटेगी, जब तक हम इस खतरे पर काबू नहीं पा लेते।

हम अपना सारा का सारा सहयोग सरकार को देने को तैयार हैं। क्या सहयोग चाहिए, सरकार चाहे, इस सदन में कहे। सब दलों के नेताओं के साथ बातचीत करे। हम सब सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन एक्ट तो सरकार को करना पड़ेगा। एक्शन हमारे पार्ट पर नहीं होगा, इन्हें करना होगा।

मैं एक छोटी सी बात बताता हूं।

[अनुवाद]

राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित पेशेगत मामलों की समीक्षा के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के कैडर अधिकारियों की गृह मंत्री के साथ आवधिक बैठक के लिए एक औपचारिक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

यह नियमित समय पर इस प्रकार की बैठकें गृह मंत्री को करनी चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटरी को नहीं, गृह सचिव को भी नहीं, गृह मंत्री अपने स्तर पर इन बैठकों को करें।

[अनुवाद]

राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर विचार करने और परामर्श देने के लिए सेवानिवृत्त केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के अधिकारियों का एक पैनल गठित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बहुत सारे हमारे अधिकारी हैं जिन्हें बहुत अनुभव है, उन्हें अगर ड्राफ्ट किया जाए तो उनके अनुभव का लाभ हमें आज मिल सकता है, वे बता सकते हैं कि क्या तैयारियां इस खतरे का सामना करने के लिए हमें करनी चाहिए।

[अनुवाद]

"केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के विभिन्न प्रस्तावों, जिनका प्रभाव इन बलों के कार्यकरण पर पड़ता है, पर कार्यवाही करने के लिए गृह मंत्रालय में अनुभवी केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

उनकी चिंता कौन करेगा। जो आईएएस आफिसर बैठा है वह चिंता नहीं करेगा, उसकी चिंता उस फोर्स का जो पदाधिकारी है, वह करेगा। इसलिए उस फोर्स के लोगों को गृह मंत्रालय में बिठाइये, ताकि उस फोर्सेज की वह चिंता कर सके।

[अनुवाद]

एक पारदर्शी कमान और नियंत्रण व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक पांच यूनिटों पर उनके कार्यकरण के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एक डीआईजी रैंक का अधिकारी हो और प्रत्येक 15 यूनिट पर उनके कार्यकरण पर निगरानी के लिए आईजी रैंक का अधिकारी हो ताकि नक्सल-विरोधी आपरेशन की योजना और उसके कार्यान्वयन के दौरान आपरेशन संबंधी और युक्तिक चूकों से बचा जा सके।

[हिन्दी]

अब उनका एक तरीका है, क्या तरीका है? तरीका है कि आप जिस सड़क पर जा रहे हैं उस सड़क पर वे एक्सप्लोसिव प्लांट कर देंगे। अब तो पक्की सड़क के नीचे भी एक्सप्लोसिव प्लांट किया हुआ मिलता है जोकि सड़क बनाते समय ही वहां पर दबाकर रख दिया जाता है। अब अगर आप बुलेट-प्रूफ गाड़ी में भी जा रहे हैं तब भी वहां जब एक्सप्लोजन होगा तो आपकी गाड़ी का वही हाल होगा, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ था। गाड़ी आसमान में उड़ जाएगी, आप गिर जाएंगे और उसके बाद वही होगा जो दंतेवाड़ा में हुआ है, वे चुन-चुनकर लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाएंगे। ये पैटर्न है, इस पैटर्न का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई टैक्टिकल काउंटर मूव नहीं है। यह मूव प्लान करना होगा।

[अनुवाद]

"सिपाहियों के लिए एक कैरियर नियोजन और प्रबंधन प्रकोष्ठ, विधिवत प्रशिक्षण के पश्चात् क्षेत्र में रिक्तियां भरने और वांछित कार्य-निष्पादन और समय पर प्रोन्नति सुनिश्चित करने के लिए एसओ और अधिकारी नियुक्त किए जाएं।"

[हिन्दी]

सिपाही क्या जिंदगी भर सिपाही रहेगा? तरक्की कैसे करेगा?

[अनुवाद]

"राज्य और केन्द्रीय पुलिस अधिकारियों का एक स्वस्थ, प्रभावी और व्यवहार्य संयुक्त कार्यकरण विकसित करने की आवश्यकता है ताकि समकक्ष वरिष्ठता वाले अधिकारी परस्पर मिलकर योजना बना सकें और कार्य कर सकें।"

[हिन्दी]

जहां तक पुलिस बंदोबस्त का सवाल है।

अंत में, मेरा कहना यह है कि यह सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। होम-मिनिस्टरी की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें भी साफ कहा गया है कि सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई करने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जनता का सहयोग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वहां विकास की धारा बहानी पड़ेगी। जिस परिस्थिति में वहां के लोग जीते हैं, हम लोग इस सदन में बैठकर उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जिस गुरबत में वे रहते हैं, वहां पीने की पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कागजों पर, गांव में बिजली पहुंच चुकी है। मैंने कहा था कि जब मेरा वह कार्यकर्ता मारा गया तो मैं उस गांव में गया तो अपनी जिंदगी में मैंने इतना अंधकार नहीं देखा है, जितना उस इलाके में देखा। दूर-दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही थी। बिना लोगों की लड़ाई में शामिल हुए, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। ये जो जमीनी-स्तर पर दुनिया भर के काम हो रहे हैं जिनका पैसा वहां पर जा रहा है, जब तक उनमें भ्रष्टाचार होता रहेगा तब तक आप माओवाद से मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

कोई अस्पताल नहीं है। वह बीमार पड़ा है, तो बीमार ही पड़ा रहेगा, कहीं उसका इलाज नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह नक्सली नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? वह क्यों नहीं उग्रवादी बनेगा, वह क्यों नहीं अतिवादी बनेगा, वह बनेगा, क्योंकि उसके पास जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कहीं भी प्रकाश की किरण उसे नजर नहीं आती है।

मेरा सरकार को अंतिम सुझाव और अंतिम आग्रह है कि 9-10 राज्यों में जो 32-33 जिले सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित हैं, आप उनके लिए विशेष विकास की योजना बनाओ। आपको अगर हजारों करोड़ रुपया खर्च करना है, तो कीजिए। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे लीडर आफ दि हाउस भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए पैसा देने में कहीं कोताही न करें। वहां सड़कें बनाइए, वहां बिजली की व्यवस्था कीजिए, वहां सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, वहां पीने का पानी दीजिए, वहां अस्पताल बनवाइए, वहां बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए, वहां लोगों के लिए घर बनवाइए। आप ये काम ईमानदारी के साथ कीजिए। मेरा प्रशासनिक अनुभव है, उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि वहां चुन-चुन कर अच्छे-अच्छे अफसरों को भेजने का काम कीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है, आपका सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस कौन है, इन सब इलाकों में कोई जाना नहीं चाहता है। आपको, हमको पकड़ कर अच्छी जगह पोस्टिंग करवा लेते हैं, तो यहां किसकी पोस्टिंग होती है, जो सबसे सड़ियल आफिसर होता है। अच्छा आफिसर वहां नहीं जाता है। अच्छे-अच्छे आफिसरों को चुनकर इन इलाकों में भेजिए। उन्हें एक फिक्स्ड टेन्योर दीजिए कि तीन साल तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आप काम करके दिखाओ। अगर यह कहा जाएगा, तब हम कहीं जा कर इस समस्या से निपटने में सफल हो सकते हैं।

महोदया, यह लम्बी लड़ाई है, कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि कल हमें इसमें सफलता मिल जाएगी। वे हमसे ज्यादा चतुर हैं और उनके पास हमसे ज्यादा सूचना है तथा वे हमसे ज्यादा आर्गेनाइज्ड हैं। उनका मुकाबला एक ही तरह से हो सकता है कि हम हर मामले में उनसे ऊपर दिखें। तभी हम इस लड़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी दंतेवाड़ा जैसी घटनाएं देश में दोबारा नहीं होंगी। अगर हम ऐसा नहीं कर सके, तो रोज इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, रोज हमारे सुरक्षाकर्मी मारे जाएंगे और हम लोग इसी तरह सदन में चर्चा करके समझेंगे कि हमारा कर्त्तव्य, हमारा दायित्व पूरा हो गया है और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा।

डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का भाषण सुना। मैं यह कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के बाद नक्सलवाद की जो समस्या है, वह देश के लिए सबसे बड़ी हिंसा की समस्या है। चिंतलनार की इस घटना में सीआरपीएफ के 75 और राज्य पुलिस का एक सिपाही शहीद हुआ है। हम सभी लोग उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश हित में और आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, चूंकि यह लड़ाई लड़नी बहुत आवश्यक है, इसलिए गृह मंत्री जी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश का संविधान इसलिए सुरक्षित है कि प्रति वर्ष भारत के हजारों नौजवान इस संविधान को अपने खून से सींचते हैं, अन्यथा यह संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता है। हमारा संविधान हमें असहमति की इजाजत तो देता है, लेकिन देशद्रोह की इजाजत नहीं देता है।

यदि इस प्रकार के देशद्रोह जैसी कोई कार्यवाही की जाएगी तो उसका निदान, निराकरण बंदूक और बंदूक की गोली से करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह आज की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय समस्या बन गई है। हम सब दलों, भारत के नेताओं, बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी होगी। यह किसी भावुकता या दार्शनिकता से भरे भाषण या किसी अन्य प्रकार से नहीं लड़ी जा सकती। हमें बड़े मन से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इसे लड़ना होगा। जिस प्रकार से इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह विश्वास दिलाया था कि हम इस लड़ाई में साथ

हैं लेकिन आदरणीय यशवंत सिन्हा जी के बयान से ऐसी झलक दिखती नहीं है कि वे मन से हमारे साथ हैं, इस लड़ाई में साथ हैं।

महोदया, कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि नक्सलवाद का कारण आर्थिक विपन्नता है। कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि यह आर्थिक और सामाजिक समस्या है। इसे इस आधार पर भी देखती है और निदान करना चाहती है लेकिन अब समस्या बढ़कर गोली और हिंसा तक पहुंच गई है तो कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरा रास्ता अपनाने की मजबूरी है, इसलिए हम दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं। हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों और गांव में रहने वाले आदिवासियों को आर्थिक फायदा पहुंचे, उन तक स्कूल पहुंचे, उनके बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, उन्हें आने जाने के लिए सड़क मिले और दूसरी तरफ उनकी रक्षा के लिए बंदूक ताने सीआरपीएफ के जवानों को भी भेजते हैं। हमें यहां इस पर विचार करते समय बस्तर के खनिज के बारे में सोचना चाहिए। हमें बस्तर की वन भूमि, यहां पाए जाने वाले छोटे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूज, गरीब महिलाओं, जवान बच्चों, जवान नवयुवक और नवयुवतियों के बारे में सोचना चाहिए। हमें बस्तर के बारे में हिंसा और नक्सलवाद की चर्चा करते समय सैंकड़ों नौजवान, जो वहां मर रहे हैं, उनकी बीवी, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वहां के बच्चे पांच-दस साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहां राजनीति का अखाड़ा न हो तभी हम इस विषय पर अच्छी चर्चा कर पाएंगे। अभी सिन्हा जी ने आरोप लगाया है कि कोई कार्यवाही ठीक से नहीं चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले नौ महीने में एक भी कैजुअल्टी बस्तर में नहीं हुई थी। तथाकथित मानववादी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वहां पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए और उस दिन से पुलिस और सीआरपीएफ में एक हताशा बनी जिसके कारण यह मामला इस हद तक पहुंच गया। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन यह बताना चाहता हूं कि यशवंत जी ने पहला आरोप लगाया है, अब वे चले गए हैं *...(व्यवधान)* उन्होंने जिस जगह का नाम बताया है। माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जिस गांव की घटना का जिक्र किया है, अगर मैंने सही सुना है तो उनका कहना था कि दंतेवाड़ा में कोई मुखवारा जगह है जहां यह घटना हुई है। जबकि घटना चिंतलनार थाना के ताड़मेटला गांव में हुई है। *...(व्यवधान)* मैं क्षेत्र का नाम बता रहा हूं, अगर वे झारखंड के हैं तो मैं छत्तीसगढ़ का हूं। चिंतलनार थाना, वह स्थान है जहां नक्सलियों ने कल्पना की है कि आने वाले 25 वर्षों के बाद जब वे दण्डकारण्य राज्य बनाएंगे तो चिंतलनार उनकी राजधानी होगी।

यह वह जगह है, यह घटना हुई। यह उनका कैपिटल है। सिन्हा जी ने जो कहा कि वहां तीन घंटे तक वार चलती रही और यहां से किसी को सूचना नहीं मिली, कोई व्यक्ति वहां नहीं गया, यह पूरी तरह से गलत बात है। सूचना मिलते ही वहां फोर्स भेजी गयी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह पूरी घटना 40 से 50 मिनट में हो गयी और जब तक फोर्स वहां पहुंचती, तब तक लाशें बिछ चुकी थीं। आपने फोटो में भी देखा होगा कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो बम से क्षत-विक्षत कर दी गयी थी, उसमें सीआरपीएफ का एक अकेला व्यक्ति बैठा था, जो वहां से लाशों को उठाने गया था। आपका यह कहना कि वहां फोर्स को नहीं भेजा गया, पूरी तरह से गलत है। आपने आंकड़े देकर यह बताने की कोशिश की कि देश में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप आपस में बात मत कीजिए। चरण दास महंत जी, आप इधर देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग शांति बनाइए। आप लोग सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों बोल रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त: माननीय सिन्हा जी ने जो आंकड़े दिये हैं, वे उन आंकड़ों को कहां से लाये हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास फोटो कॉपी किये हुए आंकड़े हैं। इसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि जब वर्ष 2003 में वहां कांग्रेस की सरकार थी तब मात्र 44 कैजुअल्टी हुई थीं और उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन छह सालों में 203 कैजुअल्टी हुई हैं। *...(व्यवधान)*

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): ...* राजनीति कब तक करोगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: यह शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा। इस तरह की बातें रिकार्ड में नहीं जाएंगी।

...(व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त: बहन जी, ... हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति आप कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री कर रहा है,

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय जनता पार्टी का शासन कर रहा है। हम ... राजनीति नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप इधर देखकर बात कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्त: महोदया, यहां कांग्रेस में पूरी तरह से एकता है, यूपीए सरकार में पूरी तरह से एकता है, हमारी कांग्रेस के अंदर-बाहर उन्हें किसी तरह का कोई शक करने की जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सांसद महोदया, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्त: जैसा मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि दो तरह से लड़ाई लड़ी जाए। एक तरफ गरीबों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए लड़े तो दूसरी तरफ बंदूक का जवाब बंदूक से दें, इसलिए हमारी ये दो तरह की लड़ाई हैं, जिनकी मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं। एक बड़ा आरोप आदरणीय सिन्हा जी ने लगाया कि हम आतंकवादियों से मिलते हैं, समझौता करते हैं। ठीक है, आज झारखंड में किसकी सरकार है? ...*(व्यवधान)* वहां किसके समझौते की सरकार है। ...*(व्यवधान)* झारखंड में किसकी सरकार है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपने सदस्य को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्त: महोदया, झारखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है। झारखंड में चार ऐसे एमएलए जीते हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे नक्सली विचारधारा के हैं। वे किसके सहयोग से आये हैं? राजनादगांव में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी विधान सभा चुनाव में खड़ा हो गया। उसने वादा किया था कि मैं जीतने के बाद या इस क्षेत्र के लोग 25 लाख रुपये देंगे। लोक सभा तक उस आदमी ने इंतजार किया। ऐसा माना जाता है कि उसका भाई भी नक्सली संस्था में काम करता है। लोक सभा चुनाव के रिजल्ट निकलते ही उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर में 10 नक्सली घुसे और उसकी बीवी के सामने उसको गोलियों से उड़ा दिया। बाद में उसकी पत्नी ने बयान दिया कि वह कह रहे थे *(व्यवधान)*...* यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो मैं बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश बैस (रायपुर): आप उनका नाम बता दीजिए कौन है वह? ...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्त: बता दूं? ...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आपने नक्सलवादी के साथ सरकार बनाई। आपकी तो सरकार बनी है। रामेश्वर बैठा जी यहां के सांसद रहे हैं और उन्होंने आपको लिखकर दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों हमेशा उठ जाते हैं? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आगे सुनिये वे क्या कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्त: अध्यक्ष महोदया, इनको राजनांदगांव से तकलीफ होती है तो मैं बस्तर चला जाता हूं। ...*(व्यवधान)* महोदया, बस्तर में दंतेवाड़ा जिस एरिया में है, उसका सांसद कौन है? क्या उसका नाम बताना पड़ेगा कि वह भाजपा का है, क्या उसका नाम बताना पड़ेगा कि उसका नाम बलीराम कश्यप है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: देखिये, आपस में नहीं बोलिये। आप चेयर को संबोधित कीजिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. चरण दास महन्तः क्या उसका नाम बताना पड़ेगा कि वह भाजपा का है? उसका नाम बताना पड़ेगा कि उसका नाम बलीराम कश्यप है? क्या मुझे यह बताना पड़ेगा कि उसके बच्चों की हत्या हुई है? उसके लड़के क्यों मारे गए? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः चरणदास जी, आप अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करिये कि जो समस्या है, जिसके बारे में हम लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, वह सारा देश समझे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब आप बीच में टीका-टिप्पणी न करें। आप क्यों बोल रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए। आपकी बारी आएगी तब आप बोलियेगा। और आप मुझे संबोधित करके बोलिये।

डॉ. चरण दास महन्तः मैं अपना मुंह पूरी तरह से आपकी तरफ ही कर लेता हूं। महोदया, सिन्हा जी ने जो बेबुनियाद आरोप लगाए थे कि हम उनके साथ समझौता करते हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि वे उनके साथ समझौता करते हैं, चुनाव में भी समझौता करते हैं, घर में भी समझौता करते हैं, मंदिर में भी समझौता करते हैं और जेल में भी समझौता करते हैं। इसलिए जब दंतेवाड़ा का जेल टूटता है, उसमें 150 से भी ज्यादा नक्सली भाग जाते हैं तो कोई पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नक्सलियों के लिए बहुत अच्छी है। विधान सभा के जब चुनाव होते हैं तो 26 बूथों में सौ प्रतिशत मतदान होता है जो नक्सली एरिया है। उस सौ प्रतिशत मतदान में सौ प्रतिशत वोट बीजेपी को मिलते हैं क्योंकि हम लोग समझौता करते हैं।

राजनंद गांव के दो बूथ, जिनका नाम ये पूछ रहे थे, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं, डोंगे और मिर्चे। यहां 80 प्रतिशत वोटिंग हुई। लेकिन लोगों ने शिकायत की कि यहां तो मतदान हुआ ही नहीं है। कलैक्टर ने सर्टिफाई कर दिया, रिजल्ट घोषित कर दिया, हम लोगों ने केन्द्र से शिकायत की कि यहां मतदान नहीं हुआ है। केन्द्र ने वहां मतदान दल भेजा, पुराने मतदान दल को पुलिस ने जेल में डाला, वे गांव में गए तो पता लगा कि वहां मतदान नहीं हुआ था। सरकार ने उस मतदान दल को कह दिया था कि वहां मत जाओ, वहां नक्सली है, गोली मार देंगे, यहां बैठो सील लगाओ और हमें दे दो। यह हम कांग्रेस के लोग समझौता करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना): आप इलैक्शन कमीशन पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः जो कुछ श्री महन्त कह रहे हैं; उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

डॉ. चरण दास महन्तः महोदया, बस्तर में 11 विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें से 1 भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और एक गलती से कांग्रेस का जीता है, क्योंकि कांग्रेस वहां समझौता करती है। इस तरह से उन्होंने जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, मैं उन्हें खारिज करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): महोदया, यह जो बात कह रहे हैं क्या यह उसे प्रमाणित करेंगे? ...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः हम प्रमाणित करेंगे। छाती ठोंक कर कह रहे हैं कि हम प्रमाणित करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): यह वक्त एक होने का है और आप पार्टी की बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः हम यह बात नहीं कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप क्यों खड़े हो गए हैं, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः माननीय बैंस साहब ने आरोप नहीं लगाया है, मेरी तारीफ करने का प्रयास किया है कि मैं मध्य प्रदेश में गृह मंत्री था। यह बिलकुल सही है। लेकिन वर्ष 1998 में रिजाइन करके लोक सभा में आया हूं। जब तक मैं मंत्री था, एक भी घटना इस प्रकार की मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय हमने बस्तर में पूरी टीम भेजकर यह प्रयास किया था कि वहां की आर्थिक और सामाजिक समस्या को हल किया जाए। हमने रिपोर्ट बनायी, हमने उस पर कार्यवाही की, लेकिन हमारे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आने के बाद उस पर ज्यादा कार्यवाही नहीं हुई। इस बात का मुझे दुख है। यदि हम उसी समय अलर्ट हो गए होते, इस समस्या के निदान के लिए, हम स्कूल, कालेज, रोड और अस्पताल बनाते तो इस प्रकार की समस्या नहीं होती। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग हर समय क्यों खड़े हो जाते हैं?

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः राज्य सरकार की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है, चूंकि जंगल में काम करने वाले ठेकेदारों को अन्य प्रकार के खर्च वहन करने पड़ते हैं, इसलिए जो स्वीकृत राशि है, उससे 12 प्रतिशत अधिक राशियों का भुगतान किया जाए। यह छत्तीसगढ़ स्टेट कैबिनेट का निर्णय है। वहां 12 प्रतिशत राशि निकालकर सीधे-सीधे नक्सलियों को भेजते हैं, यह मेरा आरोप है।

हमारे जमाने में बस्तर में पूरे तरीके से आदिवासी लोगों की जो परम्परा है, उसके अनुसार वे शराब बना कर पीते थे, उन्हें छूट दी थी, मगर इनकी सरकार के आते ही वहां अंग्रेजी शराब की दुकान खोल दी गईं। वहां के गरीब आदिवासियों को त्यौहार के समय में शराब बनाने की छूट था, उसे बंद करा दिया गया। वे उन्हें मार-मार कर अपनी शराब पिलाते हैं और वे शराब के ठेकेदार नक्सलियों को भुगतान करते हैं, क्योंकि वहां हमारा शासन है। वहां हमने तेन्दु पत्ता तोड़ने का सहकारी नियम बनाया था, सहकारी समितियां तेन्दु पत्ता तोड़ती थीं। इनकी सरकार ने आते ही उस नियम को समाप्त कर दिया गया और ठेकेदारों को वहां भेज दिया गया, जोकि हर बंडल के पीछे तेन्दु पत्ता तोड़ने में नक्सलियों को पैसा देते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने उनसे मिले हैं और आप उनसे कितने मिले हैं।

अध्यक्ष महोदया, सन् 2003 में वहां के एक विधायक के घर में कुछ पर्चे मिलते हैं, नक्सली से संबंधित समाचार-पत्र, पत्रिका और कुछ पैसा वगैरह मिलता है। जब इसकी शिकायत मुख्य मंत्री जी से की जाती हैं तो उस विधायक को उस प्रदेश का गृह मंत्री बना दिया जाता है। ...*(व्यवधान)* क्या इनका नाम भी मुझे बताना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त करने का प्रयास करिए।

डॉ. चरण दास महन्तः अध्यक्ष महोदया, अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं आरोप का जवाब दे रहा हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, क्या बात है कि नक्सलियों की गोली बड़े-बड़े उद्योगपतियों को नहीं लगती, वहां जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनका काम ठीक ढंग से चल रहा है। ...*(व्यवधान)* चाहे गोली नक्सलियों से चले या पुलिस से चले, लेकिन मरना उस गरीब आदिवासी को है। ...*(व्यवधान)* आप चाहे उसकी कितनी हंसी उड़ा लें। ...*(व्यवधान)*

श्री दिलीप सिंह जूदेव (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदया, इन्होंने नाम लिया है, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि उसे कैसे मारा गया। ...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः मैं आपका पूरा आदर और सम्मान करते हुए कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

मैं इस पूरे सदन के सामने सांसद महोदय का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बात की मुझे पूरी जानकारी है कि जिस ...*

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य, आपको शुरू में ही मैंने कहा था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए। मैं इन्हें सम्बोधित करके कुछ कह रही हूं, आप मुझे कहने देंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मैं इन्हें ही कह रही हूं, आप कहने देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए। अब आप समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः अभी मैं समस्या पर कहां आया हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मैं उन्हें खुद कहना चाह रही हूं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इसी सदन के माननीय सांसद के खिलाफ पर्सनल एलीगेशन लगाया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

और यह कहा है कि ... इससे बड़ा गम्भीर आरोप, इसी सदन के माननीय सांसद के खिलाफ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह नियमों के विरुद्ध है। अत: इस पूरे के पूरे प्रकरण को इसमें से निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप हमें तो बोलने दीजिए। क्या आप हमें बोलने देंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप हमें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी,

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

सुषमा जी, आपने जो बात कही है, ठीक वही बात,

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, क्या यह सदन कांग्रेस और बी.जे.पी. का ही हो गया है?

अध्यक्ष महोदया: जो बात आपने कही, मैं ठीक वही बात उन्हें कहने जा रही थी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उनके बाद, मुलायम सिंह जी, आपकी ही बारी है और मैं उनसे कह रही हूं कि अब वे अपना भाषण समाप्त करें। आप बैठ जाइए। उनके बाद आप ही की बारी है। आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. चरण दास महन्त: अध्यक्ष महोदया, मैंने इस समस्या को आपके सामने रखा ही नहीं है। मैंने तो आरोप का जवाब दिया है कि यह आरोप हमारे ऊपर लगता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

डॉ. चरण दास महन्त: अध्यक्ष महोदया, आप मेरी बात सुन लें। पिछले पांच सालों में नक्सलियों ने 248 शासकीय भवनों को विस्फोट कर के उड़ा दिया, वहां 72 सड़कें खोद डालीं। इस तरह से पिछले पांच सालों में 37 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

डॉ. चरण दास महन्त: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस घटना को बहुत ही दर्दनाक मानता हूं। यह पूरे देश के लिए खतरा है। मैं भी चाहती हूं कि ऐसी घटनाएं रुकें।

अभी श्री सिन्हा जी ने सीना ठोक कर कहा था कि वे झारखंड के हैं और जमीन पर काम करते हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ में ए.सी. में बैठकर काम करते हैं। उन्होंने ए.सी. में बैठकर जो सलाह दी है, उसे मैंने जमीन पर बैठकर लिखा है। उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा।

अपराह्न 3.03 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन* हुए]

आदरणीय सभापति महोदय, हमारे बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चिन्ता थी, इसलिए इस देश की पांचवीं और छठवीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों के लिए राज्यपालों को यह अधिकार दिया गया था कि मंत्री परिषद के निर्णय के बगैर भी, आदिवासियों के हित में वे कोई कानून बना सकते हैं या अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मैं बिना संकोच के यह पूछना चाहता हूं कि देश में पांचवीं और छठवीं अनुसूची के क्षेत्र में कितने राज्यपालों ने इस प्रकार के अध्यादेश जारी किए, अगर नहीं किए, तो इस पर आप विचार करें और केन्द्र सरकार इस बारे में निर्देश दे? पंचायतीराज व्यवस्था के बाद, जब इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो 'पेसा' नाम का एक अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन-टू शेड्यूल एरिया बना था, वह आज तक आदिवासी एरिया में लागू नहीं हुआ है? उसे जल्दी से जल्दी लागू कराएं। नक्सलियों को जहां से ग्रीन हंट या सी.आर.पी.एफ. या स्टेट पुलिस भगा रही है या जैसे-जैसे

नक्सली जमीन खाली करते जा रहे हैं उन स्थानों पर खासकर तत्काल जाकर बैठे, वहां स्कूल खोले, वहां भोजनशाला खोले, वहां अस्पताल खोले, सड़क बनाए और वहां के बच्चों को पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था करे। जो लोग अभी भी मुख्य-धारा में आना चाहते हैं, उन्हें मुख्य-धारा में लाया जाए और मुख्य-धारा में लाकर, उन्हें एस.पी.ओ. या पुलिस अधिकारी का दर्जा देकर काम कराया जाए। इस प्रकार का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सूचना तंत्र को आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपको फोर्स को चुस्त-दुरुस्त और मजबूत करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को बुलैट-प्रूफ जैकेट के लिए, बुलैट-प्रूफ मचान के लिए, एंटी लैंड माइन व्हीकल्स के लिए पैसे दिए हैं, वे चार-चार साल से तिजोरियों में बन्द हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो 64 जवान मरे हैं, आप वहां की सरकार से पूछिए कि कितने लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट थी? हमने प्रत्येक व्यक्ति को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गश्त पर जाने को कहा है। हमारे नौजवान वहां गए थे, तो उनके शरीर में बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं थी?

श्री निशिकांत दुबे: वह आपके जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे, वे स्टेट पुलिस के जवान नहीं थे। *...(व्यवधान)* इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? *...(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, ये पिछले आधे घंटे से सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। एक व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जो किसी राज्य के मंत्री रह चुके हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: योगी जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: निशिकांत जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं। मैं इसका निर्णय करता हूं।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: सदन का मजाक बनाकर रखा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया जो इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, मैं वक्तों से आग्रह करूंगा और जो माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि इसकी उस ऊंचाई को हम लोग बनाए रखें, तब लगेगा कि हम वास्तव में इस बड़ी समस्या से लड़ना चाहते हैं। अगर निम्न स्तर पर उतरकर आरोप-प्रत्यारोप होंगे, तो इस सारी चर्चा को जो निष्कर्ष निकलना चाहिए, वह नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा, यह ठीक है कि आरोपों का जवाब होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरह से गिरकर निम्न कोटि के आरोप लगाते रहे, तो हम उससे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे।

कृपया आप अपनी बात को समाप्त करें।

डॉ. चरण दास महन्त: माननीय सभापति जी, आप मुझे बताइए कि मैंने गिरकर कौन से आरोप लगाए हैं?

सभापति महोदय: मैंने सदन में सबके लिए इस चीज को कहा है।

डॉ. चरण दास महन्त: यहां पर सांसदों को किस बात के लिए तकलीफ हो रही है?

सभापति महोदय: मैंने सदन में सबके लिए कहा है कि आरोप और प्रत्यारोप निम्न स्तर पर न जाएं, इसका ध्यान रखा जाए।

डॉ. चरण दास महन्त: कौन गया है? बताइए, एक शब्द निकाल दीजिए कि मैंने निम्न स्तर का उपयोग किया है।

सभापति महोदय: मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैंने सारे सदस्यों को कहा है। आगे जो बोलने वाले हैं, उनको भी कहा है।

डॉ. चरण दास महन्त: आप बताइए कि मैंने कौन से निम्न स्तर के आरोप लगाए हैं?

सभापति महोदय: कृपया अब कांक्ल्यूड करिए।

डॉ. चरण दास महन्त: मैं यह कह रहा हूं कि बुलेट प्रूफ जैकेट नक्सलियों से लड़ने के लिए दिया गया है, तो हमारे जवान चाहे स्टेट पुलिस के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे बार्डर फोर्स के हों, वे उसे पहने क्यों नहीं थे? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: निशिकांत जी, आप कृपया उनकी बात सुने। मेरा कहना है कि वह कुछ कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: महोदय, माननीय सांसद तो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। क्यों नहीं पहना था, बुलेट जैकेट क्यों नहीं पहना था? यह बहुत गंदी हरकत है। यह अपमान हो रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं केवल यह आग्रह कर रहा था और मैंने किया भी है। माननीय लालू जी, वह कह रहे हैं कि जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने थे, अगर वह कहते हैं, वह एस्पर्शन तो मान लीजिए कि वह गृहमंत्री पर भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। इसलिए अपनी बात कहने पर तो कोई रोक नहीं है।

आप अब कांक्ल्यूड कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्तः आदरणीय सभापति महोदय, मैं लालू प्रसाद जी का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः होम मिनिस्टर कहां हैं? वह यहां क्यों नहीं है? इतना महत्वपूर्ण सवाल है। इसे बंद करिए। क्या मजाक है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः लालू जी, उनके राज्य मंत्री उपस्थित हैं।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): महोदय, मैं यहां उपस्थित हूं। *...(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामीः महोदय, इस विषय पर दोनों सभाओं में चर्चा चल रही है। गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः महोदय, क्या गृह मंत्री इस सदन से बड़े हैं? जब से बहस शुरू हुयी है, गृह मंत्री यहां नहीं आए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः गृह मंत्री बाहर हैं, क्या उन्हें यहां नहीं होना चाहिए? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मुझे जो जानकारी है, यह चर्चा दोनों सदनों में चल रही है, इसलिए गृह मंत्री जी किसी एक सदन में ही बैठेंगे। जब यहां जवाब का समय आएगा तब वे यहां आ जाएंगे।

श्री मुलायम सिंह यादवः हम बोल रहे हैं कि समय अभी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः राज्य मंत्री जी सब नोट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथः यह लोक सभा है। लोक सभा में कोई जिम्मेदार मंत्री न हो *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः योगी जो, चर्चा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया चर्चा को जारी रखें। गृह मंत्री जी राज्य सभा में बैठे हैं। वे वहां जवाब दे रहे हैं। महन्त जी, आप कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः हम हाउस नहीं चलने देंगे। जब होम मिनिस्टर रहेंगे, तब हाउस चलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः मैं यहां मुख्य बिंदुओं को नोट कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः लालू जी, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अगर राज्य सभा में माननीय गृह मंत्री बैठे हैं तो यहां राज्य मंत्री उसे नोट कर रहे हैं। यह सब सदनों में चलता है। यह कोई अपवाद नहीं है। यह कोई अपवाद नहीं है। महन्त जी, आप कृपया कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामीः माननीय गृह मंत्री शीघ्र ही आ जाएंगे। वे दोनों सभाओं में एक ही समय उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि दोनों सभाओं में एक साथ चर्चा चल रही है। समस्या यह है। वे आ रहे होंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः इन्हें लोक सभा फेस करने का साहस नहीं है। क्या समझ रखा है? *...(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामीः आप मेहरबानी करके सुनिए। मंत्री जी अभी आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः डॉ. चरणदास महन्त, कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. चरण दास महन्तः मैं कनक्लूड करने ही जा रहा था। मगर माननीय लालू जी ने उलट भाषा में मुझसे कुछ जानना चाहा है। क्योंकि वे बड़े विद्वान हैं, इसलिए उन्होंने उलटी भाषा में मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप आरोपों का जवाब मत दीजिए, आप कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कोई आरोप रिकार्ड में नहीं गया है। मैंने उसे नहीं रखा है। आप कृपया कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्तः मैं कनक्लूड ही करने जा रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः आप मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। *...(व्यवधान)* यह जो फाइल लेकर पढ़ रहे हैं, यह फाइल किसकी है? *...(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः यह फाइल मेरी है। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः आप इसे कहां से लाए हैं? *...(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः मैंने घर में बनाई है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया कनक्लूड कीजिए। केवल चरण दास जी की स्टेटमैंट प्रोसीडिंग में जाएगी।

...(व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्तः सभापति जी, मेरे मां-बाप ने मेरा नाम चरण दास इसलिए रखा है कि मैं जमीन में जाकर लोगों की सेवा करूं। मैं पढ़ा-लिखा हूं। मैं एमएससी पास हूं। मैंने सोशियोलॉजी में एमए किया है। मैंने लॉ पास की है और मैंने पीएचडी की है। मेरा नाम डॉ. चरण दास महन्त है। लालू जी को अगर इस बात की जानकारी नहीं हो तो आप बता दीजिए। मैं फाइल आपको दे देता हूं। यह मेरी बनायी हुई फाइल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः चरणदास जी, कृपया समाप्त कीजिए। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही संचालित करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर सदन में आ जायें। *...(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः यह फाइल मेरी है। अगर आप कहें, तो मैं सदन में रख दूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा की मर्यादा कायम रखना चाहिए। चरणदास जी, अब कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. चरण दास महन्तः सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि मैंने यह कहकर शहीदों का कोई अपमान नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबेः आपने अपमान तो किया है। *...(व्यवधान)*

डॉ. चरण दास महन्तः मैंने कहा कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना इसलिए वहां के *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः निशिकांतजी, यह अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः जब यशवंत सिन्हा जी बोल रहे थे और इधर से व्यवधान हुआ तो आप लोगों को तकलीफ हो रही थी कि यह व्यवधान क्यों हो रहा है। अगर वह बोल रहे हैं, तो आप इतना व्यवधान मत कीजिए, यह मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है।

...(व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्तः सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ मचान और इक्विपमैंट की खरीद के लिए पैसा दिया गया, लेकिन उसे वह पिछले चार-पांच साल से खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि हिसाब-किताब नहीं जम रहा। मैं यह कहना चाहता हूं, जिसको लालू जी सुनना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब मैं आपको डॉक्टर चरण दास बुलाता हूं। कृपया अब आप कन्कलूड कीजिए।

डॉ. चरण दास महन्तः मैं आपके आदेश पर यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय समस्या है इसलिए इसे हंसी-मजाक में नहीं टालना चाहिए। यह गंभीर समस्या है। हम सबको एक साथ रहना है। जब हम एक साथ लड़ेंगे तब हम इस आतंकवाद जैसे हिंसात्मक वातावरण को दूर कर सकते हैं। इस लड़ाई को हमें दस, पन्द्रह, बीस और पच्चीस साल तक लड़ना पड़ेगा और इसमें हर व्यक्ति को साथ रहना पड़ेगा तभी हमारी जीत होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अंत भला तो सब भला।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी ऐसा लग रहा था और सच्चाई है कि सदन केवल बीजेपी और कांग्रेस का है। इस पर चेयर को नियंत्रण करना चाहिए। हम लोग सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम भी इस समस्या के भुक्तभोगी हैं, चाहे लालू प्रसाद जी हों या हम हों, भुक्तभोगी हैं। जहां तक दंतेवाड़ा का सवाल है, तो यह सही है कि यह घटना बहुत ही दुखदायी, गंभीर और देश की एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यशवंत सिन्हा जी ने सब बातें कह दी हैं, इसलिए मैं किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि 5 अप्रैल को, यहां पर नेता सदन नहीं हैं, जब महिला आरक्षण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी। वह अगर यहां होते, तो मैं बताता कि सबसे पहले मैंने यह सवाल उठाया उस समय लालू प्रसाद जी भी थे, कि अच्छा होता कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर भी बैठक बुलायी जाती। उधर चीन कब्जा करता चला आ रहा है। आंतरिक सुरक्षा को माओवादी समेत कई शक्तियों, कई संगठनों से खतरा है। वे सब मिलकर एक होना चाहते हैं। अगर इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी होती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन महिला बिल, महिला आरक्षण के लिए यह व्याकुल हैं। अब चाहें यह हों, हम हों या आप हों, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि नक्सलाइट हो या माओवादी हो, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सन् 2050 तक हिन्दुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। ...*(व्यवधान)* नक्सलाइट के नेता का बयान था, जो बंगाल में बैठा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बैठे हुए उस नेता के बयान को हमें भुगतना है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? जब पता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा पूर्वांचल में हमारा उत्तर प्रदेश भी था।

आखिर कभी सोचा है कि नौजवान हैं, पढ़े-लिखे हैं, लेकिन आखिर वे रायफल लेकर क्यों निकल रहे हैं? इस समस्या पर गंभीरता से सोचा होता, मिलकर सोचा होता, सरकार ने सोचा होता, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती और हमारी सुरक्षा बल इतनी बड़ी तादाद में शहीद नहीं होते। इनको दर्द नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को दर्द होता है। 43 जवान अकेले उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं, 6 बिहार के हुए हैं और सात उत्तराखण्ड के हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, अभी अलग हुआ है। अब आप सोचिए कि कहां के लोग शहीद हुए हैं? उस सूबे की क्या हालत होगी? पूरे प्रदेश में बेचैनी है, शोक है। सही कहा है आखिर उनके लिए सहानुभूति व्यक्त की जानी चाहिए थी। लखनऊ हवाई अड्डे पर जब शहीदों की लाशें आई, उनके परिवार के लोग खड़े थे, सिवाय समाजवादी पार्टी के, किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोग वहां नहीं थे। वहां पर नेता विरोधी दल शिवपाल सिंह, अखिलेश से लेकर दर्जनों नेता खड़े थे, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए और उनको आखिरी प्रणाम किया। कौन कहता है कि देश एक नहीं है। हम सभी एक हैं। यशवंत सिन्हा जी के भाषण में भी, शुरू में, बीच में और अंत में भी कई बार कहा है कि हम सब मिलकर एक रहेंगे। यह सवाल सत्तापक्ष और विपक्ष का नहीं है, देश का है। देश पर जब इस तरह का संकट आता है, तो देश के सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के एक साथ खड़े होते हैं। हम यह मानने को तैयार हैं। हम तो नेता सदन से पूछ रहे थे, आप महिला आरक्षण के लिए बहुत व्याकुल है, परेशान हैं, अब यह गंभीर समस्या उससे जुड़ी हुई है। इतनी गंभीर समस्या के समय जब यहां 90 फीसदी, 95 फीसदी महिलाएं होंगी, ये अनुभवी लोग जिन्होंने नक्सलवाद की समस्या को झेला है, सामना किया है, उसका सफाया किया है, यहां से हट जाएंगे तो कैसे होगा। आप इन अनुभवी लोगों को सदन से निकालना चाहते हैं। यही षड्यंत्र है कि देश के पूरे अनुभवी नेतृत्व को, जो यहां बैठकर बात करता है, सोच सकता है देश के बारे में उसको निकालकर बाहर करना है। यह आरोप लगाने का समय नहीं है, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आप कुछ कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, हमें समझाइए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मैंने करके दिखाया है। मैं मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी। हमारे यहां सोनभद्र नाम का एक छोटा सा जिला है, जहां से कुल दो एम.एल.ए. चुनकर आते हैं। वहां पर नक्सलवादी लोगों ने पीएसी के एक ट्रक पर बम छोड़ दिया जिससे हमारे 15 जवान शहीद हो गए। मैं तीसरे दिन मौके पर गया, प्रदेश के गृह मंत्री, डीजीपी, वहां के डीएम, सभी मनाने आए कि आप ऐसे मौके पर वहां मत जाइए। मैं वहीं जाकर बैठ गया, मैं यह दावा करता हूं

कि एक लाख से कम भीड़ नहीं थी, पूरे नक्सली लोग वहां अंदर बैठे थे, मैंने वहां अपील की। एक लड़की निकलकर आई-बासमती देवी। यहां सदन में हमारा एक साथी बैठा है, पकौड़ी लाल, जो एक आदिवासी हैं, इनको सब पता है कि वहां क्या हुआ। हमने इनका सहयोग लिया। मैंने वहां जाकर अपील की, नक्सलाइट निकलकर बाहर आए और हमसे बातचीत की। 100 साल, 125 साल, 150 साल से मकान में पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, लेकिन वह मकान किसी अन्य के नाम है। जमीन जोत रहे हैं कई पीढ़ियों से, जमीन जोतें वे, कब्जा उनका, लेकिन कागजों में नाम किसी दूसरे का है। सड़क नहीं है वहां, पूरा जंगल है। पुलिया नहीं, पीने का पानी नहीं, पढ़ाई का इंतजाम नहीं, अस्पताल नहीं, बिजली नहीं, कोई भी विकास का काम नहीं था।

वहां पर कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था। मैंने एक दिन में वहीं पर चीफ सेक्रेटरी और अन्य संबंधित अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए और तीन महीने के अंदर सारा इंतजाम करके दिखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर नक्सलवाद समाप्त हो गया। सोनभद्र और गाजीपुर का इलाका बनारस से लगा हुआ है इसलिए वहां भी थोड़ा नक्सलवाद था और ये इलाके इनके कब्जे में आ गए थे। लेकिन हमने वहां इसे खत्म करने का काम किया था। मैंने सत्र प्रारम्भ होने पर ही यह बात कही थी कि आप पहले वहां की समस्याओं को समझें। ये नौजवान अपने ही लोग हैं और अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं इसलिए यह बहुत ही गम्भीर बात है। ये लोग कोई दुश्मनों को नहीं मार रहे हैं। ये नक्सलवादी क्यों बन रहे हैं, इसे समझा जाना जरूरी है। वे भी जानते हैं कि एक न एक दिन हमारी भी हत्या होगी। अगर पुलिस के हाथ पड़ गए तो फांसी पर लटका दिए जाएंगे। वे इस सबको समझते हैं। इसलिए देखा जाए तो दोनों ओर से ही हमारे ही जवान मर रहे हैं और हमारे ही जवानों को मारा जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल बंदूक के बल पर या हथियारों के बल पर नक्सलवाद को नहीं दबाया जा सकता। हमें दोनों काम करने होंगे, सख्ती भी करनी होगी और उन्हें सुविधाएं भी देनी होंगी।

मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप सोनभद्र और उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा करें, तो आपको मालूम होगा कि वहां कैसे हमने नक्सलवाद खत्म किया। वहां पर हमने सड़कें, हैंडपम्प्स, स्कूल्स, चिकित्सालय, पुलिस भर्ती सेंटर और अन्य दिनचर्या की चीजों की व्यवस्था की, जिससे वहां के गरीब लोगों, किसानों की समस्या का समाधान हो सका। इस तरह से वहां के इलाके का विकास हो गया और यही बात हमने अपनी पार्टी पर भी लागू की।

हम जब वहां मुख्य मंत्री थे, तो पांच दिन लगातार रात-दिन जंगल में रहे। कोई खास सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कई दौरे उस इलाके के किए। इसका परिणाम यह निकला कि वह इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया। इसी का नतीजा है कि वहां के एक आदमी को वहां के लोगों ने चुनकर हमारी पार्टी के सांसद के रूप में यहां भेजा है। हमने वहां पंचायत के चुनाव के समय सभी को वोट डालने की अपील की और किसी को प्रधान बनने से नहीं रोका।

मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो पांच तारीख को मीटिंग बुलाई थी सभी दलों की, तो उस समय भी मैंने और लालू जी ने यह कहा था कि आप अभी महिला आरक्षण बिल की बात रहने दें, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। इस समय देश के सामने आंतरिक और बाह्य समस्या काफी गम्भीर है, उस पर पहले सोचा जाए। आज महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। उससे पहले देश की एकता और सीमाओं पर जो खतरा है, उस पर विचार करना चाहिए। सन् 1947 में जो जमीन हमारी थी, क्या वह आज सुरक्षित है, इस पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए हमें बैठकें करनी पड़ेंगी और राय लेनी पड़ेगी। हम यहां भाषण देते हैं। एक परम्परा रही है कि जो भी बड़े अधिकारी हैं कैबिनेट सेक्रेटरी या गृह सचिव, वे इसे पढ़ते हैं और निष्कर्ष निकालकर प्रधान मंत्री जी और संबंधित मंत्रियों के सामने रखते हैं। यह अलग बात है कि कितनी बार उसे माना जाता रहा है या नहीं, लेकिन यह एक परम्परा रही है। उस परम्परा का अब भी पालन होना चाहिए।

हम जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो हम अधिकारियों को बराबर निदेश देते थे, जो भी इस तरह के निष्कर्ष निकालकर हमारे पास आते थे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। इस समय सदन में आडवाणी जी मौजूद नहीं हैं। आप चाहे तो देश में कितने ही राज्य बना लो। हम और लालू जी हमेशा सूबों और बंटवारों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि जितने छोटे-छोटे आप सूबे बनाएंगे, यही हाल होगा। छोटे-छोटे सूबों की पकड़ कमजोर होती है और बड़े सूबों की पकड़ मजबूत होती है।

इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के बंटवारे का विरोध किया था। ठीक है उत्तराखंड बन गया। सूबों के बंटवारे की मांग करने वाले चाहे कोई लोग हों, चाहे इधर के हों या उधर के हों, जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, दंतेवाड़ा में हुआ है, वहीं स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अगर छोटे सूबे की मांग न हुई होती और छत्तीसगढ़ न बना होता तो यह कांड न होता। हमने इसका सदन के अंदर विरोध किया था, झारखंड का हमने विरोध किया था। आज माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी यहां नहीं हैं वे चार बार मुख्यमंत्री रहे, हेमवतीनंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे, गोविंदबल्लभ पंत

रहे। मैंने कहा अब क्या होगा, वहां का मुख्यमंत्री हमारे यहां के जिला परिषद् के अध्यक्ष के बराबर का रहेगा। छोटे सूबे के विचार को दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपने छोटे सूबों की विधान सभाएं देख लीं, हम रोज समझाते थे, हार रहा है, पता ही नहीं है कि वह कहां है, बकरी चरा रहा है या क्या कर रहा है और यहां सूबा बंटवा रहा है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड सब को बांट कर देख लो। लालू जी अड़े रहे अंत तक, नहीं बांटने देना चाहते थे लेकिन सूबा बांट दिया। आप क्या कम जिम्मेदार हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी और दूसरे नम्बर पर आप जिम्मेदार हैं, आपने भी स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया, देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? अगर आप राज्यों के छोटे-छोटे टुकड़ें करेंगे तो देश को तोड़ने का यह बड़ा काम होगा और फिर नक्सलवाद और आतंकवाद फैलेगा। फिर आप सीमा पर कैसे विदेशी घुसपैठ का सामना करोगे, जब छोटे-छोटे सूबे बन जाएंगे? क्या ये नेहरु से ज्यादा विद्वान हो गये, क्या गांधी से ज्यादा विद्वान हो गये, सरदार पटेल से ज्यादा विद्वान हो गये, राजेन्द्र बाबू से ज्यादा विद्वान हो गये, मैं यह पूछना चाहता हूं। क्या इस पर पहले बहस नहीं हुई थी, क्या महिलाओं पर बहस नहीं हुई है। इन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया। क्या आप डॉ. अम्बेडकर से ज्यादा बड़े हो गये। अम्बेडकर भी संविधान सभा में थे और उस समय महिलाओं के आरक्षण की बात आई थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आपके सामने केवल महिला आरक्षण है, बीजेपी और कांग्रेस के सामने केवल यही बात है और यहां सवेरे से सदन ऐसे घेर रखा है कि किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इस पर बातचीत नहीं है कि जो कुछ हुआ उसका क्या कारण रहा और उससे कैसे मुकाबला किया जाए? बहुत ज्यादा शोर किया और हम लोग चुपचाप बैठे रहे, लालू जी ने और मैंने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया, लेकिन असर कोई नहीं पड़ा। मैं एक लेखिका अरुंधति राय को धन्यवाद दूंगा, मैंने जो नक्सलाइट्स के साथ बातचीत की, उस बाबत उन्होंने लिखा है। मैंने उनका नाम सुना है लेकिन मैं उस लेखिका को पहचानता नहीं हूं। जैसा मैंने कहा था उन्होंने भी वही लिखा है कि उन्हें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप यह सब करके देख लीजिए, नक्सलाइट नहीं रहेगा। जो इस रास्ते पर निकल पड़े हैं वे ग्रामीण नौजवानों को जाकर उकसाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी क्या है, तुम इतना क्यों झेल रहे हो, हमारे साथ निकलो, राइफल्स लो। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शहीद हुए हैं उनके घरों पर कितनी सहायता पहुंची है?

सरकार को सदन में बताना चाहिए कि दंतेवाड़ा में मारे गए शहीदों के परिवारों को क्या सहायता दी गई है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सहायता की है, यह अच्छी बात है। हम जानते हैं कि कौन शहीद हुए हैं। वे किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, गांव देहात के बेटे हैं, ये। ये शहरों के बेटे नहीं हैं। ये हमारे बीच के लोग हैं। हमें दुख है कि उत्तर प्रदेश में 43 लोग शहीद हुए। ये सभी गरीब घरों के लोग हैं। ये बहादुरी से लड़े हैं। आपके पास रॉ के लोग हैं, इंटेलीजेंस के लोग हैं, आईबी के लोग हैं। नक्सलवाद धीरे-धीरे पूरे देश में फैल रहा है। वे घोषणा कर रहे हैं कि वर्ष 2050 तक सारे देश में कब्जा कर लेंगे। पता नहीं आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। हमने उन लोगों के बीच में जाकर सभा की और एक महीने बाद पांच दिन का शिविर चलाया। किसी ने हम लोगों पर हमला नहीं किया। हमारे पास कौन सी बहुत बड़ी सुरक्षा थी। केंद्रीय सरकार की तरफ से दिए गए छह कमांडो थे। हमने हिम्मत की और उनके बीच में गए। बिना जोखिम उठाए और बिना साहस के काम चलने वाला नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी और उन्हें सुविधा भी देनी पड़ेगी। हमें दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। अगर हम एक काम करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। न सिर्फ सख्ती करने से काम चलेगा और न सिर्फ उन्हें सुविधा देने से काम चलेगा। दोनों चीजें एक साथ करना जरूरी है। तभी नक्सलवादियों से, माओवादियों से मुकाबला किया जा सकता है।

गृह मंत्री जी आप बहुत विद्वान हैं। हमने और आपने दोनों ने साथ-साथ भी काम किया है। आपकी भाषा नक्सलवादी, किसान या मरने वाले शहीदों के परिवार वाले नहीं समझेंगे। यह मामूली बात नहीं है, यह जनता की बात है। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने अध्ययन किया है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मौके पर वहां के असली लोग ही बताएंगे कि वे कहां-कहां छिपे रहते हैं। आप वहां के आम लोगों से बात करेंगे, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप केवल बड़े अधिकारियों से बात करके आ गए, जिसे हम गिट-पिट, गिट-पिट कहते हैं, उस भाषा को आम आदमी नहीं समझता है। आपकी भाषा कौन समझेगा। गांव वालों के लिए मुसिबत बन जाता है, जब वे नक्सलाइट्स को खाना न दें या पानी न दें। वे उन्हें गोली से मार देंगे। मैं वहां गया था। उन्होंने बताया कि अगर नक्सलाइट्स को खाना, पानी नहीं दिया, तो वे हमें मार देंगे और अगर उन्हें हम ये देते हैं, तो पुलिस हमें 216 के तहत जेल भेज देती है, लेकिन कम से कम हम जिंदा तो रहते हैं। जनता परेशान है। जनता नहीं चाहती है कि उनकी जान खतरे में हो या गोलियां चलें। पुलिस नक्सलाइट का आरोप लगा कर निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर देती है। आप होम सेक्रेटरी को वहां भेज दीजिए और पूरी फोर्स लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सबसे पहले उनके चरण पकड़ेंगे। ऐसा हुआ भी है। फर्रूखाबाद में छविराम डकैत निकला। एक पुलिस का ट्रक और जीप थी। जैसे ही पता चला कि छविराम डकैत है, तो सारी पुलिस ड्राइवर सहित एक खेत में भाग गई। ...*(व्यवधान)* गृह सचिव को वहां नहीं भेजना है,

उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। वे भी इंसान हैं, अगर मारे गए, तो अच्छा नहीं होगा।

मैं कह रहा हूं वहां पुलिस थी, कानपुर फर्रुखाबाद रोड रेलवे क्रासिंग पर ट्रक में छविराम बैठा था, उसके साथ तीन साथी थे और पुलिस के छः लोग थे। जैसी ही पुलिस ने सुना कि ट्रक में छविराम बैठा है वे जीप छोड़कर खेतों में भाग गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि हमें मार देगा। अब यहां चार लाठी लेकर खड़े हो जाएं तो हम भागेंगे ही, और क्या करेंगे। हमारे पास क्या है। यह स्थिति है और जनता दोनों तरफ से मारी जा रही है। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उनको खाना दिया, पानी दिया, छिपाकर रखा। अगर नक्सलवादी के बारे में जनता बता भी दे तो पुलिस भी मार रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर जनता को विश्वास हो जाए कि सरकार हमें बचा लेगी तो गांव के लोग लड़ जाएंगे। जब तक गांव की जनता नहीं लड़ेगी तब तक हम माओवादियों जैसे तत्वों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला तभी कर सकते हैं जब आम जनता महसूस करे कि हम लड़ते हुए सुरक्षित रहेंगे।

सभापति महोदय: आप बड़े नेता हैं मैं बहुत संभलकर बोल रहा हूं। आपका भाषण बहुत शांतपूर्ण वातावरण में सुना गया है, उनके एक घंटे से ज्यादा आपके आधे घंटे का प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको आधा घंटा समय दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: मुझे एक ही बात कहनी है, गृह मंत्री जी, आपके पास सब एजेंसियां हैं। क्षेत्रीय जनता का कहना कि उन्होंने तीन रास्ते को रोका जहां से सुरक्षा बल निकल सकते थे। क्या एजेंसियां बता सकती हैं कि उनको कैसे रोका? वे पहाड़ियों के ऊपर कैसे चढ़ गए? उन्होंने एक रास्ता ऐसा रखा जहां से सुरक्षा बल निकल नहीं सकते थे। अगर निकलते तो दोनों तरफ से फायरिंग होती। इस तरह से उन्होंने अपने छिपने का पूरा इंतजाम किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कितने दिनों में हुआ? आपका डीएम क्या कर रहा था? एसपी क्या कर रहा था? आपने पूछा कि डीएम को पता था? मैं कहता हूं कि पता है। इंटेलिजेंस को पता है। आपको रिपोर्ट दी गई या नहीं कि नक्सलवादी हमला करने वाले हैं। कोई एक दिन में योजना नहीं बना सकता। इतना बड़ा हमला हुआ है, एक हजार की संख्या बताई जा रही है। 80-85 या 100 की बटालियन क्या कर सकती है? उनके पास आधुनिक हथियार हैं। ये उन तक कैसे पहुंचे? आपको बताना पड़ेगा कि आईबी कहां थी? एजेंसी कहां थी? इंटेलीजेंस कहां थी? वहां का डीएम जीडीपी कहां थे? छोटा सा सूबा है, उनको सब पता होगा। उनको पता है कि इतने अच्छे हथियार और इतने लोगों का खाना कहां से आया। ये भूखे गोली नहीं चला सकते थे। उनको खाना किसने दिया और क्यों दिया? अगर मजबूरी में दिया है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप तो पकड़ कर ले जाएंगे। गांव के लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं, ठहरने की जगह भी देते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है। इटावा कुख्यात डकैतों का जिला है। निर्भय सिंह गुर्जर को छोड़कर कोई इटावा का नहीं था, न मान सिंह थे, न मलखान सिंह थे, न तहसीलदार सिंह थे। कोई डकैत आज तक इटावा में नहीं हुआ लेकिन इटावा सबसे सुरक्षित स्थान छिपने का है। क्वारी, चंबल, जमना, बेतवा बहुत सारी नदियों का एक जंगल हो जाता है। पुलिस वाले और सुरक्षा बल न तो वहां पैदल जा सकते हैं, न वहां साईकिल जा सकती है, न ट्रक जा सकता है और न जीप जा सकती है। डकैतों को सब रास्ते पता है।

महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं साथ ही कहना चाहता हूं कि तत्काल सर्वदलीय बैठक बुला लो। महिला आरक्षण के लिए सरकार बहुत जल्दी सर्वदलीय बैठक बुलाती है, लेकिन देश की एकता के लिए, देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए, देश की सीमा के लिए अभी तक नहीं बुलायी है, चीन हमला कर रहा है, लेकिन अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलायी है। चीन ने फैसला किया है कि एक इंच, एक फुट एरिया रोजाना कब्जा करेंगे रक्षा मंत्री जी कहां हैं, प्रधानमंत्री जी हमेशा विदेश यात्रा पर ही रवाना रहते हैं। यह मामूली बात नहीं हैं। प्रधानमंत्री हमेशा विदेश यात्रा पर रहते हैं, विदेश में क्या रखा है? अगर हमारा हिन्दुस्तान सुरक्षित है *...(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी कितनी बार विदेश में जाएंगे, अन्य किसी मंत्री को विदेश भेजिए। यह परम्परा है कि प्रधानमंत्री हों या प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, सदन के चलते वक्त वह विदेश दौरे पर नहीं जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं। हम लोग किसे सुनाएं। हमने शोर किया तो गृह मंत्री जी आ गये। मैं कह रहा हूं कि एक ही रास्ता है, सख्ती भी करनी है और सख्ती के साथ-साथ उनसे बातकर समस्या का समाधान भी करना है। ये कहते हैं कि बात नहीं करेंगे, बात भी करनी पड़ेगी। आप कठोर कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए। *...(व्यवधान)* वे नक्सली क्यों बने हैं, उन समस्याओं पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आप उन समस्याओं पर ध्यान देंगे, नक्सली कुछ नहीं कर सकते हैं और जनता आपके साथ होगी। आप पानी, बिजली, पढ़ाई, नौकरी दीजिए, उन्हें ही पुलिस में भर्ती होने के लिए भेजिए।

[अनुवाद]

श्री सर्वे सत्यनारायण (मल्कानगिरि): माननीय मुलायम सिंह जी,

[हिन्दी]

आप बहुत ही शांत वातावरण में अपनी बात कह रहे थे, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था।

[अनुवाद]

वे छोटे राज्यों के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।

[हिन्दी]

वे अम्बेडकर जी के बारे में भी बोले और उन्होंने अपनी खुद की भी राय व्यक्त की है।

[अनुवाद]

डॉ. अम्बेडकर छोटे राज्यों के पक्ष में थे।

[हिन्दी]

मैं तेलंगाना एरिया से हूं। उनकी राय है कि छोटे-छोटे स्टेट नहीं बनने चाहिए, लेकिन हम 53 साल से तेलंगाना राज्य के लिए लड़ रहे हैं, हम सेप्रेट तेलंगाना लेकर रहेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री सत्यनारायण, मुद्दा यह नहीं है। मैंने सोचा कि आप कोई महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सर्वे सत्यानारायणः महोदय, हम 53 साल से लड़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदयः यह अच्छी बात नहीं है। क्या सभा की कार्यवाही संचालन का तरीका यही है? यह तो एक शराफत की बात थी। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः क्या यही तरीका है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य मैंने सोचा कि आप कुछ बात कहेंगे, लेकिन आपने भाषण देना शुरू कर दिया। आगे से किसी शरीफ आदमी पर कोई विश्वास नहीं करेगा।

डॉ. बलीराम (लालगंज): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक ऐसे विषय पर हम लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही संवेदनशील है। मैं अपनी बात रखने से पहले उन शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। यह एक प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या को सदन में बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरह से आज सदन में चर्चा हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा।

समस्या अगर है तो उसका निश्चित रूप से कोई न कोई कारण होगा। जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे, तब तक समस्या का निवारण नहीं कर सकते। इसलिए अगर इस देश में नक्सलवाद है तो निश्चित रूप से उसका कोई कारण है। आज इसी सदन में हमारे कुछ साथियों ने कामेश्वर बैठा की बात कही। जिस प्रांत से आप आए हैं, जिस जिले से आप चुनकर आए हैं, वहीं के कामेश्वर बैठा हैं। मैं 2005 से लेकर 2009 तक वहां का प्रभावी रहा हूं। जब मैं गांव में मीटिंग ले रहा था तो उसी मीटिंग में कामेश्वर बैठा से मेरी मुलाकात हुई। हमारी बातों को जब उन्होंने सुना तो वे प्रभावित हुए और अपना परिचय दिया। मैंने पूछा कि आखिर आपने यह रास्ता क्यों अख्तियार किया है? उन्होंने बताया कि मजबूरी की हालत में यह रास्ता अपनाया जब यहां सामन्ती जुल्म होने लगा और कामेश्वर बैठा के सामने जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, वहां के सामन्तों ने उसकी साड़ी को उधेड़ा। वह साया पे हो गई। उसकी डोरी खींचकर उसको नंगा किया और वहां की पुलिस ने ऐसे सामन्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाकर वह मजबूर हो गया, गोली और बंदूक उठाने के लिए और जंगलों में भाग गया।

सभापति महोदयः क्या जीतने के बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. बलीराम: जीतने के बाद भी मुलाकात हुई। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सचमुच में अगर यह नक्सलवाद है तो उसकी एक समस्या है। मैं उनसे उस रास्ते का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उस रास्ते का घोर विरोधी हूं। उससे न तो गरीबों की समस्या का हल होने वाली है और न ही और कुछ होने वाला है। अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि ...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात जीतने के बाद हुई थी। जीतने के बाद अपराधी से मुलाकात हुई? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जगदम्बिका जी, इसमें पूछने की क्या बात है? जगदम्बिका जी, एक मिनट सुन लीजिए। आप बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने कहा कि वे पलामू जिले के प्रभावी रहे हैं, मैं भी उसी जिले का रहने वाला हूं। इसलिए कामेश्वर बैठा की बात जब उन्होंने उठाई तो मैंने कहा कि क्या चुनाव रिजल्ट के बाद भी कभी आपसे मिले?

[अनुवाद]

अब यह अध्याय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम: अभी पकौड़ी कोल की बात हो रही थी। पकौड़ी कोल जेल में थे। जब मैं मिर्जापुर, सोनभद्र की तरफ गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यह न कोई नक्सली है, न ही कोई इस तरह की वारदात है, लेकिन स्वाभिमानी है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, इसको जेल में बंद कर दो। जेल में जाकर मुलाकात की, इनसे बातचीत की, इनको समझाया और इसके बाद एमएलए का टिकट देकर इनको उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भिजवाया, आज भले ही वह समाजवादी पार्टी के खेमे से चुनकर आए हों।

सभापति महोदय: जितवाया कि खिंचवाया?

डॉ. बलीराम: जितवाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह एक गंभीर समस्या है। अगर इस देश में जो इस तरह के जुल्म-ज्यादती हो रहे हैं, अगर उनका सही निवारण नहीं किया गया, सामंती जुल्म को नहीं दबाया गया तो ऐसे नक्सलियों का जन्म होता रहेगा और ये देश के लिए समस्या बनते रहेंगे। इसलिए मैं आज इस सदन के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसके जो कारण हैं, अभी माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि हमने सोनभद्र का डेवलपमैंट कराया। आज जो भुखमरी के शिकार हैं, जिन्हें रोजी-रोटी नहीं मिल रही है, वह अपना पेट भरने के लिए क्या-क्या करने के लिए तैयार नहीं हैं? सरकार को चाहिए कि वह इस बात का बड़े पैमाने पर इंतजाम करे कि वे उन्हें किस प्रकार से रोजी-रोटी मुहैया कराएंगे, उनका पेट भरेंगे। यदि उनका पेट नहीं भरेगा तो वह गलत रास्ता अपना पेट भरने के लिए अख्तियार करेंगे। इसलिए हमें इस गंभीर समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है, तभी इसका अंत होगा। मुझे बेहद कष्ट है, मेरे संसदीय क्षेत्र के मनोज पांडे, जो कि इस घटना में शहीद हुए, हम उसके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है कि पीड़ितों को कितनी राशि दी जा रही है और उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि सभी दलों के लोग इस राष्ट्रीय समस्या पर गहन मंथन करें और उसके कारणों को जाने और उसके निवारण ढूंढे, तभी इस समस्या का अंत होगा, अन्यथा इसका अंत होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): सभापति महोदय, यह देश बड़े लंबे समय से इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियों में पुलिस प्रशासन के अच्छे सपूतों को गंवा रहा है। दंतेवाड़ा की घटना दिल दहला देने वाली है। कोई भी व्यक्ति इस घटना से अछूता नहीं है और सभी के मन में यह सवालिया निशान है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए? मैं उस घटना के सभी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस देश के बड़े-बड़े अलगाववादी आंदोलन देखे हैं। कश्मीर, पंजाब और नार्थ-ईस्ट के राज्यों में, जहां अलगाववादी आंदोलन समाप्त हो रहा है। यह देश आतंकवाद से भी जूझ रहा है और यह देश नक्सलवादी आंदोलन से जूझ रहा है, जिसका मूलभूत आधार, आप जिस पलामू जिले से आते हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं, सामाजिक-आर्थिक विषमता रही है। जब बिहार साथ में था, तब तीन-चार जिले ही प्रभावित थे, जिनमें से एक पलामू जिला भी था। राज्य बने दस साल हो चुके हैं, उस समय चार जिले ही प्रभावित थे, आज दस साल में 24 जिले प्रभावित हो चुके हैं। पूरा राज्य इससे प्रभावित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, इस पूरे इलाके को यदि देखा जाए तो नक्सल आंदोलन कोयले की खदानों पर चल रहा है। यहीं पर गरीबी भी और यहीं पर धन भी है। आप जानते हैं कि इस पूरे इलाके से धन की उपज कोयला एवं अन्य माइन्स के द्वारा होती है। आप जानते हैं कि पलामू में बीड़ी पत्ते के लिए ठेकेदारों को नक्सलवादियों के हाथों में अपना टेंडर देना पड़ता है, यदि वे अप्रूव करते हैं, तभी वह सरकार को दिया जाता है। यह व्यवस्था बन गई है। इस पूरी चर्चा में मैं माननीय यशवंत सिन्हा जी की बात को नहीं समझ पाया हूं कि वे क्या करना चाहते हैं?

अपराह्न 4.00 बजे

उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हमने भी आतंकवाद को बहुत नजदीक से झेला है। हमने पंजाब का आतंकवाद, नार्थ-ईस्ट का अलगाववाद देखा है, कश्मीर का देखा है। वहां गाड़ियां कैसे ब्लास्ट होती हैं, उसे पर्सनली हमने देखा है, जिस गाड़ी को ब्लास्ट किया गया था, तब मैं गृह मंत्रालय में काम करता था।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि ये पूरी बहस, जिसके चलते यह काम हुआ है, केन्द्र सरकारों में एनडीए के वक्त से लेकर आज तक क्या नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार की अपनी एक नीति होती है, गृह मंत्रालय ने इन पूरे सवालों को, मैं जब होम मिनिस्ट्री में था, उस वक्त मैंने इसका मेपिंग कराया था कि यह जो किला है, यह यहां से कहां घूम करके, कैसे महाराष्ट्र के दो-तीन जिलों तक खत्म होता है। पुलिस मार्डनाइजेशन की जो बात है, आप झारखंड को जानते हैं। आए-दिन यह बहस चलती है, दस वर्ष हो गए और दस वर्षों में चार जिलों से चौबीस जिले हो गए। हमारा थाना ताकतवर एवं सक्षम हुआ, पुलिस मार्डनाइजेशन हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। इस पूरी बहस में राज्य सरकारें कैसे अपने को अलग कर लेंगी। गृह मंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं, बिहार के मुख्य मंत्री के पास समय नहीं है और झारखंड का मुख्य मंत्री बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। मीटिंग खत्म होती है तो नक्सलाइट का सबसे बड़ा नेता, जिसकी चर्चा आए-दिन अखबारों में होती है, वह पब्लिकली उन्हें धन्यवाद देता है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद, जो मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस पूरी लड़ाई को केन्द्र सरकार ने छः वर्षों में, जो पूरी भारत-निर्माण की परिकल्पना है, नरेगा, सर्वशिक्षा अभियान किस के लिए था, मिड-डे-मिल, हेल्थ मिशन किस के लिए है? आज अगर तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच सौ करोड़ रुपए एक जिले में दिए जा रहे हैं तो वह किस काम के लिए है? चाहे बिहार हो, अभी मैं बिहार में गया था, जहां जंफर बुलडोजर लग करके नरेगा का काम हो रहा है।

मान्यवर, झारखंड में क्या हो रहा है, आप उसके गवाह हैं। आज 34-35 साल हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आपके क्षेत्र में दो-चार गांव हो गए होंगे। नरेगा साफ हो गया। ...*(व्यवधान)* पूरा का पूरा नरेगा खा गए। ...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध कांत सहायः आपकी बात सही है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आपने नरेगा का सवाल उठाया, मैं एक राय दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अभी नरेगा पर चर्चा शुरू नहीं हुई। हम आपको रोकेंगे नहीं।

श्री सुबोध कांत सहायः आप सही बात कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः मजदूर को बिना काम किए पच्चास रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि आप काम बंद करिए, दस्तखत कीजिए और दस्तखत कराने के बाद पूरे के पूरे पैसे का पता नहीं होता। मैं भी लोक सभा में हूं। आप मेरी लोक सभा कांस्टीट्यूएंसी में चलिए और किसी भी एक जगह का नाम बता दीजिए, जहां नरेगा का काम हुआ हो। ...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध कांत सहायः आदरणीय मुलायम सिंह जी सही बात कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं भी आपकी बात को ही दोहरा रहा हूं। हम जिन गरीबों के लिए यहां आंसू बहाने की बात करते हैं, ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं वही कह हा हूं कि ये सारी योजनाएं राज्य सरकार के हवाले इसीलिए की गई थीं कि गरीबों को भूख से, रोजगार से मरने मत दो, उन्हें बचाओ।

लेकिन क्या हुआ? इसलिए जो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, वह बिलकुल सही है। इन सारी चीजों को ठेकेदारों के द्वारा लूट का साधन बना लिया था और गरीबों को ...*(व्यवधान)* अगर अधिकारी ही उस राज्य में ठेकेदार हो गए हों, तो उस राज्य का तो भगवान ही मालिक है।

श्री निशिकांत दुबेः आपके पास जांच एजेंसियां हैं। आप जांच कराइए।

सभापति महोदयः कृपया इस प्रकार से बीच में नहीं बोलें।

श्री सुबोध कांत सहायः माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि राज्य सरकार की पुलिस, राज्य सरकार का प्रशासन, राज्य सरकार का विकास, आज ब्लाक की हालत ऐसी है कि किसी को न्याय नहीं मिल सकता है। यह बात मैं उन राज्यों की कर रहा हूं जहां सबसे ज्यादा नक्सल आंदोलन की पकड़ है। छत्तीसगढ़ के उस इलाके में सबसे ज्यादा गरीबी है। वहां के आदिवासी, मुझे लगता है कि झारखंड के आदिवासियों से भी गरीब हैं। पलामू जिला, कोई आदिवासियों का जिला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम वहां सबसे ज्यादा नक्सल आन्दोलन से प्रभावित हैं।

सभापति महोदय: श्री सुबोध कांत जी, इसका क्या उपाय है?

श्री सुबोध कांत सहाय: सर, इसके उपाय की बात पर ही अब मैं आ रहा हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज नक्सलाइटों के द्वारा हमारे लोगों को, कांग्रेस पार्टी को सिंगल-आउट किया गया है। हमारे लोग झारखंड में लगातार मारे जा रहे हैं। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वे लोग यह काम पब्लिकली घोषित कर रहे हैं। हम तो उनके विकटिम होने जा रहे हैं, बल्कि हम उनके विकटिम हैं। इसलिए जो लोग पार्टनर होकर आए हैं, उन्हें हम कैसे भूल जाएं। छत्तीसगढ़ की सरकारें, झारखंड की सरकारें, मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमसे बड़ा कौन नक्सलाइट है? अरे भैया, आदरणीय यशवंत जी, आप उदारवादियों को कहते हैं, सवाल यह है कि किससे बचना है, नक्सलाइट से बचना है या मुख्य मंत्री से बचना है? इसमें कौन असली आंकवादी है और कौन नक्सलाइट है? इस दौर में हम चल रहे हैं। अगर राज्य सरकारें अपना हाथ झाड़ेंगी, तो केन्द्र सरकार जीवन में यह काम नहीं कर पाएगी। इस देश की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, राज्य सरकार ही है और उन्हें आप मंत्रालय में रखने के लिए तैयार नहीं हैं। दो दिन सदन नहीं चलने दिया और भाजपा के लोगों ने चुनाव में ही समझौता कर के 24 घंटे के अंदर मुख्य मंत्री बना दिया। जो सच्चाई है, उसे कैसे झुठलाएंगे?

[अनुवाद]

क्या वह आपका प्ले ब्वॉय है?

[हिन्दी]

यह मामला कांग्रेस और बी.जी.पी. तक नहीं, बल्कि उड़ीसा तक जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): आप भी सरकार बनाने के लिए क्यू में थे। वे आपको पीछे छोड़ कर आगे निकल गए। ...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध कांत सहाय: क्यू में पीछे छोड़ गए या हमने छोड़ दिया। इसमें फर्क है। छोड़ गए और छोड़ देने में, फर्क है। यह जो मैं कह रहा हूं यह सब ऑन रिकॉर्ड है।

सभापति महोदय: अब, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुबोध कांत सहाय: मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि आज नक्सलाइट लोग, वहां के बेरोजगार लोगों को राइफल उठाने का काम देकर रोजगार दे रहे हैं। वे लोग वहां एक आदमी को राइफल उठाने के लिए 2000 रुपए प्रति महीने दे रहे हैं और रोजगार की योजनाओं को सरकार चट करती जा रही है। उनके पेट का हिस्सा सरकार खाती जा रही है। यह कैसे होगा और कब तक चलेगा? राज्य सरकारों को कौन समझाएगा? हम जिन शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करने की बात कह रहे हैं, उनके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के होम सैक्रेट्री का बयान है कि हमारे यहां ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि उत्तराखंड के 7 और उत्तर प्रदेश के जो 43 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का यह रवैया है। कौन और कैसे इसका निदान निकालेगा? निदान निकला, जब पंजाब में पीपुल्स का आतंकवाद हुआ, अलगाववाद हुआ। निदान निकला, नार्थ-ईस्टन की सरकारों ने पीपुल्स को अपने हाथ में, कान्फीडेंस में लेकर के, वहां के अलगाववादी आंदोलन को खत्म किया। आज चाहे मिजोरम हो, मणिपुर हो या असम हो, इन सभी जगहों में जो लोग पहले कहीं न कहीं अंडरग्राउंड थे, आज आकर सरकार चला रहे हैं। झारखंड में चुनाव नहीं हुए और 10 साल तक चुनाव नहीं हुए। अगर चुनाव हो गए होते, तो मैं समझता हूं कि इन्हीं आतंकवादी और नक्सलियों में से कोई निकल कर मुखिया और सरपंच बनता और कम से कम अपने ही गांव का प्रशासन चलाने का काम करता। आइसोलेट करना होगा, इन लोगों ने जो मॉस को अपने साथ ले लिया है, लेकिन यह आइसोलेशन राज्य सरकारों के प्रयास के बिना नहीं होगा। यह इसके बिना नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो योजना चला रही है, अगर वह पूरी नहीं हुयी है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, होम मिनिस्टर साहब यहां उपस्थित हैं, बहुत से पिछड़े राज्यों को हम लोगों ने इन्कम टैक्स और टैक्स हालीडे दिया है, जो सात राज्यों के डेढ़ सौ जिले हैं, इनको अगर हम लोग एडाप्ट कर लें और इनको टैक्स हालीडेज देकर वहां पर एक इन्फ्यूजन विकास का करें, लोगों को उसके बारे में बतायें, क्योंकि विकास की गोली से बड़ी कोई गोली नहीं है। मैं जानता हूं और मैंने बहुत नजदीक से आतंकवाद, अलगाववाद तथा हिंसा को देखा है। इसलिए मेरा मानना है कि जो होम मिनिस्ट्री कर रही है, पहली बार यह एक को-आर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ से हमला करके, बंगाल से हमला करके, झारखंड में वह पनाह पा जाएगा, तो भाजपा के लोगों को बोलने का कोई औचित्य नहीं है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे। इन तीनों-चारों जगहों पर आपकी सरकार है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 कार्मिकों की हत्या से पूरे राष्ट्र को सदमा लगा है। दंतेवाड़ा में जो कुछ हुआ वह एक या दो दिनों की तैयारी का परिणाम नहीं है। एक हजार माओवादी वहां एकत्रित हुए थे। यह तैयारी कई दिनों से चल रही थी। खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या सरकार को इस बात का पता नहीं था कि वहां पर इस तरह की तैयारी चल रही है? इसलिए बिना किसी समुचित तैयारी के तथाकथित 'आपरेशन ग्रीन हंट' शुरू किया गया था।

पीड़ितों में से एक मेरे चुनाव क्षेत्र का निवासी था। मैं उसके घर गया था। मैं उनके पिता, मां और पत्नी से मिला था। उसकी शादी मात्र दस महीने पहले हुई थी। उसके पिता ने कहा उन्हें अपने पुत्र पर बहुत गर्व है क्योंकि वह किसी आपराधिक गतिविधियों में नहीं बल्कि अपने देश और समाज की रक्षा में लड़ते हुए मारा गाय है। दंतेवाड़ा में मारे गए एक पुत्र के पिता की ऐसी भावना थी।

माओवाद की समस्या सात राज्यों के 82 जिलों में व्याप्त है। उसके कई कारण हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है कि वापमंथी उग्रवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे गंभीर खतरा है। महोदय राष्ट्रपति ने भी बार-बार यही बात कही है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार और कांग्रेस इस मामले में साथ-साथ हैं। इस सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री रात-दिन माओवादियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं।

महोदय, प्रेस से वार्ता करते समय उन्होंने कल ही कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोई माओवादी नहीं है। पश्चिम बंगाल में उनको माओवादी दिखाई नहीं पड़ते। पश्चिम बंगाल में उनको माओवादी कैसे दिखेगा क्योंकि उनकी पार्टी, जो इस सरकार में दूसरे सबसे बड़ी पार्टी है के माओवादियों के साथ दोस्ताना संबंध है? माओवादी नेता बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल में लाया गया है। उनका इस्तेमाल किया गया। जब नंदीग्राम आंदोलन हुआ तो वे लोग वहां थे। जब सिंगूर में आंदोलन हुआ तब भी उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान उस विशेष पार्टी की मदद करी जिस पार्टी की रेल मंत्री सदस्य हैं। जब रेल मंत्री खुले तौर पर सरकार से गृह मंत्री से पश्चिम मिदनापुर में तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को हटाने की मांग करती हैं तो मुझे इस प्रकार की ईमानदारी पर संदेह होता है। पश्चिम बंगाल के तीन जिले इससे प्रभावित हैं। पूरा जिला नहीं बल्कि कुछ थाना क्षेत्र इससे प्रभावित है। 2006 से पहले वहां जो भी घटनाएं हुईं वे पुरुलियां, बांकुरा और पश्चिम मिदनापुर जैसे तीन जिलों में हुईं। ...*(व्यवधान)*

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): वहां भी आपकी ही सरकार है। ...*(व्यवधान)* आप वहां क्या कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: तीनों जिलों की सीमा झारखंड और उड़ीसा से लगी हुई है, अपराध करने, हत्या करने के बाद वे सीमा को पार कर जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कार्यवाही ऐसे नहीं होती है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या बोलने के लिए यह सही समय है। वे किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: माओवादियों को वार्ता के लिए बुलाया गया। ...*(व्यवधान)* उन्हें उस राजनीतिक पार्टी द्वारा आश्रय दिया गया, जो सरकार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यह सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी जब वह दिन-रात माओवादियों के समर्थन में बोल रही हैं। उस राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले इस सभा के एक सदस्य खुले तौर पर माओवादियों को समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने माओवादियो की गतिविधियों की प्रशंसा में एक गीत लिखा है। यह सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी? उस जिम्मेदार सदस्य द्वारा दिए जा रहे बयानों के विरुद्ध में इस सरकार, गृह मंत्री या अन्य किसी जिम्मेदार मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है। मैं माननीय रेल मंत्री को जिम्मेदार कैसे ...*(व्यवधान)* कह सकता हूं।

माओवादियों को आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2009 के लोक सभा चुनावों के उपरांत मारे गए लगभग 190 लोगों में से अधिकतर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, कैडर और नेता थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इस तरह एबरप्टली बोलकर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदय वह रेल मंत्री पर आक्षेप लगा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। श्री कोडिकुन्नील सुरेश आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदय वह माननीया रेल मंत्री पर आक्षेप लगा रहे हैं। माननीया रेल मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। वह ऐसा आक्षेप नहीं लगा सकते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जो उन्होंने कहा है, वह मैंने सुना है। मैंने आपत्तिजनक शब्द को रिकॉर्ड से निकाल दिया है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप मेरी बात सुनिये। मैंने उस शब्द को प्रोसीडिंग्स से बाहर निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आचार्य जी, आप एक मिनट बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः वह एक्सपंज हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

सभापति महोदयः मैंने उस शब्द को रिकॉर्ड से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः राशिद जी, यह तरीका ठीक नहीं है। उस शब्द का रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): महोदय, वह माननीया रेल मंत्री पर आक्षेप लगा रहे हैं। उन्हें इसे या तो लिखित में देना चाहिए या रेल मंत्री यहां उपस्थित होनी चाहिए। इसके बिना वह मंत्री के विरुद्ध ऐसा आक्षेप नहीं लगा सकते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री सुरेश, अब आप क्या चाहते हैं? मैं पहले ही शब्द को निकाल चुका हूं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः महोदय, उनके पास माननीया रेल मंत्री के विरुद्ध ऐसा आक्षेप लगाने का क्या साक्ष्य है? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं। सब कुछ समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामीः सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदयः आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री वी. नारायणसामीः माननीय सदस्य भारत सरकार एक माननीय मंत्री पर आक्षेप लगा रहे हैं। जब वे आक्षेप लगाते हैं, तो नियमानुसार आक्षेप लिखित में अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए। इसे उपरांत यदि मंत्री से उत्तर प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष संतुष्ठ हों तो वे इसे सभा में उठाने की अनुमति दे सकती हैं। यह नियम यह है। वह लिखित नोटिस दिए बिना आक्षेप नहीं लगा सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः महोदय, वह इस प्रकार कैसे आक्षेप लगा सकते हैं, जब मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री सुरेश, कृपया मुझे सुनें। रेल मंत्री के विरुद्ध मेरे अनुसार जो एक शब्द ठीक नहीं था, मैंने उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है। मैंने उस आपत्तिजनक शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है। अब आप क्या चाहते हैं। उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया है।

श्री वी. नारायणसामीः उन्होंने 'रेल मंत्री' कहा था। कृपया रिकॉर्ड देखें।

सभापति महोदयः वह विशिष्ट शब्द कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री सुरेश, आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। कृपया बैठ जाइए। बासुदेव आचार्य जी आप कृपया जारी रखिये।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः महोदया।

सभापति महोदयः महोदया नहीं।

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री सुरेश जी आपने उन्हें इस हद तक तंग किया है कि वे मुझे महोदया के रूप में संबोधित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, माओवादियों ने विद्यार्थियों के सामने ही कक्षाओं में प्रवेश किया और अध्यापक को निर्ममता से मारा गया। पिछले लोक सभा के चुनावों के बाद से माओवादियों द्वारा मारे गए 192 लोगों में से सभी मेरे पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) के ही थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री सुरेश जी, यह कुछ ज्यादा ही है। इस का अर्थ है कि पीठ सभा को नहीं चलाएगी और आप सभा को चलायेंगे। यह सहनीय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह ठीक बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह ठीक नहीं है। आप जब भी चाहें खड़े होकर बोलना शुरू कर दें। इस तरह सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, परिसीमन के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकतर भाग माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आ गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आपस में बात न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं गांवों और पीड़ितों के घरों में जाता हूं। मैंने देखा है कि गरीब लोगों को माओवादियों द्वारा मारा जा रहा है। यदि हम विकास की बात कहें, तो कोई विकास नहीं हुआ है। इसीलिए माओवादी कार्यकलापों में वृद्धि हुई है। ...*(व्यवधान)*

मैं उदाहरण दे सकता हूं। 1977 से पूर्व जब कांग्रेस केन्द्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में थी। बर्धवान जहां माओवादियों द्वारा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष को जिंदा जलाया गया था में एक इंच भी पक्की सड़क नहीं थी। अब यह सड़क मार्ग से जुड़ा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक से अधिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और उस विशिष्ट पुलिस स्टेशन, जहां हम देखते हैं कि 2006 से माओवादी कार्यकलाप हो रहे हैं, में 80 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं उनको आमंत्रित किया गया है।

इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कोई विशिष्ट राजनीतिक दल मानव जीवन की कीमत और अराजकता के प्रसार जैसे शैतानी चुनावी एजेन्डा को चला रहा है। माओवाद कुछ और नहीं बल्कि अराजकता है। वे उस क्षेत्र में अराजकता फैला रहे हैं।

अब पुरुलिया जिले से लगी सीमा में झारखण्ड के कुछ गांवों में एक नई बात देखने को मिल रही है। लोग सामने आ रहे हैं, माओवादियों के विरुद्ध बोल रहे हैं। उन्होंने लोगों की समिति बनाई है ...*(व्यवधान)* मैं झारखण्ड के बारे में बोल रहा हूं न कि पुरुलिया की सीमा के साथ पश्चिम बंगाल के बारे में क्योंकि मैं पुरुलिया से आता हूं, सभापति महोदय आप जानते हैं वहां 18 प्रतिशत लोग जनजातीय हैं।

सभापति महोदय: इससे पहले मैं भ्रमित था।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं जनजातीय गांवों की स्थिति के बारे में जानता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: रशीद साहब, प्लीज, क्या आपको बार-बार उठने की बीमारी है?

श्री बसुदेव आचार्य: इनका इलाज कराइए।

[अनुवाद]

यह प्रफलन क्यों हुआ है? किस बात की आवश्यकता है? हम एक संयोजित व्यवहार की मांग कर रहे हैं। अब किसी एक राज्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस समस्या से निपटे। इस समस्या से निपटने के लिए एक संयोजित व्यवहार होना चाहिए।

सभापति महोदय: अब कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: संयोजित व्यवहार से अभिप्राय है पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार और उड़ीसा को संयोजित व्यवहार करना चाहिए। गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया जबकि अन्य दो मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया। इसलिए जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संयोजित व्यवहार नहीं किया जाता इन सभी राज्यों को संयोजित व्यवहार से मदद और सहायता द्वारा ही इस समस्या से निदान पाया जा सकता है, अन्यथा यह जारी रहेगी।

दूसरी बात, आदिवासियों में विस्थापन और बेदखली की समस्या है। वहां यही भावना है। हम मांग करते रहे हैं कि सभा के सामने भूमि अधिग्रहण के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति लाई जानी चाहिए। सरकार इस विधेयक को दबाकर बैठी है। इस सरकार की कोई पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति नहीं है। हमारे खनिज कूप कार्पोरेट क्षेत्र के लिए खुले हैं और अनेक राज्यों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मौजूद हैं। हमारे खनिज कूपों को लूटा जा रहा है।

गरीब और अमीर के बीच की खाई के लिए इस सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। देश को अमीर और

गरीब के बीच बांट दिया गया है और आदिवासी गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। जब भी कोई परियोजना आती है और परियोजना के निर्माण के कारण आदिवासी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है। लेकिन उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं किया जाता है। संभवत: खनन परियोजनाओं में अथवा कोयला खनन परियोजनाओं में ऐसा सर्वत्र व्याप्त है। संगठित प्रदान करने की आवश्यकता है; समुचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति की आवश्यकता है। आदिवासी लोगों के वास्तविक विकास की जरूरत है, ताकि उनके परायेपन की भावना को दूर किया जा सके। एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है और सरकार को सम्मिलित स्वर से ऐसा कहना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि इस सभा को संगठित होना चाहिए। यदि इस सरकार का दूसरा सबसे बड़ा दल असंतुष्ट है तो यह सभा संगठित कैसे हो सकती है? कोई सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है। संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था और एक केबिनेट मंत्री ने मंत्रिमंडल उस निर्णय के विरुद्ध जाकर उसकी अवमानना की है। इस समस्या को संयुक्त दृष्टिकोण अपनाकर ही हल किया जा सकता है। केवल संयुक्त दृष्टिकोण अपनाकर ही यह समस्या हल हो सकती है।

सभापति महोदय: आज आपको खुला मैदान मिला है; आप काफी भाग्यशाली हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, शुक्र है ममता जी अभी यहां नहीं हैं।

सभापति महोदय: इसीलिए मैंने कहा कि फोर्च्युनेटली।

श्री शरद यादव: न ही उनकी पार्टी के सदस्य यहां हैं, यह आपके लिए खुशी की बात है वरना आपको जरूर दिक्कत आ सकती थी।

सभापति जी, इस विषय पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को विस्तार से यहां रखा है। उनमें से कुछ साथी यहां हैं और कुछ साथी यहां से चले गए हैं। एक मंत्री जी भी अपनी बात कह रहे थे। वह चले ही नहीं गए, वह कई बार चलते रहे हैं। वह रात को भी चलते हैं। दंतेवाड़ा की घटना बड़ी दुखद घटना है। लाशें वहीं नहीं पटीं, ये लाशें ऐसी गिरीं कि देश भर में विशेष तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा दुख का वातावरण इन लाशों को लेकर रहा, क्योंकि जो जवान मारे गए, अधिकांश इन्हीं राज्यों के थे। ये लोग स्वस्थ थे, बलिष्ठ थे। मैं इनके परिवार वालों पर क्या गुजरी होगी, उस दुखद स्थिति को बयान नहीं कर सकता। ये सब लोग गरीब घरों के थे। आज यह समस्या बढ़ती जा रही है।

इस बढ़ती हुई समस्या पर राज्य सरकारें और भारत सरकार कई तरह से, कई योजनाएं, बनाकर इसमें आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। मैं आपसे कहूं कि पूरे देश में जो नक्सलवाद, माओवाद बढ़ा है उसका कारण क्या है? जो नौजवान अपनी धरती पर तेंदू पत्ता तोड़ते थे, चिरौंजी और जंगल के छोटे-छोटे प्रोड्यूस पर अपनी जिंदगी बसर करते थे, उन्हीं लोगों ने अब हथियार पकड़ लिये हैं, और उन्हीं के रास्ते पर आस-पास के लोग भी खड़े हो गये। चाहे महाराष्ट्र हो या आपका जो चतरा है, उससे आप परिचित हैं, वहां क्या हालत है, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। वहां चुनाव लड़ना जोखिम भरा है। यह इलाका कौन सा इलाका है, ये सारे लोग कौन लोग हैं। गरीबी देश के गांवों में है, दलितों में है, पिछड़ों में है, ऊंची बिरादरी के लोगों में भी है। बेकारी है, बेरोजगारी है, जिंदगी तबाही के दौर से सब तरफ गुजर रही है लेकिन पूरे देश में जहां आदिवासी रहते हैं वे सारे के सारे इलाके बहुत गरीब हैं। चाहे कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, ये सारी दौलत, ये सारे जंगल और सब तरह से मिनरल्स इन बदकिस्मत आदिवासियों के इलाके में हैं। वहां के राजनैतिक लोगों को खरीदा जा रहा है, एमओयू साइन हो रहे हैं और कोई एक पार्टी नहीं, 60 बरस में हम सबने कहीं न कहीं सरकारें चलाई हैं, लेकिन उन सरकारों का नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमीशन बैठाए जाते हैं। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी और गुरबत या जिनकी जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद है, वे इलाके आदिवासी लोगों के हैं। वे लोक कभी सम्पत्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, वे जंगल में अपनी जिंदगी में मंगल लाते थे। लेकिन सब तरह के जंगल कट गये। तेंदू पत्ता सरकार के कब्जे में चला गया, छोटे प्रोड्यूस भी चले गये। आदिवासियों पर जो बिल आना चाहिए, वह आता ही नहीं, जो कानून बनने चाहिए, वे बनते ही नहीं। माननीय मंत्री जी अभी नरेगा की बात कर रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए अनाज की बात कर रहे थे। जितनी योजनाएं हैं आप उन सारी योजनाओं का नाम नहीं ले सकते हैं। माननीय मंत्रियों की क्लास ले लो तो कितनी स्कीमें चल रही हैं वे बता नहीं सकते हैं। माननीय सांसद महोदय यहां हैं वे नहीं बता सकते हैं कि उनके लिए कितनी स्कीमें चल रही हैं। बांट-बांट करके, बूंद-बूंद देकर जो प्यास मिटाने का काम चलता है, वह बूंद उन तक पहुंचती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, लूट है। यह जो लूट हो रही है, साठ बरस के बाद भी गरीब आदमी के पास जरूरत की चीजें नहीं हैं। आपने गरीबों के लिए जितने कार्यक्रम चलाए हैं, उनका फायदा सबसे कम गरीब लोगों को ही होता है, गरीब आदिवासियों को ही उन कार्यक्रमों का सबसे कम फायदा होता है। तभी वहां लोगों ने हथियार उठाए हैं। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो बटालियन थी, जिन्होंने मिलिट्री

की ट्रेनिंग ली है और ट्रेंड सिपाही थे, लेकिन जिन्होंने हमला किया क्या वे भी ट्रेंड थे। सीआरपीएफ के सिपाहियों को मारने वाले लोग कौन थे, किन लोगों ने उन्हें ट्रेनिंग दी है? छह महीने पहले वहां डीआईजी पहुंचे। वहां की जो ट्रोपोग्राफी है, मैं उस इलाके में घूमा हुआ आदमी हूं। मैं उस इलाके में चुनाव लड़ा हुआ आदमी हूं। दंतेवाड़ा में मैं ठहरा था। वे इलाके ऐसे हैं कि वहां सिवाय पैदल चलने के अलावा कोई साधन नहीं है। वहां के लोग रोज 20-30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मैं मानता हूं कि आप जो कड़ाई कर रहे हैं, वह जरूरी है। हिंदुस्तान में कई जगह हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है। यह समस्या विकट है। इस समस्या के पीछे आदिवासी जनता खड़ी है। ये लोग कहां जाएं। एक तरफ इन्हें पुलिस मारती है, एक तरफ आतंकी मारते हैं। इन आतंकियों के कई संगठन हैं, इनके कई नाम हैं। आपके पड़ोस नेपाल में, उन्होंने हथियार छोड़ कर बैलेट पेपर पकड़ा। आपने वहां सरकार नहीं चलने दी। आपने जो लोग वहां मुख्यधारा में आए थे, आपने कई तरह से उन्हें गिराने का काम किया है। आज वे पूरे नेपाल बार्डर पर तबाही मचा रहे हैं। हिन्दुस्तान का निजाम ही नेपाल में नीति निर्धारण करता है और राज और सरकार को वहां बिगाड़ने और बनाने का काम करता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब के बयान आते हैं कि यहां भी खतरा है, वहां भी खतरा है। इस शहर में खतरा है, उस शहर में खतरा है। आपके पास फौज है, आप किन लोगों को कह रहे हैं, आप किसको सतर्क कर रहे हैं? जो जनता निहत्थी है, आप उसे आगाह कर रहे हैं। मान लीजिए समुद्र के रास्ते से, हवा के रास्ते से आतंकी आ रहा है, तो उसे रोकने का काम किसका है? आप बयान दे कर क्या कहना चाहते हैं? मैंने बहुत सोचा कि आप ऐसे बयान दे कर क्या हासिल करना चाहते हैं। जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जो समाज में रहते हैं, अच्छे नागरिक हैं, वे कैसे किसी अतिवादी हमले से अपना बचाव कर सकते हैं? यह जो ग्रीन हंट है, आप हंटर हंट चला लीजिए, गोली हंट चला लीजिए, तोप हंट चला लीजिए, भीतर के इलाकों में सख्ती बरतीए, लेकिन सख्ती से ज्यादा इन इलाकों में लूट मची है। देश की जितनी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं, वे देश के हिस्सों में बीस परसेंट तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों में एक धेला भी नहीं पहुंच रहा है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है।

वहां कोई पढ़ाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। यह ऐसे बेबस और अनाथ लोगों का इलाका है। जनता के समर्थन के बगैर कोई युद्ध, संग्राम या जंग जीती नहीं जा सकती। हमें जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। अंत में यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इन इलाकों में बेबसी है, 60 वर्षों से खेत खलिहानों और जंगलों को उजाड़ दिया है, हम साथ तब हैं जब मिनरल्स की लूट को तत्काल बंद करने के लिए गोल मेज कांफ्रेंस करे। सरकार देश भर की सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाए और उन इलाकों, 102 जिलों की दुख तकलीफ, पेट भरने का इंतजाम करे, उनकी पुरानी जिंदगी को बहाल करने का काम करें। अगर बहाल नहीं कर सकते तो कोई रास्ता बनाने का काम करें। अगर इसके बावजूद हथियार उठाता है तो यह लोकतंत्र है। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आपने मुख्य मंत्रियों से बात की, लेकिन एक बात नहीं की कि वहां सिविल नाफरमानी के आंदोलन चल रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे हैं, उनके साथ राज्य सरकारों का सलूक कैसा है, आपको इसे देखना चाहिए। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते, सिविल नाफरमानी के रास्ते कोई सवाल नहीं उठा सकते तो मैं पूछना चाहता हू कि उनके पास क्या कोई और रास्ता है? उनके पास न्याय पाने का एक ही रास्ता है कि बंदूक लेकर खड़े हों। उनके पास एक ही रास्ता है कि इस व्यवस्था से विद्रोह करके बाहर जाएं क्योंकि हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, हमने कोई रास्ता नहीं दिया। हम सोचते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। यह विकट है। मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि देश भर की हालत बिगड़ने वाली है। यहां एक तरह का शोषण हो तो कहा जाए, लेकिन यहां तो हर तरह का शोषण है। जिस समय दंतेवाड़ा में तांडव हो रहा था उसी समय हैदराबाद में एक शादी हो रही थी। देश का विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया आजादी की रक्षा के लिए है। हमें इस सदन में एक बार बहस करनी चाहिए कि इस आजादी की मर्यादा हम पर लागू होती है।

सभापति महोदय, आप सदन के मालिक हैं, आप मर्यादा के भीतर मालिक हैं। दंतेवाड़ा में भयंकर घटना हुई, गांवों और देहातों में जवानों की लाशें चारों तरफ थी। वह शादी, ऐसा तमाशा था कि ऐसा लग रहा था कि हम मीडिविएल पीरियड में चले गए और राजा-रानी की शादी हो रही थी।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं श्री शरद यादव द्वारा व्यक्त भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः हिन्दुस्तान में इतनी तरह की समस्याएं हैं कि आजादी को खा जाएं। एक शहीद का सिर्फ सैल्यूट दिखाया गया, ताबूत दिखाया गया, मुख्य मंत्री दिखाए गए यानी ब्रेंड एम्बेसेडर सिर्फ ये थे। जिन्होंने जान दे दी, जो जान गई है वह हकीकत में जाने लायक थी या नहीं? आपके पास इंटेलीजेंस है।

मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे दो जिले दे दीजिए। यदि आपको वहां की एक-एक चीज की खबर न दूं, यहां बहुत अनुभवी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं, इस देश की जमीन को समझने वाले लोग हैं। नक्सलवादी आन्दोलन में आप चतरा से एमपी रहे हैं, आप अभी भी एमपी हैं, चतरा में यह जो समस्या है, आपसे चर्चा करके इसका समाधान ज्यादा आसानी से हो सकता है या बाहर से कोई आईजी, डीआईजी आयेगा, चिदम्बरम साहब जायेंगे, उससे हो जायेगा। आपको वहां के स्थानीय लोगों को, वहां के विधायकों को, वहां के एमपी को विश्वास में लेना पड़ेगा, आपको उनसे अंतरंग बात करनी पड़ेगी। चुनाव लड़ते समय ये एक-दूसरे को गाली दे रहे थे, मैं सच जानता हूं, सब सच जानते हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो नक्सलवादी लोगों से, वे प्रभावशाली लोग हैं, हमें 15 दिन में चुनाव लड़ना है, कई हमारे साथी कह रहे थे, मैंने चुनाव लड़ते हुए सुना है कि नक्सली लोगों की भी हमारे साथ सहानुभूति है, कुछ लोग कह रहे थे कि वे हमारे बहुत खिलाफ हैं। यह लोकतंत्र हैं, उनका वोट पर असर है। आप एक-दूसरे को गाली दे रहे हैं, किस बात के लिए गाली दे रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं, इस बात पर क्यों लड़ रहे हो? लोकतंत्र में बुरे से बुरे, खराब से खराब आदमी का समर्थन लेना पड़ता है। जो अच्छे लोग हैं, वे किस तरह से, कैसे-कैसे कष्ट और तकलीफ में चुनाव लड़ते हैं, इसे कोई बाहर का आदमी नहीं जानता है। दंतेवाड़ा की घटना ने मन को पूरी तरह से हिला दिया है। इस समस्या ने बाकी समस्याओं को पूरी तरह से ढक दिया है।

महोदय, कुछ मित्र बोले कि हम सब साथ हैं, कौन कहता है कि साथ नहीं है। इस देश के जो सबसे बहुसंख्यक लोग हैं, अगर उनकी जिन्दगी नहीं बने तो फिर कौन का साथ और कौन का साथ नहीं? असली देश वह है और वह तबाह है, बर्बाद है। सबसे ज्यादा आदिवासी इलाके में है। सबसे ज्यादा बर्बादी, लूट उस इलाके में है। कितने पूंजीपति वहां पहुंचे हैं? इस पर आपको बैठकर बात करनी चाहिए। एमओयू-एमओयू का बार-बार जिक्र किया जाता है, जैसे मनीआर्डर हो गया है, पूरे इलाके की 10-15 हजार हैक्टेअर जमीन जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां आन्दोलन करते हैं, उन्हें कुचला जाता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनको कुचला जाता है। आप शांतिपूर्ण और सिविल नाफरमानी से जो युद्ध हो रहा है, संग्राम हो रहा है, उसे रोकते हैं और फिर कहते हैं कि लोग हथियार उठा रहे हैं। वे हथियार इसलिए उठा रहे हैं कि आपने हिन्दुस्तान में जो सिविल नाफरमानी का महात्मा गांधी का रास्ता था कि जान जाये, लेकिन अन्याय के सामने झुकने का काम नहीं होगा, ऐसे लोगों का सम्मान करना बंद कर दिया है। आपने ऐसे लोगों को उसी तरह से उसी डंडे से मारा, उसी गोली से मारा, उसी हथियार से मारा जिस हथियार से आप नक्सलवादियों से लड़ते हो। जो हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की मर्यादा को लांघता है, उसे निश्चित रूप से कुचलो, लेकिन कुचलने से पहले सभी तरह के उपाय करो ताकि वह मुख्यधारा में आ जाये, भीतर के रास्ते में आ जाये। हिन्दुस्तान के इस कांटिनेंट में, नेपाल में ऐसा हुआ, नेपाल में लोगों ने हथियार लेकर सरकार बनायी और मैंने कई दिनों तक उसमें काम किया, लेकिन उन्हें कुचला गया, उन्हें धकियाया गया। निश्चित तौर पर होम मिनिस्टर का होम सैक्रेटरी किसी सरकार के बारे में बयान दे, मैं जानता हूं कि सरकारों की कोई गलती हो सकती है। यह साझा समस्या है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अकेले आपने इसे खड़ा किया है, यह साझा समस्या है, इसलिए इस साझा समस्या को साझा तरीके से सुलझाना होगा।

सभापति महोदय: शरद जी, आप बहुत भावुकता से बोल रहे हैं, लेकिन मैं समय से बंधा हुआ हूं।

श्री शरद यादव: मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासी इलाके धकियाये हैं, सबसे ज्यादा उनको उजाड़ा गया है, जबकि सबसे ज्यादा उन इलाकों में पूंजी और संपत्ति है। वहां इतनी दौलत है कि उसकी लूट के जो हाथ हैं, उन्हें रोके बगैर इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बयान नहीं, सच्चा कर्म करिये, देश ने जो फर्ज दिया है, उसको ठीक से निभाइए। एक तरफ से समस्या को मत देखिये। मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह का लेख मैंने पढ़ा। उसमें एक सीख है। उन्होंने कुछ बातें गलत कही होंगी। लेकिन एक बात की सीख है कि वहां की बाकी समस्याओं को निश्चित तौर पर वे उस इलाके में मुख्य मंत्री रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे सलाह-मशविरा करना चाहिए। भाई मुलायम सिंह ने कहा कि आप सबको बुलाकर बात करिये। सबके रास्ता निकालने का काम करिये और सबका इस्तेमाल करिये। जो लोग हमें जानते हैं, उनका इस्तेमाल करिये। अभी जो सभापति जी बैठे हैं, यह तो पूरे नक्सल वाले इलाके के हैं, हम कह सकते हैं कि ये तो बारूद के ढेर पर बैठे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक विधायक को मैंने कहा कि एम.पी. का चुनाव लड़ो तो उसने कहा कि उसकी जान नहीं बचेगी। तब ये लड़े थे। ऐसी हालत है। सबके सहयोग और जनता के सहयोग के बगैर आप इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। आप देश की जनता के खिलाफ फौज का इस्तेमाल नहीं करिये। यह अच्छा नहीं होगा, यह वियतनाम हो जाएगा। एक ही रास्ता है कि चारों तरफ से इस समस्या को घेरिये और इस इलाके में निश्चित तौर पर कोई ऐसा

रास्ता ढूंढिये कि उनकी जिन्दगी चल सके, कम से कम उनका पेट भर सके। वे ज्यादा चाहने वाले लोग नहीं है, वे संपत्ति को रखने वाले लोग नहीं हैं। वे नाचने और गाने वाले, खाने वाले लोग हैं। पेट को छोड़कर लंगोटी पर जिन्दगी जीते हैं। ऐसे लोगों को हमने हथियार पकड़ा दिये हैं, यह हमारी असफलता है, हमारी विफलता है। इस विफलता को हम दुरुस्त करें, यही मेरी विनती है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं दस और 76 के.रि.पु.ब. और अर्ध सैनिक बलों की दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज हमें इस सभा में बैठकर कभी संगत और कभी पूर्णतः असंगत बातें करने का अवसर देने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। मैं उड़ीसा के दो बहादुर के.रि.पु.ब. जवानों-मयूरभंज के जोगेश्वर नायक और जौजपुर के ऋषिकेश मलिक को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया।

अपराह्न 4.58 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन* हुए]

महोदय, जब आप पीठासीन हुए तो, माननीय गृह मंत्री ने बाहर जाने का निर्णय लिया है। लेकिन उनके चेहरे पर हताशा, अनिश्चितता और झिझक का भाव इतना स्पष्ट था जो दर्शाता है कि यह संयुक्त आंध्र अथवा तेलंगाना का प्रश्न नहीं है अथवा यह बौद्धिक दंभ का प्रश्न नहीं है; बल्कि यह एक विभाजित राजनैतिक संस्था का प्रश्न है, जिसे लोग संप्रग-2 कहना पसंद करते हैं जो आज इस देश के लिए मुख्य समस्या उत्पन्न कर रहा है।

निजी तौर पर मैं महसूस करता हूं कि चाहे यह कांग्रेस हो अथवा भाजपा वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों काफी लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में रहे हैं और उन दोनों ने ही निर्णय लिए हैं-निर्णय लिए थे, निर्णय ले रहे हैं और शायद वे भविष्य में भी निर्णय लेंगे जो इस देश का दुर्भाग्य होगा-यही इस देश का भाग्य है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसके साथ ही, मेरा यह भी कहना है कि हमें इस देश के बुद्धिजीवियों पर अत्यंत खेद व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने देश को मानसिकताओं में विभाजित करने का निर्णय लिया है, जो मुंबई आतंकी हमलों के बाद स्पष्ट हो गया। एक सीएसटी मानसिकता थी और दूसरी ताज ट्राइडेंट मानसिकता थी। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जब मरने वाला व्यक्ति गरीब परिवार से होता है, किसान का बेटा होता है, सैनिक का बेटा होता है, एक श्रमिक का बेटा होता है, तो हमारी चिन्ता नगण्य होती है। हम केवल उसके बारे में बात करते हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हम इस साधारण कटु सत्य पर नहीं आना चाहते कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए।

उड़ीसा में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल में लगभग सात जिले हैं, जिन्हें माओवाद-प्रभावित घोषित किया गया है। मैं इन दोनों शब्दों-नक्सलवादी और माओवादी में अंतर करना चाहता हूं। मैं समझता हूं, नक्सलवादियों का एक राजनैतिक लक्ष्य था। उनका एक आर्थिक एजेंडा था। वे गरीबों और दलितों का दुःख समझते थे और उनके शुरुआती स्थल नक्सलबाड़ी से उन्हें नक्सलवादी नाम मिला, लेकिन आज के माओवादी जो आवरण में हैं, मैं उन्हें मूर्ख कहूं। मैं उन्हें समाज विरोधी कह सकता हूं, जिन्होंने लुटेरों के समूह बनाने का निर्णय ले लिया है और उन्होंने ऐसी स्थिति ला दी है कि हम सब लोग उनसे डरने को मजबूर हैं।

हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी, जो पहले बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम उन क्षेत्रों से आते हैं जहां माओवादियों ने हमारे निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित किया है, हम वस्तुतः वहां ही रह रहे हैं और वस्तुतः दिन-प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों के अंग हैं। ये कोई पुरुष अथवा महिला बुद्धिजीवी नहीं हैं जो दिल्ली अथवा मुंबई में बैठे-बैठे कहते हैं कि दांतेवाड़ा लक्जमबर्ग और वियना की तरह है। ऐसा नहीं है। यह न तो लक्जमबर्ग है और न ही वियना। यह मौजूद है और यह हमारे दैनिक सांसों, दैनिक पानी और दैनिक भोजन का अंग है। हम बिलकुल वहीं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के लोगों ने अब भी इस दोहरी मानसिकता को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

महोदय, इस सरकार के लिए और कहें कि किसी भी सरकार के लिए, नागरिकों के जीवन की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। आज जब हम एक सैनिक को खो देते हैं या कहें कि एक भारतीय नागरिक खो देते हैं, तो यह हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसीलिए मेरा कहना है कि उड़ीसा सरकार मेरे दल बीजू जनता दल, हमारे नेता श्री नवीन पटनायक और आज हम सब जो उड़ीसा में रहते हैं, और राज्य तथा देश का कोई भी जागरुक नागरिक जो कुछ हो रहा है उसके प्रति चिंतित है। गृह मंत्री इतने क्यों फंसे हुए हैं, उस दल में क्या समस्या है, क्यों हम अलग-अलग होने की इतना बड़ा जन प्रदर्शन कर रहे हैं जो समाज-विरोधी तत्वों, नागरिक-समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध हमारी लड़ाई कमजोर कर रहा है। यह किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैंने अभी आरंभ किया है।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है लेकिन आप एक मिनट और बोल सकते हैं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मुझे खेद है। मैं एक मिनट में समाप्त नहीं कर सकता।

सभापति महोदय: कृपया सहयोग कीजिए। प्रत्येक पार्टी को समय आवंटित है। आप अपने पार्टी के लिए आवंटित समय के बारे में जानते हैं। मैंने कहा था कि आप एक मिनट में समाप्त कर सकते हैं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मुझे खेद है कि मैं एक मिनट में समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरा क्षेत्र एक प्रभावित क्षेत्र है। मैंने सत्ता पक्ष के लोगों को देर तक अपनी बात कहते हुए सुना है।

सभापति महोदय: श्री तथागत, कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप बोले। अभी 13 और वक्ता हैं और मंत्री महोदय को भी उत्तर देना है। कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, इस स्थिति को मैं महसूस करता हूं कि बातचित अभी भी एक विकल्प है जिसे हमें अवश्य ही जारी रखना चाहिए। हमें बातचित का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सरकार में, बागियों के साथ वार्ता, या सभ्य समाज के साथ वार्ता के लिए हमें सदैव ही तैयार रहना चाहिए। हमें उस दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए।

यदि कोई कहता है कि गरीबी या विकास का न होना माओवाद के विस्तार का कारण है और यदि वे माओवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं तो उन्हें असामाजिक तत्व के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि विद्यालयों, अस्पतालों, सड़कों, पेड़ों को गिराना विकास-प्रिय लोगों की दिमाग की सोच नहीं हो सकती। दूसरी ओर हम सभी जानते हैं कि हमारे सैन्य बलों के लोग न केवल प्रेरणारहित, अनुशासनहीन और कार्य के प्रति उदासीन हैं बल्कि वे इस प्रकार के उग्रवाद से निपटने के लिए अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हैं। इसलिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण की जरूरत है।

मुझे याद है कि 2006 में आंध्र प्रदेश में लगभग 37 शीर्ष माओवादी नेता एक प्रेडियम बैठक कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड ने उन्हें घेर रखा था और बड़ी आसानी से उन्हें खत्म कर सकते थे। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री बेचारे भद्र व्यक्ति को उनके पद से हटा दिया गया। क्योंकि मेरा अनुमान है कि वे गंदे वस्त्र पसंद नहीं करते थे इसलिए, वे कई बार अपने कपड़े बदलते थे। उन्होंने किसी के कहने पर ग्रे हाउंड को प्रीजिडिम पर हमला करने से रोका और वापस बुला लिया और आज हम उस कृत्य का अकर्मण्यता का फल भुगत रहे हैं।

मैं विशेषरूप से उस बिंदु पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा कि माओवादियों से लड़ना बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि वे अपने क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली हैं। वे प्रत्येक पेड़, प्रत्येक चट्टान, हर पत्थर से अच्छी तरह परिचित हैं। हमारे सामने यह प्रश्न है। क्या हमारे पास खुफिया जानकारी है, क्या हमारे पास हथियार है, क्या उनके नेताओं को पहचान पाने की क्षमता हममें हैं और क्या हम उनके नेताओं को पकड़ सकते हैं? यदि हम ऐसा कर सकते हैं तभी हम इस संट से निपटने में थोड़ी सफलता हासिल करने का दावा कर सकते हैं।

आज इस सभा के जिस तरह से कार्यवाही चल रही है, हमने से कुछ लोगों ने इस समस्या को बहुत हल्का और अत्यंत पक्षपात वाला तथा राजनीतिक बना दिया है। यह कोई पक्षपात का या राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमें इससे गंभीरता से निपटना होगा हमें भाजपा या कांग्रेय या किसी एक मुख्यमंत्री को या किसी एक पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। अपने वर्तमान व्यवहार से हम इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं।

मैंने महसूस किया है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कारण माओवादियों द्वारा न्याय करने का तरीका है। यदि आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएं, चाहे वह झारखंड हो, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश या दिल्ली हो पुलिस का वर्ताव और न्याय प्रणाली में देरी ने गरीबों और पिछड़े लोगों को अलग-थलग कर दिया है। माओवादी तत्काल न्याय करते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक ब्लॉक में, एक व्यक्ति रेल सुरक्षा बल में नौकरी के लिए परीक्षा में सम्मिलित हुआ और उसे नौकरी मिल भी गई और प्रशिक्षण के लिए मुगलसराय जाने से पहले उसकी शादी हो गई। वह लगभग 95 दिन के बाद जब गांव से गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसके बाद वह गया और आर.पी.एफ. में नौकरी शुरू कर दी और दो वर्षों तक गांव नहीं आया। दो वर्ष बाद जब उसने सुना कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, वह घर आया और चूंकि वह अपने परिवार में बड़ा पुत्र था, उसने भूमि बेचनी चाही। उस महिला ने माओवादियों से अपील की और माओवादी गांव में आए और गांव में एक पंचायत की और उन्होंने कहा कि, हम लोग इस आर.पी.एफ. जवान को कुछ नहीं करेंगे लेकिन जो भी कोई इस जमीन को खरीदेगा वह एकदिन भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए उस व्यक्ति को अपनी सारी जमीन, सम्पत्ति अपनी पत्नी के नाम

लिखनी पड़ी। उनका न्याय तत्काल होता है। जिसके कारण वे आम लोगों, गरीबों और दलितों में लोकप्रिय बन गए हैं।

यदि हम सोचते हैं कि बंदूक सभी समस्या का समाधान है, तो वस्तुतः कोई इसे 'बौद्धिक उदंडता' कहेगा, दूसरा कुछ और कहेगा और इससे पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथीः दूसरा मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूं वह है कि समाचार पत्रों में कहा गया कि इन 76 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों में से अधिकांश की अंग के भाग कट गए थे या बुरी तरह घायल थे तथा सात से आठ घंटे तक उन्हें मैदान में ही छोड़ दिया गया और खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई तथा एक भी हेलिकॉप्टर वहां नहीं जा सका। दुर्भाग्य से, सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति आदर के साथ, जब एक बी.आई.पी. का हेलिकॉप्टर गुम हो गया तो हम उसकी खोज में दो घंटे के अंदर आठ हेलिकॉप्टर भेज देते हैं, लेकिन जब हमारे सैनिक मैदान में मर रहे थे तो हम आठ घंटे में दो हेलिकॉप्टर भी नहीं भेज सके। हमें इस तुच्छ राजनीति से ऊपर उठना होगा और अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी।

महोदय, इराक में घोषित युद्ध अवधि के दौरान अमेरिका के 76 आदमी भी नहीं मारे गए जबकि हमने 76 और 10 लोग जिन्होंने उड़ीसा में कल अपनी जान गवां दी, कुल 86 आदमी 48 घंटे में खो दिए।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमें परेशान करता है वह यह बात है कि माननीय गृह मंत्री ने कहा कि यह युद्ध है और समाचार पत्रों ने इसे छापा।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैंने कभी भी 'युद्ध' शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने बार-बार कहा है कि भारत सरकार ने कभी भी 'युद्ध' शब्द का प्रयोग नहीं किया; भारत सरकार ने कभी भी 'शत्रु' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन लोगों ने ही अपने लेखों में 'युद्ध' और 'शत्रु' शब्दों का प्रयोग किया। मैंने कहा कि मैंने कभी भी 'युद्ध' शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने कभी भी 'शत्रु' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कृपया मुझे गलत ढंग से उद्धृत न किया जाए।

श्री तथागत सत्पथीः स्पष्टीकरण के लिए आपको धन्यवाद। मुझे खेद है।

सभापति महोदयः श्री तथागत कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। 13 और वक्ता हैं अतः कृपया सहयोग कीजिए।

श्री तथागत सत्पथीः आरंभ में लोगों ने सोचा कि यह लापरवाह मंत्री की टिप्पणियां हैं परंतु चूंकि मंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है तो मुझे प्रसन्नता है कि ये लापरवाह मंत्री के शब्द नहीं हैं बल्कि यह पूरी सरकार का मानना है कि हमें इस संकट से जूझना होगा। यहां मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

मेरा सुझाव है कि हमारे बलों के लिए रहन-सहन की बेहतर स्थिति बनाई जानी चाहिए। नेतृत्व हेतु स्थानीय पुलिस को शामिल करना अधिक महत्वपूर्ण है। हमले की कार्रवाई का नेतृत्व स्थानीय आईपीएस अधिकारियों को करना चाहिए। जहां कहीं भी आप माओवादियों के विरुद्ध लड़े वहां पर स्थानीय पुलिस अधिकारी विशेषकर आईपीएस अधिकारियों से नेतृत्व करवाना चाहिए।

स्थानीय लोग अलग-थलग महसूस कर रहे। महोदय, आपने चुनाव लड़े हैं; हम भी चुनाव लड़े हैं। आप जानते हैं कि जब गांव में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अधिकांश व्यक्ति आपका मतदान कर रहे हैं तो शेष व्यक्ति व्यक्ति भी शामिल हो आते हैं। इन क्षेत्रों में यह धारणा बनी है कि सरकार पीछे हट रही है; सरकार इन ताकतों, माओवादी ताकतों से लड़ने में सक्षम नहीं है। अतः स्थानीय लोगों का दिल किसी भी तरह जीतना अति आवश्यक है परंतु मुझे नहीं लगता इस स्थिति में बिजली, पानी अथवा सड़कों से वास्तव में स्थानीय लोगों का दिल जीता जा सकता है। सरकार को अन्य तरीकों, कार्यों, उपायों पर विचार करना होगा जिससे कि सरकार जनता के बीच खो चुके अपने विश्वास को पा सके।

एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्षेत्रों में सड़कों का अच्छा नेटवर्क नहीं है। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों एवं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी जहां माओवादी गतिविधियां चल रही हैं वहां पीएमजीएसवाई कार्य को ठेकेदारों के न होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। विदेश को को एक भाग में कहा गया है कि इसे प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः, सड़क संपर्क का निर्माण इस खतरे से लड़ने हेतु अति आवश्यक माध्यम है। एक उदाहरण, आपने ध्यान दिया होगा...

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथीः महोदय, यह मेरा अंतिम मिनट हो सकता है। मेरे जीवन का नहीं परंतु मेरे भाषण का।

एक उदाहरण आपने देखा होगा कि माओवादी हमेशा मोबाइल टावरों को विस्फोट से उड़ाते हैं और इसका प्रमुख कारण है कि वे किसी भी प्रकार के संपर्क के विरुद्ध हैं और उन्हें डर है कि यदि उनके कैडर मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं तो सरकारी एजेंसियों द्वारा उनके फोन टैप करके उनका पता लगाया जा सकता

है। अतः, मोबाइल कनेक्टिविटी ही है जिसे नष्ट करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। मेरे विचार से सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए जिससे इस क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार हो।

पुनः अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इन माओवादियों से लड़ने हेतु इस पहल में सरकार के साथ हैं। मुझे मालूम नहीं कि उनका दल क्या सोचता है अथवा उनके अन्य सहयोगी उनके बारे में क्या सोचते हैं परंतु हम यह आश्वासन दे सकते हैं कि उड़ीसा की ओर से बीजू जनता दल की ओर से हम पूरे मन से और पूरी तरह से उनका और उनके कार्यकलापों का समर्थन करते हैं। मुझे आशा है कि सर्वशक्तिमान उन्हें सच्चाई का साथ देने और इन अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध सरकार की जीत के लिए साहस दे।

सभापति महोदयः इससे पहले की मैं अगले वक्ता का नाम बोलूं मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे पांच मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करें। 13 अन्य सदस्यों को बोलना है। अगले वक्ता कीर्ति आजाद हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः महोदय, आप इतनी कड़ाई से कानून मत बनाइए। एक-एक घंटा लोग बोले हैं। जो दल छोटे-छोटे हैं, उनका नंबर आने वाला है और आप कह रहे हैं कि लोग पांच-पांच मिनट बोलेंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री लालू जी, सभी दल अपना समय ले चुके हैं और प्रत्येक दल का नियत समय है। हम उससे आगे नहीं जा सकते। मंत्री भी इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे। चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है तो हम सदस्यों से उनका अवसर नहीं छीनना चाहते हैं। परंतु अध्यक्षपीठ के साथ बहस मत कीजिए। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः आपकी चेतावनी से हम बैठने वाले नहीं हैं। आप डिबेट लंबी कराइए। सभी को बोलने का मौका दीजिए। लंबी डिबेट कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः प्रत्येक दल हेतु नियत समय है। कृपया इस बात को समझिए। लालू जी यह कोई तरीका नहीं है। वरिष्ठ सदस्यों को अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहिए। हमें यहां दिए गए नामों वाले सभी 13 सदस्यों को समय देना है। श्री आजाद, कृपया अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा)**:** सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त रहने का प्रयास करूंगा। मैं इसका भरसक प्रयास करूंगा। मेरे कई सुझाव हैं, मैं कई प्रश्न भी पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और एनडीए के घटक दलों की ओर से उन जांबाज सिपाहियों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश के लिए, देशवासियों के लिए और देश के संविधान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह एक ऐसी घटना है, जिसने हम सभी भारतीयों को शर्मसार किया है। 14 राज्यों के हमारे 76 नौजवान जवान थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा। कई ऐसी चीजें हमें डिबेट में देखने को मिली, जब कभी किसी एक राज्य से बोलने के लिए खड़े होते थे, तो उसी राज्य के दूसरे लोग आपस में लड़ते थे।

[अनुवाद]

मेरे विचार से, हमें काफी ऊपर उठना है और उन विषयों पर बोलना है जो देश की बेहतरी के लिए है। सर्वप्रथम ऐसी बहुत सी बातें कही गई है। माननीय सदस्य, श्री यशवंत सिन्हा इसके बारे में बोले हैं। खैर, मैं वह कहने की स्थिति में नहीं हूं। वह अति वरिष्ठ सदस्य हैं। परंतु मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इन बातों को सुनकर और जिस तरह से मूल्यों में वृद्धि हो रही है, पाकिस्तान के साथ समस्याएं, चीन के साथ सीमा संबंधी समस्याओं को देखकर यह प्रतीत होता है कि सरकार 'बनाम रिपब्लिक' दिखती है ...*(व्यंवधान)* 'बनाम रिपब्लिक' लैटिन अमरीकी देश में केला आय का मुख्य स्रोत है और हम ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां सिर्फ केले और सेब का निर्यात हमारी आय का मुख्य स्रोत होंगे। यह ऐसी स्थिति है जिसमें हम पहुंच रहे हैं। हमारे देश में दो राज्यों के सिवाय लगभग प्रत्येक राज्य नक्सलादियों और माओवाद की समस्या से पीड़ित हैं। लोग इस बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? मैं प्रधान मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं, उन्होंने मितव्ययिता अभियान चलाया-कि उन्हें मंत्रिमंडल बैठकों को आईपीएल गवर्निंगबॉडी में ले जाना चाहिए क्योंकि सभी मंत्री वहां हैं। कोई भी मूल्य वृद्धि और नक्सलवाद की समस्याओं की बात नहीं करता है जिनका हम सामना कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, हमारे गृहमंत्री रह चुके हैं। वह पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि नरेगा की समस्या हो रही है। क्या नरेगा केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा है? मेरे यहां नक्सल का उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन वहां भी नरेगा की समस्याएं हैं। नरेगा की समस्याएं हम समझते हैं कि सभी के डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी के संसदीय क्षेत्रों में होंगी। क्या इसका मतलब यह है कि लोग बंदूक उठा लें और मारना शुरू कर दें? जब हम गंभीरता से बात करते हैं, तो ऐसे मामलों पर ठीक से चर्चा करनी चाहिए। आप तुरंत बोलना शुरू हो गए। यह उचित नहीं है। अगर सामने वाले को नहीं बोलने देंगे, तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। मैं अपील करता था, तो पचास हजार लोगों के बीच में आवाज चुभती थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वह मुझे टोक रहे हैं। मेरा समय नष्ट हो जाएगा।

मैं आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

मैं उन बातों की ओर नहीं जाना चाहता जिन पर अब तक गंभीरता से विचार हुआ है, जिन पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे अवश्य दुख है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे 220 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें से 16 राज्य प्रभावित हैं। 83 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो सीधे तौर पर नक्सल के हाथों में हैं।

मैं उस बात पर पुन: आना चाहता हूं। आपने जल्दी कह दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अभी माननीय सुबोध कान्त सहाय जी ने कहा कि नरेगा की समस्या हो रही है। शायद उन्हें नरेगा की रिपोर्ट के बारे में मालूम नहीं है जो केबिनेट सैक्रेटरी और होम सैक्रेटरी ने राज्यों के लोगों के साथ 33 डिस्ट्रिक्ट्स में बैठकर बात की थी। शायद होम मिनिस्ट्री का ही प्रभाव आज तक उनके साथ है। अभी यशवंत जी ने मुझे एक किताब दी जो मिनिस्ट्र आफ होम अफेयर्स की 2008-09 और 2009-10 की एनुवल रिपोर्ट है। उसके पैरा 2.6.1 में नक्सल सिचुएशन के बारे में ओवरव्यू लिखा है।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

"नक्सलवादी उन क्षेत्रों में कार्रवाई करते हैं जहां सरकारी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, वे स्थानीय मांगों का समर्थन करते हैं और गरीब तथा दूरवर्ती लोगों के बीच मौजूदा असंतोष और अत्यधिक अपेक्षा तथा अन्याय की भावना का लाभ उठाते हैं।"

इसमें यही कहा गया है।

[हिन्दी]

किसी ने पढ़ने का प्रयास नहीं किया कि क्या उसके बाद हमने उसे ठीक करने का प्रयास किया। बिल्कुल वैसा ही है। उन्होंने फिर पैरा 2.7.1 में लैफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म ओवरव्यू के अंदर दिया यानी मुझे लगता है कि मंत्रालय में कोई इन विषयों को नहीं पढ़ता। यदि पढ़ा होता तो शायद अवश्य इसमें अगर कुछ बदलाव हुए हैं तो ये बातें हमारे आ सकती थीं। सुबोध जी माननीय मंत्री है, खुद गृह मंत्री रह हुए हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने जो कहा है मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

नरेगा के कारण समस्याएं इनती फैलती जा रही हैं।

[अनुवाद]

यह दिनांक 14 अप्रैल, 2010 के बुधवार का द *टाइम्स आफ इंडिया* का दिल्ली संस्करण है। इसमें कहा गया है:

"नक्सलवादी ग्रामीण रोजगार योजना का समर्थन कर रहे हैं। नरेगा का रेड जोन में बेहतर कार्यान्वयन हो रहा है, सरकार की रिपोर्ट भी यह कहती है।"

यह विश्व मोहन द्वारा दी गई रिपोर्ट है। इसके अनुसार:

"माओवादी अपने क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का विरोध करते होंगे परन्तु वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विरुद्ध नहीं हैं।"

इसका क्या अभिप्राय है? मैं यही जानना चाहता हूं:

"यह मंगलवार को प्रकाश में आया जब कैबिनेट सचिव के.एम. चन्द्रशेखर ने केन्द्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लई और अन्य मंत्रालयों के सचिवों वाले कार्यबल की 11वीं बैठक में राज्य के 33 सबसे अधिक नक्सल प्रभावी जिलों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की।"

तथागत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य के बारे में उल्लेख किया था। मैंने (व्यवधान)... के माननीय महासचिव को सुना था महोदय, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

सभापति महोदयः उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

श्री सुबोध कांत सहायः महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री कीर्ति आजादः महोदय, किस नियम के अंतर्गत?

सभापति महोदयः उनका औचित्य का प्रश्न हैं। यदि यह औचित्य का प्रश्न है, तो हमें उन्हें सुनना होगा।

श्री सुबोध कांत सहायः सभापति महोदय मैंने सिवान का दौरा किया था। जब मैं नरेगा का उल्लेख कर रहा था, नरेगा का लक्ष्य है कि वह समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचे।

[हिन्दी]

लेकिन दुर्भाग्यवश सीवान में डम्पर और डोजल लगाकर नरेगा की स्कीम, जिसका बिहार के मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया, उसे इम्प्लीमैंट नहीं किया जा रहा है। यह जन विरोधी कार्यवाही है, जो वहां चल रही है। हम किताब से पढ़कर नहीं बोलते, 35 साल के राजनीतिक जीवन में वाल राइटिंग करते-करते यहां पहुंचे हैं। हमारे और आप में यही फर्क है।

श्री कीर्ति आजादः मुझे बड़ा खेद है। अच्छे मंत्री हैं। किस रूल के अंदर यह प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

यह औचित्य का प्रश्न किस नियम के अंतर्गत उठाया जा रहा है? महोदय, आप जानते हैं कि जिस नियम के अंतर्गत औचित्य प्रश्न उठाया जाता है उसका उल्लेख करना होता है। परन्तु चूंकि अध्यक्षपीठ ने उसे अनुमति दी है। मैं अध्यक्षपीठ का सम्मान करूंगा।

सभापति महोदयः चूंकि आप उनका उद्धरण दे रहे थे वह अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कृपया जारी रहें।

श्री कीर्ति आजादः महोदय, यह ठीक है। मेरे पास केन्द्रीय सरकार के रिकॉर्ड है। मैं वही उद्धरण दे रहा हूं जो केन्द्रीय सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव के हैं। मैंने अपनी ओर से कभी कुछ कहने का प्रयास नहीं किया है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना—अभी तथागत जी और बाकी सदस्यों ने भी कहा। वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार भी सड़कें बनें। ट्रांसमिशन टावर्स की बात भी की गई। अगर सड़कें बनती हैं तो फोर्सेज आ सकती हैं, पुलिस जा सकती है, सरकार अपने कार्य को कर सकती है। शरद यादव जी ने भी यह बात कही थी कि दण्डकारण्य और दंतेवाड़ा में घुसना और चलना बहुत मुश्किल है, पैदल चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसका पूरा फायदा वे माओइस्ट्स उठाते हैं। यही कारण है कि वहां पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की योजनाएं नहीं चलती हैं। कल ही हमने कांग्रेस के जनरल सैक्रेट्री राहुल गांधी जी का भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि जो बुक है, जिन किताबों पर रजिस्टर होता है, वह प्रधानों के पास रहती है। आज कहा जा रहा है कि नरेगा सक्सेसफुल है क्योंकि माओइस्ट्स जो वहां बैठे हुए हैं, एरिया कमांडर्स के लिए पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया हैं, क्योंकि वे किताबें उनके पास पड़ी हुई हैं। उन किताबों के माध्यम से वह पैसा एकत्रित करते हैं और पैसा एकत्रित करके बढ़िया से बढ़िया आर्म्स और एमीनेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे हथियारों को लेकर आया जाता है जबकि हमारे जवान दूसरे विश्व युद्ध की बन्दूक 303 से वहां पर लड़ रहे हैं। अभी मेरी मांग का देहांत हुआ, तो मुझे अपने गांव गोड्डा, झारखंड जाने का अवसर मिला। मैं वहां पहुंचा तो पता लगा कि जैसे ही शाम होती है, सब पुलिस स्टेशन बंद हो जाते हैं। सब पुलिस कर्मी अपने घर चले जाते हैं। उनके हाथ में जो बन्दूकें 303 वर्ल्ड वार टू के समय से रखी हुई हैं, वह अपने घरों के अंदर सन्दूक में बंद करते हैं जैसे उसके पास कोई सोना-जेवरात हो। उसके पास और कोई हथियार है ही नहीं, तो वह क्या लड़ेगा? ए.के. 47, कैलाशनिको, राकेट लांचर्स, एक से एक बढ़िया डेटोनेटर्स, ये सभी माओवादियों के पास हैं। जब यह बात कह दी गयी और माओवादी इस बात को मानते हैं। जब माओवादी इस बात को मानते हैं,

[अनुवाद]

वे राज्य की अवधारणा में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए वे राज्य के दुश्मन हैं। अनुच्छेद 355 के अनुसार

[हिन्दी]

वह लोग जो देश के दुश्मन हैं, उनके ऊपर केन्द्र सरकार किसी प्रकार की भी कार्रवाई कर सकती है। हमारे पास उदाहरण के तौर पर जम्मू-कश्मीर में इंसर्जेंसी हो रही है। हमारे पास पंजाब में ये उदाहरण रहे हैं कि जब कभी भी आर्मी का उपयोग किया गया है, मैं यह नहीं कहता कि आप आर्मी का उपयोग कीजिए। अगर

आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज में इतनी ताकत है या हमारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, जिस प्रकार से माओवादी मिलिट्री ट्रेनिंग में इक्विप्ट हैं, हमारी तैयरी भी फौजी अवश्य होनी चाहिए।

[अनुवाद]

यदि हमारी तैयारी इस प्रकार की होगी तभी हम माओवादियों का सामना कर सकते हैं। वे हथियारों से सुसज्जित हैं

[हिन्दी]

अब माओवादियों को जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें यह आवश्यक है कि हमारी फौजी तैयारी हो। हमारे पास कई उदाहरण हैं।

[अनुवाद]

मैं इण्डियन एक्सप्रेस में शनिवार को शेखर गुप्ता द्वारा प्रकाशित एक लेख को उद्धत करना चाहूंगा

[हिन्दी]

'जिसमें मैंने पढ़ा। यह उस समय की बात है जब मेरा जन्म हुआ था और मैं एक-दो साल का था।'

[अनुवाद]

1960 में नेहरु ने कहा था कि ''न्यूनतम'' शक्ति का अर्थ नागाओं के विरुद्ध वायु सेना का उपयोग सम्मिलित है...'' सन् 1960 में नागा की सिचुशन चल रही थी तब उन्होंने किया था। ''श्रीमती गांधी अर्थात् स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने आइजोल में बमबारी के लिए वायुसेना भेजी थी जब मिजो विद्रोहियों ने अपने झण्डे फहराए थे और असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय जिसमें न केवल सैनिक बल्कि उनके परिवार भी थे को नष्ट करने वाले थे। यह हमारे पास रहे। 1947 में जब हैदराबाद के निजाम ने कड़ा रुख अपनाया था और

[हिन्दी]

कह रहे थे कि वह पाकिस्तान जाना चाहते हैं। मैं सरदार पटेल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वहां मिलिट्री एक्शन किया था, जिसे पुलिस एक्शन के रूप में कहा गया था। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं जहां पर देश के जो दुश्मन हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया है। गोवा को लिब्रेट करने के लिए तीनों फोर्सेज चली गयी थीं। हमारे देश के जो माओइस्ट या दुश्मन हैं, उनके खिलाफ क्या हम इन आर्म्ड फोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? यदि हो सकता है, तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह देश की अस्मिता, आन, बान, मान, शान और मर्यादा की बात है।

[अनुवाद]

मेरे पास कुछ सुझाव हैं। सुझावों से पूर्व मैं सुरक्षा बलों की दयनीय स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं इस स्थिति के बारे में बोलने वाला हूं।

सभापति महोदय: आपने 12 मिनट लिए हैं।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद: मैं किसी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब चार मिनट तो बात में ही निकल गये हैं। अब आधा हो गया है। अमानवीय स्थितियां, जो इस समय है, जो हमने इन चिंतलनार के कैम्प में देखा, यह हमें एक टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला। हालांकि किसी सिपाही का चेहरा नहीं दिखाया गया। यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि वे किस प्रकार अपने कैम्प से एक किलोमीटर चलकर खुले में मलत्याग करते हैं। वे अपनी सामान्य क्रिया के लिए अपने जंगलों में जाते हैं। उनके पास पानी नहीं है। पानी के लिए लोगों को ढाई किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ता है। वे लोग वहां से पानी लेकर आते हैं। दोनों तरफ घने जंगल हैं। एक बार उन्होंने यहां तक बताया कि जो हैंडपम्प बनाया गया था, उसके ऊपर आईडी वायरिंग कर दी गयी थी।

लेकिन वे बच गए क्योंकि एक गऊ माता वहां आकर उससे टकराई, वहां ब्लास्ट हो गया जिससे वे लोग तो बच गए लेकिन गाय उनके सामने समाप्त हो गयी। इस प्रकार की समस्याओं से वे लोग गुजरते हैं। रात को मलेरिया का डर, हैजा फैल सकता है, सुबह से शाम से जंगलों में घूमते हैं, गर्मी में घूमते हैं लेकिन पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। कई बार रातों को भूखे सोते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।

[अनुवाद]

सबसे पहले, मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या हमारे यहां ऑपरेशन ग्रीन हंट है, क्योंकि मैंने उनके उद्धरण पढ़े हैं, जो 21 नवम्बर, 2009 के तहलका में साक्षात्कार के हैं और उन्होंने कहा:

> ''ऑपरेशन ग्रीन हंट मीडिया की उपज है। आने वाले महीनों में हम राज्य पुलिस द्वारा समन्वित प्रयास के माध्यम से उन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे जहां दुर्भाग्यवश सिविल प्रसाशन का नियंत्रण समाप्त हो चुका है। यदि आवश्यक हो,

तो विशेष बल और सेना-मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि-कमांडो यूनिट को विशेष स्थिति में बुलाना पड़ सकता है।''

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय गृह मंत्री ने इसे काफी गंभीरता से लिया है इसलिए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारे यहां ऑपरेशन ग्रीन हंट है या यह केवल मीडिया की उपज है। अनेक लोगों ने ऑपरेशन ग्रीन हंट का उल्लेख किया परंतु क्या यह अस्तित्व में है और यदि यह है तो यह क्या है। निःसंदेह हम इसके बारे में जानना चाहेंगे।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): क्या आप एक मिनट के लिए सुनेंगे?

मैं छत्तीसगढ़ के डीजीपी के साक्षात्कार का उद्धरण करना चाहूंगा जो 11 अप्रैल, 2010 को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम बार-बार ऑपरेशन ग्रीन हंट को अस्वीकार करते हैं। क्यों?

उत्तर: ऑपरेशन ग्रीन हंट केन्द्रीय सरकार की सोच नहीं है। यह योजना मैंने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की थी। हमने इसके साथ अबुजमद (जिसे माओवादियों के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है) में एक अन्य ऑपरेशन प्रारंभ किया था और इसे 'ऑपरेशन त्रिशूल' का नाम दिया है। यह लोगों के ध्यान में नहीं रहा। ग्रीन हंट माओवादियों के कैम्पों को नष्ट करने, क्षेत्र-प्रभुत्व मार्च और जन जागरण कार्यक्रमों के लिए था।''

छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने यह कहा था। हमने ऑपरेशन ग्रीन हंट शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। ऑपरेशन ग्रीन हंट नहीं है। जब मैं उत्तर दूंगा तो मैं बताऊंगा कि हमारा अधिदेश क्या है। ऑपरेशन ग्रीन हंट छत्तीसगढ़ के किसी अधिकारी द्वारा कुछ समय पूर्व किए गए ऑपरेशन को दिया गया एक नाम था।

मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि मीडिया बार-बार इस मिथक को क्यों उठा रहा है और झूठ बता रहा है कि ऑपरेशन ग्रन हंट है?

श्री कीर्ति आजाद: मैं माननीय गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने हमें ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में बताया। जहां तक मैं जानता हूं कि पहली बार है कि हमें गृह मंत्री से इस बारे में जानने को मिला है।

यह समस्या पुरानी है और इस पर चर्चा नवम्बर में होनी थी, परन्तु यह पांच माह बाद हुई है। मुझे आशा है कि सभी लोग जान सकेंगे।

[हिन्दी]

ग्रीन हंट का मतलब यह था कि उससे हम माओइस्ट कैंप्स को देखेंगे। हमारी इंटेलिजेंस यह आइडेण्टीफाई कर लेती है कि पाकिस्तान के अंदर कहां-कहां टेररिस्ट कैंप्स चल रहे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में कहां ऐसे कैंप्स हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। यह कैसे संभव है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री कीर्ति आजाद: क्या मैं कम से कम सुझाव दे सकता हूं।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो चुका है। आपने पहले ही अपना सुझाव दे दिया है। अब मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता; आपने 16 मिनट का समय ले लिया है। हमें अन्य माननीय सदस्यों के साथ भी न्याय करना है। कृपया बैठ जाइए।

डॉ. तम्बिदुरई अपना भाषण शुरू करें।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): सभापति महोदय, इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे सीमित समय में जो अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप पहले ही कह चुके हैं कि समय सीमित है लेकिन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें अधिक समय की जरूरत है। फिर भी, मैं अपने विचारों को बहुत ही संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा।

मुझे यह जानकर दुःख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लगभग 76 जवान मारे गए। देश में नक्सलवाद से निपटने में सरकार के प्रयास में हम पूरी तरह उसके साथ हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि वहां पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात रहेगा और वह राज्य पुलिस के निर्देशों में काम करेगा क्योंकि यह राज्य का विषय है।

इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित अधिकांश पुलिस बलों को आधुनिक बनाने की जरूरत है। हमारे गृह मंत्री ने एक बार इसी सभा में कहा था कि उन्हें आधुनिकीकरण के लिए मात्र 250 करोड़ रुपये मिले हैं। इस छोटी सी राशि से वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए ज्यादा धन आवंटित करे और मंत्री महोदय को कुछ और कदम उठाने होंगे। जिससे पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा सके। धन की कमी और पुलिस बल के आधुनिकीकरण की विफलता के कारण ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

बल के ये 76 जवान मारे गए हैं और उसमें 3 व्यक्ति तमिलनाडु के थे। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूं।

जहां तक नक्सलवाद का संबंध है आप अच्छी तरह जानते हैं कि नक्सलवादियों को हमारे संविधान में तथा हमारी प्रणाली में कोई विश्वास नहीं है। वे महसूस करते हैं कि हम आम आदमी का भला नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि वे यह बर्बर कदम उठाते हैं। इस देश में नक्सलवादी और माओवादी जो कुछ कर रहे हैं, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना है कि आम आदमी की समस्याएं कैसे दूर की जाएं।

सत्तर के दशक के अंत में तथा अस्सी के दशक के शुरुआत में हमारे स्वर्गीय नेता पुरात्ची थलाईवर, डा. एम.जी. रामचन्द्रन को तमिलनाडु में भी नक्सल समस्या का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई और दक्षता से इसका सामना किया था तथा विद्यालय जाने वाले बच्चों को भोजन तथा समेकित पेयजल योजना जैसे आम आदमियों के लिये बहुत से कल्याणकारी कार्यक्रम उपलब्ध कराई थी तथा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी सड़कें बनवाई थी। उन्होंने उस समय ऐसे बहुत से काम किये थे। इसी प्रकार मेरी वर्तमान नेता अम्मा जे. जयललिता ने भी ग्रामीण तमिलनाडु के गरीबों के लिए अनेक कार्य किये थे और बहुत से कल्याणकारी कार्य शुरू किए थे। बेरोजगार युवाओं को ऋण देकर पूर्व मुख्यमंत्री ने उन दिनों एक पुनर्वास कार्यक्रम चलाया था। जो लोग नक्सल गतिविधियों में संलिप्त थे उन्हें बुलाकर उनको अच्छी तरह समझाया बुझाया गया। उन्हें ऋण दिया गया और उन्हें बहुत से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार उन्होंने तमिलनाडु में इस समस्या को हल किया।

यद्यपि आप कह सकते हैं कि आप इतने सारे कल्याणकारी कार्यक्रम दे रहे हैं लेकिन नक्सलवादियों और माओवादियों को हमारे लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई विश्वास नहीं है। आज देश में क्या हो रहा है? कई राज्यों में बहुत सी लोकतांत्रिक सरकारें आम आदमी की उम्मीदों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं। तमिलनाडु में भी पिछले चार वर्षों में आपने देखा होगा कि हमारे यहां विधान सभा के लिए 1234-चुनाव अथवा एक लोक सभा के लिये आम चुनाव हुए हैं। चुनावों में क्या हो रहा है? लोगों ने अपने अनुभूत तथ्यों के अनुसार वोट करना चाहा। लेकिन वहां सत्ताधारी दल अपने सत्ता का गलत उपयोग कर रहे हैं और उन्होंने मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश की। वे हर मतदाता को हजारों रुपये दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, वह जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें बोलने दीजिए। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): कई भी इससे इंकार नहीं कर सकता है *...(व्यवधान)* महोदय, मैं केवल तथ्यों के बारे में बता रहा हूं।

सभापति महोदय: जब आपकी बारी आएगी, आप जवाब दे सकते हैं। अपना स्थान ग्रहण करें।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: युवा इस चुनाव और चुनाव प्रणाली में विश्वास नहीं करेंगे। हमारे अधिकांश सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किए हैं। बहुत से राज्यों में यही हो रहा है। तमिलनाडु में भी यही बात हो रही है। सरकार पूरी जानकारी एकत्र करे और देखे कि क्या हो रहा है। हाल के पेन्नागरम विधान सभा उप-चुनाव में क्या हुआ... क्या यह*...(व्यवधान)*। बहुत से लोगों को धन प्राप्त हुआ। यदि लोगों को ऐसी प्रणाली की आदत बन जाती है तो इस देश में लोकतंत्र को कोई नहीं बचा सकता। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बालू जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: चुनाव आयोग ने भी यही बात कही थी। आयोग जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने में सफल रहा लेकिन वह तमिलनाडु में ऐसा नहीं कर सका।

महोदय, जैसा कि कई अन्य सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है मैं भी यह कहना चाहूंगा कि हमें अपने देश में लोकतंत्र को बचाना है और आम आदमी के लिये बनाई गई कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश करनी है तथा इन्हीं उपायों से हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। हमें माओवादियों से वार्ता करनी होगी और इस समस्या के समाधान खोजने का प्रयास करना होगा। सरकार के लिए यह उपयुक्त समय है कि वह नक्सल समस्या के समाधान के लिए प्रयास करें और इस मामले में सरकार के प्रयासों को हमारा दल समर्थन देगा।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, जो दंतेवाड़ा में कांड हुआ है यह भारतवर्ष में पहली बार इतना बड़ा कांड हुआ है। इसके लिए सरकार को काफी गंभीरता से सोचना चाहिए। वर्ष 2004 में, आंध्र प्रदेश में, इलेक्शन के बाद, इस विषय पर डिस्कशन हुआ था। आज सवेरे माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही थी, वह बात सच थी। इलेक्शन के समय *...(व्यवधान)* सभापति जी, जो माननीय प्राइम-मिनिस्टर साहब का लैटर है, उसे हमें पढ़ने का मौका दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं इसकी जांच करूंगा। आप अपनी सीट पर बैठिए। जो कुछ कहा जा रहा है अध्यक्षपीठ सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): सभापति जी, अभी तो ये कुछ बोले भी नहीं है, केवल माननीय यशवंत सिन्हा जी के नाम पर ही ये लोग भड़क रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव: हम प्राइम-मिनिस्टर साहब के लैटर को पढ़ाकर दिखा देंगे। ...*(व्यवधान)* प्राइम-मिनिस्टर साहब ने एक लैटर उस समय जो लिखा था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए। अध्यक्षपीठ प्रत्येक सदस्य की बात सुन रहे हैं और यदि कुछ अनुचित और असंसदीय है तो उसे हटा दिया जाएगा परंतु तब तक कृपया व्यवधान मत डालिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव: सभापति महोदय, 10 दिसम्बर 2004 का माननीय प्राइम-मिनिस्टर साहब का एक लैटर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपका समय सीमित है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव: सभापति महोदय, उस लैटर में यह है कि:

[अनुवाद]

> "एक दूसरे पर हमला न करने संबंधी आपसी समझ को तोड़ने की राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है।"

[हिन्दी]

हम बोलना चाहते हैं कि यह बात सच है और अभी के समय में माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि

[अनुवाद]

देश में नक्सलवाद आतंकवाद की अपेक्षा सबसे बड़ा खतरा है।"

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया इस तरह मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव: सभापति महोदय, हम फिगर्स देकर बताना चाहते हैं कि ...*(व्यवधान)* आप लोग मुझे अलाउ कीजिए, आप लोगों ने वहां आने के बाद क्या किया, यह सब हम फिगर्स के साथ बताना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* इनकी गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ, हम फिगर्स देकर बता देंगे कि ये लोग इस विषय पर कैसे फेल हो गये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठेंगे? आप अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुके हैं और अब आप अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठते?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री नागेश्वर राव, कृपया एक मिनट में समाप्त कीजिए। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं परंतु आपको एक मिनट में समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव: सभापति महोदय, वर्ष 2004 से पहले तक पूरे देश में नक्सलवाद से संबंधित जितनी घटनाएं हुई थीं, उनके तहत जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उनकी संख्या 1104 थी। वर्ष 2004 से जब से यह सरकार सत्ता में आई है, तब से 4928 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये हत्याएं चार गुना बढ़ गई है। यह सरकार नक्सलवाद का सोल्यूशन नहीं निकाल पाई है। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, चार गुना हत्याएं बढ़ने का और इतना ज्यादा वायलेंस बढ़ने की जिम्मेदार यह सरकार ही है। सरकार को सोचना चाहिए कि वे कहां गलत हैं? इस समस्या से निपटना सरकार की जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)* मैं फिगर्स के साथ यह बात कह रहा हूं। समाज में असमानता के कारण ही ये सभी मुश्किलें सामने आ रही हैं। बैकवर्ड लोगों को डवलप करने के लिए सरकार कोशिश नहीं कर

रही है। ट्राइबल इलाकों में योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, यह भी इस समस्या का एक सबसे बड़ा कारण है। उनके लिए शिक्षा नहीं है। ...*(व्यवधान)* हमारा एरिया भी नक्सल प्रभावी एरिया है। हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट का विकास चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप इस तरह नहीं कर सकते है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। हमारे पास बहुत सीमित समय है। किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी को अध्यक्षपीठ के अदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। कृपया इस प्रकार व्यवधान मत डालिए। आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। श्री राव कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर रावः सभापति महोदय, अखबार में लिखा है कि "यह युद्ध है।" किसके ऊपर लड़ाई हो रही है? भारतीयों का भारतीयों पर ही वार हो रहा है। यह स्थिति पिछले पांच-छह साल में पैदा हुई है। सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपको नियत समय से अधिक समय दिया गया है। परंतु प्रसंग से हटकर बोल रहे हैं। अतः, कृपया एक वाक्य में बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हाः महोदय, उन्हें समाप्त करने का निदेश दिया जाए और यह बिल्कुल सही है। परंतु मेरे विचार से हम इस सभा के विषयों को पुनः लिख रहे हैं जिसके तहत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सरकार के खिलाफ यहां कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह नया नियम है। यहां से कोई भी बोलेगा, तो वहां से हमेशा हल्ला-हल्ला होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैंने उन्हें कड़ी चेतावनी दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामीः माननीय सदस्य दंतेवाड़ा की घटना का संदर्भ दिए बिना अप्रासंगिक बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री सिन्हा, कृपया एक बात समझ लीजिए। मैंने अध्यक्ष के आसन पर बैठे हुए संभवतः कड़ी से कड़ी भाषा में बोला है। मैंने उन्हें चेतावनी भी दी है। मैंने बेरोक-टोक चर्चा की अनुमति दी है। कृपया इस बात को समझिए।

मैं बोलने के लिए अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार रहा हूं। अब श्री संजय सिंह चौहान बोलेंगे। श्री चौहान आपके पास केवल दो मिनट का समय है। कृपया दो मिनटों में समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में बात कैसे समाप्त कर सकता हूं।

सभापति महोदयः समय पहले ही नियत किया जा चुका है। आप इस पर प्रश्नचिन्ह कैसे लगा सकते हैं? यह अध्यक्षपीठ का निर्णय है।

श्री संजय सिंह चौहानः कृपया कम से कम पांच मिनट दीजिए।

[हिन्दी]

किसी और की गलती की सजा उन्हें क्यों दे रहे हैं, जो कभी कुछ नहीं कहते।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः इस चर्चा के लिए नियत समय दो घंटे का है। हमें चार घंटे से अधिक हो चुके हैं। कृपया इसे समझिए।

कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए। अन्यथा, मैं अगले सदस्य को बुलाऊंगा।

श्री संजय सिंह चौहान: मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं। हमारे दल को कुछ समय नियत किया गया है।

[हिन्दी]

कि हम हर सब्जेक्ट पर बोलते हैं। हम तो सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। हमारा समय अलाटिड है, ऐसी बात नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रत्येक दल का समय नियत किया गया है। आपके दल के लिए मात्र दो मिनट का समय नियत किया गया है। यदि आप दो मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा, मैं अगले सदस्य को बोलने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री संजय सिंह चौहान: महोदय, हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां 26 लोग शहीद हुए हैं। मुझे इस बात का दुख है कि अगर सदन में हुई चर्चा का प्रपोशन निकाला जाए तो सबसे कम बात शहीदों के बारे में हुई है। मेरे सुझाव भी उन्हीं के बारे में हैं। हम यहां माओवादियों की समस्या के समाधान पर विचार कर रहे हैं, कि उनकी समस्या कैसे दूर हो। मैं समझता हूं कि यह बता देना कि हम उनके लिए सब कुछ ठीक कर देंगे तो वे हथियार रख देंगे, ये उनको बढ़ावा देना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बराबर के देशों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वे किस तरह से अपने देश को बचाते हैं। हमारे खिलाफ चारों तरफ से षड्यंत्र हो रहे हैं। क्या माओवाद की समस्या सिर्फ हिन्दुस्तान की समस्या है? उनके पास क्या इतने साफिस्टिकेटिड वेपन कहां से आए? माननीय गृह मंत्री जी जांच करवाएंगे। 3000 रुपया प्रति व्यक्ति को देने के लिए तैयार हैं, उनके पास कहां से जा रहा है? उनके पीछे कौन सा देश है? हम लगातार अपनी गलतियां निकाल रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से माओवाद पनप रहा है और जो 76 लोग मारे गए, उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हैं। मैं चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी और भाजपा के राजेन्द्र अग्रवाल अलग क्षेत्रों में गए, 18 परिवारों में गए। हम उनके बारे में बताना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों को मनोबल कैसे गिरता है। बरलाआठ गांव, जिला मेरठ, शहीद का नाम उदयवीर है। यह एक महीना पहले अपने घर आया था, वहां उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, 280 हो गया ब्लीडिंग हो गई। उसके अफसरों को सूचना फैक्स की गई कि यह बीमार है, लेकिन इसके बावजूद छुट्टी मंजूर नहीं हुई। उसे जबरदस्ती बुलाया गया और उसी हालत में वहां वह शहीद हो गया। सबसे दुखद स्थिति यह है कि उसकी आधी तनख्वाह काटी गई। हमें इससे पता चलता है कि हमारी फोर्सिस का मनोबल कितना गिरा हुआ है। हम सलामी देने के लिए एक गांव में गए, वहां फ्यूनरल के समय सलामी दी गई तो सिपाहियों की बंदूकें मिस कर गई। हमारी फोर्सिस की यह स्थिति है, मेरा कहना है कि हम उनके बारे में बात करें। मुआवजा दिया जाता है लेकिन पहले पारिवारिक स्थिति पता लगा लें। इंटेलीजेंस सोर्सिस यह पता नहीं लगा पाती कि कैम्प्स कहां चल रहे हैं लेकिन यह तो पता लगा सकती है कि उस घर में पत्नी भी है और बाप भी है, उनको डिवीजन में कितनी दिक्कत आती है। आजादी के बाद इस देश में तीन मामले हो चुके हैं, पहला हमला संसद में हुआ, मुंबई में हमला हुआ। हम 17-18 जगह गए और लोगों को उम्मीद है कि इन हमलों के बाद हमारी संसद इकट्ठे बैठकर एक ऐसा निर्णय लेगी जिससे रोज की आफत से देश को बचा सकेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर हम दलगत भावना से अलग हटकर, हम लोक सभा के सदस्य हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि टी.वी. ट्रांसमीशन तीन दिन के लिये बंद करा दिया जाये और यहां बैठकर सब बतायें कि कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है? विभागों में 90 परसेंट कमीशन खाये जा रहे हैं, देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। जहां विकास के लिये पैसा जाना चाहिये, वहां नहीं लग रहा है। हम लोग यहां बैठकर आरोप लगाने के अलावा कोई प्राब्लम साल्व करना चाहते हैं, तो फिर उस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री लालू प्रसाद हैं। आपका नियत समय दो मिनट है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: तब आप ही बोल लीजिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आप बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: नहीं, तब आप ही दो मिनट बोल लीजिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं अगले वक्ता को बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: तब आप ही बोल लीजिये और करिये समाधान। हम देख लेते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा की कार्यवाही नियमों से चलती है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: हम को सब मालूम है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नियत समय दो घंटे का है। हम चार घंटे ले चुके हैं। वरिष्ठ नेता होने के नाते आप अपने लिए नियत समय से दोगुना समय ले सकते हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आप भुलवाइये मत। आप छोड़िये हम लोगों की बात को। यह तरीका नहीं कि दो मिनट के लिये कहते हैं. आप यह समझते हैं कि आप हमें नहीं बोलने देने के लिये बैठे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, ऐसा नहीं है। छह दलों को छह मिनट का समय दिया गया है। वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, आप अपने लिए नियत समय से दोगुना समय ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: मैं "कनिष्ठ" सदस्य हूं। मुझे कम से कम दस मिनट चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ठीक है तो सुनिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बहस के समय बर्बाद मत कीजिए। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: सभापति महोदय, मैं अपने आपको दांतेवाड़ा की घटना से कनफाईन करूंगा जहां हमारे 76 पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान मारे गये, बाकी बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हम कोई निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। नक्सलवाद का उद्गम स्थान पश्चिम बंगाल है। जब हम बच्चे थे तो कानू सान्याल और चारू मजूमदार के नाम सुने थे। आज चारों तरफ के स्टेट्स में भयावह स्थिति हो गई है। यह कोई कानूनी बात नहीं है। देश असाधारण स्थिति से गुजर रहा है। किसी पार्टी पर इसका दोषारोपण है, यह बात भी नहीं है। पूरे आंध्र प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और नेपाल पूरे का पूरा एक्ट्रमिज्म का कारिडोर बन गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पार्ट भी कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता है कि हम सब लोग इसकी चपेट में हैं। तो हम सब नक्सलवाद की चपेट में हैं। इसलिये आज सदन में यह चर्चा हो रही है। मैं होम मिनिस्टर से आग्रह करूंगा कि सभी पार्टियों के लीडर्स को बुलाकर मीटिंग करें कि उनकी क्या मंशा है? इस से हम लोग कैसे निजात पा सकते है? हमारी सीक्रेसी नहीं कंडेम करते हैं। मेरी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैं बड़े पीसफुल माईंड से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि यह कोई मामूली सवाल नहीं है कि आप लोग गये और किसी को मार दिया, क्या जंगलों में समस्या का समाधान हो रहा है। हिंसा का हिंसा से जवाब नहीं दिया जा सकता है। अभी वायुसेना के प्रमुख का बयान आया। उन्होंने कहा कि नक्सली भारत के नागरिक हैं, वायुसेना या सेना का इस्तेमाल नक्सलियों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। गरीबी, गुरबत, लाचारी, बेबसी और भूख अपनी जगह पर हैं। जो प्रयास एन.डी.ए. सरकार ने किया, वर्तमान सरकार ने किया, वह ठीक है, बहुत सरकारें आयी, बहुत सरकारें गईं लेकिन जब गरीब की बात करते हैं तो वे दोषी नहीं हैं। जिन जंगलों में आदिवासी या गरीब लोग हैं, वे कैरियर का काम करते हैं, सामान ढोने का काम करते हैं। ब्रेनर कोई दूसरा है, प्लानर कोई दूसरा है। एक-एक टेलेंट लोग निकलकर इन गरीबों से हथियार ढुलाते हैं।

सायं 6.00 बजे

इन चीजों को बड़े पीसफुल और कूल दिमाग से डील करना पड़ेगा। भारत-पाकिस्तान के बारे में सब बोलते हैं कि बात करो, बात करो। गृह मंत्री जी आप पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में गये थे। क्या यह बयान असत्य है, आपके मुंह से यह बयान छपा कि जंगल में कायर लोग छिपे हुए हैं। यह टीच करता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह आप जानिये, केवल जीभ बुलवा देती है। जब डंडा पीठ पर पड़ता है तो जीभ सटक जाती

है, यह सबके लिए और आदमी को इन चीजों को देखना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सायं के 6.00 बजे हैं। अभी सात वक्ता और हैं और उसके बाद मंत्री जी को उत्तर देना है। मेरा मानना है कि सभा की राय यही है हम चर्चा समाप्त होने तक कार्यवाही जारी रखें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदय: तो समय बढ़ाया जाता है, लालू जी, कृपया भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: इसलिए बातचीत का सिलसिला नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। देश आपको इजाजत नहीं देता है और न ही हम लोग आपको इजाजत देंगे, देश का कानून किसी को भी इजाजत नहीं देता है कि आप हथियार निकालिए और किसी को भी जाकर बूचड़ कर दीजिए। आप गिरफ्तार कीजिए, चाहे 10 दिन लगें या 15 दिन लगें, सरेंड कराइये। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं हैं, डा. लोहिया जी नहीं हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरु जी नहीं हैं, इंदिरा गांधी जी नहीं हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी नहीं हैं। आप बताइए कि कोई किससे बात करेगा, आपसे बात करेगा, किससे बात करेगा, उनके बीच जाकर कौन बात करेगा? बात करो-बात करो, ये टेलीफोन, वो टेलीफोन, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप आदमी को समाप्त नहीं कर सकते हैं, आप दस आदमियों को मारियेगा, हजारों-हजार नये आ जाएंगे। यह एक विचारधारा है, वे हमारे सिस्टम को नहीं मानते हैं, वे गांधी फिलास्फी को नहीं मानते हैं। यह बिल्कुल साफ बात है और हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हथियार के बल पर सत्ता हथियाना उनका मोटो है। आप चाहे बात करिये, मारिये, पीटिये, आप जो करते हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है। हम लोग इसकी कभी भी इजाजत नहीं देंगे। हमारे जवान मारे गये हैं। बिहार के कोइबर से उन जवानों को कौन आदमी उठाकर लाया, कारगिल में युद्ध हुआ, बिहार रेजीमेंट के आधे-अधूरे ट्रेनिंग से निकले हुए लड़कों को लाकर खड़ा किया गया, हम लोग उनकी शहादत को सैल्यूट करते हैं। बिना सोचे-समझे कई तरह की बातें आ रही हैं। आज आप डिनाई कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। कोई घोषित वार बोल देता है, यह बात हो गयी है। इसीलिए सभी लोगों से बातचीत की जानी चाहिए। हम हिंसा की इजाजत नहीं देते हैं। गांधी बाबा का अहिंसा का रास्ता ही सफल है और इसी को दुनिया को मानना पड़ेगा, सारी दुनिया के लोगों ने इसे मानना शुरू कर दिया है। हथियार और अहिंसा कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकती है। हमारे जवान जो मारे गये हैं, मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा है कि उसमें बुक्कन यादव मारा गया है, उसकी माता ने दूध बेचकर उस बच्चे को किसी तरह से सीआरपीएफ में भर्ती करवाया था। वह बिहार का रहने वाला था। इसी तरह से देश भर के बहुत से लोग इसमें लड़कर मारे गये हैं। लोग बिलख रहे हैं, गरीब आदमी को लाकर उसमें झोंका गया है। यह हमें नहीं मालूम है, यह हमें बताना चाहिए था। सर्च करने के बाद जवानों को फ्लाईंग कराया गया, एक जगह एसेम्बुल कराकर, कोई रणनीति नहीं, कोई समझ नहीं, आप आईबी की बात करते हैं, आईबी अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, खतरा हो या नहीं हो, लेकिन लिख देती है कि खतरा हो सकता है। इस इलाके में छिपा हुआ है। उस इलाके में छिपा हुआ है, इसलिए इस पर आप एक दिन, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा चर्चा कीजिए।

मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू में ही आपको कहा कि इस पर बहस और चर्चा करा लीजिए। आप कहें कि यह दोषी है, वह दोषी है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। नक्सलपंथ का केंद्र शुरू से ही और अगर उसकी यूनिवर्सिटी कहा जाए तो पश्चिम बंगाल रहा है। पश्चिम बंगाल से निकलकर फैलकर सारे देश में यह पहुंच गया और इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज सीमों पर सरहदों पर लड़ रही हैं और फिर अंदर लाकर उसको प्रयोग कर रहे हैं। आप राज्य सरकारों पर यह बात फेंकना चाहते हैं। आप सारे चीफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि लॉ एंड आर्डर प्राबलम स्टेट की प्राबलम है। हां है। आप फोर्स चाहते हैं। झारखंड का चुनाव हुआ तो सारी पैरा मिलिट्री फर्स आपने वहीं पर छोड़ दी जंगलों में जाने के लिए। रॉक के नीचे बैठे हैं, पहाड़ों पर बैठे हैं। इस पर सोचिये और मीटिंग बुलाइए। सारे लोग चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, कैसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, किन-किन लोगों को इसमें इनवाल्व किया जाए। अभी हम जहाज में आ रहे थे। हमें देर हो गई आने में। दिग्विजय सिंह का एक बयान हमने अंग्रेजी के अखबार में देखा। हमने पांच बार उस अखबार को पढ़ा। उसमें लिखा था- गृह मंत्री घंमडी है। यह क्या हो रहा है? यह क्या शो करता है? एक आदमी बोल रहे थे कि होम मिनिस्टर दिग्विजय सिंह से बात करनी चाहिए, अनुभवी आदमी हैं, इंटैलैक्चुअल एरोगैन्ट हैं। अगर यह बात सही है और होम मिनिस्टर को एरोगैन्ट कहा जाए, आप प्रयास कर रहे हैं, हमने शुरू में भी आपको कहा कि एक्स्ट्रीमिस्ट घटनाएं रोज होती थीं। आप जब से आए हैं, उसमें कमी आई है। आप मेहनत करते हैं, इसमे कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस का एक्स चीफ मिनिस्टर और एक थिंक टैंक बने हुए हैं दिग्विजय

सिंह, वह कहते हैं कि इंटैलैक्चुअल एरोगैन्ट। वह वहां क्यों बैठे हैं? अगर यह बात कहते हैं तो क्यों वहां बैठे हैं? आपका बचाव बीजेपी ने किया। जब आपने रिजाइन किया तो बीजेपी ने बचाव किया। अगर बीजेपी के लोग खड़े नहीं होते तो हम सब लोग आपको हटाने के लिए जाइन कर लेते। इसलिए सबको बुलाइए और बात करिये। सब लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। छ: बजे के बाद पता कर लीजिएगा माननी आडवाणी साहब, हमारे बिहार में जमुई के इलाके में जितने थाना हैं, छ: बजे के बाद ताला बंद हो जाता है।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): हो जाता था जब आपकी सरकार थी। आपके जाने के बाद स्थिति बहुत सुधरी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। मैं उनको बोलता हूं कि रिकार्ड मंगवाकर दिखवा लें। आपने अपनी ड्यूटी कर ली। पांच साल वहां भेजे लेकिन एक दिन भी जुबान नहीं खुली, एक डिबेट में भी भाग नहीं लिया। दिमाग की रोटी खाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: इसलिए सरकार आल पार्टी मीटिंग बुलाए। आंध्र प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों तक देखिये तो लड़कियों और स्त्रियों की काफी भर्तियां इसमें हुई हैं। वे नेपाल के जंगलों में ट्रेनिंग ले रही हैं। इधर बिहार से कोई आपरेशन हुआ तो नेपाल, और उधर तो उनका पूरा दबदबा है। स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि गोली का सहारा मत लीजिए। लोगों को मारने काटने के बजाय बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करिये। जो जवान मारे गए हैं, उनके परिवारों को दस-दस लाख रुपये दीजिए, उनके परिवार में से एक-एक को यदि योग्य है तो सीआरपीएफ में नौकरी दीजिए और जो जवान मारे गए हैं उनके पूरे जीवन की तनख्वाह और पेंशन दीजिए. इस पर आप मीटिंग बुलाइए तो हम आपको अपना सुझाव देंगे, लेकिन आंख बंद करके कि हम सब लोग साथ हैं और आप क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, वैसे हम लोग आपके साथ नहीं हैं कि पता नहीं आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। पहले खुलकर बहस करिये यही हमारा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं ऐसे राज्य से आता हूं जहां नक्सलवाद देश में पहली बार 1967 में शुरू हुआ था। अत: नक्सलवाद को शुरू हुए 43 वर्ष बीत चुके हैं। क्रूरता, विभत्सता, बर्बरता और निर्दयता से हम आज भी भयभीत हैं। हमें घेरे हुई है। हम सभी अपने देश के साहसिक दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहूति दी है।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद एक वैचारिक सिद्धांत है। इसे सरलता से केवल विकास इत्यादि के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता। नक्सलवाद सिद्धांत एक विचारधारा है और इसे समझने की आवश्यकता है। हमें नक्सलवादी विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। यह एक वैचारिक युद्ध भी होगा और इसे सरकार द्वारा चलाए जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि समय की यही मांग है।

यदि आप दंतेवाड़ा की घटना को देखें, तो नक्सलवादियों द्वारा यह बताया गया कि 1910 के भूमकल विद्रोह की स्मृति के लिए घात लगाई गई। यह जनजातीय विद्रोह था। इसलिए मेरा मानना है कि नक्सलवादी कार्यवाही के द्वारा जनजातीय शक्ति प्रदर्शन और जनजातीय पहचान को प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप में देश के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया है। उग्रवादी और आतंकवादी हमारी संप्रभुता को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु जहां तक माओवादियों का संबंध है, वे हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को

तहस-नहस करना चाहते हैं। वे संसद को बाड़ा कहते हैं, जिससे हममें से कोई सहमत नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें नक्सलवादी समस्या का समाना करने के लिए राजनीतिक एकता की आवश्यकता है। हमें इस आक्रमण का सामना करने के लिए एक समर्पित बल की आवश्यकता है।

मैं गृह मंत्री, जोकि नक्सल हिंसा के विरुद्ध संयोजित कार्यवाही के समर्थक हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला थी परन्तु दुख की बात है कि झारखण्ड और बिहार के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में नहीं आए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री नक्सल हिंसा से निपटने हेतु गंभीर नहीं हैं। इसलिए, महोदय हमें सबसे पहले नक्सलवादी उग्रवाद के विरुद्ध अपनी कार्यवाही को समन्वित करने की आवश्यकता है। हमें नक्सलवादी समस्या का सामना करने के लिए सम्मानित प्रयास करने होंगे और एक समर्पित बल गठित करना होगा।

मैं गृह मंत्री का ध्यान एक बार पुन: आकर्षित करना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्रों में भी नक्सलवाद का सामना करने के लिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि हमने अभी तक शहरी क्षेत्र में नक्सली हमले का अनुभव नहीं किया है, परन्तु मुझे लगता है, यह होने वाला है। इसलिए हमें शहरी क्षेत्रों में भी नक्सली हिंसा का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहने की आवश्यकता है।

नक्सलवाद हमारे देश के 40 प्रतिशत भू-भाग में फैल चुका है। यह किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है; यह किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह बढ़ते जा रहा है।

महोदय, यह ऐसा है जैसे कि जनजातीय शक्ति प्रदर्शित किया जा रहा है। नक्सलवादियों द्वारा जनजातीय लोगों में गरीबी और अभाव का फायदा उठा रहे हैं। प्रत्येक देश में साम्यवादी विद्रोह का कारण गरीबी और निर्धनता है। ये जनजातीय लोग समाज की मुख्यधारा से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से कट चुके हैं। आधुनिक विश्व में जनजातीय लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। हमें आधुनिक भारत में जनजातीय लोगों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि नक्सलवादी समस्या हल करने के लिए यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा।

श्री वरुण गांधी (पीलीभीत): सभापति महोदय, कल 14 अप्रैल, 2010 को मैं कुछ विधायकों और मेरी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर जिलों में पांच शहीदों के परिवारों के गांवों और घरों का दौरा किया था। उत्तर प्रदेश में इस वीभत्स नरसंहार में 76 लोगों में से 49 लोग शहीद हुए थे। महोदय, मैंने जो देखा उसने मुझे हिला कर रख दिया ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): 43 व्यक्ति।

श्री वरुण गांधी: मैं माफी चाहता हूं। इस वीभत्स नरसंहार में इन 76 लोगों में से 43 लोग शहीद हुए।

महोदय, मैं खुर्जा, जेवर, बुलंदशहर, अनूपशहर और अगोटा तहसीलों में गया था। मुझे पहले गांव बोधा में पता चला कि संघ सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि दुनिया उनके दुख को जानती भी है या नहीं। न तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री न कोई मंत्री या संघ सरकार के किसी सदस्य और यहां तक कि स्थानीय संसद सदस्य या विधायक ने भी उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया। अपने दुख में वे अंधेरे में बैठे रहे, बिल्कुल अकेले।

जब मैं दूसरे गांव 'पछोता' गया, तो मैं एक साहसी युवा शहीद की विधवा के पास बैठा और उसका तीन साल का बच्चा मेरी गोद में था। उसने मुझसे पूछा: "मेरे पिता वहां हैं"? मैंने स्वयं से पूछा: "मैं इसे क्या बताऊं?" क्या मैं इसे इसके पिता की बहादुरी के बारे में बताऊं? क्या वह समझ पाएगा? महोदय बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि क्या इसका उसके लिए कोई अर्थ होगा। बल्कि यह है कि क्या उस सैनिक की वीरता, हमारी आजादी, हमारे लोकतंत्र के रक्षक, उसकी शहादत, उसके शहीद होने का हमारे बृहद तंत्र के लिए कोई अर्थ होगा? मैं यहां केवल सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यह समय राजनीति करने का नहीं है। क्या आज के भारत के लिए इसका कोई अर्थ है? क्या हम राष्ट्र के रूप में इतने कृतघ्न हो गए हैं कि आज प्रत्येक मौत, प्रत्येक शहीद हमारे लिए केवल आंकड़े मात्र बन कर रह गए हैं कि हम उन पर नजर भर डाल लेते हैं, जिन्हें हम नियति मान लेते हैं?

महोदय, जिस तीसरे गांव में मैं गया वहां लोगों ने शहीद की वीरता के सम्मान तथा स्मृति में प्रतिमा लगाने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें बता दिया गया है कि इसके लिए सार्वजनिक निधियां आबंटित नहीं की जा सकती हैं। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दु:खद दिन है जब राज्य सरकारों के पास अपने जीवित नेताओं की मूर्तियां बनवाने के लिए तो धन है लेकिन देश के शहीद सपूतों के लिए नहीं। उन्हें अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। क्यों? यह नौकरशाही के लाल फीते के कारण है।

जब लालफीताशाही के कारण हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंतजार करना पड़ता है तो हम इंतजार कर लेंगे। जब तंत्र की खामियों के कारण हमें एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़े तो हम इसे झेलेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे शहीदों को जो कुछ मिलना चाहिए, उसके बजाए उन्हें नगण्य सहायता मिलती है और उसके लिए भी उन्हें चुपचाप हफ्तों और महीनों तक इंतजार करना पड़ता है तो हमें यह सहन नहीं कर सकते और न ही करना चाहिए।

महोदय, हेनरी डेविड थोरू ने एक बार कहा था: "अधिकांश लोग निराशा भरा जीवन जीते हैं।" जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति की जाए। लेकिन राष्ट्र को उन लोगों के लिए लड़ना चाहिए जो इसे बचाने के लिए अपने रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ते रहे।

मेरा सुझाव है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को तुरन्त एक स्थायी सरकारी नौकरी, ग्राम सभा से अथवा ग्राम समाज से कुछ जमीन; प्रत्येक शहीद की मां को आजीवन पेंशन दी जाए। मैं समझता हूं राजग सरकार ने कारगिर युद्ध के पश्चात् यही किया था कि प्रत्येक शहीद की मांग को आजीवन पेंशन दी गई थी; और उनके संबंधित गांव में एक छोटा स्मारक बनाने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। इससे हमारे युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी।

महोदय, उच्च जोखिम क्षेत्रों में सेना की भांति सीआरपीएफ का भी बीमा किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि देश के इन बहादुर सपूतों के लिए हमें एक तंत्र के रूप में शीघ्रता से और जोरदार ढंग से कार्य करना चाहिए।

***श्री पी. लिंगम** (तेनकासी): सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुआ माओवादी हमला निंदनीय है। ऐसे हमले की निंदा करने में पूरी सभा एक है। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने उस नृशंस हमले में अपनी जान न्यौछावर की। मैं एक स्थानीय पुलिसकर्मी सहित सभी 73 सीआरपीएफ कार्मिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनमें तीन सीआरपीएफ तमिलनाडु के थे। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति और गंभीर रूप से घायल तथा उपचाराधीन जवानों के प्रति भी अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि हमने ऐसी मुठभेड़े और घात लगा कर किए गए हमले पहले भी देखे हैं। यह पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी है कि माओवादियों और नक्सलवादियों की संख्या क्यों बढ़ रही है। यह स्पष्ट है कि माओवादियों की संख्या बढ़ चुकी है और यह चर्चा का विषय बन चुका है। केवल सरकार की आर्थिक और राजनीतिक नीतियां ही हैं जिनके कारण यह खतरा बढ़ा है और यह स्थिति आ गई है। प्रभावी इलाज और उपचार के लिए हमें इस बीमारी के मूल कारण की पहचान करनी होगी। उदाहरणार्थ, यदि हम जड़ पर हमला करने वाले कीट की पहचान कर लें तो हमें पौधे के ऊपरी भाग पर कीटनाशक छिड़कने के बजाय उस जड़ विशेष और तने का उपचार करना चाहिए।

हमारे सामने नक्सलबाड़ी आंदोलन है, नक्सलवादी और माओवादी उन क्षेत्रों में हैं जहां कृषि संबंधी गतिविधियां चल रही हैं, जहां अत्यंत गरीब लोग रहते हैं और उन क्षेत्रों में जिनकी वर्षों से उपेक्षा हो रही है। ये अतिवादी गतिविधियां उन क्षेत्रों में जड़े जमाती हैं जहां वृद्धि और विकास शून्य अथवा नगण्य हैं। उन क्षेत्रों में जहां लोकतंत्र ने अपनी जड़े नहीं जमाई हैं और लोगों में लोकतंत्र की भावना नहीं फैली है, हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जो इन अतिवादी प्रवृत्तियों को पनपने का अवसर देती हैं। हमें इस बीमारी को मिटाना होगा।

मतदान प्रणाली, जो किसी लोकतंत्र का आधार है, को बचाना आवश्यक है। लोगों का चुनाव प्रणाली से विश्वास उठ रहा है जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोगों के मन में विश्वास का संचार करने के लिए हमें इस दिशा में सही कदम उठाने चाहिए ताकि उनका इस प्रणाली में विश्वास न खोएं। ऐसा सोचा जाता है कि केवल धनबल ही जीत सकता है और केवल अमीर लोग ही चुनाव जीत सकते हैं।

महोदय, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और युवा लगातार विश्वास खो रहे हैं। यह निराशा इन युवाओं को इन विचारधाराओं की ओर ले जाती है। वे इन अतिवादी आंदोलनों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस प्रवृत्ति को रोकने और अपने युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस समस्या को हल करने और खतरे से निपटने के लिए सरकार को एक स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक विकास इन पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचे, सरकार को युद्ध स्तर पर विकास कार्य आरंभ करना चाहिए। सही रणनीति बनाने के लिए सरकार को सभी दलों के नेताओं और नक्सल-प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक बुलानी चाहिए। सरकार को ऐसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए कि लोगों में विश्वास हो सके। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें लोग इन अतिवादियों से डरकर रहें और उनके हाथों के मोहरे बन जाएं।

गृह सचिव ने गंभीर स्थिति बताते हुए कहा है कि माओवादी काफी बढ़ गए हैं। ऐसे बयानों से केवल गलत संदेश जाएगा

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जिससे लोगों के मन में भय उत्पन्न होगा। उन क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करके ही हम इस खतरे से पार पा सकते हैं। हमारे सुरक्षा बलों द्वारा बदले की कार्यवाही से समस्या हल नहीं होगी। बल्कि इससे तो कटुता ही बढ़ेगी। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने बाधाएं उत्पन्न करके हम इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं पा सकते। केवल लोगों के दिल जीतकर ही परिवर्तन लाया जा सकता जो इन पिछड़े क्षेत्रों में विकास के जरिए ही संभव है। केवल एक संयुक्त प्रयास और इस समस्या को सुलझाने के लिए एक व्यवहार्य, व्यापक नीति से ही शांति सुनिश्चित हो सकती है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, आज हम बंगालियों का नया साल है और पहली तारीख है, इसलिए आपके माध्यम से सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। इस सुंदर दिन में हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ले रहे हैं। दंतेवाड़ा की बात, नक्सलवाद और इससे कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हो रही है। इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। चर्चा से एक निष्कर्ष निकला है कि इस शक्ति को प्रकट करने के लिए सत्ता में आने के लिए इसे कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया और दूसरों ने भी किया। इस तर्क से यह भी निष्कर्ष निकला है कि माओवाद का क्षेत्र कहां पर है? जहां आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबी है और भुखमरी है, वहां यह है। गरीब आदिवासी कहां रहते हैं? वहां संपत्ति है, खेती-बाड़ी अच्छी होती है, जंगल हैं और उसके साथ-साथ जमीन के नीचे देश की संपत्ति है। इस किस्म की गरीबी से वे जूझते हैं। मैं उस क्षेत्र में रहता हूं, इसलिए मैंने यह सब देखा है। नक्सलबाड़ी नामक एक जगह है। जो पश्चिम बंगाल में है, हम लोग उसी क्षेत्र में रहते हैं, यह वहीं से उत्पन्न हुआ है। उनका एक मतवाद है। एक आदर्श को लेकर उन्होंने पार्टी बनायी है। पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने को लेकर उनका विरोध है। लेकिन उनका विरोध हम लोग भी करते हैं, वामपंथी और सभी राजनीतिक दलों ने और हम लोगों ने जीव हत्या का हमेशा विरोध किया है। इस ढंग से किसी को मारकर व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। वे किसानों को मार रहे थे, डाक्टरों को मार रहे थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ अच्छा काम भी किया, इसलिए उनको सपोर्ट भी किया था। इस मत के विरोध के बारे में हम लोग बोलते हैं।

महोदय, मैं भी आदिवासी हूं और आदिवासियों के बारे में जो कहा गया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इतने दिनों से हम इसके बारे में कहते आ रहे हैं। यह टोटल किन-किन क्षेत्रों में है, कौन-कौन से ब्लाक बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, कहां पर क्या कमी है? यह प्लान प्रोग्राम कमीशन को करना है, योजना कमीशन को डालनी है, केवल सब-कमीशन को डालकर उस क्षेत्र का विकास नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां अभी भी अंधकार है, रास्ते नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा-दीक्षा नहीं है। आप इस ओर ध्यान दीजिए। हम नक्सलवाद से निपटने के लिए जितना खर्च कर रहे हैं, जितनी मिलिट्री, पुलिस, बंदूक, गोली आदि पर खर्च कर रहे हैं, इसके लिए बहुत परेशान हुए हैं। अगर यह पैसा हम उनके क्षेत्रों में खर्च करें, तो आम-जनता आगे बढ़ेगी, आदिवासियों का विकास होगा। शहर-गांव में डिफरेंस किया जा रहा है। गांव-शहर और क्लास के स्ट्रगल की जो बात कर रहे हैं, उनको अगर मूल स्रोत में नहीं लाएंगे, तो यह दिनोंदिन बढ़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सुंदर आलोचना हुयी है, उससे सुंदर निष्कर्ष निकालकर हम उसका विरोध करते हैं। हम जाति हत्या का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी समस्या के समाधान के साथ एक सामूहिक कानून बने, जो सबके आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है।

इस चर्चा में बोलने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, मेरी राय है कि यह समस्या केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। माओवादियों ने घोषणा की है कि क्रांतिकारी ताकतों हेतु अधिक आधार बनाने के लिए 15 अप्रैल को टीसीओसी अभियान चलाया जाएगा। 15 अप्रैल से पहले भी उन्होंने चिंतालनार में हमला किया था।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उत्तर देने हेतु उठते समय वह इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस 'लाइंग अप आपरेशन' अथवा 'स्टैंडर्ड आपरेशन प्रोसिजर' का पालन क्यों नहीं किया गया था? ऐसा इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि माननीय गृह मंत्री द्वारा दिया गया पहला वक्तव्य वह बड़ी गलती थी जो कि नई थी। वे जाल में फंस गए थे। अब जब आप 'स्टैंडर्ड आपरेशन प्रोसिजर्स' को देखते हैं, तो इन सैन्य बलों की मैदानी क्षेत्रों में आवश्यकता नहीं थी। अब यह एक ज्ञात तथ्य है कि 'स्टैंडर्ड आपरेशन प्रोसिजर्स' वे हैं जिनमें आप एक संतरी को तैनात करते हैं, तो वह सदैव उच्च अधिकारी के स्तर पर होता है। दूसरे यह ज्ञात तथ्य था कि गत छह महीनों से बस्तर क्षेत्र में 2-3 कारों को जलाने के सिवाय हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। अत:, यह एक सुनियोजित हमला था। यदि खुफिया जानकारी दी गई थी, तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया? चौथा मुद्दा यह है कि ज्ञात तथ्य था कि 'पीपुल्स

लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी' (पीएलजीए) की पांच कंपनियां हरकत में थीं। क्या पुलिस बल को यह बताया गया था?

मेरा पांचवा मुद्दा यह है कि अब आप आंध्र प्रदेस काडर के अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं जो कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष के लिए जम्मू-कश्मीर में तैनात किया गया था और वह 6 अप्रैल को हुई इस घटना से केवल चार दिन पूर्व ही वहां आया था।

इस हमले के होने से पूर्व माननीय गृह मंत्री ने अतिदृढ़तापूर्ण वक्तव्य दिया कि वह दो वर्षों में इस समस्या को नियंत्रित कर लेंगे। यह वक्तव्य किस आधार पर दिया गया था? इसके अतिरिक्त, माओवादी जमीनी स्तर पर अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहे हैं, जबकि हमारे सुरक्षा कार्मिक उनका बिल्कुल भी मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात यह है कि इससे सुरक्षा बलों का मनोबल प्रभावित हुआ है। देखिए हमारे सुरक्षा बल कितनी हड़बड़ी में हैं। केंद्रीय समिति के सदस्य को बाद गांधी, जिन्हें रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था, को उतारकर विमान से वापस ले जाया गया। इस प्रकार की हड़बड़ी उत्पन्न हो गई है। माओवादी ऐसा करने में इस प्रकार सफल रहे हैं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सभा में माओवादियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती, चाहे वह कलिंगनगर, पोस्को या भूमि अधिग्रहण का मामला क्यों न हो। जहां तक भूमि अधिग्रहण के मामले में राजनीतिक नेतृत्व द्वारा जनजातियों को आश्वासन दिया जाता है तथा उस आश्वासन को वे हजम नहीं कर पाते जबकि माओवादी जब उन्हें कहते हैं कि वे इन लोगों की जमीन की रक्षा करेंगे, वे इसे किसी को छिनने नहीं देंगे, तो लोग आंख मूंद कर उनका अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए, राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास की बड़ी कमी है। इस विश्वास को बनाए जाने की जरूरत है।

हम रायपुर का विकास क्यों नहीं कर सकते? हम जगदलपुर का विकास क्यों नहीं कर सकते जहां कोई गतिविधि नहीं है? आप ब्लॉक विकास निधि या सुरक्षा से संबंधित व्यय का लेखा परीक्षण क्यों नहीं करते? वर्ष 2009 में किए गए अध्ययन के अनुसार, पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर ख़र्च की गई राशि प्रति पुलिस 53 पैसा था। क्या यह पर्याप्त है? हमारा रक्षा व्यय बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से इसे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस आधुनिकीकरण कोष में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है कि सांप को जगाने के लिए आपको घास को पीटना होता है। सांप पकड़ने के लिए आप घास में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। केन्द्र में हलचल से आप दूर-दराज में विकास करना चाहते है। सीधे तौर पर इसे माननीय गृह मंत्री के ऊपर डालते हुए, हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तंदूरी रोटी खा रहा हो तो उसे बीच से नहीं खाना चाहिए। उसे किनारे से शुरू करना चाहिए। हम सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करें। हम अंतर-राज्यीय सीमाओं को सुरक्षित करे, हम इस पर चर्चा करें। ईश्वर के लिए हम समझे कि यह कोई कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

मेरे अच्छे दोस्त ने तेलगू देशम पार्टी में सदस्य हैं, ने बताया है कि संप्रग सरकार की संख्या में वृद्धि कैसे हुई। महोदय, उसके अपने ही मुख्य मंत्री अपनी जान नहीं बचा सके। उन पर हमला हुआ। उनके गृह मंत्री मारे गए। इसलिए, हम इसे संप्रग के स्तर पर या अपने या एन.डी.ए. या तेलगू देशम के स्तर पर न सोचे। तेलगू देशम के समय में, 3,000 सिविल लोगों की मौत हो गई थी। उतनी ही संख्या में पुलिस के लोग भी मरे थे। तब श्री नायडू लोगों के समक्ष यह मानकर गए कि उनको सहानुभूति मिलेगी। लोगों के मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। यह अन्य मुद्दा है।

जहां कही भी कुशासन की बात है, जहां-जहां प्रशासन में कमी है, वहां माओवादी यह कमी पूरा कर रहे हैं। यह जीवन की सच्चाई है। जीवन में शून्यता कभी नहीं हो सकती। जब मैं समाचार-पत्रों को पढ़ता हूं और मीडिया की सुनता हूं तो मुझे संदेह होता है कि सरकार सैन्य शक्ति का प्रयोग करेगी। क्या संप्रग सरकार उन जनजातीय क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम लागू करेगी? क्या वह विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम लागू करेगी? सेना को तैनात करना इन सभी समस्याओं का इलाज नहीं है। यदि इसका उत्तर सेवा है तो जम्मू-कश्मीर में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई मुठभेड़ होती है, तो हमारे सुरक्षा कार्मिक भी बराबर की संख्या में क्यों मारे जा रहे हैं?

अब क्या हो रहा है कि हर आदिवासी को माओवादी का नाम दिया जा रहा है और हर माओवादी एक आदिवासी है और अब इसी तरह प्रत्येक मुस्लिम एक आतंकवादी है। खुदा के लिए इसे इस स्तर तक मत ले जाइए। मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करूंगा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे श्री चिदम्बरम के साहसी वक्तव्यों अथवा उनके विचारों द्वारा हल नहीं किया जा सकता। इसे केवल राज्य सरकार द्वारा पहल करने से ही हल किया जा सकता है। यदि राज्य सरकारें आगे आने के लिए राजी हों, यदि राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छा हो, तो केंद्र सरकार अपने बलों में वृद्धि कर सकती है, केन्द्र सरकार उनकी सहायता कर सकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस बार भी जांच कराएं कि यदि यह एडी-ओपीएस थी, तो छत्तीसगढ़ का एक भी पुलिस कर्मी उनके साथ क्यों नहीं था? छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मी उतनी ही संख्या में उनके साथ क्यों नहीं थे?

ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर मुझे आशा है कि सरकार कार्रवाई करेगी। इस सभी 3600 सीआरपीएफ कर्मियों के लिए कौन जिम्मेदार है जो छत्तीसगढ़ में थे? क्या राज्य सरकार नेतृत्व कर रही थी अथवा यह सीआरपीएफ थी?

अंत में, जब मैं इन सुरक्षा कार्मिकों के सवों के पैर देख रहा था तो एक बात ने मुझे झकझोर कर रख दिया कि जो जूते उन के पैरों में थे उन्हें 200 रुपये में बाजार में बेच दिया गया था।

हम उन्हें जंगल बूट क्यों नहीं दे सकते? क्या हम अपने दुश्मन का मुकाबला इस तरह करेंगे, जो जंगल को पूरी तरह से जानता है? सरकार को आगे आना चाहिए। इस सरकार को इसे पूरी तरह से कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं मानना चाहिए। जनता ने संप्रग सरकार को जिन तीन मुद्दों के आधार पर वोट दिया है वे मुद्दे भोजन, आजीविका और आंतरिक सुरक्षा हैं। जनता ने सोचा कि यही सबसे अच्छा विकल्प है, यही सरकार हमें भोजन, आजीविका और आंतरिक सुरक्षा दे सकती है। मुझे आशा है और यकीन है कि सरकार इस चुनौती का सामना करेगी।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय, दंतेवाड़ा में मारे गए सीआरपीएफ बटालियन के अनेक कार्मिकों की दुखद घटना तथा विद्रोही के कुछ व्यक्तियों अर्थात् माओवादियों के मारे जाने के बारे में बोलने का यह अवसर देने पर आपका धन्यवाद। मेरा विचार है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या से लड़ने हेतु किए गए उपाय अथवा आप इसे जो भी कहें बंदूकों के दम पर किए गए उपाय सही नहीं है। राजनीतिक संवाद की निश्चित रूप से आवश्यकता है। महान क्रांतिकारी शहीद ए आजम भगत सिंह ने कहा था कि

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान से तेज होती है।

[अनुवाद]

हमें इस विचारधारा को ध्यान में रखना चाहिए और हमें सरकार की निश्चित सद्‌भावना के साथ राजनीतिक संवाद आरंभ करना चाहिए।

अधिकांश वक्ताओं ने आदिवासियों को वंचित किए जाने के बारे में उल्लेख किया है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकती। उन्हें वर्तमान स्थिति का डर है बल्कि कुछ कार्पोरेट क्षेत्र, कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े उद्योगपति उनकी भूमि, वन संपत्तियों और खनिजों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विभिन्न समाचार-पत्रों से समाचार मिल रहे हैं कि विभिन्न सरकारें इन बड़े कार्पोरेट क्षेत्रों के साथ सहयोग भी कर रहे हैं।

इन आदिवासियों और अन्य वंचित लोगों का लाभ उठाते हुए माओवादी जिनकी निश्चित विचारधारा और विश्वास है, इन वंचित क्षेत्रों में कुछ आंदोलन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तथाकथित माओवादी वास्तव में महान माओ-त्से तुंग के अनुयायी नहीं है, जो कि 20वीं सदी के महान नेता थे और जिनके लिए भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संघर्ष हेतु डा. कोटनिस, डा. अटवाल आदि के साथ चिकित्सा मिशन भी भेजा था। अपने विचारों और विचारधारा में माओत्से तुंग ने कहीं भी सामूहिक आंदोलन के बिना व्यक्तिगत नरसंहार, हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं कहा है। वे माओत्से तुंग के विचारों और किसी भी बात का पालन भी नहीं कर रहे हैं।

महोदय, इन माओवादियों को नियंत्रित करते हुए कभी-कभी संयुक्त अभियान के नाम पर अथवा जो वह कर रहे हैं, वह राज्य-प्रायोजित आतंकवाद बनता जा रहा है।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. तरुण मंडलः महोदय, यह मेरा अंतिम मुद्दा है। मैं केवल दो मिनट का वक्त और चाहता हूं। हम पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं और ऐसा ही खतरा लालगढ़ के जंगल महल में बना हुआ है। वहां पर आतंकवाद नियंत्रित करने के नाम पर क्षेत्र में पानी, स्कूलों, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था और विकास हेतु वास्तविक लोकतांत्रिक जन-आंदोलन चला रहे आम लोगों को जेल में डाला जा रहा है और उन्हें मारा भी जा रहा है।

पुलिस सेवा विरोधी जनसाधारण समिति के अध्यक्ष श्री लाल मोहन टुडु की हत्या की गई और राज्य में सत्तासीन, सीपीआई(एम) द्वारा संवर्द्धित कुछ अस्वाभाविक तत्वों के साथ मिलकर संयुक्त बलों द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर उनकी हत्या की गई और पश्चिम बंगाल में कोई भी समझदार व्यक्ति इस अधिनियम का समर्थन नहीं कर रहे हैं तथा सीपीआई(एम) दल अर्द्ध-सैनिक बलों की आड़ में अपने खोए क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है।

हाल में मुझे माननीय गृह मंत्री से मेरे द्वारा उन्हें लिखे गए अपने पत्र का जवाब मिला।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

डॉ. तरुण मंडलः मैं समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने जो उत्तर दिया वह मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। यह अति सामान्य सा

उत्तर है जो किसी अन्य राज्य का अन्य गृह मंत्री सीआरपीएफ बटालियनों और उन असामाजिक तत्वों को बयान लेकर दिया गया है, जो उस समिति के अध्यक्ष की हत्या में सहायक थे।

अत:, सरकार का कदम ऐसा होना चाहिए कि वंचित लोग यह महसूस करे कि सरकार उनकी हितैषी है और सारे विकास कार्य पूरी सद्भावना के कार्यान्वयन किए जाने चाहिए।

मेरा निवेदन है कि केवल राजनीतिक संवाद है। इस संकट को हल कर सकता है और हथियारों के साथ सैनिक अथवा अर्द्धसैनिक बलों को भेजकर इस संकट को हल नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी (कोडरमा): सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

आज हम लोग यहां पर दंतेवाड़ा की घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है, अंतर इतना ही है कि इस घटना में सबसे अधिक संख्या में पुलिस या सीआरपीएफ जवान मारे गए हैं। यह स्वाभाविक है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति आगे की ओर ही बढ़ता है। अगर आज यह घटना हुई है तो आगे इससे भी अधिक जवान मारे जा सकते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तो हम कहते हैं कि देश में ऐसी सबसे बड़ी घटना घटी, लेकिन उसका किस प्रकार से हम समाधान करें, उस पर हम कम ध्यान नहीं देते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार विफल है या केन्द्र सरकार विफल है, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों ही कहीं न कहीं विफल हुई हैं। छत्तीसगढ़ में यह घटना हुई, वहां पिछले दस वर्षों में बीजेपी की सरकार है और देश में हमने लगातार सरकारें चलाई हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज हम सभी कहीं न कहीं विफल हुए हैं। हम उस प्रदेश से उग्रवाद को समाप्त नहीं कर सके, इसका एकमात्र कारण यही है, मैं पूरे देश के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले हम अपनी समझदारी की जानबूझकर अनदेखी करते हैं। उग्रवादियों का एक ही मिशन हथियार के बल पर इस देश की सत्ता को हस्तगत करना और बाकी जो क्षेत्र में बिखरी हुई समस्याएं हैं, वे उनके लिए खाद और पानी का काम करती हैं। हमें निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान करना होगा। आज उग्रवाद उन क्षेत्रों में पनपा है जो पिछड़े हुए हैं, जहां गरीबी है। हम उस गरीबी को दूर नहीं करते हैं, हम उन क्षेत्रों में विकास के कामों के आगे नहीं ले जाते हैं और इस पर सम्यक विचार होना चाहिए। हर राज्य में किसी न किसी पार्टी की आज सरकार है। हम सभी लोग सत्ता में रहे हैं या अभी भी सत्ता में हैं। हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करें, उन क्षेत्रों को विकास की सभी गतिविधियों - बिजली, पानी, सड़क - को वहां तक पहुंचा दें। अगर उन चीजों को हम वहां तक पहुंचाएंगे तो शायद उनको मिलने वाली खाद और पानी बंद हो जाएगी, उनके साथ झोला और रायफल देकर घूमने वाले लोग नहीं मिल पाएंगे। हमें यह काम करना होगा, अन्यथा यह बहस ऐसे ही चलती रहेगी।

दूसरी बड़ी समस्या जो मैं अनुभव करता हूं, राज्य में जो पुलिस और वन विभाग महकमा है, वे एक प्रकार से जंगलों में रहने वालों को शत्रु के रूप में देखते हैं। आज कोई भी भला आदमी, चाहे जंगल में हो या शहर में हो, पुलिस थाने तक जाना नहीं चाहता है, उनको डर लगता है, भय लगता है। जब तक हम पुलिस को जनता के सात फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, उनकी बातों को, उनकी तकलीफों को नहीं सुनेंगे। तब तक हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने राज्य में देखा है, अपने क्षेत्र में देखा है, उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए पुलिस चौकी हम लोगों ने बनवाई। बाद की सरकार ने वहां थाने स्थापित किए, आज थाने का काम उग्रवादियों को पकड़ने का नहीं रहा, बल्कि कैसे उनसे पैसा वसूला जाए, यह काम वे कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कहने में, जब मैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, बहुत बड़ी संख्या में उग्रवादियों से बातचीत करके आत्मसमर्पण कराया, लेकिन आज उन पर केस समाप्त नहीं किए गए। आज पुलिस उनका भयादोहन करती है, उनको डराती है। हमें यह समझना चाहिए कि किस प्रकार के लोग होते हैं- एक तो वे लोग होते हैं जो डर के कारण उनके साथ जुड़ते हैं, डर के कारण उनको खाना खिलाते हैं, हमें उनको पहचानना होगा। दूसरे वे लोग होते हैं जो थोड़ा मनबढ़ होते हैं, जो देखते हैं कि आसानी से, सुविधा से पैसा मिलता है और वे उनके साथ चलते हैं।

उन्हें भी हमें पहचानना होगा। ऐसे लोगों की संख्या कम होगी, जो उग्रवादियों से, माओवादियों से कमिटेड होंगे, लेकिन उनकी पहचान कर सकें, इन लोगों को अगर उनसे अलग कर सकें, तो आसानी से हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। यहां चर्चा हो रही थी कि राइफल्स पुरानी हो गईं। मैं तो दर्जनों घटनाओं को जानता हूं, मैं उग्रवादियों की प्रशंसा नहीं करता हूं, मैं उनसे लड़ता रहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दर्जनों घटनाएं हुई हैं, जिनमें उन्होंने हथियारों के बल पर पुलिस के हथियारों को नहीं लूटा है और हथियारों के बल पर पुलिस के जवानों को नहीं मारा है। केवल चाकू से लोगों को मार कर, एक दर्जन नहीं, दो-दो दर्जन पुलिस वालों से, अर्धसैनिक बलों से उन्होंने हथियार छीने हैं। इसका अर्थ यह है कि कैसे उन्होंने हथियार छीने और लोगों को मारा।

केन्द्र सरकार के इंटैलिजेंस और राज्य सरकारों को इंटैलिजेंस में लगता है कहीं कोई तालमेल नहीं है। इस बात का हमें अफसोस है। जब तक हम इस तालमेल को नहीं बिठाएंगे, हम अपने सूचना तंत्र को ठीक नहीं करेंगे, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आज हमारी सूचना तंत्र की यह हालत है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवान मारे गए, लेकिन हमें उसकी पूर्व में कोई सूचना नहीं मिली।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी: जंगलों में यह हो रहा है, आप भी अगर हमें यहां बोलने नहीं देंगे, तो हम कैसे समस्या का समाधान तलाश करेंगे। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी: ठीक है वन मिनट आप यहां भी कह रहे हैं, वहां भी वन मिनट ऐसे ही होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपना समय बर्बाद न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी: इस प्रकार की जो स्थिति है कि उन गांवों में हम कोई सूचना अगर पुलिस को देते हैं तो पुलिस उस सूचना को ग्रहण करने को तैयार नहीं होती है कि जंगल में कौन जाएगा। इसका परिणाम वे लोग भुगतते हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हम अपने सूचना तंत्र को ठीक करें। जो वास्तव में उग्रवादियों की सूचना देते हैं, बाद में वही उग्रवादी उन लोगों को मार देते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं करते, उनके परिवार वालों के लिए कुछ नहीं करते। मैं यह कहूंगा कि हमारे जो भी लोग सूचना तंत्र से जुड़े होते हैं, जो सूचना देते हैं, चाहे जनता में से ही क्यों न हो, अगर वे चिंता में मारे जाते हैं तो उनके परिवार की हमें पूरी हिफाजत करनी चाहिए। उनके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। झारखंड में हमने नौकरी की व्यवस्था की थी। अब भी नौकरी मिलती है, लेकिन कुछ खामियां रह गई हैं। हमने देखा है कि वे मारते ही नहीं हैं, किसी के हाथ या पांव कांट देते हैं। इस तरह से जो विकलांग हो जाते हैं, उनके बारे में भी हम कोई विचार नहीं करते। हमारे जो प्रावधान हैं कि हम नौकरी उनके आश्रितों को देते हैं। अगर किसी की शादी हुई है तो उसकी पत्नी को या बेटे को नौकरी देते हैं। यहां पर गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। साथ ही विपक्ष के नेता भी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम ऐसे लोगों के लिए भी विचार करें। अगर हम उन सारे लोगों को सहयोग देंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, झारखंड के बारे में विशेष तौर से कह सकता हूं कि वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो प्रशासन उन्हें सहयोग देता है। जो व्यक्ति उनकी सूचना देता है, उसे विश्वास है कि हमें सरकार मदद करेगी, सहयोग लेकिन आप ईमानदारी से उनका सहयोग लेने को तैयार होते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपका धन्यवाद। अगले वक्ता श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली हैं।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): महोदय, आपका धन्यवाद। अब आप सबकी बात सुनने के पश्चात् मुझे विश्वास है कि हम स्थिति का सामना कर सकते हैं। यह दो दर्शनों के बीच युद्ध है अर्थात् एक गोली के जरिए सत्ता हासिल करना और दूसरा मत के जरिए सत्ता हासिल करना है। हम सबका विश्वास मत प्रणाली में और यही कारण है कि हम सब यहां हैं।

[हिन्दी]

जब यशवंत सिन्हा जी ने डिबेट शुरू की थी, तो मैंने बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुना था। उन्होंने अपने पहले वाक्य में यह कहा था,

[अनुवाद]

"हम आपके साथ हैं। हम सरकार के साथ हैं।"

[हिन्दी]

मुझे बहुत खुशी हुई, मगर उसी वाक्य के कंटीन्यूएशन में उन्होंने दूसरा वाक्य यह कहा था कि यूपीए ने माओवादियों के साथ हाथ मिला लिया है।

[अनुवाद]

मैं यह नहीं समझ पाया। आप पहले वाक्य के विपरीत दूसरा वाक्य कैसे कह सकते हैं? इसके अलावा आपने आसूचना का उपहास उड़ाया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था कि इंटैलिजेंस के लोग जाते हैं और चाय के अड्डे पर बैठकर गप्पें मारते हैं और कहते हैं कि इंटैलिजेंस बेचते हैं, इस इंटैलिजेंस से क्या काम होगा। मैं उनकी यह बात सुन रहा था।

[अनुवाद]

आपका अगला वाक्य क्या है?

[हिन्दी]

उनका दूसरा वाक्य था नगाड़ा बजाओ। जब वह जा रहे थे तो इंटैलिजेंस वालों ने एक मैसेज ट्रेस किया सैल फोन में कि नगाड़ा बजाएंगे यानि यशवंत सिन्हा पर अटैक करेंगे। आपको इंटैलिजेंस वालों ने इस तरह सेव कर दिया।

[अनुवाद]

प्रथम वाक्य के तुरंत पश्चात आप आसूचना तंत्र के लोगों की प्रशंसा कर रहे थे। मैं यह बात नहीं समझ पाया। आप स्वयं अपने बयान के विपरीत बयान कैसे दे सकते हैं? अंत में आपने कहा है कि: "मुझे कोई नहीं बचा सकता।

[हिन्दी]

मेरी किस्मत मेरे साथ है और मेरी किस्मत ही मुझे बचाएगी।

[अनुवाद]

यह बहुत निराशाजनक है। हम निराशावादी होकर इस सभा में नहीं बैठ सकते क्योंकि पूरा देश हमें आशावादी होकर देख रहा है। देश को विश्वास है कि हम कोई निर्णय लेंगे और तदनुसार कार्यवाही करेंगे। लेकिन मुझे यह कुछ निराशावादी लगा। मैं यह नहीं जानता कि ऐसा सिर्फ मुझे अकेले को लगा या सभा के सभी सदस्यों को। लेकिन यशवंत सिन्हा जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं- यदि केवल मुझे ऐसा लगता तो मुझे खुशी है; मैं अकेला ही होना चाहिए-निराशावादी न बने। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। चाहे आप उस तरफ हों अथवा इस तरफ, हम सभी एक साथ होने चाहिएं। यह मधुमेह की बीमारी जैसी स्थिति है। आप इसका पूरी तरह इलाज नहीं कर सकते। ऐसा हमेशा रहेगा और आपको इसे नियंत्रित करना है। आपको कम खाना है, व्यायाम करना है, इंसुलिन अथवा जो भी गोली हो, लेनी है। कभी-कभी शूगर का स्तर बहुत ऊपर अथवा बहुत नीचे चला जाता है।

[हिन्दी]

यह तो चलता ही रहेगा।

एक बड़ा इंसीडेंट हो गया तो आपने आंध्र प्रदेश का नाम भी ले लिया था।

[अनुवाद]

मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप आंध्र प्रदेश को एक आदर्श मानिए। 2004 और 2009 के बीच आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था? वैसा देश के प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। यही एकमात्र उपचार है और किसी भी प्रकार के आतंकवाद अथवा माओवाद अथवा नक्सलवाद का एकमात्र उत्तर यही है। अभी मेरे मित्र श्री ओवेसी ने बताया कि 2004 से पूर्व क्या स्थिति थी। समूची सुरक्षा के बावजूद बम धमाके में एक मंत्री मारा गया था। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वयं ...

एक माननीय सदस्य: उस समय वे तत्कालीन गृह मंत्री थे।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: मैं नहीं समझता कि वे उस समय गृह मंत्री थे। तत्कालीन गृह मंत्री, जो मंत्रिमंडल में अति महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तब मारे गए थे जब वे चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। यह कोई छुपा हुआ नहीं है। वे चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। हर आदमी जानता है कि वे चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। उन्हें धमाके में उड़ा दिया गया। दूसरी घटना स्वयं मुख्यमंत्री के साथ हुई। मुख्यमंत्री को विस्फोट से उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन सौभाग्यवश

[हिन्दी]

बोलते हैं न कि बाल-बाल बच गया। मगर वह बाल-बाल बचने और ब्लड का स्टेन सब दिखा करके बोला कि इलेक्शन कराएंगे, असेम्बली को भी डिजाल्व कर दिया और आप भी डिजाल्व करके, इलेक्शन में आ गया और सब को घर जाना पड़ा, ये तो

दूसरी बात है। मगर नक्सलवाद को फेस करने में, वर्ष 2004 में जब कांग्रेस पार्टी रुलिंग में आई तो हमने बोला कि

[अनुवाद]

हम वार्ता के लिए तैयार थे। उन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया था। हमारी एकमात्र शर्त यह थी कि वे सबसे पहले हथियार डाल दें। संविधान किसी को भी हथियार लेकर चलने और उन्हें लेकर गांव-गांव घूमने की अनुमति नहीं देता। केवल हथियार डालने की एकमात्र शर्त रखी गई थी। हम चाहते थे कि वे बताएं कि गांवों में क्या किया जाना है। यदि यह भूमि वितरण का मामला है तो हम तैयार हैं; यदि गरीबी उन्मूलन मामला है, तो भी हम तैयार हैं, हमने उनसे पूछा कि वे कार्यक्रमों के बारे में बताएं जिसे हम क्रियान्वित करने को तैयार हैं। केवल एक शर्त थी कि वे हथियार डाल दें जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। उन्हीं कहीं पर पुलिस के लोगों पर हमला किया और वे कहते थे कि उनका सिद्धांत है केवल बूलेट के बल पर सत्ता पर कब्जा करना। वार्ता के समय स्व. श्री राजशेखर रेड्डी राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 'इंदिरम्मा' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया था। सौभाग्य से उस योजना को यह नाम देने वाला मैं भी एक था। 'इंदिरम्मा' इकोनेटिव नोडल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज एण्ड मॉडल म्यूनिसिपल एरियाज' का संक्षिप्त रूप था। इस योजना को इंदिरम्मा कहते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह नाम हमारी 'अम्मा' इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। यह नाम मैंने रखा था और इस योजना के साथ हम गांवों में गये। उस योजना के साथ हमने कहा कि किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, वह सरकारी अधिकारी के उस वस्तु की तत्काल मांग कर सकता है चाहे वह राशन कार्ड हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, 2 रुपये किलो चावल, आवास, भूमि या किसी भी चीज की जरूरत हो और यदि अधिकारी उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसकी जांच करेंगे और उस अधिकारी को बर्खास्त कर देंगे। इन आदेशों के बारे में ग्रामीणों को बताया गया था। जब माओवादी बंदूक के साथ वहां गए, तो उनका स्वागत करने के लिए वहां कोई नहीं था। लोगों को विश्वास है। सर्वप्रथम, एक राजनेता ग्रामीणों में विश्वास पैदा कर सकता है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि अपनी सरकारों को वहां पर प्रोत्साहित करें। आखिरकार वहां राज्य में आपकी ही सरकार है। आपको ऐसा करने से किसने रोका? आपको राजीव आरोग्यश्री जैसी योजना का शुरू करने से किसने रोका जिसके तहत निर्धनतम लोग, जो हृदय रोग से पीड़ित हो, अपोलो अस्पताल, केयर हास्पिटल या कभी नेनी अस्पताल में जा सकते हैं। केवल करोड़पति ही इन अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, लेकिन इस योजना के अंतर्गत निर्धनतम व्यक्ति भी कार्पोरेट अस्पतालों में जा सकता है और उसी प्रकार की चिकित्सा पा सकता है जैसी टाटा, अम्बानी और बिरला को उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश से माओवादी हट गए। हमारे पास 108 एम्बुलेंस है जो बुलाने पर 20 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं, और यदि एम्बुलेंस नहीं आता है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाती है। यदि वह 21 मिनट पर या 22 मिनट पर आता है तो चालक को निलंबित कर दिया जाएगा और संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। हमने ऐसी कार्रवाई की है।

अब आंध्र प्रदेश में गरीब लोग केवल सोचते नहीं हैं

[हिन्दी]

कि क्या हुआ, ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका बेटा भी कोरपोरेट कालेज में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, डाक्टरी पढ़ रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यही सच का राज्य है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्लीः मुझे खेद है कि मैंने उन्हें दुःख पहुंचाया। वे कोई भी सच्चाई सुनने की स्थिति में नहीं है। सच के अलावा वे कुछ भी सुनने को तैयार हैं। मैंने यहां यही कहा है कि

[हिन्दी]

सत्यमेव जयते। मैंने सच बोला है। अगर इसमें एक परसेंट भी झूठ हो, तो

[अनुवाद]

मैं उनसे किसी भी मंच पर चर्चा करने को तैयार हूं।

[हिन्दी]

मैंने सच ही बोला है। आप लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट कर लो, क्योंकि डेवलपमेंट करने से माओवादियों पर कंट्रोल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

भारत में किसी भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी का पहली बार अपहरण 1986 में मेरे जिले में हुआ था। एक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मुझे याद है कि उन दिनों यह समाचार पत्रों

में शीर्षक के रूप में छपी थी कि राजीव गांधी जेल में बंद लोगों को छोड़कर उनके आगे आत्मसमर्पण के खिलाफ थे। फिर भी राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया था और आधी रात को 12 बजे राज्य से लोगों को लेजाकर नक्सलवादियों के हवाले किया गया था और उस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को वापस लाया गया। यही उसका इतिहास है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जब तक उस क्षेत्र में माओवादियों पर नियंत्रण नहीं किया जाता वहां विकास नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

आप कहते हैं कि स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, रास्ते बनाओ। सड़क बनाने का प्लान पेपर में आया, तो उन्होंने कहा कि ब्रिज तोड़ देंगे, यहां सड़क नहीं बनाने देंगे। ऐसा हो रहा है। इसके लिए तेलगु में एक कहावत है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करे।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: मैं आपको ही संबोधित कर रहा हूं। मैंने कोई नाम नहीं लिया।

[हिन्दी]

यहां देखो, वहां मत देखो, यह कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं। 2005 में मेरे ही जिले में हम उन अधिकारियों के आंकड़े इकट्ठे किए थे जिन्होंने ऐजेसी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में कभी काम नहीं किया था। मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राजशेखर रेड्डी से कहा और हमने एक नियम बनाया कि कोई भी अधिकारी कांस्टेबल से शुरू करते हुए कोई भी पुलिस वाला अनुसूचित क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष तक काम करे। यदि उसने एकदम काम नहीं किया है तो उसे सेवा से निकाल दिया जाना चाहिए। उसे तत्काल वहां जाना चाहिए और वहां अपनी सेवा देनी चाहिए। इससे वास्तव में लाभ हुआ। हमें यह नियम शुरू करना चाहिए और सभी के लिए एक परिवीक्षा अवधि होनी चाहिए, जिसके दौरान उसे एजेंसी और जनजातीय क्षेत्रों में जाकर काम करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री दारा सिंह चौहान।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: जब आपकी सरकार थी, तब 658 लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारी सरकार के समय यह आंकड़ा 330 का हुआ। ...*(व्यवधान)* आप में सच सुनने का दम होना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, मैं सबसे पहले दंतेवाड़ा घटना में मारे एक जवानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट की बात कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर कारण क्या है? यहां चर्चा हो रही है और बार-बार कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं वक्ता हूं, मैं देख रहा हूं कि केवल राजनीति के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। हर चीज में पालिटिक्स है। अगर अच्छा काम होगा तो श्रेय लेने ही होड़ होती है और अगर खराब काम हो गया तो दूसरे पर आरोप लगाने की जिद होती है। यही बात मामले को पेचीदा बना देती है। मेरी आपसे अपील है कि हमें कारण को खोजना चाहिए तभी हम निवारण कर सकते हैं। कारण क्या है कि नक्सलवाद पनप रहा है, घटनाएं हो रही हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो या यूपी का क्षेत्र, जहां अब खत्म हो गया है। दूसरी टेस्ट भी हैं जहां ट्राइबल एरिया है, पिछड़े गरीब इलाके हैं। हमें वहां का कारण समझना चाहिए, चाहे जिला हो, या प्रदेश हो, जहां गैर बराबरी होती है, चाहे वह किसी प्रकार की हो, आर्थिक या सामाजिक हो। अगर परिवार में भाई-भाई में बंटवारा भी होता है तो वे लाठी उठा लेते हैं। इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो जानलेवा हमला कर देते हैं। यहां नक्सलाइट और सनलाइट, कई हैं। मैं बिहार में घूमा हूं, यहां नक्सलाइट नहीं सनलाइट भी हैं। मैं डाल्टनगंज, पलामू जिले में गया हूं।

महोदय, आदिवासी लोगों के मन में गुस्सा है, बंदूक की नोक से हम किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। आदिवासी लोगों के हाथों में किसी भी कारणवश उपेक्षित होने के कारण हथियार हैं उनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। बिरसा मुंडा, जिनका हम नाम जपते हैं, इन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के झुड़ा दिए। आज उन्हीं के खानदान के लोग

हथियार उठा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? चाहे प्रदेश की सुबई सरकार हो या मरकजी हुकूमत हो, हम किसी को दोष नहीं देते हैं। लेकिन जिसका जो अधिकार है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि गैर बराबरी के कारण उनके यहां विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। शिक्षा और खाना नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, वन क्षेत्र आदिवासी को मिलना चाहिए लेकिन 30 फीसदी से ज्यादा अधिकार पत्र नहीं मिल पाया है। यह भी एक कारण है कि उनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो गई है। मेरी अपील है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां जो टीका टिप्पणी हो रही है, लोग वाहवाही लूट रहे हैं, पीठ की तरफ न देखकर एक-दूसरे को ज्यादा इशारा करके चर्चा हो रही है, यही बात मामले को ज्यादा पेचीदा बना देती है। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की जिम्मेदारी को पूरा करे तो हम निश्चित रूप से नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। चाहे सुबई सरकार है, एक-दूसरे पर आरोप लग रहा है। मैं कहता हूं कि तीन साल से बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मैं जानता हूं कि चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर के हलके वहां थे लेकिन हमने उनकी पीड़ा को समझा, उनको रोजगार से जोड़ा। उनको बिजली, पानी और शिक्षा से जोड़ने का काम किया। अगर हम उनके बीच में जाने का प्रयास करें तो सरकार के लिए गैर बराबरी इस समस्या का कारण है। मैं ज्यादा न कहते हुए गृह मंत्री जी कहना चाहता हूं कि बड़े नेताओं ने अपील की है कि सारे दल के लोगों को बुलाकर बात करनी चाहिए। जब किसी के अधिकार पर......* होगा तो निश्चित रूप से समाज में विद्रोह होगा। महिला आरक्षण की बात हुई थी, जब लगा कि गरीबों का हक मारा जा रहा है तो लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। इसी तरह से नक्सलवाद पैदा हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके.......* हो रहा है। उनके अधिकार क्षेत्र में.......* किया जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादवः यह काम हमने किया था।

सभापति महोदयः चौहान जी, आप बैठिए।

श्री दारा सिंह चौहानः ठीक है, आप सबका सब निकाल दीजिए।

सभापति महोदयः यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयः आप बैठिये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः धन्यवाद।

अब गृह मंत्री बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः सभापति महोदय, मैं एक मिनट में यह बात कहना चाहता हूं कि यदि यह सदन की कार्यवाही में रह जायेगा तो हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। इन्होंने नक्सलवाद शुरू किया था, हमने सोनभद्र में उनके बीच जाकर उसे ठीक किया। हम वहीं जाकर बैठे, नौगढ़ में भी जाकर बैठे। हमने पांच दिन का शिविर चलाया और उसके बाद उनके जो खेत दूसरों के नाम थे, जो सौ सालों से उन्हें जोत रहे थे, उन्हें वापस दिलाया। यह बात मैंने अपने भाषण में भी कही है। वे लोग जिन मकानों में तीन पीढ़ियों से रह रहे थे, वे किसी और के नाम पर थे। हमने उनके नाम दर्ज कराये, उन्हें खेती दी और बाकायदा उनकी पुल, पुलिया, बिजली और पानी आदि की जो भी मांग थी, उन्हें वहीं दो सौ करोड़ रुपये दे दिये और उसके बाद सौ करोड़ रुपये और दिये। इस तरह से हमने तीन सौ करोड़ रुपये देकर उनके विकास का काम किया और वहां नक्सलवाद खत्म हो गया। ये नक्सलवाद बढ़ाने वाले लोग कहते हैं कि हमने यह सब किया। कमाल हो गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः समय समाप्त हो गया है। कृपया बैठ जाइये। हम आवंटित समय से बहुत ज्यादा समय ले चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस (रायपुर): सभापति महोदय, मैंने अपना नाम दिया हुआ है। आप मुझे बोलने का मौका देने की कृपा करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपकी पार्टी को आवंटित समय समाप्त हो चुका है। श्री यशवंत सिन्हा ने स्वयं 53 मिनट लिए थे। हमने लगभग सभी सदस्यों को अवसर दिया था। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों आपको बोलने की अनुमति नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री हेमानंद बिसवालः मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप दोनों एक साथ कैसे बोल सकते हैं? आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हेमानंद बिसवाल आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

...(व्यवधान)

श्री हेमानंद बिसवालः मेरा प्रश्न यह है कि मैं इस वाद-विवाद में बोलने के लिए इच्छुक हूं क्योंकि मैं उड़ीसा से हूं। मैं अनुसूचित जनजाति समुदाय से हूं। महोदय, इसमें जनजातियों का 95 प्रतिशत सम्मिलित है।

[हिन्दी]

गुमराह होकर माओवादियों में शामिल हो रहे हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री हेमानंद बिसवालः मैं केवल सुझाव दूंगा। मैं केवल दो मिनट के लिए बोलूंगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः तो, फिर आपने व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठाया है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कादिर राणा (मुजफ्फरनगर): सभापति महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दें। यह मेरे क्षेत्र का भी मामला है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपको अनुमति नहीं है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः गृह मंत्री जी, कृपया बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कादिर राणाः महोदय, दुख की इस घड़ी में मेरे साथ न्याय किया जायेगा और मुझे बोलने का मौका दिया जायेगा। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में 70 से अधिक पुलिस के लोग शहीद हुए हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल जो माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदयः हम इस तरह अनुमति कैसे दे सकते हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः हम चर्चा को इस प्रकार जारी नहीं रख सकते। कृपया इस प्रकार कार्यवाही को न घसीटें। हमने दो घण्टे की चर्चा को बढ़ाकर पांच घंटे कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने नाम दिए थे उनमें से 99 प्रतिशत सदस्य बोल चुके हैं। अब आप कृपया सहयोग करें। गृह मंत्री उत्तर देने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पिछले सप्ताह हुई घटना की गंभीरता को समझा है। इसलिए, उन्होंने इस वाद-विवाद में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्तरदायित्व की भावना से भाग लिया है। मैंने अधिकांश वक्ताओं को काफी ध्यानपूर्वक सुना है, चूंकि दूसरी सभा में भी वाद-विवाद हुआ था, मुझे कुछ समय के लिए बाहर रहना पड़ा था, परन्तु मैंने टिप्पणियों को देखा था।

महोदय, यह घटना एक बड़ी त्रासदी थी। मेरी पहली सहज प्रतिक्रिया यह थी कि शायद कुछ गलत हुआ है। प्रारंभिक जांच ने इस पहली अनुभूति को पुष्ट कर दिया। हालांकि मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं प्रारंभिक जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाऊं। हमने एक विशिष्ट रिकॉर्ड वाले अति वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी द्वारा व्यापक जांच करायी है; उन्होंने जांच प्रारंभ कर दी है; उन्हें अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मुझे आशा है कि इस माह की 24 या 25 तारीख तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी और मैं वादा करता हूं कि इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से मैं सभा को अवगत कराऊंगा।

मैंने एक विवरण तैयार किया है जो मैंने दूसरी सभा में पढ़ा था: मैं यहां पूरे विवरण को नहीं पढ़ूंगा, परन्तु फिर भी मेरा मानना है कि यहां कुछ उल्लेख करना उचित होगा। हमारी नीति, जिसे मैं थोड़ी देर में विस्तार से बताऊंगा, के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर पिछले कुछ समय में नक्सलवाद-रोधी ऑपरेशनों के लिए राज्य में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की 141 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसी वर्ष मार्च में 62वीं बटालियन को तैनात किया गया था। इससे पूर्व 62वीं बटालियन को बिहार में तैनात किया गया था और उसने वहां नक्सल-रोधी ऑपरेशनों में अनुभव प्राप्त किया था।

क्षेत्र-प्रभुत्व अभ्यास को करने का निर्णय छत्तीसगढ़ के आईजी, श्री लोंगकुमार, उस क्षेत्र के डीआईजी श्री एस.आर.पी. कल्लुरी और सीआरपीएफ के डीआईजी, श्री नलिन प्रभात द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था। यह एक संयुक्त निर्णय था। वास्तविक तैनाती जिले के एसपी श्री अमरेश मिश्रा और 62वीं बटालियन के कमांडेंट पर छोड़ दिया गया था।

योजना के अनुसार, उन्हें यह अभ्यास तीन दिन की अवधि में करना था, जिसमें 4 अप्रैल और 6 अप्रैल के मध्य दो रात्रि ठहराव भी सम्मिलित थे। यह बताया गया कि उन्होंने अभ्यास किया। दुर्भाग्यवश उप कमांडेंट मृत हैं; सहायक कमांडेंट भी मृत हैं; दोनों बल के साथ गए थे: इस बल के साथ जाने वाले सिविल पुलिस के हैड कांस्टेबल भी मृत हैं। केवल सात जीवित जवान बचे हैं; वे अब ठीक हैं; मैं कामना और प्रार्थना करता हूं कि वे जीवित रहेंगे। केवल व्यापक जांच के बाद तथा सात जीवित जवानों से पूछताछ के बाद और उस क्षेत्र में जांच करने के बाद, जिसमें फोरेंसिक जांच भी सम्मिलित है के बाद ही हम कह सकते हैं कि वस्तुतः क्या हुआ था।

इसलिए मेरा सविनय आग्रह है कि हमें समिति की रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के साथ, पूछताछ और फोरेंसिक जांच के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे और हम इस भयंकर त्रासदी से देखेंगे कि हम क्या सबक सीख सकते हैं।

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि 6 तारीख की सुबह को 0550 बजे वे गोलीबारी की चपेट में आए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मीडिया ने बताया कि वे सो रहे थे; वे सो नहीं रहे थे। यह दुर्भाग्यवश ऐसा स्थान था जहां उन्हें ऊंचाई या कवर में से किसी का भी लाभ नहीं था। इनमें से अधिकतर की मौत गोली लगने से हुई थी। इनमें से कुछ की मौत बम्ब और ग्रेनेड के कारण हुई। मीडिया में छपी प्रारंभिक रिपोर्टें पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। वहां कोई बारूदी सुरंग नहीं थी। वहां कोई प्रेशर बम्ब नहीं था। फिर भी वे वीरता से लड़े और नक्सलियों के प्रवेश पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की-नक्सल कैडरों में से भी आठ लोग मारे गए थे।

इसलिए, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कि ये नहीं लड़े। ऐसा लगता है कुछ गलतियां हुईं थी। उन्हें इसकी आशा नहीं थी। उन्होंने उनका सामना किया और उनके 74 जवान एक और एक लोग मारे गए थे। उन्होंने जवाबी हमला किया और आठ लोगों को मार दिया। इसीलिए, मैंने कहा कि यह गंभीर त्रासदी है हमें मृत लोगों की क्षति पर शोक है। रिपोर्ट आने तक हम कोई निर्णय न लें।

नक्सलवाद रोधी ऑपरेशन नीति के अनुरूप किए जाते हैं, यह नीति पिछले समय को देखते हुए बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कुछ टिप्पणियां की गई हैं। जहां तक कांग्रेस दल का संबंध है, हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जनवरी, 2006 में, एआईसीसी ने एक संकल्प पारित किया और मैं उद्धृत करता हूं:

> ''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के विभिन्न भागों में हो रही नक्सली हिंसा की घटनाओं से चिंतित है। यह दल संप्रग सरकार से इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करता है और इसका मानना है कि इसे कानून और व्यवस्था का गंभीर मुद्दा मानकर हल किया जाए लेकिन साथ ही अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक कारणों का भी ध्यान रखा जाए। हिंसा के खतरे से स्पष्टतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक निपटने से उपयुक्त परिस्थितियों में वार्ता की संभावना समाप्त नहीं होती है।''

हमारी नीति स्पष्ट है। यह कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या है। सभी को इसमें अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक कारणों को ध्यान में रखना होगा लेकिन वार्ता के लिए द्वार भी सदैव खुले हैं। मैं समझता हूं कि यह नीति बिलकुल स्पष्ट है और मैं नहीं समझता कि सभा में कोई भी इससे असहमत होगा। मुझे विश्वास है कि यहां प्रतिनिधित्व वाले सभी दलों की एक नीति है जिसमें ये मूल सिद्धांत प्रतिबिंबित होते हैं।

हमने मुख्यमंत्रियों की कई बैठकें आयोजित की हैं। इनमें से प्रथम बैठक मेरे द्वारा गृह मंत्रालय संभालने के 36 दिन पश्चात्, 6 जनवरी, 2009 को हुई थी। उससे अगले दिन, हमने नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई थी। उस बैठक में मैंने मुख्यमंत्रियों के सामने 31 प्रश्न रखे और उनसे उन सभी 31 प्रश्नों पर उनकी राय देने के लिए कहा। मैं उन सभी को उद्धृत नहीं करूंगा लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं:

"राज्य सरकार की नीति क्या है? क्या आप प्रतिक्रियात्मक नीति चाहते हैं। अथवा यह एक पूर्वोपाय नीति होगी? प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य सरकारी संस्थाएं कितनी मजबूत हैं? क्या आपने विकास के लिए आवश्यक निधियों की मात्रा का अनुमान लगाया है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सुरक्षा बलों को क्षेत्र को खाली कराना और अपने नियंत्रण में रखना चाहिए? क्या विकास कार्य केवल उन क्षेत्रों में चलाए जाने चाहिए जहां से नक्सलवादी निकाले जा चुके हैं? राज्य सरकार का असैन्य समाज के उस वर्ग से निपटने के लिए क्या प्रस्ताव है जो नक्सलवादियों के प्रति सहानुभूति रखता है?"

अनेक प्रश्न रखे गए थे और प्रत्येक मुख्यमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में, हम कुछ उपायों पर सहमत हुए जो इस समस्या से निपटने के लिए किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सहमति यह थी कि विकास और पुलिस कार्यवाही साथ-साथ चलनी चाहिए। इसके लिए विकास प्रयासों और सुरक्षा कार्यवाही में सही समन्वय होना चाहिए।

17 अगस्त, 2009 को मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक हुई थी जिसके पश्चात् नक्सलवाद प्रभावित राज्यों की एक बैठक हुई। इसी दौरान हमने एक कार्य योजना तैयार कर ली थी। मैंने यह कार्य योजना मुख्य मंत्रियों को बताई और बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है और मैं उसमें से केवल एक छोटा पैरा पढ़ रहा हूं:

"झारखंड के राज्यपाल (झारखंड राष्ट्रपति शासन के अधीन था), आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व किया और पश्चिम बंगाल के अधिकारीगण जिन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया, प्रस्तावित कार्य योजना से मोटे तौर पर सहमत हुए।"

मैंने बैठक में हुई चर्चा को संक्षिप्त रूप से बताया और फिर मैंने कहा कि प्रत्येक उस राज्य के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर मिलूंगा जहां कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कार्य योजना का विवरण दूंगा और उनकी सहमति लूंगा। तत्पश्चात्, मैंने उन राज्यों के दौरे किए और मुख्यमंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। हमने मुख्यमंत्रियों के समूहों के साथ भी बैठकें की- महाराष्ट्र 6 मार्च, 2009; आंध्र प्रदेश 6 मार्च, 2009; पश्चिम बंगाल 3 अप्रैल, 2010; उड़ीसा 20 मार्च और 26 मार्च, 2009; छत्तीसगढ़ 19 जनवरी, 2009; 25 सितंबर, 2009; झारखंड 21 जनवरी, 25 सितंबर, 21 अक्तूबर, 2009 और 28 जनवरी और 24 फरवरी, 2010। हमने 22 जनवरी, 2010 को रायपुर में महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और 9 फरवरी, 2010 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। मुझे 15 महीनों की और कोई ऐसी अवधि याद नहीं आती जब देश के गृह मंत्री ने केवल नक्सलवाद के मुद्दे पर इतने राज्यों की यात्राएं की, इतनी राजधानियों की यात्राएं की, इतने बार मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। हां, अन्य विषयों पर चर्चा हुई लेकिन मुख्य विषय था कि नक्सलवादियों की समस्या से कैसे निपटा जाए। उनको कार्य योजना बताई गई। हमने उनकी सहमति प्राप्त की और यह सहमति हुई कि अंतः राज्यीय कार्रवाई, राज्य के अंदर कार्रवाई डीजीपी और मुख्यमंत्री के निर्देश में चलाए जाएंगे; और सीमा पर अंतरराज्यीय आपरेशन झारखंड-बंगाल; झारखंड-उड़ीसा; उड़ीसा-बंगाल; उड़ीसा-छत्तीसगढ़; उड़ीसा-आंध्र प्रदेश; छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के कमान में चलाए जाएंगे क्योंकि इसमें दो राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।

श्री लालू प्रसादः बिहार के बारे में क्या है?

श्री पी. चिदम्बरमः बिहार के मुख्यमंत्री ने कोलकाता में बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लिया। लेकिन उन्होंने दिल्ली में हुई बैठक में भाग लिया। लेकिन उन्होंने दिल्ली में हुई बैठक में भाग लिया। कोलकाता में हुई बैठक के पश्चात् मैंने बिहार के मुख्यमंत्री को यह कहते हुए पत्र लिखा कि हां शायद उनके पास कोलकाता में हुई बैठक में शामिल न होने का कुछ कारण था लेकिन मैं उन्हें दिल्ली में बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं और उनसे दिल्ली आने का अनुरोध किया। उन्होंने दिल्ली आने के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि वापस लिखा कि उन्हें और सुरक्षा बल चाहिए। मैंने उन्हें यह कहते हुए दोबारा लिखा कि आपके अधिकारियों ने मुझे एक संख्या बताई है, आपने मुझे एक संख्या

दी है और मैं समझता हूं कि हम इस पर चर्चा करें और जैसे कि सहमति हुई थी मैं आपको कार्य योजना स्पष्ट करूं। अत:, कृपया दिल्ली आएं। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। वस्तुत:, मैंने उनके दल के एक सदस्य को यह कहते हुए सुना कि हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया जा सकता है। मैंने कभी नहीं कहा कि हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया जाए. लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हमें 'अमुक' संख्या में कंपनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने कंपनियों की तीन गुना संख्या के लिए कहा और इसलिए मैं उनकी योजना के बारे में जानना चाहा था।

हमारे पास सीमित संख्या में सुरक्षा बल हैं, हमारे पास अनंत सुरक्षा बल नहीं हैं। सीआरपीएफ के बारे में काफी कुछ कहा गया है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नक्सलवादियों से लड़ने के लिए और कोई बल नहीं है। इस देश में प्रत्येक अन्य बल सीमा प्रहरी बल है। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स सीमा प्रहरी बल हैं। सीआईएसएफ को औद्योगिक सुरक्षा और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमारे पास एक मात्र बल सीआरपीएफ है। इसे रिजर्व पुलिस बल के रूप में स्थापित किया गया था। कृपया 'रिजर्व' शब्द पर ध्यान दें। परंतु यह रिजर्व पुलिस बल के अलावा सब कुछ है। कानून और व्यवस्था के लिए के.रि.पु.ब. को बुलाइए; सांप्रदायिक हिंसा के लिए के.रि.पु.ब. को बुलाइए; चुनाव ड्यूटी के लिए के.रि.पु.ब. को बुलाइए; आज पंजाब में राज्य बिजली बोर्ड की समस्या निपटाने के लिए वे चाहते हैं कि मैं के.रि.पु.ब. भेजूं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, के.रि.पु.ब. बुलाइए; राज्य की सुरक्षा के लिए, के.रि.पु.ब. बुलाइए; नक्सल-विरोधी युद्ध के लिए, के.रि.पु.ब. बुलाइए। मैं सशस्त्र बलों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने हमारी प्रशिक्षण सुविधाओं की सीमाओं के होते हुए भी गत 13-14 माह के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 10 बटालियनों, के.रि.पु.ब. की 10 और भा.ति.सी.पु. की 5 बटालियनों को प्रशिक्षित किया है।

इस अवधि के दौरान सेना द्वारा लगभग 25 बटालियन अथवा 25,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। हम अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। हम 20 प्रतिशत विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। हम राज्यों को धन दे रहे हैं। हमारे संसाधनों के अनुसार, ये प्रशिक्षित बल हैं और इस क्षेत्र, जगदलपुर में तैनात की गई तीनों प्लाटून को तैनात करने से पूर्व उनको तैनाती-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया था। यह बटालियन इससे पहले बिहार में अनुभव प्राप्त कर चुकी थी। इसका उप महानिरीक्षक आंध्र प्रदेश कैडर का एक अधिकारी है जिसको आंध्र प्रदेश में नक्सल-विरोध कार्रवाई का व्यापक अनुभव है। फिर भी, इस सबके बावजूद, एक गंभीर त्रासदी हुई है। मैंने अपना धैर्य नहीं खोया, मैंने अपनी इच्छाशक्ति नहीं गंवाई। मुझे कोई भय नहीं है। मैं नक्सलवादियों से नहीं डरता। लेकिन यदि कोई भयावह त्रासदी होती है तो यह मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह त्यागपत्र दे। और इसीलिए, मैंने त्यागपत्र दिया।

प्रधानमंत्री और संप्रग अध्यक्षा ने मेरा त्यागपत्र अस्वीकार कर दिया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने मुझमें विश्वास व्यक्त किया है और नक्सलवाद से लड़ने में मैं गृह मंत्रालय और अर्द्ध-सैनिक बलों को नेतृत्व प्रदान करता रहूंगा।

हमें नक्सलवादियों की प्रवृत्ति को समझना होगा। हम एक मजबूत लोकतंत्र हैं। यहां अनेक मत होंगे। जो श्री यशवंत सिन्हा ने कहा है और जो श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा है, स्पष्ट रूप से उसमें अंतर है। जो श्री शरद यादव ने कहा है और जो श्री तथागत सत्पथी ने कहा है उसमें अंतर है। जो अन्य प्रत्येक ने कहा है और जो श्री मंडल ने कहा है उसमें स्पष्ट अंतर है। फिर भी, एक नीति विकसित करना, सर्वसम्मति के लिए प्रयास करना, सर्वसम्मति बनाना और सरकार का कार्य चलाए रखना इस सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी सभी बैठकों में मैंने यही करने का प्रयास किया है।

हमें नक्सलवाद की चुनौती की प्रकृति को समझना होगा। मुझे खेद है कि अब तक हमने इस चुनौती की प्रकृति को नहीं समझा है और हम वामपंथी आंदोलन के काल्पनिक आदर्शवाद का शिकार बन जाते हैं। जब संसदीय चुनावों की घोषणा हुई तो नक्सलवादियों ने चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की। वस्तुत: उन्होंने एक पर्चा जारी किया जिसमें वह स्पष्ट किया गया था कि चुनाव को किस नजर से देखते हैं और उन्होंने निम्नलिखित कहा:

> "बालीवुड, टॉलीवुड, क्रिकेट सितारे, उद्योगपति, बहुराष्ट्रीय निगम, मीडिया संगठन और गैर-सरकारी संगठन लोकतंत्र की अच्छाईयों, मत की गरिमा, मतदान न करना किस प्रकार अपराधियों को जीतने में सहायता करने जैसा है और ऐसी ही अन्य बातों का लगातार प्रचार करते रहते हैं। अनगिनत वेबसाइट्स और ब्लॉग्स ने लोगों से मतदान करने का आह्वान किया। अपने प्रचार को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने मतदाताओं से अच्छे और बुरे के बीच चयन के लिए समझदारी का प्रयोग करने और अच्छे का चुनाव करने के लिए कहा मानो संसदीय बाड़े में अच्छे लोग बचे हुए हैं।
>
> हम समझते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के मजबूत होने के साथ-साथ बहिष्कार की यह प्रवृत्ति भी मजबूत होगी। देश के अनेक भागों में लोगों के 'क्रांतिकारी शक्ति संगठन' अस्तित्व में आते हैं। लोगों की सशस्त्र शक्ति में वृद्धि होती है और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की शक्ति बढ़ती है और कुछ क्षेत्रों में वे निर्णायक जीत हासिल करते हैं। पार्टी,

पीपल्स आर्मी और क्रांतिकारी जन संगठन, लोक शक्ति संगठनों की एकता के बिना और विशाल क्षेत्रों में शत्रु (शत्रु मेरा शब्द नहीं है, यह उनका शब्द है) पर विजय प्राप्त किए बिना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि लोग भारी संख्या में चुनावों का बहिष्कार करेंगे।''

''संसदीय संस्थाओं के विकल्प के उदय से संसद और चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दलों के प्रति संकल्पना, तैयारी और लोगों की सोच में गुणात्मक परिवर्तन आएगा।''

चुनावों के बाद, उन्होंने एक अन्य पर्चा जारी किया जिसमें इस चीज की स्पष्ट झलक है कि वे क्या करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि चुनावों से पूर्व उन्होंने क्या किया। ''गृह मंत्रालय के मार्ग-निर्देशन में, चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है।'' वे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है। ''केन्द्रीय बलों की बड़ी संख्या में तैनाती और राज्य में संपूर्ण पुलिस बल की तैनाती के दौरान और उनके द्वारा आतंक का माहौल निर्मित करने के प्रयास के बावजूद वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। सीपीआई (माओवादी) और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के नेतृत्व में लोगों ने केन्द्रीय पुलिस बलों को व्यापक आक्रमण को रोका और उन्होंने इन स्वार्थी बलों पर आक्रमण किया और उनके ''ऑपरेशन क्षेत्र प्रभुत्व'' को विफल किया। चुनाव प्रचार के लिए इन क्षेत्रों में किसी भी उम्मीदवार या दल प्रतिनिधि ने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखाई। बिहार झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों में केवल माओवादी पोस्टर, बैनर और पर्चे ही देखे गए। 6 अप्रैल को चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के साथ महाराष्ट्र में तीन सी-60 कमांडों के मारे जाने और 16 अप्रैल को मतदान समाप्त होने के पश्चात लातेहर के कोण गांव के निकट बी.एस.एफ. के जवान के मारे जाने से लेकर माओवादियों द्वारा जवाबी हमलों में कुल 43 केन्द्रीय और राज्य बलों के जवान मारे गए थे। 13 मई को मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने तक, हमारे पीएलजीए ने दुश्मन बलों पर अनेक हमले किए, जिससे 70 से ज्यादा दुश्मन के जवान मारे गए थे। 12 जून तक जब पोलित ब्यूरो का वर्तमान परिपत्र जारी किया जा रहा है, कुल 112 पुलिस जवानों, इनमें से अधिकतर केन्द्रीय बलों के थे को पीएलजीए गुरिल्ला द्वारा बहादुरी से किए गए हमलों में मार दिया गया था।''

हमें इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य सत्ता में आना है। ऐसा वे हथियार के दम पर करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का गठन किया है। इसके बारे में इन्होंने इस दस्तावेज में कहा है कि इसे शीघ्र ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी में बदल दिया जाएगा। वे इसे 'युद्ध' कहते हैं। वे हमें 'दुश्मन' कहते हैं। वे सम्मानीय लोक सभा को 'बाड़ा' कहते हैं। क्या हमें अभी भी अपने दुश्मन के बारे में कोई शंका है?

यह पहली त्रासदी नहीं है। हमें विगत में भी कई बार नुकसान हुआ है। मार्च, 2007 में छत्तीसगढ़ पुलिस के 55 जवान रानी बोडी कैम्प में मारे गए थे; 1 जून, 2008 में आंध्र प्रदेश पुलिस के 37 ग्रेहाउंड घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए थे, जब वे बालीमेला बांध को पार कर रहे थे; फरवरी 2010 में पश्चिम बंगाल पुलिस के 24 जवान मारे गए थे; जुलाई 2009 में छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव में 24 पुलिस कर्मी मारे गए थे। राज्य पुलिस बल के जवान घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए हैं। केन्द्रीय पुलिस बलों के जवान भी ऐसे हमलों में मारे गए हैं। हमारा दुश्मन दृढ़ संकल्प है। हमारे जवान अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जवानों का साथ दें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा कुछ न कहें या करें जिससे वे हतोत्साहित हों।

जैसा कि मैंने पहले कहा और लिखा है उनमें से कुछ मर जाते हैं, ताकि हम सब शेष और लोकतंत्र में जीवित रह सके।

हम सामाजिक-आर्थिक कारणों से भी अनभिज्ञ नहीं हैं। हमने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि पानी नहीं है; कोई विकास नहीं है; कोई स्कूल नहीं है; कोई नौकरी नहीं है; कोई रोजगार नहीं है। मैं भी इससे असहमत नहीं हूं। परन्तु हमारे अलावा इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? क्या इस सभा में कोई किसी अन्य पर अंगुलि उठा कर कह सकता है कि ''आप इस क्षेत्र का 30 वर्षों में विकास न करने के दोषी हैं?'' यदि लालगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ है- मैं किसी वाद-विवाद को जन्म नहीं दे रहा हूं बल्कि मैं केवल वह बता रहा हूं जो लालगढ़ के लोगों ने मुझे बताया है- पिछले 30 वर्षों में क्या कोई इस हेतु केन्द्र सरकार पर दोष लगा सकता है? यदि छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ है, तो क्या कोई इसके लिए हमें दोषी ठहरा सकता है? छत्तीसगढ़ का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। उससे पूर्व वहां अनेक वर्षों तक मध्य प्रदेश की सरकार थी। उसके बाद वहां छत्तीसगढ़ की सरकार है। यदि झारखण्ड में कोई विकास नहीं हुआ है तो क्या कोई इसके लिए हमें दोषी ठहरा सकता है? झारखण्ड अनेक वर्षों तक बिहार का भाग था। वहां अनेक सरकारें रही हैं। झारखण्ड में भी सरकार है। झारखण्ड में मुख्यमंत्री रहे हैं। केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है, परन्तु राज्य सरकार का यदि अधिक नहीं तो विकास हेतु समान उत्तरदायित्व है। इसी प्रकार, नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है परन्तु नक्सलवाद हिंसा को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व भी यदि अधिक नहीं, तो बराबर तो है ही।

मैंने प्रत्येक मुख्यमंत्री को न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नक्सलवादी हिंसा को नियंत्रित करने में बल्कि उस क्षेत्र में विकास लाने हेतु उनके कार्यों, उनकी योजनाओं में पूर्ण समर्थन प्रदान किया है।

हम निधियां जारी कर रहे हैं। हम निधियां एसआरई योजना के अंतर्गत जारी कर रहे हैं। हम नक्सल-प्रभावित जिलों में विशेष आधारभूत अवसंरचना योजना के अंतर्गत निधियां जारी कर रहे हैं। हम राज्य के पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत धनराशि जारी कर रहे हैं। अब, हम यह तर्क दे सकते हैं- मुझे प्रसन्नता है कि आपने तर्क दिया- कि धनराशि पर्याप्त नहीं है। मुझे यकीन है कि आप जो कह रहे हैं उस पर संप्रग अध्यक्षा, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री विचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो धनराशि आबंटित करेंगे परंतु आबंटित धनराशि खर्च करनी होगी। परंतु जारी की गई धनराशि के अनुसार बराबर व्यय नहीं किया गया है। हमने धनराशि जारी की है और धनराशि अब तक खर्च नहीं की गई है।

सिर्फ इतना ही नहीं है। हमारे पास इन क्षेत्रों में विकास की विशेष योजना है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में कृतिक बल है जो कि 33 सबसे अधिक प्रभावित जिलों पर ध्यान केन्द्रित करता है। हम पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य की सड़कों, संपूर्ण स्वच्छता हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सर्व शिक्षा अभियान और इंदिरा आवास योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित करते हैं। परंतु जब मैं जारी की गई और व्यय की गई धनराशि पर नजर डालता हूं और यह देखता हूं कि जारी की गई संपूर्ण धनराशि खर्च नहीं की गयी है। अत:, मेरी अपील है कि हमें इन दो आधारों पर दृढ़ रहना चाहिए। यह एक कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या है जिससे कि न केवल हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है बल्कि इससे हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव को भी खतरा है; इसलिए इस समस्या से निपटना होगा। हमें निर्भयतापूर्वक नक्सलवाद के खतरे से लड़ना होगा। दूसरी तरफ, जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा है हमें इन क्षेत्रों में सड़कों, बिजली, पेयजल और स्वच्छता योजनाओं को शुरू करके सामाजिक-आर्थिक चिंताओं का निवारण करना चाहिए। परंतु ऐसा मत सोचिए कि आपके विरोधी आपको ऐसा करने देंगे। विरोधी आपकी अवसंरचना को निशाना बनाएंगे। मैं आपको आजाद और गणपति द्वारा दिए गए साक्षात्कारों से उद्धरण दे सकता हूं। वे अवसंरचना को निशाना क्यों बनाते हैं? वे कहते हैं कि यहां स्कूल नहीं बनाए जा सकते क्योंकि स्कूलों को सुरक्षा बलों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा, यहां संचार टावर नहीं बनाए जाने चाहिए क्योंकि तब सुरक्षा बल अपने मुख्यालयों से संपर्क कर पाएंगे।

मेरे पास उस अवसंरचना की पूरी सूची है जिसे उन्होंने वर्ष 2008 और 2009 में हमला किया है। महोदय, सभा का अधिक समय लिए बिना मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि गत सप्ताह दंतेवाड़ा में हुई इस त्रासदी से हमें और अधिक दृढ़ संकल्प निश्चयी और निर्णय हो जाना चाहिए। इससे हमें गरीबों के प्रति और अधिक अनुकंपापूर्ण तथा अधिक चिंतित हो जाना चाहिए ताकि वहां विकास हो सके।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं एक बात जानना चाहता हूं। आपने भ्रष्टाचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। आप धनराशि आवंटन के बारे में विस्तार से बोले हैं। परंतु में यह कह सकता हूं कि जरूरतमंद लोगों के पास एक पैसा भी नहीं जा रहा है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें जरूर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, जो महात्मा गांधी का नाम है, वह कृपा करके नरेगा से हटा दीजिए। इसमें करप्शन ही करप्शन है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम हटा दीजिए, इसे नरेगा ही रखिए। यह लूट है। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ। आप पता लगा लीजिए। इससे महात्मा गांधी का नाम हटाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): आपके चाहते हुए भी भ्रष्टाचार नहीं रूक रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे यकीन है कि शरद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी सुरक्षा उपायों तथा विकास कार्यों के संबंध में भ्रष्टाचार का उल्लेख नेक नियति से किया है। मुझे भी उनके जितनी चिंता है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यदि इस त्रासदी से भी हम नहीं जागते हैं तो देश किसी भी त्रासदी से नहीं जागेगा, भारत की संसद किसी भी त्रासदी से नहीं जागेगी। कम से कम इस त्रासदी के बाद हमारी जो भी असफलताएं हैं, हमारे जो भी दोष हैं हमारी जो भी सामूहिक असफलताएं हैं हमें उन्हें हल करना चाहिए और हमें विरोधियों से निपटने में अधिक दृढ़ संकल्प और निर्भयता दिखानी चाहिए तथा लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने हेतु अधिक अनुकंपा तथा समर्पण दिखाना चाहिए। इन दोनों कार्यों में मुझे विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी और अंतत: भारत की एकता की विजय होगी। मुझे यकीन है कि स्वतंत्रा इस देश में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीत होगी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): सभापति महोदय, आज की चर्चा कुल मिलाकर बहुत अच्छी हुई है, इसमें जहां तक नक्सलवाद के स्वरूप का सवाल है, गृह मंत्री जी ने जो अपना दृष्टिकोण बताया, उस पर काफी मात्रा से उस मामले में सहमत हूं, लेकिन एक पहलू जिसकी चर्चा कई लोगों ने की, क्योंकि इस दंतेवाड़ा की त्रासदी में मरने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग थे। उन सिक्योरिटी फोर्सेज के बारे में सबकी अपेक्षा थी कि उनको तुरंत जितनी राहत देनी चाहिए थी, उनके परिवारों को और उनके घर के लोगों को, वही दी जाएगी, लेकिन उसके बारे में आपने कोई एक शब्द भी नहीं कहा।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने पहले ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। संभवत: इस पर माननीय सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। मैं बताता हूं मैंने क्या किया है? प्रत्येक जवान को अलग-अलग दरों पर अनुग्रह राशि, जो राज्य सरकारें देती हैं, के अतिरिक्त केन्द्र सरकार की ओर से 35 लाख रुपये मिलेंगे। राज्य सरकारें अलग-अलग दरों से, 5 लाख रुपये, 15 लाख रुपये देती हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न शीर्षों के तहत यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक परिवार को 35 लाख रुपये मिले। राज्य सरकारों द्वारा 5 से 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार यह 50 लाख भी हो सकता है। यह एक बात है।

दूसरी बात कि अंतिम लिया गया वेतन परिवार के सदस्य को दिया जाएगा। यह राशि उस शहीद के सेवानिवृत्त होने की तारीख तक दी जाएगी।

तीसरी बात, परिवार के एक सदस्य को जिसे वे चुनेंगे, नौकरी दी जाएगी। एक बार यदि सबसे निकटतम संबंधी की पहचान कर ली जाती है तो एक बयान लिया जाएगा क्योंकि हो सकता है कि कई मामलों में एक से ज्यादा निकट संबंधी हों। हमें यह तय करना होगा कि किसे मिलेगा। एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। मेरी तरह आडवाणी जी भी यह जानते हैं।

मैंने वादा किया है कि हम इन सभी मामलों को इस माह के अंत तक निपटाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं केवल सावधान करना चाहता हूं क्योंकि मुम्बई में 1993 की जो घटना हुई, उसके बाद छ: लोकल ट्रेन की एक साथ घटना हुई। कुछ एनजीओज उस काम में लगे हुए थे कि उन्हें जो राहत घोषित हुई है, वह मिली या नहीं। मेरा उनसे संबंध रहा। मैं लगातार वहां पर जाता रहा। मैं आपको बता सकता हूं कि जब तक मैंने स्वयं प्रधान मंत्री जी से उस बारे में वार्ता नहीं की, तब तक वह राहत उन तक नहीं पहुंची। यह समस्या सब जगह होती है। इस बार जैसे मेरे एक साथी वरुण जी ने कल वहां जाकर पता लगाया तो उन्होंने बताया कि किसी ने अब तक सम्पर्क भी नहीं किया है। यह खतरा रहता है। आपने आज यहां संसद में 'इस महीने के अंत तक हो जाएगा' कह दिया। यह बहुत कठिन मामला है। ...*(व्यवधान)* मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप स्वयं एक कमेटी बनाकर इसे लगातार परस्यु करें और मौनीटर करते रहें। नहीं तो यह आसानी से नहीं पहुंचता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए और उसके बाद भी कुछ न हो, गरीब लोग उनके परिवार के भी हैं। कृपया इस पर चिन्ता कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन): मैं माननीय गृह मंत्री से वही बात पूछना चाहता था जो पूर्व उप-प्रधानमंत्री ने पूछा है। माननीय गृह मंत्री का उत्तर संतोषजनक है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मैंने आग्रह किया था कि होम डिपार्टमैंट में अलग से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए क्योंकि बहुत बातें ऐसी हैं जिन्हें हम यहां नहीं बोल सकते।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह सुझाव स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री से इस विषय पर बात करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यदि मंत्रिमंडल में मतभेद है, तो वे इस चुनौती का सामना एक होकर कैसे करेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब मैं सभा की राय के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या हम कुछ और समय तक बैठे और 'शून्य-काल' पर चर्चा करें।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं।

सभापति महोदय: ठीक है।

सभा कल 16 अप्रैल, 2010 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.48 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 16 अप्रैल, 2010/26 चैत्र, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	डॉ. निर्मल खत्री	281
2.	श्री वरुण गांधी श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	282
3.	श्री एस. सेम्मलई श्री प्रताप सिंह बाजवा	283
4.	श्री नरहरि महतो	284
5.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	285
6.	श्री पी. कुमार	286
7.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ डॉ. के.एस. राव	287
8.	श्री धर्मेन्द्र यादव श्री दिनेश चन्द्र यादव	288
9.	श्री गजानन ध. बाबर श्री संजय दिना पाटील	289
10.	श्री एंटो एंटोनी	290
11.	श्री भूपेन्द्र सिंह श्री यशवीर सिंह	291
12.	श्री एम.बी. राजेश श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	292
13.	श्री ओम प्रकाश यादव	293
14.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण श्री प्रबोध पांडा	294
15.	श्री पकौड़ी लाल श्री देवजी एम. पटेल	295
16.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्री दत्ता मेघे	296
17.	श्री पी. करुणाकरन श्री नारनभाई कछाड़िया	297
18.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री अनंत कुमार हेगड़े	298
19.	प्रो. रामशंकर	299
20.	योगी आदित्यनाथ	300

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3194, 3244, 3354
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3239, 3395
3.	अडसूल, श्री आनंदराव	3229, 3362, 3364
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	3247
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3189
6.	अजमल, श्री बदरूद्दीन	3260, 3385
7.	अजनाला, डॉ. रतन सिंह	3228
8.	एंटोनी, श्री एंटो	3365
9.	अनुरागी, श्री घनश्याम	3208, 3349
10.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	3259, 3412
11.	बालू, श्री टी.आर.	3267, 3359
12.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	3215, 3295, 3341
13.	बाबर, श्री गजानन ध.	3362, 3364
14.	बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	3381
15.	बैस, श्री रमेश	3276
16.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	3384
17.	बलीराम, डॉ.	3251, 3353
18.	बलराम, श्री पी.	3207, 3304, 3330, 3364, 3393
19.	बासवराज, श्री जी.एस.	3199, 3204
20.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	3243
21.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	3299
22.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3194
23.	भैया, श्री शिवराज	3374
24.	भोई, श्री संजय	3413
25.	बिजू, श्री पी.के.	3223, 3336
26.	चौधरी, श्री हरीश	3274, 3275

1	2	3
27.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	3340
28.	चौहान, श्रीमती राजकुमारी	3195
29.	चौहान, श्री संजय सिंह	3296
30.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3211, 3375, 3387
31.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3250, 3348
32.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	3286
33.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	3234, 3393, 3406
34.	देवी, श्रीमती रमा	3370, 3392
35.	धोत्रे, श्री संजय	3245, 3275, 3377
36.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	3248
37.	दुबे, श्री निशिकांत	3302, 3403
38.	ईरींग, श्री निनोंग	3319
39.	गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	3288, 3384, 3391
40.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	3196, 3326
41.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3230, 3286, 3383
42.	गांधी, श्री वरुण	3342
43.	गवली, श्रीमती भावना पाटील	3308
44.	गौडा, श्री शिवराम	3283, 3413
45.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	3209, 3343
46.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	3282
47.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	3306
48.	हक, शेख सैदुल	3289
49.	हजारी, श्री महेश्वर	3321
50.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	3345, 3392
51.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	3375
52.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	3307
53.	जयाप्रदा, श्रीमती	3289
54.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	3205, 3343
55.	जोशी, श्री महेश	3281
56.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	3370

1	2	3
57.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	3256, 3337, 3413
58.	करुणाकरन, श्री पी.	3369
59.	कस्वां, श्री राम सिंह	3221, 3334
60.	कटारिया, श्री लालचन्द	3307
61.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3242
62.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	3286, 3383
63.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	3284, 3382
64.	कुमार, श्री मिथिलेश	3279
65.	कुमार, श्री विश्व मोहन	3193, 3289
66.	कुमार, श्री पी.	3328
67.	कुरूप, श्री एन.पीताम्बर	3232
68.	लाल, श्री पकौड़ी	3367
69.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3198, 3288, 3384
70.	महन्त, डॉ. चरण दास	3194, 3346
71.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	3345, 3364
72.	महतो, श्री नरहरि	3187, 3325
73.	माझी, श्री प्रदीप	3235, 3397
74.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	3187, 3380
75.	मेघे, श्री दत्ता	3399
76.	मेघवाल, श्री अर्जुन	3271, 3371
77.	मिश्रा, श्री महाबल	3298, 3400
78.	मुंडे, श्री गोपीनाथ	3276, 3378
79.	मुत्तेमवार, श्री विलास	3301, 3402
80.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	3368
81.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	3305, 3361
82.	निरूपम, श्री संजय	3258, 3368
83.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	3263
84.	ओला, श्री शीश राम	3287
85.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3262, 3309

1	2	3
86.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	3186, 3338
87.	पांडा, श्री वैजयंत	3252, 3388
88.	पांडा, श्री प्रबोध	3401
89.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	3289, 3386
90.	पाण्डेय, कुमारी सरोज	3255, 3355
91.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	3197
92.	पांगी, श्री जयराम	3226
93.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	3241, 3350, 3413
94.	पाटिल, श्री सी.आर.	3288
95.	पटेल, श्री देवराज सिंह	3272, 3374
96.	पटेल, श्री देवजी एम.	3276, 3351, 3367
97.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	3257, 3276
98.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	3253
99.	पाठक, श्री हरिन	3310
100.	पाटील, श्री संजय दिना	3288, 3398
101.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3294, 3394
102.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	3201, 3304, 3330, 3364, 3393
103.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	3212
104.	राघवन, श्री एम.के.	3316
105.	रहमान, श्री अब्दुल	3216
106.	राजगोपाल, श्री एल.	3235, 3303, 3404
107.	राजभर, श्री रमाशंकर	3285
108.	राजेन्द्रन, श्री सी.	3317
109.	राजेश, श्री एम.बी.	3344, 3393
110.	राम, श्री पूर्णमासी	3238, 3408
111.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	3200, 3413
112.	राणे, श्री निलेश नारायण	3217, 3332, 3373
113.	राव, डॉ. के.एस.	3227
114.	राव, श्री नामा नागेश्वर	3286, 3364
115.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3311
116.	राठौड़, श्री रमेश	3192, 3324, 3364
117.	राठवा, श्री रामसिंह	3225, 3288, 3339
118.	रावत, श्री अशोक कुमार	3268, 3363
119.	राय, श्री अर्जुन	3185, 3323, 3375
120.	राय, श्री रूद्रमाधव	3290, 3413
121.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3290, 3312
122.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3280, 3344, 3379
123.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	3199, 3304, 3357
124.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3315, 3389
125.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	3325, 3385, 3413
126.	सेम्मलई, श्री एस.	3360
127.	साहा, डॉ. अनूप कुमार	3266
128.	सम्पत, श्री ए.	3314, 3407
129.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	3347
130.	सरोज, श्रीमती सुशिला	3240, 3249, 3409
131.	सरोज, श्री तूफानी	3304, 3364
132.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3206, 3329
133.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	3265, 3358
134.	शांता, श्रीमती जे.	3213, 3411
135.	शारिक, श्री शरीफुद्दीन	3405
136.	शर्मा, श्री जगदीश	3364
137.	शर्मा, श्री मदन लाल	3245
138.	शेखर, श्री नीरज	3262, 3396
139.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	3202, 3304, 3330, 3364, 3393
140.	शेट्टी, श्री राजू	3224, 3356
141.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3264
142.	शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	3288

1	2	3
143.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	3219, 3410
144.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3261
145.	सिंह, श्री दुष्यंत	3234
146.	सिंह, श्री गणेश	3190
147.	सिंह, श्री इज्यराज	3237
148.	सिंह, श्री जगदानंद	3283
149.	सिंह, श्री महाबली	3269
150.	सिंह, श्रीमती मीना	3240, 3275, 3297
151.	सिंह, श्री राधा मोहन	3240, 3275, 3297
152.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	3322
153.	सिंह, श्री सुशील कुमार	3203, 3327
154.	सिंह, श्री उदय	3290, 3413
155.	सिंह, श्री यशवीर	3279
156.	सिंह, चौधरी लाल	3313
157.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3277
158.	सिंह, श्री राधे मोहन	3376
159.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	3345, 3372
160.	सिंह, श्री उमाशंकर	3282
161.	सिंह, डॉ. संजय	3222, 3274, 3335
162.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	3300, 3304, 3330, 3393
163.	शिवासामी, श्री सी.	3191, 3391
164.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	3288, 3384
165.	सुधाकरण, श्री के.	3233
166.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3220, 3410
167.	सुगुमार, श्री के.	3238, 3318
168.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	3270
169.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	3292
170.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	3218, 3333
171.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	3188
172.	तराई, श्री बिभू प्रसाद	3286
173.	ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर	3295
174.	तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ	3320
175.	तिवारी, श्री मनीष	3273
176.	थामराईसेलवन, श्री आर.	3254, 3389
177.	तिरकी, श्री मनोहर	3256
178.	वर्धन, श्री हर्ष	3246, 3409
179.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3212
180.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3212
181.	वर्मा, श्री सज्जन	3236, 3352
182.	विजयन, श्री ए.के.एस.	3210, 3331
183.	विश्वनाथ, श्री अदगुरु एच.	3213
184.	विश्वनाथन, श्री पी.	3231, 3264, 3405, 3414
185.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	3361
186.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	3275, 3377
187.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	3185, 3214, 3237
188.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	3362, 3364
189.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	3372
190.	यादव, श्री ओम प्रकाश	3366
191.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	3290
192.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	3245, 3278, 3295
193.	यादव, श्री मधुसूदन	3291, 3390
194.	यास्खी, श्री मधु गौड	3286, 3383.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	282
नागर विमानन	:	292, 293
कॉर्पोरेट कार्य	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	294
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	297
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	284, 285, 289, 290, 291, 295, 298
रेल	:	281, 287, 288, 299, 300
इस्पात	:	296
वस्त्र	:	283, 286.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	3185, 3192, 3195, 3202, 3207, 3223, 3224, 3227, 3229, 3238, 3245, 3264, 3265, 3266, 3283, 3301, 3304, 3306, 3314, 3324, 3326, 3346, 3350, 3352, 3353, 3358, 3364, 3388, 3409, 3414
नागर विमानन	:	3190, 3201, 3204, 3209, 3211, 3218, 3228, 3231, 3236, 3240, 3242, 3263, 3270, 3272, 3274, 3280, 3290, 3309, 3310, 3315, 3318, 3319, 3320, 3328, 3338, 3340, 3343, 3357, 3361, 3363, 3374, 3375, 3383, 3393, 3397, 3402, 3403, 3405, 3406, 3407, 3412, 3413
कॉर्पोरेट कार्य	:	3217, 3237, 3251, 3253, 3286
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3213, 3221, 3389, 3398, 3401
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3196, 3230, 3292, 3300, 3313, 3347, 3348, 3387, 3404
विधि और न्याय	:	3189, 3193, 3198, 3232, 3247, 3262, 3271, 3288, 3298, 3313, 3332, 3339, 3342, 3345, 3351, 3367, 3384
अल्पसंख्यक मामले	:	3191, 3243, 3284, 3356

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	3187, 3188, 3194, 3197, 3203, 3210, 3234, 3249, 3259, 3260, 3273, 3295, 3299, 3323, 3327, 3337, 3362, 3365, 3366, 3370, 3372, 3379, 3382, 3385, 3391, 3392, 3394, 3411
रेल	:	3200, 3208, 3212, 3214, 3215, 3216, 3222, 3233, 3234, 3239, 3244, 3246, 3248, 3252, 3257, 3258, 3261, 3267, 3268, 3269, 3275, 3277, 3278, 3279, 3281, 3282, 3285, 3287, 3289, 3291, 3293, 3294, 3296, 3297, 3303, 3305, 3308, 3316, 3317, 3321, 3330, 3331, 3333, 3334, 3335, 3336, 3341, 3359, 3368, 3369, 3373, 3376, 3378, 3381, 3386, 3390, 3395, 3396, 3399, 3400, 3408, 3410
इस्पात	:	3186, 3199, 3205, 3225, 3255, 3256, 3302, 3307, 3322, 3325, 3354, 3355, 3380
वस्त्र	:	3206, 3219, 3220, 3226, 3241, 3250, 3254, 3276, 3311, 3329, 3344, 3349, 3360, 3371, 3377.

दिनांक 15 अप्रैल, 2010 के लोक सभा वाद-विवाद हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र

	कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1.	87	अंतिम	भाग घ के बाद निम्नलिखित पढ़ा जाए :- ''(ङ) संभावित राजस्व का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ।''	
2.	88	2	(ङ)	(च)
3.	96	6	(छ	(च)
4.	276	3	श्रीमती जे. सांता	श्रीमती जे. शांता

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.-48/8/16/2010 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।